अंक 58

राजभाषा भारती

ई-सितम्ब[illegible]92

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

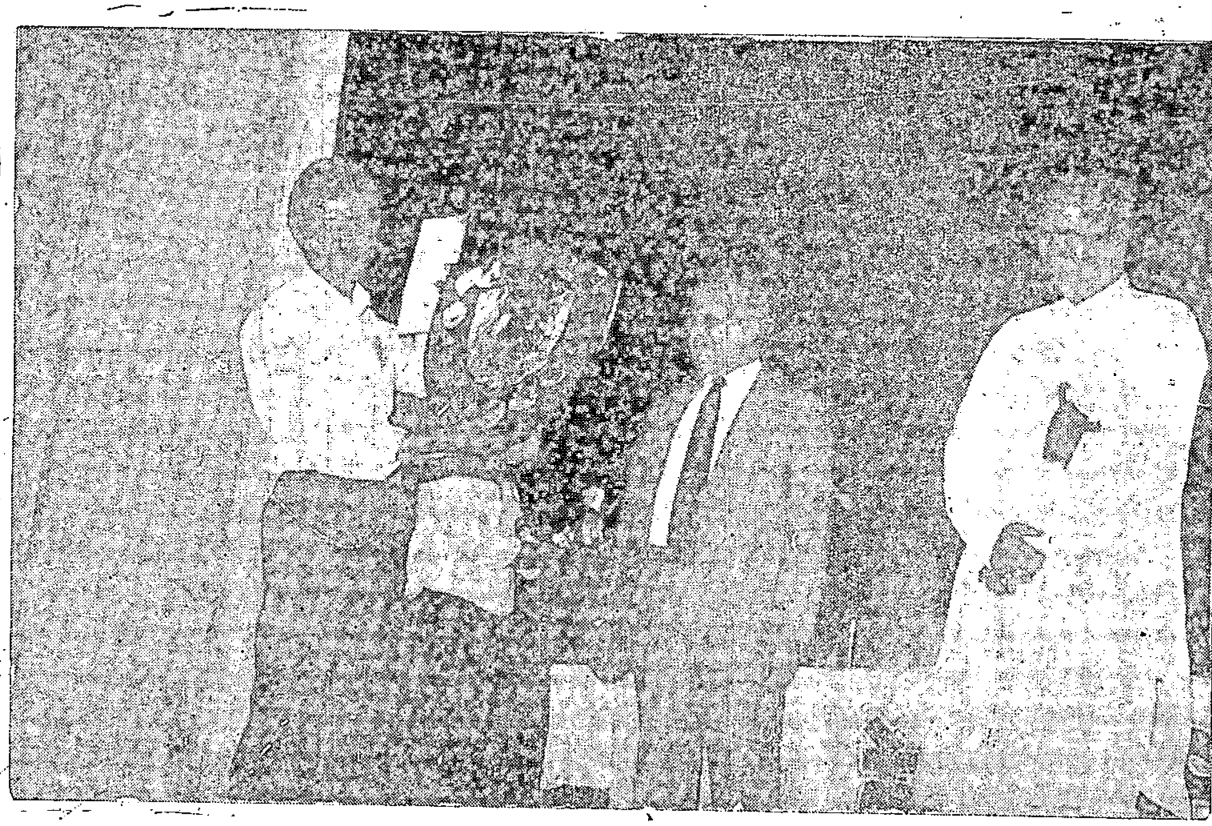

श्री पी. नागेश्वर राव को शील्ड प्रदान करते हुए माननीय केन्द्रीय उप गृहमंत्री श्री रामलाल राही।

गुवाहाटी स्थित राजभाषा अधिकारियों की गोष्ठी में बांए से श्री अजय सिंह (दूरसंचार), श्री के. डी. झा (पू. रेलवे) श्री हरिओम श्रीवास्तव (उप निदेशक कार्यान्वयन) श्री सी. डी. चालिहा उप महा प्रबन्धक रिफाईनरी उद्‌घाटन करते हुए श्री मुकुल दत्ता वरि. प्रबंधक रिफाइनरी।

"अग्ने शर्ध महते सौभागय, तव धुम्नान्युत्तमानि सन्तु"—ऋग्वेद 5.28.3

जीवन जगत् में आप सपरिवार सदा अग्नि की भांति तेजस्वरूप प्रकाशवान् होते हुए अपरिमित यश को प्राप्त करें। —कण्णन्

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 15
अंक : 58

विशेषांक केन्द्रीय विद्यालय

आषाढ़—भाद्रपद 1914 शक
जुलाई-सितंबर 1992

संपादक

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त डी. लिट्.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

उप-संपादक

डॉ गुरुदयाल बजाज

फोन : 698054

संपादन सहायक

शांति कुमार स्याल

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

संपादकीय

अनुक्रम

		पृष्ठ
चिंतन		
1. राष्ट्रीय एकता और अखंडता में हिंदी का योगदान	—श्रीमती वन्दना सक्सेना	1
2. राजभाषा प्रयोग के नाम पर	—डॉ. आर के मान	3
3. शिक्षा का माध्यम	—डॉ. गुरुदयाल बजाज	11
4. नागरी लिपि का कंप्यूटरीकरण और भारतीय रेल	—रामचन्द्र त्यागी	12
5. राजभाषा बनाम जन-मानसिकता	—योगराज	14
6. देवनागरी तार को हिंदी की व्याकरणिक संरचना का योगदान	—रमेश चन्द्र सभरवाल	15
7. नागरी लिपि को उचित स्थान संभव है	—ति. कृ. राजमणि एयर	19
8. परमाणु ऊर्जा विभाग में हिंदी का प्रयोग	—दिलीप भाटिया	20
9. विज्ञान और हिंदी	—वीरेन्द्र प्रताप सिंह	21
10. उद्योगों में अग्निशमन	—कैप्टन बी०एव० शर्मा	23
11. शब्द और हम	—श्रीमती शिल्पा महाले	27
साहित्यिकी		
12. हिंदी और पंजाबी की रिश्ते नाते संबंधी शब्दावली	—डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा	29
13. हिंदी व्याकरण के निर्माण में विदेशियों का योगदान	—तरुण कुमार दधीच	33
पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य		
14. हिंदी के बारे में ऐतिहासिक तथ्य	—कैलाशनाथ पाण्डेय	34
15. जहांगीर के शासन में हिंदी	—गोपाल शर्मा	36
विश्व हिन्दी दर्शन		
16. फीजी में हिंदी की यात्रा	—ब्रह्मदत्त स्नातक	38
समिति समाचार		
(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें		39
1. कल्याण मंत्रालय 2. संसदीय कार्य मंत्रालय		
(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		41
1. नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
2. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान		
3. अल्प संख्यक आयोग		

2701 HA/92

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 43

1. बेलगांव (कर्णाटक), 2. हैदराबाद (बैंक) 3. मैसूर
4. विजयावाड़ा 5. पालघाट 6. कण्णूर 7. बैंगलूर (बैंक)

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 46

1. दूरदर्शन केन्द्र नागपुर, 2. कछाड़ पेपर मिल पंचग्राम (असम)
3. बैंकिंग प्रभाग व भारतीय रिज़र्व बैंक
4. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना
5. आकाशवाणी कानपुर 6. आकाशवाणी, जोधपुर

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां 49

1. केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर (प.बंगाल)
2. इंडियन आयल कार्पोरेशन गुवाहाटी रिफाइनरी
3. आन्ध्र बैंक आंचलिक कार्यालय करीम नगर
4. अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
5. बैंक आफ महाराष्ट्र
6. केनारा बैंक, अंचल कार्यालय, चण्डीगढ़
7. केनारा बैंक मंडलीय कार्यालय, मेरठ
8. उप आयकर आयुक्त बंठिजा रेंज
9. दिल्ली प्रशासन दिल्ली
10. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
11. स्टेनोज ऐसोसिएशन, उप मंडल नरवाना (हरियाणा)
12. आकाशवाणी : वाराणसी
13. राष्ट्रीय भाषा परिषद, वाराणसी
14. काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी

☐ हिन्दी के बढ़ते चरण 56

1. भारतीय वायुसेना
2. मुख्य डाक महाध्यक्ष का कार्यालय, केरल परिमंडल तिरुअनंतपुरम
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम मद्रास

☐ हिंदी दिवस 59

☐ हिंदी कार्यशालाएं 82

☐ विविधा

○ समाचार दर्शन 86

○ प्रेरणा–पुंज 88

○ पुस्तक समीक्षा 89

○ आदेश–अनुदेश 91

संपादकीय

राजभाषा भारती का यह अंक हिन्दी मास (सितम्बर, 1992) की समाप्ति के बाद प्रकाशित किया गया है। देश के अनेक केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों आदि में बड़े उल्लास के वातावरण में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पक्ष/मास मनाए गए हैं। यह देखने में आया है कि इस वर्ष विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में हिन्दी के साहित्यकारों, विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों के अध्यक्षों और महाविद्यालयों के हिन्दी के प्राध्यापकों आदि ने भी भाग लिया है। कार्यालयों में हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टिप्पण और प्रारुपण, हिन्दी कहानी, हिन्दी वाक्, हिन्दी गीत आदि जैसी अनेक प्रतियोगिताएं कराई गईं। अनेक कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज के विशेष अभियान चले। इन सबके फलस्वरुप हिन्दी में कामकाज के लिए अनुकूल वातावतरण बना है। आशा है कि आने वाले समय में इस अनुकूल वातावरण का उपयोग करते हुए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सघन प्रयास किए जाएंगे।

यह अंक केन्द्रीय विद्यालय विशेषांक है। इस में वर्ष 1991 में केन्द्रीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह और हिन्दी मास के आयोजनों का विस्तृत विवरण है। केन्द्रीय विद्यालयों में हिंदी में कामकाज बढ़ाने के लिए आयोजित कार्य शालाओं का विवरण है। आशा है कि पाठक इस का स्वागत इस दृष्टि से करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालयों में इन समारोहों के होने से भावी पीढ़ी को भी भारत संघ की राजभाषा हिन्दी के प्रति, जिसके द्वारा शताब्दियों से देश को जोड़े रखने का काम हुआ है, निकटता की अनुभूति होगी। सूचनाओं के लिए हम केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों/विद्यालयों के प्राचार्यों आदि सहित छात्र/छात्राओं के भी आभारी हैं।

पिछले अंकों की भांति इस अंक में भी अनेक नवीन लेख जैसे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में हिन्दी का योगदान, राजभाषा प्रयोग के नाम पर, राजभाषा भारती के उप संपादक डॉ गुरुदयाल सिंह बजाज का शिक्षा का माध्यम, देवनागरी लिपिका कम्प्यूटरीकरण और भारतीय रेल, राजभाषा बनाम जन मानसिकता देवनागरी तार को हिन्दी की व्याकरणिक संरचना का योगदान, हिन्दी (देव-नागरी लिपि) को उचित स्थान सम्भव है, (लेखक श्री वी. कृ. राजामणी ऐयर) परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी का प्रयोग, विज्ञापन एवं हिन्दी, उद्योगों में अग्निशमन और शब्द और हम जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी लेख भी शामिल हैं।

साहित्यकी में हिन्दी और पंजाबी की रिश्ते-नाते संबंधी शब्दावली, हिन्दी व्याकरण के निर्माण में विदेशियों का योगदान जैसे चिन्तनपरख लेख दिये गए हैं। पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत हिन्दी के बारे में तथ्यों का निरुपण श्री कैलाशनाथ पांडेय ने बखूबी किया है। "जहांगीर के शासन में हिन्दी," विषय का विवेचन प्रतिष्ठित विद्वान डा. गोपाल शर्मा ने किया है।

"विश्व हिन्दी दर्शन" में इसी प्रकार फीजी में हिन्दी की यात्रा का यथातथ्य विवेचन प्रसिद्ध पत्रकार और अनुभवी समाज सेवी श्री ब्रह्मदत्त स्नातक ने किया है ।

पिछले अंकों की भांति ही राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां, हिंदी कार्याशालाएं, हिन्दी के बढ़ते चरण आदि स्थायी स्तम्भों में विस्तृत सामग्री दी गई है । अन्य स्तम्भ भी संग्रहणीय सामग्री से भरपूर हैं।

आशा है कि पाठकगण इस अंक का स्वागत करेंगे।

पाठकों के पत्र

राजभाषा हिंदी के विकास और तत्संबंधी गतिविधियों पर प्रकाशित होने वाली 'राजभाषा भारती' अपने आप में महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।

—ज.प्र. मालवीय, III, 56, सैक्टर-2, बी. एच. ई. एल, झांसी

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और उसकी रूपरेखा के बारे में राजभाषा भारती (त्रैमासिक) पत्रिका अपनी एक अनूठी अस्मिता रखती है ।

—विनोद कुमार, मेजर,
तकनीकी एवं प्रशासन अधिकारी
रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान,
रक्षा मंत्रालय, पश्चिमी खण्ड-8,
विंग नं. 1, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली

राजभाषा भारती अंक 54 मिला, धन्यवाद । राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विशिष्ट जानकारी देने वाली इस संदेशवाहक रूपी पत्रिका के अवलोकन से हमें लगता है कि देश के हर कोने में हिंदी को संपर्क भाषा की भूमिका अदा करने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है ।

—उप मण्डल प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक
2/4 मान्वी बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स सं. 557
नोलिजन रोड, हुबली-580029

राजभाषा भारती अंक 52 तथा 53 प्राप्त हुए । पत्रिका में लेख उच्चस्तरीय, ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय है। यह राजभाषा हिन्दी के विकास में प्रेरक एवं उत्साहवर्द्धक है ।

राजभाषा हिन्दी : सरलीकरण—एक विवेचन एक मार्गदर्शी लेख लगा। आशा है, इस तरह के अन्य लेखों को भी अपनी पत्रिका में स्थान देंगे । भारत में हिन्दी प्रयोग की प्रगति की जानकारी देने का आपका प्रयास स्तुत्य है।

—एम. सी. जायसवाल, केन्द्र अभियन्ता
दूरदर्शन केन्द्र, मुजफ्फर पुर

राजभाषा भारती ही एक ऐसी पत्रिका है, जिसमें राजभाषा के प्रयोग की सारी गतिविधियां प्रकाशित कराई जा सकती हैं ।

—अजय कुमार बक्शी , संयुक्त हिंदी अधिकारी
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.,
लोकटाक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट , विद्युत विहार
कोम कैरप, मणिपुर-795134

राजभाषा भारती अंक 54 पढ़ने का सौभाग्य मिला। ऐसा लगा जैसे ज्ञान का सागर मिल गया हो। इसका प्रत्येक लेख ज्ञानरूपी सागर में एक मोती के समान है । पत्रिका के पहले अंकों को पढ़ने से वंचित रहा।

स्वभाषा के लिए संकल्प लें, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा हिंदी, वैज्ञानिक शिक्षा और हिंदी माध्यम तथा विश्व दर्शन के अन्तर्गत प्रस्तुत विदेशी पूछते हैं—आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, जापानवासियों का हिंदी प्रेम जैसे लेख ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी हैं ।

संपादकीय में "हिंदी फार ए कैरियर" पुस्तिका की जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत बधाई।

—धर्मसिंह वर्मा, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय
रक्षा मंत्रालय, पश्चिमी खण्ड–4, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

राजभाषा भारती का 51वां अंक पढ़ने को मिला। वास्तव में राजभाषा भारती ही राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र हिंदी पत्रिका है जो व्यापक रूप से आंकड़े देकर देशभर में हिंदी के प्रचार-प्रसार का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करती है ।

—ओम प्रकाश, राजभाषा अधीक्षक
मंडल रेल प्रबन्धक का कार्यालय, दक्षिण पूर्व रेल
खोरदा रोड़, उड़ीसा-752050

राजभाषा भारती राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार प्रसार में बहु आयामी भूमिका निभा रही है। सम्पादक मण्डल का यह कार्य अभिनन्दनीय है ।

राजेश कुमार जादोंन
नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय
1116, बी, गेट नं० 26, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
नई दिल्ली-110003

राजभाषा भारती में राजभाषा के प्रति जितने चिंतन लेख परक प्रकाशित होते हैं अगर उनका अपना कर्तव्य समझ अनुकरण करने के प्रति सभी पाठक सजग हो उठें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा स्वप्न साकार हो। अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर चमन लहलहा उठेगा।

—सुशील कुमार शर्मा, हिन्दी अधिकारी, द मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि., बेलागुला

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि राजभाषा भारती पत्रिका में हिन्दी के प्रत्येक पहलू को समाविष्ट करके पूर्णता प्रदान की है। राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित सभी लेख विचारात्मक है। जैसे—श्री सुभाष शर्मा "नीरव" लिखित "राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा हिन्दी" एवं श्री विश्वंभर प्रसाद "गुप्तबंधु" लिखित "वैज्ञानिक शिक्षा और हिन्दी माध्यम: समस्याएं और समाधान" दोनों लेख चिंतन के साथ-साथ हमारी राजभाषा हिन्दी के लिए चितातुर भी हैं। विश्व हिन्दी दर्शन द्वारा राजभाषा की छाया को जिस प्रकार से साकार रूप देने का प्रयत्न किया है और उसके ऐतिहासिक महत्त्व में घटनाओं का उदाहरण देकर बात कही गई है, वह निश्चित रूप से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में आपका प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। हमें विश्वास है कि हमें आगामी अंक भी यथासमय प्राप्त हो सकेगा।

—श्रीमती कान्ता ए. शर्मा. हिंदी अधिकारी पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि., बडोदरा-391347

"राजभाषा भारती" का हिन्दी दिवस विशेषांक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचारकों के लिये इन पत्रिकाओं से जानकारी तथा प्रेरणा मिलती है।

हिन्दी में काम करना सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है—इस कथन से सभी पाठकगण सहमत होंगे।

भारत सरकार गृह मंत्रालय का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। "राष्ट्रभाषा हिन्दी एकता की कड़ी है।" इससे हम भारतीय एकात्मकता की मंजिल तय करेंगे इसमें संदेह नहीं है। राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाने और उसकी सेवा करने का आह्वान लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के संदेश से मिलता है।

—माधव चिंधू सुरावाड़े
7अ, मीलकालनी, रिंग रोड़,
जलगांव- 425001

"राजभाषा भारती" का अप्रैल-जून 1990 का अंक—49 (मद्रास बैंक विशेषांक) हमारे जयपुर स्थित आंचलिक कार्यालय में देखने को मिला। उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सामग्री से परिपूर्ण यह अंक अन्तर्मन को छू गया और इच्छा हुई कि "राजभाषा भारती" का प्रत्येक अंक आरम्भ से अन्त तक पढ़ा जाए। डा. जी. पद्मजा देवी द्वारा लिखित लेख "हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन" पढ़कर प्रसन्नता हुई कि दक्षिण में भी हिन्दी भाषा का प्रचार एवं प्रसार निरन्तर बढ़ रहा है और हमारा यह भ्रम है कि दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध हो रहा है, सत्य एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है।

—ताराचन्द आहूजा, हिंदी अधिकारी, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324007

"राजभाषा भारती" के 53वें अंक में प्रकाशित आपका सम्पादकीय कार्यान्वयन के लिए अतीव सहायक सिद्ध हो रहा है। डॉ. गुरुदयाल बजाज की प्रस्तुति "प्रेरणापुंज" वस्तुतः प्रेरणादायक है। श्री पी.के. सिंहसन आकाशवाणी केन्द्र, गुवाहाटी के निदेशक हैं। वे झूठ कदापि नहीं बोलेंगे। वे मिज़ोरम के रहने वाले हैं। जब डॉ. बजाज ने उनसे पूछा कि आपने हिन्दी क्यों नहीं पढ़ी तो उन्होंने बताया—"हम बस्ती के रहने वाले हैं। हमारे यहां ईसाई धर्म का अधिक प्रचार-प्रसार होता रहा है और हमें यह बताया जाता था कि हिन्दी का देवनागरी स्क्रिप्ट भूत-प्रेत का रूप है। हिन्दी पढ़ने से हिन्दू बन जाएगा, इसलिए हमारे यहां ऐसे भ्रामक प्रचार के कारण लोग हिन्दी सीखने से कतराते रहे हैं।"

—डा० प्रमथ नाथ मिश्र, हिन्दी अधिकारी, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम, हैलाकंडी, असम -788802

आपके विभाग से "राजभाषा भारती" नामक राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित अनेक गतिविधियों की जानकारी प्रकाशित होती हैं। यह एक सराहनीय कार्य है।

—एम० पाल, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, 25 उपस्कर डिपो, वायु सेना स्टेशन, देवलाली-422501

राजभाषा विभाग द्वारा जारी "राजभाषा भारती" पत्रिका का अंक पढ़ने का अवसर मिला। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए हिन्दी में उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि करने में "राजभाषा भारती" महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

—सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं सहायक कार्मिक अधिकारी, इंजीनियरी कारखाना, पश्चिम रेलवे, साबरमती,

चिंतन

राष्ट्रीय एकता और अखंडता में हिन्दी का योगदान

श्रीमती वन्दना सक्सेना,*

"सामान्य भाषा के अभाव में राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती, जबकि राष्ट्र के लिए सामान्य भाषा होना आवश्यक नहीं है ···· इस प्रकार सामान्य भाषा राष्ट्र की एक मुख्य विशेषता है।" —स्टालिन

भाषा समन्वय सूत्र हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सूत्र में सबको आबद्ध करने का श्रेय केवल भाषा को हैं। यह कार्य हिन्दी बखूबी निभा रही हैं।

रैम्जेम्यूर के अनुसार—"राष्ट्रीय एकता के विकास में वंश की समानता से भी अधिक महत्त्व भाषा की एकता का रहता है।" भाषाई एकता राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक नस्लों का अस्तित्व होते हुए भी उनका सम्मिश्रण हो गया हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय स्वरूप भाषा की समानता के कारण एक है।

आज देश की सर्वाधिक विकट समस्या है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। असम, पंजाब, नागालैण्ड, मिज़ोरम से लेकर अरुणाचल, जम्मू कश्मीर एवं झारखण्ड तक हर तरफ पृथकतावादी आग जल रही है।

अंग्रेजी शासन को नीति "बांटो और राज करो" से लेकर आज तक हिन्दी ही सम्प्रेषणीयता का सशक्त माध्यम बनी। हिन्दी ही वैचारिक तथा आत्मीय एकता को स्थापित कर राष्ट्र की आजादी की नींव बनी और आज भी राष्ट्र के हृदयों को जोड़े हुए है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक तत्त्व हैं— धर्म, भाषा, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्तर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इन चारों तत्वों में भाषा की भूमिका अहम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भाषा अभिव्यक्ति विनिमय एवं भाव प्रकाशन का सशक्त माध्यम है।

जोजेक के अनुसार—" जो लोग एक सी भाषा बोलते हैं, उनमें पारस्परिक स्वाभाविक आकर्षण होता है। इसी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती हैं।

हिन्दी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को टुकड़े होने से बचाए हुए है। पाकिस्तान के विभक्त होने का मुख्य कारण भाषा ही है, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू एवं पूर्वी की बंगला थी। मैक्स हिन्डवर्ट बोहम के अनुसार— आधुनिक राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रतीक एवं बांधने वाला बन्धन है। सांस्कृतिक चेतना की बागडोर है।"

प्रो. हैज के अनुसार—"राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं जातियों का उत्थान-पतन सदा उनकी भाषा के समानान्तर होता है।" भाषा पर कुठाराघात राष्ट्र की एकता और अखंडता, के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसके परिणामस्वरूप हर व्यक्ति अपने को पहले पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, कन्नड़, मराठी समझता है, हिन्दुस्तानी बाद में। इसलिए खालिस्तान, गौरखालैण्ड एवं झारखण्ड मुद्दे उठ खड़े हुए। लेकिन ऐसा समझने वालों की आशंका निर्मूल है, राष्ट्र से अलग हिन्दी का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है। किसी भाषा से इसका टकराव नहीं है, क्योंकि हिन्दी की सृष्टि ही विविधताओं के संगम से है, अनेक भाषाएं अपनें निजत्व के बावजूद भी इसमें घुलमिल गई हैं। हिन्दी सभी प्रादेशिक व आंचलिक भाषाओं का वृहत्तर रूप है, इसलिए यह समस्त राष्ट्र की एकता की कड़ी एवं अखंडता की नींव है।

हिन्दी से देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ने देश में एकता, अखंडता बनाए रखी। सारे वेद पुराण आदि संस्कृत में रचे गये। इसके बाद हिन्दी अपने जन्म से ही

*हिंदी अनुभाग, मुख्य डाक महाध्यक्ष कार्यालय, भोपाल-462012

साधु-संत सूफी-फकीरों तथा भक्त विचारकों, तीर्थ यात्रियों एवं साहित्यकारों की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। अपभ्रंश हिन्दी द्वारा जैन एवं नाथपंथी साधु-संतों ने अपने विचार देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैलाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखा।

मुस्लिम सम्राट इब्राहिम लोदी, शहाबुद्दीन गौरी एवं शेरशाह सूरी के समय की मुद्राओं पर भी देवनागरी के अक्षर "श्री हम्मीर महमूद साम तथा ओम" प्राप्त हुए हैं। 1600 ई. के पूर्व के सभी मुसलमान कवियों (रसखान आदि) ने हिन्दी में ही रचनाएं रचीं। तब तक हिन्दी के व्यवहार एवं प्रयोग में धर्म बाधक नहीं था। वैसे भी भाषा का सम्बन्ध जातीयता से होता हैं, धर्म या सम्प्रदाय से नहीं। साहित्यिक क्षेत्र में भी सभी साहित्यकारों का मेल-जोल बना रहा है, सूफी संत और निर्गुण भक्ति कवि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आचार्य केशवचंन्द्र सेन (1857) के अनुसार भारत जैसे देश में जहां कई भाषाएं लगभग 179 एवं अनेक बोलियां (लगभग 544) बोली जाती हैं, वहां हिन्दी ही सम्पर्क, संसर्ग, सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक भाषा सिद्ध होती हैं। यह राष्ट्रीय विकास एकता और अखंडता की प्रतीक है।

हिन्दी ने राष्ट्र को विकसित संगठित, एकत्रित एवं अखंड बनाए रखने में जो योगदान दिया है, वह इतिहास प्रमाणित हो चुका हैं।

18 वीं शताब्दी में "पेशवा, सिंधिया, होल्कर आदि मराठी राजघरानों में हिन्दी में ही राजकार्य होता था। महाराष्ट्र के संत नामदेव एवं ज्ञानेश्वर, गुजराती के नरसी मेहता, राजस्थान के दादू और रज्जब, पंजाब के गुरूनानक, असम के शंकरदेव एवं बंगाल के चैतन्य महाप्रभु आदि ने अपने उपदेश हिन्दी द्वारा ही जन साधारण तक पहुंचाए। मुगल बादशाहों के दरबारी काम की भाषा भी हिन्दी ही थी। अतिशयोक्ति नहीं हैं, प्राचीन काल से ही हिन्दी सभी प्रांतों को एक दूसरे से जोड़े हुए है। देशवासियों की बात एक कोने से दूसरे कोने तक सुगमता से पहुंचाकर राष्ट्रीय एकता अखंडता को हिन्दी ने ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया हैं।

जरा गौर कीजिए आज एक बंगाली या पंजाबी या अन्य माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को नौकरी मद्रास में करनी पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। किन्तु एक हिन्दी माध्यम से पढ़ा व्यक्ति तो देश के हर कोने आसानी से नौकरी कर सकता हैं। अतः भाषाई विवाद एवं पृथकयावादी प्रवृत्ति विशुद्ध राजनैतिक हैं, व्यक्तिगत नहीं। इन व्यर्थ के झगड़ों से राष्ट्रीय एकता अखंडता विखंडित होती हैं, लेकिन हिन्दी इस अलगाव वादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर राष्ट्रीयता का मस्तक ऊंचा उठाये हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिह के शब्दों में "हिन्दी ही एकमात्र भाषा है, जो समूचे देश को एक कड़ी में पिरोती है, अगर हिन्दी कमजोर होती है, तो देश कमजोर होगा, अगर हिन्दी मजबूत हुई तो देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी।" □

> हिंदी वह धागा है, जो विभिन्न मातृ-भाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा
>
> —डा० जाकिर हुसैन

राजभाषा-प्रयोग के नाम पर

□डॉ. आर . के. मान*

(लेख में इंगित गलतियों में सुधार होना आवश्यक है, साथ-साथ हिन्दी अनुवाद की बेहतर जांच होनी चाहिए।" —संपादक)

संभवतः विश्व-भर में यह भी अपनी तरह का अनुपम उदाहरण होगा कि अपने देशवासियों को अपने ही देश में अपने ही देश की भाषा में काम करना सिखाने के लिए भाषा अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। अंग्रेजी यद्यपि विदेशी भाषा है, तथापि लोग बिना किसी अतिरिक्त सहायता के अपने आप इसमें काम करने में पारंगत हो गए और उन्हीं लोगों को अपनी भाषा में काम करना सिखाने के लिए सहायक चाहिएं।

कुछ कार्यालयों में दस-दस साल से हिन्दी अधिकारी तो हैं, लेकिन आज तक हिन्दी टंकक नियुक्त नहीं किए गए। यद्यपि पिछले 14–15 वर्षों से राजभाषा नियमों का 'समुचित अनुपालन' होता आ रहा है, तथापि बहुत से कार्यालयों में अब भी अंग्रेजी मोहरों का प्रयोग बरकरार है। ऐसी स्थिति में अधिकारहीन हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की क्या सार्थकता है?

सीधी सी बात करने के लिए ऐसी कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे समझना कठिन हो जाता है। असंगत शब्दों का प्रयोग, अशुद्ध वाक्य-रचना, अधूरे वाक्य आम बात है। यद्यपि आज कुछ स्टेशनरी द्विभाषिक रूप में उपलब्ध है, लेकिन सामान्यतः हिन्दी पाठ अस्पष्ट और अधूरा होता है।

कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :—

अंग्रेजी पाठ	हिन्दी अधिकारियों द्वारा किया गया अनुवाद
Better Customer Service	उत्तम ग्राहकों की सेवा
Introduction of Accounts	खाता की पुर्नस्थापना
Instructions	सूचनाएं
Demand Draft	मांग मसौदा
Issue of Duplicate Demand Drafts	यदि मांग मसौदा खो जाए
Payment of Telegraphic Transfer	तार द्वारा मूल्य चुकाना
Disposal of Loan Applications Lending	ऋण आवेदन पत्रों का विन्यास ऋण
Non-performning assets	अनिष्पादित सम्पत्तियां
Marked Improvement	प्रमाणित सुधार
Repayment	पुर्नअदायगी, पुर्नभुगतान
Relevant year	सुसंगत वर्ष
Encashment of Cheque	चेक द्वारा पैसा लेना
Payment of Demand Draft	डिमांड ड्राफ्ट को रुपया देने के लिए
Retirement of Bill	रिटायरमेंट बिल
Early access	सरल रास्ता
High liquidity	जल्दी चुकाना
Solid investment	दृढ़ लागत
No formalities	कोई शिष्टाचार नहीं
Closure of account	खाता की समाप्त
Excess over the Drawing Limit	अत्यधिक रकम निकासी की सीमा
Service charges	सेवा की खर्चा
Hatchery	अंडज उत्पतिशाला
Present average production of	निम्नलिखित उत्पादन का वर्तमान औसत
Economics of the Scheme	योजना का अर्थशास्त्र
Recommended repayment Schedule	अभिशंसित अदायगी कार्यक्रम
Worth	मूल्य
Worth of Co-obligant	कॉ-आबलिगेन्ट का मान

*इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ.–189–192, सैक्टर–7सी चण्डीगढ़–160019।

Extent Subsidy available	उपलब्ध आर्थिक सहायता का उल्लेख करें
Salary	संवलम
Closing allowance	संवरण भत्ता
Pay range	वेतन परास
Revocation of Suspension	निलम्बन का पुनः आह्वान्
Security items	प्रतिभूति मदें
Image of the Bank	बैंक की प्रतिभा
Sincere efforts	वस्तुनिष्ठ कदम
Down payment	टोकन भुगतान
Legal repercussions	कानूनी दावापेंच
Embarassment	शर्मिन्दगी
Credit information systems	साख सूचना प्रणाली
Normal Circumstances	आम संदर्भ
Drawee	आहर्ता
Name of Bank drawn cn	आहरित बैंक का नाम
Pay-in-slip for cash only	अदायगी पर्ची—मात्र नकद के लिए
Constitution of Committee	समिति का संविधान
Annual closing	वार्षिक संवरण
Official	आधिकारिक
Subject to	अध्यधीन
Totalled	आंके गए
Protection advices	आवरण सूचनाएं
Contingency	प्रासंगिकता
Paid warrant	प्रदत्त अधिपत्र
Balance	अतिशेष
Eligibility	अर्हता
Account opening Register	नए रूप से खोले गए खातों की पंजी
Acres	एकड़ा
Not less than	से अन्यून
Withdrawal	प्रत्याहरण
Contribution	अभिदाय
Impounding of forged notes	जाली नोटों का अवरुद्ध किया जाना
Outstanding balance	अदत्त राशि
Letters of Undertaking	कारोबार पत्र
Presentor's statement	प्रस्तुतकर्ता का विवरण
Gate way	द्वार मार्ग
Paid-in by	द्वारा चुकाया गया
Scale IV branch	वेतनमान IV शाखा
Salient points	मुख्य बिन्दुएं
Scrupulously	बिना चूके
Cheque	धनादेश
Generation of Statements	विवरणियों का उत्सर्जन
Use of blue ink should be avoided	नीली स्याही के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए
Overseas branch	समुद्रपारीय शाखा
Accounts	लेखा
The gun fired	गोलीबारी हुई
Subsidy	परिदान, उपदान, इमदाद, आर्थिक सहायता, अनुदान

Voluntary PF	स्वच्छन्द भविष्य निधि
HRA	आवास निर्माण अग्रिम
Check point	जांच विन्दु
Reimbursement	पुनर्भुगतान
Four-wheeler	चार चक्र वाहन
Two-wheeler	द्वि चक्र वाहन
Readings of Speedometer	स्पीडोमीटर का अंकन
On duty only	कार्यालय समय पर ही
Dry forming	शुष्क भूमि कृषि
Repayable	देय, पुनर्देय
Margin money	सीमांत राशि
Generation of funds	नकदी प्रजनन
Dry land	अनुत्पादक भूमि
Plant protection	वनस्पतियों की सुरक्षा
Irrespective of the location	अवस्थापन के निरपेक्ष
At our end	हमारी ओर से
Quality seeds	गुणात्मक बीज
Cereals	धान
Sectoin 54 of Income Tax Act	आयकर कानून 54 विभाग
Seed Industry	बीजोत्पादक उद्योग
Plethora of correspondence	परिहार्य पत्राचार
For speedy registration	शीघ्र रूप से निपटाने हेतु
To arrive at	संकलन के लिए
To take into account	संगणित करना
Dairy development	दूध विकास
Charge interest	ब्याज प्रभारित करें
Need based	आवश्यकता आधारित मूलक
Official duty	कार्यालयीन कार्य
Ceiling removed	उच्चतम सीमा का रद्द किया जाना
As notional recoveries	मीमांसात्मक वसूलियों के रूप में
Identified	पहचानित
Loan amounts waived	रद्द की गई ऋण राशि
For purpose of working out afresh	दुबारा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए

यह सही है कि शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वह तो प्रसंगानुसार अर्थ देता है। इसलिए हर प्रसंग के एक शब्द का एक ही अर्थ लगाते रहने से अर्थ का अनर्थ हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है। उदाहरण के लिए Item, Charge, Point, Security आदि शब्द लिए जा सकते हैं। निःसंदेह इनका एक-एक अर्थ क्रमशः मद, प्रभार, बिन्दु, प्रतिभूति है लेकिन ये हिन्दी पर्याय सभी प्रसंगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। Security Items की हिन्दी बनाते समय 'प्रतिभूति' और 'मद' दोनों शब्द अप्रासंगिक रहेंगे। इसी प्रकार What are the main points in this proposal के लिए 'इस प्रस्ताव में मुख्य बिन्दुएं क्या हैं' लिखना निहायत अनुचित है। इसी प्रकार 'Charge interest at the rate of 5%' के लिए हिन्दी में '5% की दर से ब्याज प्रभारित करें' लिखना उचित नहीं होगा। Charge sheet, Second charge, Charging money, Charging Battery, Charge of some इत्यादि सभी प्रसंगों में Charge शब्दों के अलग-अलग हिन्दी की आवश्यकता पड़ेगी। अंग्रेजी में 'Terms and conditio इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन इनकी नकल पर जो लोग हिन्दी में व निबन्धन" लिखते हैं, वे यह सोचने का कष्ट नहीं कर ऐसा लिखने का कोई अर्थ है या नहीं। यहां केवल पर्याप्त रहता। Account का एक हिन्दी पर्याय है— लेकिन 'Accounts' क्योंकि बहुवचन है, इसलि Accounts का हिन्दी पर्याय 'लेखा' के अंत में S लगा कर उसका बहुवचन 'लेखा S' बना देना हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। हिन्दी में 'लेखा S' नहीं बनाया जाना चाहिए। भले ही शब्दकोश में "Overseas" का हिन्दी पर्याय समुद्र पार मिल जाएगा, लेकिन बैंक की जो Overseas Branch दिल्ली में है, क्या उसके लिए 'समुद्रपारीय शाखा' लिखना उचित होगा? दिल्ली के पास

कौन-सा समुद्र है ? Regional Office के लिए 'क्षेत्रीय कार्यालय' का ग्राम प्रचलन है । शब्दकोश में Area की हिन्दी भी क्षेत्रफल, क्षेत्र आदि दी गई है । इसी के आधार पर Area Office के लिए कुछ लोग 'क्षेत्र कार्यालय' लिख रहे हैं । क्या यह उचित है ? 'क्षेत्रीय कार्यालय' और 'क्षेत्र कार्यालय' में क्या अंतर हो गया ? अज्ञानवश व्याकरण की दृष्टि से भी शब्दों का रूप विकृत किया जा रहा है । जैसे भले ही 'अज्ञान और 'औचित्य' बिल्कुल सही है, तथापि इनका रूप विकृत करके 'अज्ञानता' और 'औचित्यता' लिखा जा रहा है । निःसंदेह यह हिन्दी को अंग्रेजी के चश्मे लगाकर देखने का दुष्परिणाम है ।

रचे गए कुछ हिन्दी वाक्य भी देखने लायक हैं । अंग्रेजी में मूल पाठ दिया गया है और बनाई गई उसकी हिन्दी यथावत् दी गई है ।

अंग्रेजी थी—

Norms for Important Services in Normal Circumstances

हिन्दी दी है—"ग्राम संदर्भ में खास सेवा के लिए समय"।

"Estimate and feasibility certificate from the sponsoring agency'.

हिन्दी इस प्रकार बनाई गई है—

"प्राक्कलन और प्रायोजन करने वाले अभिकरण द्वारा दिया गया व्यवहार्यता प्रमाण-पत्र ।"

"All loan applications under the integrated Rural Development Programme and other programmes for the weaker sections of the society will be disposed within fifteen days from the date of receipt."

इसकी सरल हिन्दी इस प्रकार दी है—"पूर्ण संख्या वाले [illegible] ...स योजना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए ...यी योजना के अनुसार ऋण मांगने वालों को ... मिलने के पंद्रह दिनों के अंदर विन्यास किया ..."

...omer Grievances Redressal Cells have been set ...n all Regional/Zonal offices and their addresses ... been displayed in the branches."

... है सुबोधागम्य हिन्दी,

"ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाने का विभाग भी ...भी प्रादेशीय और आंचलीय बैंकों में चालू होता है । इस के विभाग बैंक का पता दिया गया होगा ।"

"The Bank, including its Extension Counters, will afford immediate credit of outstation cheques of value upto Rs. 2500.00 to properly introduced Savings Bank and Current/Overdraft accounts in the names of individuals, including joint accounts' provided there is no adverse experience in the past in the particular account. Collection charges at the prescribed rate will be charged on such credits."

हिन्दी अधिकारी समझते हैं "एक्सटेंशन काउंटर और सब लोकल बैंक की शाखाएं रु. 2500.00 से कम अन्य शहर के चैक को तुरन्त खाते में जमा करेगा । नियमित रूप से घोषित किया हुआ बचत खाता, चालू खाता और ओवर ड्राफ्ट खाता, जाइण्ट अकाऊण्टस आदि इस खाते के बारे में प्रतिकूल अनुभव नहीं ऐसे जमा किए गए चक से पैसा वसूल किया जाएगा ।" है न बिल्कुल सरल और सार्थक हिन्दी ? और भी देखिए—

"Timely issue of Due Date Notices for Term Deposits."

हिन्दी बनायी है—

"समय निर्धारित जमा पूंजी की समय पूर्व सूचना देना"

"20th Anniversary of Bank Nationalisation"

हिन्दी अधिकारी फरमाते हैं—

"बैंक राष्ट्रीयकरण की बीसवीं वार्षिकोत्सव"

खाता खोलने के बारे में बैंक जनता को बतलाता है कि

"Any adult person can open an account under the scheme, with proper introduction acceptable to the Bank."

हिंदी में कहते हैं—" इस योजना के अंतर्गत कोई भी बालिग व्यक्ति अपने सही परिचय के साथ बैंक स्वीकृत कर सकते हैं ।"

यह हिन्दी भला किसका मन नहीं मोह लेगी । आगे द्रष्टव्य है—

"Accounts can be opened in individual or joint names of the depositor."

हिन्दी में भी समझ लीजिए—"जमा करने वालों को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। "

आगे है—

"No excess over *the drawing limit* will be allowed in the account, under any circumstances."

हिन्दी में—"कोई भी परिस्थिति में खाता से अत्यधिक रकम निकासी करने के लिए इजाजत नहीं देते ।" अंग्रेजी थी—

"After closure of the fixed Deposit on the due date, if the depositor desires to continue the Overdraft account under the Scheme, he may be allowed to do so, subject to his making a Fresh Fixed Deposit and Submitting a fresh letter of Undertaking."

हिन्दी में बताते हैं—"निर्धारित जमा खाता के नियत तारीख में समाप्त करने के बाद *इस योजना में ही वही खाता*

को स्थायी रूप में जमा रखना चाहता है तो वह भी कर सकता है । उसके लिए नया निर्धारित जमा खाता और कारोबार पत्र के साथ निवेश करना चाहिए ।"

और "The Over draft account will be opened only in the name (s) of the depositor (s) in whose name (s) the Fixed Deposit has been made."

अब जरा हिन्दी में भी समझ लीजिए—"जमा से अधिक रुपया निकालने की खाता जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के नाम पर ही खोल सकते हैं जो निर्धारित जमा खाता में पहले दिया हो।"

फिर है— "The balance chaque leaves of the account, if any, will be used for operations in the Overdraft account, after affixing a rubber stamp mentioning the new account number prominently on the face of each cheque."

हिन्दी में शैली देखिए—"इस खाते में बचा हुआ चैक की पन्नों को फिर भी आप उसे उपयोग कर सकते हैं ताकि हरेक चैक की पन्नों में एक रब्बर स्टैम्प के छाप के बाद उसमें नए खाता की नम्बर पूर्ण रूप से दिया हो।" "Types of Accounts" की सरल हिन्दी भी है—"दो तरह के खाते।"

"Capital Gains can be defined as any profit or gains arising from the transfer of a capital asset."

हिन्दी अधिकारी ने इसे हिन्दी में इस प्रकार स्पष्ट किया है— "पूंजी धन लाभ वह है जो किसी पूंजी धन को बदलाने से जो लाभ मिलता है वही है ।" समझ गए न ?

"All assessees eligible for exemption under section 54, 54B, 54D, 54F or 54G of the Income Tax Act 1961 can open accounts under the Scheme."

हिंदी रूप देखिए—"1961 आयकर कानून 54, 54बी, 54डी, 54एफ, 54जी आदि विभाग के अंतर्गत आयकरदाताओं को कर से छुटकारा पाने के लिए इस योजना के अंतर्गत खाता खोलना चाहिए ।"

"Application in Form A, in duplicate, has to be made for opening an Account under the Scheme. Depositors intending to avail of the benefit under more than one Section of the Act should make separate Applications for opening Accounts under each Section."

अब हिन्दी में भी समझ लीजिए—"इसके लिए आवेदन पत्र फार्म 'ए' प्रतिलिपि के रूप में देना चाहिए । अलग-अलग विभाग के अन्दर कर से लाभ पाना चाहने वाले जमाकर्ताओं को हरेक विभाग को आवेदन-पत्र के साथ अलग-अलग खाता खोलना चाहिए ।"

अंग्रेजी है—

"If the deposit is made by a cheque/draft, then subject to such cheque/draft being realised, the effective date of deposit for the purpose of claiming exemption under the Act will be the date on which the cheque/draft is received by the Bank along with the application."

अंग्रेजी में वैसे ही इतना ज्यादा लिखा गया है । हिंदी रूप द्रष्टव्य है—"जिस तारीख को यह चैक/ड्राफ्ट वसूल करके बैंक में आएगा वह तारीख ही आयकर छुटकारा के लिए खाते में ली जाएगी ।"

आयकर से "छुटकारा" भले ही मिल जाए, लेकिन हिन्दी अधिकारी से छुटकारा कहां ।

"If Account B is sought to be transferred to Account A before the date of maturity of the Term Deposit, penal interest as applicable to preclosure of Term Deposit, will be charged."

हिन्दी में यों है—"अल्पकालिक जमा खाता का अवधि पूर्ण पहले खाता बी को ए में बदलना चाहे तो पहले ही निक्षेप को पूरा करने के लिए निर्णय किया हुआ ब्याज वसूल किया जाएगा ।"

अंग्रेजी है—

"The amount withdrawn shall be utilised wholly or partly for the purposes specified in sub-Section 1 of the Section in relation to which the deposit has been made, within 60 days from the date of withdrawal. The amount or any part there of not so utilised, should be redeposited in Account A immediately there after."

हिन्दी में देखिए—"जिस विभाग के अन्दर जमा किया है उसके सहायक में 1 सूचित किए गए विचारों के लिए पूरा या बारी खातो से लिए गए रकम को 60-दिनों के अंदर खर्च करना चाहिए, यदि खर्च नहीं किया, याने बचत रकम को खाता ए में तुरन्त जमा करना चाहिए ।"

किसी को यदि अब भी समझ न आए तो बेचारा हिन्दी अधिकारी और क्या कर सकता है ।

"No nomination shall be made in respect of Accounts opened on behalf of a minor or a Hindu Undivided Family, or a firm or a company or an association of persons or a body of individuals."

हिन्दी में इसे यों स्पष्ट किया गया है—"नाबालिग या हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम पर या कम्पनी, संस्था के नाम पर, संघ या एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह आदि के नामनिर्देशन की सुविधा नहीं है ।"

आगे और भी महत्वपूर्ण बात है—

"In the event of the death of the depositor, the nominee (if nomination is in force in respect of the Account) or the legal heir (if there is no nomination in respect of the Account shall apply in Form H, for closure of the Account with the approval of the Assessing Officer, who has jurisdiction over the Income Return of the deceased depositor, In case there is (are) more than one legal heir to the deceased depositor, the legal heir making the claim individually has to produce a letter of disclaimer or a letter of authorisation in his favour from the legal heirs."

अब देखिए हिंदी रूप—"निक्षेपक मर गए तो खाता नामनिर्देशन करके उसकी अवधि पूर्ण नहीं हुआ तो। वैसे नामनिर्देशों को या उसके कानून पूर्व उत्तराधिकारी को (खाते में नामनिर्देशन नहीं किया हो तो भी) खाते को समाप्त कर फ़ार्म-एच में सूचित करना चाहिए। इस समय ऊपर कहे अनुसार आयकर अफसर की अनुमति भी चाहिए।

स्वर्गीय जमाकर्ता को एक या एक से ज्यादा उत्तराधिकारी हो तो एक उत्तराधिकारी को दूसरे उत्तराधिकारी से अधिकार देने का खत या अधिकार न पाने वाले खत को बैंक को देना चाहिए।"

इससे हिन्दी का कितना अहित हो रहा है, यह निःसंदेह चिंता का विषय है। द्रष्टव्य है एक और उदाहरण—

"National Bank to this effect has sent communication to us with a request for formulation and implementation of the schemes assisting seed industry for seed production, processing and marketing of breeder, foundation and certified seeds of cereals, pulses, oil seeds, fibre crops, forage crops, potato and other vegetable crops."

अब एक नजर हिन्दी पाठ पर—

"राष्ट्रीय बैंक ने इस संबंध में हमें इस अनुरोध के साथ एक सूचना भेजी है कि बीज उत्पादन, संसाधन, प्रजनकों का विपणन, निर्माण व धान के प्रमाणित बीज, दाल, तिलहन, रेशे वाली फसल, चारा फसल, आलू व अन्य साग सब्जी फसल की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा बीजोत्पादक उद्योगों की सहायता के लिए योजना बनाएं।"

यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि ऐसे लोगों को विषय की भी कोई जानकारी नहीं है। जब न स्रोत भाषा का ज्ञान है, न लक्ष्य भाषा का ज्ञान है और न विषय का ज्ञान है, तब ऐसे लोगों द्वारा किया गया अनुवाद का प्रयास अंधेरे में तीर चलाने के समान है।

अब एक नजर स्टेशनरी के द्विभाषिक रूप पर भी डाल लेना उचित होगा।

दृष्टव्य है यह वाउचर :—

'क' बैंक

आफसेट उपचित और सावधि जमा पर देय ब्याज Depositors interest on Term Deposits	जमा /Credit सावधि जमा पर जमाकर्ता को मिला ब्याज Interest accrued and payable on Term Deposits

एक अन्य वाउचर इस प्रकार है—

"खाता सं. जिसमें जमा किया गया
Paid into the Account No ....
श्री
/of..
रुपया
Rupees ....
शब्दों में
/Towards ....
किस्त के लिए
/Instalment ....
रु.
/Rs. ....
श्राफ
/Shroff"

एक और वाउचर—
"Paid in Rs. ....
....
के पक्ष में मीयादी/अल्पावधि जमा खाते में रुपये जमा करें।
for opening of Fixed/Short Term Deposit A/c favouring

एक अन्य वाउचर देखिए—

चालू खाता अदायगी पर्ची—मात्र नकद के लिए
Current Account Pay in slip for case only

चालू खाते में
Paid into the credit of..........................
के नाम
रुपये (शब्दों में)
Rupees (in words) ....
....
खजांची
Shroff

क्या यह राजभाषा-प्रयोग है? क्या इससे राजभाषा का प्रचार-प्रसार हो रहा है?

एक जमा रसीद का द्विभाषी रूप भी उल्लेखनीय है
"————प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज-दर पर उक्त तारीख के बाद———माह/दिन के लिए———को प्रतिदेय मियादी / अल्पावधि जमा के रूप में———रुपये श्री———
———से प्राप्त हैं।
Received from ....
....
Rupees..
as a Fixed/Short Term Deposit repayable ....
Months/Days after date with interest at the rate of .... per cent per annum to former/either or survivor

सूचना—उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर ब्याज दिया नहीं जाएगा और जमाकर्ता के द्वारा उक्त रसीद उचित रीति से उन्मुक्त किए जाने पर नवीकरण अथवा भुगतान के हेतु भेजी जानी चाहिए।

N.B.—Interest will cease on the expiry o the above period when this receipt must be sent in for payment or renewal duly discharged by the depositor."

हिन्दी पाठ अधूरा तो है ही, साथ ही उसमें छोड़ा गया खाली स्थान भी अंग्रेजी पाठ के खाली स्थान की तुलना में काफी अपर्याप्त है । ऐसा क्यों ? सर्वविदित है कि यह हिन्दी पाठ महज औपचारिकता पूरी करने के लिए दिया गया है, न कि जमा रसीद हिन्दी में बनाने के लिए ।

इसी प्रकार एक अन्य रसीद का द्विभाषी रूप इस प्रकार है—"पुनर्निवेश योजना जमाराशि के रूप में रु.———— प्राप्त हुए जो कि देय तारीख के बाद————महीने में——— ——————प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तिमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर पूर्ववर्ती/उत्तरजीवी या दोनों में से किसी एक को देय होंगे ।

Received from ....
Rupees..
as a Re-investment Plan Deposit repayable..........
months after date with interest at the rate of ....
per cent per annum compounded quarterly to Former/ Either or Survivor."

यहां हिन्दी रूपान्तर में जमाकर्ता का नाम लिखने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में यह रसीद हिन्दी में कैसे लिखी जा सकती है ।

आज कार्यालयों में जो न्यूनाधिक हिन्दी दिखलाई देती है, वह स्वाभाविक हिन्दी न होकर केवल अनुवाद की भाषा है । इस पर अंग्रेजी की गहन छाप सर्वत्र देखी जा सकती है। परिणामतः वह पूर्णतः कृत्रिम, नीरस और अग्राह्य है । इसके अतिरिक्त अनेक बार अंग्रेजी पाठ और उसके हिन्दी पाठ के अर्थों में अंतर भी होता है । अनुवाद के बारे में कहा जाता है कि "A good translation reads like the origina and not like an original,"
लेकिन आज कार्यालयों में जो अनुवाद मिलता है, अधिकांशतः that reads like an original and not like the original.
देखिए एक और उदाहरण —

"Regional Managers and Chief Managers are advised to report the names of the officers who have failed to submit their Assets and Liabilities Statement within the prescribed time to their respective Zonal Managers, to enable them to take appropriate action as warranted in the Regulations 1976."

अब हिन्दी देखिए—

"क्षेत्रीय/मुख्य प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि उन अधिकारियों के नाम संबंधित अंचल प्रबंधकों को भेजें जिन्होंने निर्दिष्ट समय के अन्दर आस्तियों व देयताओं की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की है ताकि वे विनियमन 1976 में आवश्यक समुचित कार्रवाई कर पाने में सक्षम हों ।"

एकरूपता का अभाव भी सर्वत्र देखा जाता है । परिणामतः समझने में अनावश्यक कठिनाई होती है । जैसे subsidy के लिए एक कार्यालय एक ही प्रसंग में कभी अनुदान लिखता है, तो कभी उपदान लिख देता है; कभी परिदान लिखता है, तो कभी आर्थिक सहायता लिख देता है, और कभी इमदाद लिख देता है । IDBI की पुस्तक—"विनिधान निक्षेप खाता स्कीम, 1986' में Investment के लिए कहीं विनिधान लिखा है तो कहीं निवेश; Depositor के लिए कहीं निक्षेप-कर्ता लिखा है, तो कहीं जमाकर्ता; Assessee के लिए कहीं करदाता लिखा है, तो कहीं निर्धारिती । भारतीय रिजर्व बैंक की पत्रिका—"बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" के अंक 4 में Non-performing Assets" के लिए एक लेख में "गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां" लिखा गया है, तो दूसरे लेख में "अप्रयुक्त या अवरुद्ध आस्तियां"। साथ ही 'अवरुद्ध' शब्द का प्रयोग "Sticky" के लिए भी किया गया है ।

विषय का ज्ञान न होने से कभी-कभी अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में इस रूप में लिख दिया जाता है कि पहचानना कठिन हो जाता है । जैसे—"जोवर/मेज/ओटस/लूर्सन/हैब्रिड नैपियर । क्या आप समझ गए ये क्या हैं ? स्वाभाविक है कि जिसने हिन्दी में ऐसा लिखा है, उसे भी इनकी जानकारी नहीं होगी ।

ये हैं ज्वार, मकई, जई, रिजका, संकर, नैपियर आदि ।

आम बातचीत में निःसंदेह स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं, तो शब्दकोश के आधार पर अटपटे, अप्रचलित और अप्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करके भाषा पूर्णतः कृत्रिम बना दी जाती है । जैसे—"सूचना 31-12-1890 तक हर हालत में हस्तप्रेषित करवाएं ।" "अन्य बीमाओं के संबंध में प्रथम वर्ष के प्रीमियम को संगणित-किया जाना है ।" "इकाई लागतों के संकलन के लिए उपर्युक्त पूर्व-निवेश व्ययं का भी संगणित करें !" उपर्युक्त दो वाक्य इन अंग्रेजी वाक्यों की हिन्दी हैं —

"In other policies, first year's premium alone is to be reckoned."

"Take into account the above pre-investment expenditures for arriving the unit costs.

एक और अंग्रेजी वाक्य है—

"Incorporate addition, change in constitution, address in the approved list of transport operators supplied to you as per details given in the annexure."
अब इसकी हिन्दी भी देखिए—

"कृपया अनुबंध में दिए गए विवरणों के अनुसार, आपको आपूरित परिवहन परिचालकों की अनुमोदित सूची में परिवहन परिचालकों को शामिल किए जाने, संविधन व पते में परिवर्तन को निगमित करें।"

क्या यह स्वाभाविक भाषा है ? इसी प्रकार का एक और वाक्य भी देखने लायक है—

"This circular is issued in corporating the contents of the guarantee as issued by ECGC, the related Salient points and necessary specimen forms for use by branches."

ऐसे दी गई है इसकी हिन्दी—

"ई सी जी सी द्वारा जारी गारंटी की विषय वस्तु, संबंधित मुख्य बिन्दुएं और शाखाओं द्वारा प्रयोग हेतु आवश्यक नमूना "फार्मों को निगमित करते हुए यह परिपत्र जारी किया जाता है।"

इसी प्रकार "उन्होंने बैठक में भाग लेने के लिए— श्री किशोर सहित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उनके धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक समाप्त हुई।" में 'सहित' का प्रयोग बिल्कुल खटकने वाला है।

एक प्रमाण पत्र की भाषा भी द्रष्टव्य है—

"हिन्दी कार्यशाला

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती········ एस.आर.सं··········शाखा/कार्यालय······· को············से·········तक·········· में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक—————— ह./ — "

समझ गए होंगे प्रमाण-पत्र में क्या कहना चाहा है ? यहां क्या अभीष्ट है ? प्रशिक्षण लेने का प्रमाण-पत्र प्रदान करना या प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना प्रमाणित करना ?

जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तब उसे आम आदमी कैसे ग्रहण कर पाएगा और वह भाषा कैसे फल-फूल पाएगी ? भाषा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा यह घातक प्रदूषण निश्चित रूप से भाषा के हित में नहीं और जब जनता की भाषा का हित सुरक्षित नहीं है, तो जनता का हित कैसे सुरक्षित रह सकता है ? इसलिए राजभाषा-प्रयोग की वस्तुस्थिति पर पर्दा डालकर फर्जी आंकड़े देने की बजाय इस प्रदूषण को रोकने के लिए तुरन्त कारगर उपाय करने की परम आवश्यकता है।

अंग्रेजी पाठ था—

"They tendered letters of explanation deploring their action and also assuring non-recurrence of such actions and to render their sincere efforts to develop the image of the Bank. The matter was reviewed and the suspension of the two employees were revoked by the Disciplinary Authority."

अब एक नजर हिन्दी पर—

उन्होंने अपने कार्य को गलत मानते हुए और भविष्य में ऐसा न करने का वायदा करते हुए तथा बैंक की प्रतिभा को बढ़ाने में वस्तुनिष्ठ कदम उठाने का वायदा करते हुए स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत किए। मामले पर पुनरीक्षा करके दो कर्मचारियों के निलंबन का पुनः आह्वान अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किया गया।"

कुछ दिन पहले एक हिन्दी अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बड़ी रोचक जानकारी दी। विश्वास है कि यह जानकारी आपको भी पसंद आएगी। उन्होंने बतलाया, "कार्यालय में सभी के साथ अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाकर ही जीना पड़ता है; वरना हिन्दी अधिकारी को कोई मान्यता नहीं देता। मैंने तो सीधा-सा रास्ता अपना रखा है—कागजी कार्रवाई पूरी रखो, काम को कोई नहीं पूछता। इसलिए हमारे यहां राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक-वैठक कुछ नहीं होती। मैं तो हर तिमाही में बैठक का कार्यवृत्त तैयार करके हस्ताक्षर के लिए साहब के आगे रख देता हूं। जब देखते हैं कि डेढ़-दो साल से बैठक नहीं हुई, तब एक-आध बैठक कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसी तरह चलता रहता है। कागजी कार्रवाई भी पूरी हो जाती है और साहब भी खुश रहते हैं। बताओ इससे अधिक और क्या चाहिए। है न ठीक ? न औरों के लिए परेशानी, न खुद के लिए परेशानी।" वह हिन्दी अधिकारी अपनी व्यवहार कुशलता पर अत्यंत संतुष्ट नजर आ रहा था। मुझे लगा कि वास्तव में व्यावहारिक और प्रगतिशील तो ऐसे लोग ही हैं—खुद भी खुश, साहब भी खुश, काम जाए भाड़ में। वर्तमान भी सुरक्षित, भविष्य भी उज्जवल, हिन्दी क्या लगती है।

अतः राजभाषा के साथ न्याय तभी सम्भव हो सकता है जब हिन्दी अधिकारी की भर्ती में केवल योग्य व्यक्ति भर्ती किए जाएं, हिन्दी अधिकारियों का शोषण बंद करवाया जाए, विषय (संबंधित संस्था के कामकाज) के बारे में हिन्दी अधिकारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, हिन्दी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विभाग बनाया जाए, अन्यथा राजभाषा-प्रयोग के क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ता जा रहा यह प्रदूषण राजभाषा रूपी वृक्ष को फूलने-फलने नहीं देगा।

शिक्षा का माध्यम

☐ डॉ० गुरुदयाल बजाज*

शिक्षा का मूलाधार भाषा है । जो भाषा मां की कोख और तत्पश्चात् गोद में स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है, वह उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है । अपने परिवार, समुदाय और समाज से आत्मीय संबंध स्थापित करने का मातृभाषा सशक्त माध्यम है । अतः बालक की स्कूली शिक्षा उसकी मातृभाषा से शुरू की जानी चाहिए ।

भारत सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भाषाओं के शिक्षण के बारे में स्पष्ट किया है कि शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को अनिवार्य रूप से शिक्षण का अधार बनाया जाना चाहिए । जब तक क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाता तब तक शिक्षा के स्तर में सुधार संभव न होगा । अतः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को रखा जाए क्योंकि विद्यार्थी के लिए क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन में सुविधा होती है ।

माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों से त्रिभाषा सूत्र अपनाने का आग्रह किया गया है । इस सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा के अध्ययन की बात कही गई है । हिंदीतर भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी शिक्षण पर बल दिया गया है । "हिंदी अथवा अंग्रेजी में छात्रों को दक्ष बनाने के लिए विश्वविद्यालयीन शिक्षा में समुचित कदम उठाए जाने चाहिए ।

हिंदी के विकास के बारे में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 का अनुपालन करते हुए "हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए ।"

संस्कृत के महत्व और शिक्षण की आवश्यकता को स्वीकारते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास में संस्कृत का विशेष महत्व है और देश की सांस्कृतिक एकता में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर इसके शिक्षण की सुविधाएं और अधिक बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए । संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए नई पद्धतियों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा संस्कृत के अध्ययन को उन पाठ्यक्रमों (जैसे आधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय भाषाएं, भारत-विद्या और भारतीय दर्शन) के प्रथम और द्वितीय डिग्री स्तरों में, जहां इसका ज्ञान लाभप्रद है, सम्मिलित करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए ।

त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के प्रयास किए गए और उसमें कुछेक कठिनाइयां महसूस की गई, आरोप लगाया जाता है कि त्रिभाषा सूत्र में केवल हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की बात कही गई है । इसलिए समय-समय पर निहित स्वार्थी लोगों द्वारा प्रायः विवाद खड़ा करने के प्रयास किए गए हैं, जबकि सामान्यतः मातृभाषा अथवा जनभाषा ही राज्य की क्षेत्रीय भाषा रहती है । दूसरी बात यह कही गई कि त्रिभाषा सूत्र केवल माध्यमिक स्तर तक ही सीमित है । इसके बाद हर राज्य शिक्षा के अन्य स्तरों पर भाषाओं को सिखाने और उनके स्तर निर्धारण का निर्णय लेगा । फलतः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग नीतियां प्रचलित की हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में होने वाली निम्नलिखित कमियां बताई गई :—

> माध्यमिक स्तर पर सभी भाषाएं अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जा रही हैं । कुछ राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर शास्त्रीय भाषा रखी गई है । दक्षिण भारतीय भाषाओं के पढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है । यद्यपि हिंदी भाषी राज्यों के लिए त्रिभाषा सूत्र में इसे अधिमानता दी गई थी । तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन के लिए अवधि भी भिन्न-भिन्न है । प्रत्येक भाषा में छात्रों द्वारा प्राप्त की गई क्षमता का स्तर भी स्पष्टतः नहीं बताया गया है ।

सरकारिया आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करते हुए कहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने, अन्य बातों के अलावा, सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हेतु एक स्पष्ट नीति अपनाए । अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र अपनाने की सिफारिश की है । बाद में मुख्यमंत्री सम्मेलन

पृष्ठ 13 पर जारी

*उप संपादक, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय
नई दिल्ली—110003

नागरी लिपि का कंप्यूटरीकरण और भारतीय रेल

□रामचन्द्र सिंह त्यागी*

आज का युग वैज्ञानिक प्रगति का युग है । विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र पर मानों आधिपत्य जमा लिया है । समय, श्रम और दूरी को तो विज्ञान ने अपनी बांहों में समेट कर बहुत छोटा बना दिया है । कम से कम समय में अन्तरिक्ष के आर-पार चला जाना, थोड़े से श्रम से बड़ा से बड़ा कार्य कर देना विज्ञान के लिए सहज हो गया है । लगता है विज्ञान ने सम्पूर्ण प्रकृति पर कब्जा कर लिया हो । नित्य-नवीन अनुसंधान हो रहे हैं । संसार के देशों में वैज्ञानिक प्रगति की प्रतियोगिता चल रही है । इस प्रतियोगिता में आज जो देश पिछड़ जाएगा वह सदियों के लिए पीछे रह जाएगा। युद्ध और शांति से लेकर उद्योग धंधे, कृषि, शिक्षा, इंजीनियरी, परिवहन, इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रसारण और चिकित्सा आदि समस्त क्षेत्रों में नित्य नए-नए प्रयोग हो रहे हैं। नये अनुसंधानों में "कम्प्यूटर" के आविष्कार का महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रायः सभी देश आज समस्त उद्योग-धन्धों, कल-कारखानों और कार्यालयों में कंप्यूटर प्रयोग की होड़ में हैं। स्वाभाविक है कि भारत भी इस दिशा में संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े । भाषाई क्षेत्र में कम्प्यूटर ने कमाल की प्रगति की है । यह लगभग मानव मस्तिष्क का प्रतिरूप है । सामान्य मनुष्य जिसे सामान्यतः नहीं कर सकता, वह सब कम्प्यूटर के माध्यम से सम्भव हो गया है । लिखा पढ़ी एवं बोलचाल के स्तर पर बड़ा से बड़ा काम एक साथ अनेक भाषाओं में एक कम्प्यूटर कुछ क्षणों में पूरा कर देता है जो हजारों हाथ एक साथ मिलकर भी उतने कम समय में नहीं कर सकते।

भारत में रेल उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है । रेलों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है । कम्प्यूटर का प्रारम्भिक आविष्कार अंग्रेजी में होने के कारण हिन्दी में इसके प्रयोग की शुरुआत बाद में की गई । हिन्दी में इसका प्रयोग अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है । पर रेलों पर देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी का कम्प्यूटर पर सफल प्रयोग प्रारम्भ हो गया है । अब वह दिन दूर नहीं जब हम हिन्दी में सारा काम-काज कम्प्यूटर के माध्यम से करने लगेंगे ।

हमारे कम्प्यूटर विशेषज्ञों का विश्वास है कि अंग्रेजी की तरह हम शब्द संसाधक सापटवेयर द्वारा हिन्दी में भी शब्द समायोजन कर सकते हैं । शब्द संसाधनों में मुद्रण के विविध रूप सुलभ हैं और हम वांछित चित्र, अक्षर, शब्द और वाक्य का लेखन हिन्दी में कर सकते हैं। शब्द संसाधक पैकेजों में अक्षर, सुलेख, शब्द माला, आलेख और नक्शे आदि प्रमुख हैं । जिस्टकार्ड में भारतीय लिपि टेक्नोलॉजी है जिसमें वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं समाविष्ट हैं। कम्प्यूटर आधारित टाइपराइटर का कुंजीपटल हिन्दी टंकण मशीन की तरह ही है ।

आधुनिक भाषाई तकनीक के विकास काल में कम्प्यूटर का आविष्कार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है । कम्प्यूटर के माध्यम से भाषाई अध्ययन और विवेचन कार्य सहज हो गया है । संयोगवश कम्प्यूटर का आविष्कार रोमन लिपि में हुआ और अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग बाद में प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः कम्प्यूटर एक गणितीय भाषा है । अतः अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी कम्प्यूटर साधित भाषा का प्रयोग कठिन नहीं है । अमेरिका में जीरोक्स कार्पोरेशन की सहायता से आवश्यक साफ्टवेयर सुलभ हो जाने के कारण हिन्दी में भी शब्द संसाधन का कार्यारम्भ हो गया है । स्टार प्रणाली के तहत मूल पाठ का कुंजीयन रोमन लिपि में करके हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में इसका लिप्यंतरण और मुद्रण किया जाता है । अब इस कार्य के लिए रोमन कुंजीपटल की तरह भारतीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र कुंजीपटल का आविष्कार किया गया है जो अन्तः और बाह्य संदेशों को ग्रहण और वहन करता है । उर्दू को लिपि भेद के कारण अपवाद में छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं के लिए अब समान कोड अपना लिया गया है । इस तकनीक से सभी भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरण संभव हो गया है । टाटा कन्सलटेंसी सर्विस ने हार्डवेयर के साथ ही साफ्टवेयर को विकसित करके कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग की दिशा में क्रान्तिकारी योगदान किया है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय रेलों पर कम्प्यूटर प्रणाली से बहुत से कार्य आरम्भ हो चुके हैं। कार्यालयों में लेखा अभिलेखों को तैयार करना, बिलों का निर्माण, आरक्षण व्यवस्था, शब्द संसाधन, डेटा संसाधन से लेकर इंजीनियरी के नक्शे और आरेख आदि तक काम हिन्दी में कम्प्यूटर पर तैयार होने लगे हैं । हिन्दी प्रयोग की प्रगति के वार्षिक कार्यक्रम में रेलवे ने हिन्दी के कम्प्यूटर तकनीक के विकास कार्य को सम्मिलित कर लिया है । रेलों पर अब तक बहुत सारे कम्प्यूटरों को द्विभाषिक रूप में बदला जा चुका है । प्रशिक्षण विद्यालयों में जिस्ट प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । क्षेत्रीय रेलों को यह भी आदेश दे दिए गए हैं कि भविष्य में इलेक्ट्रानिक उपकरण द्विभाषिक रूप में ही क्रय किए जाएं । सभी पर्सनल कम्प्यूटरों पर द्विभाषिक शब्द संसाधन पैकेज लगाए जाएं । इधर भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिन्दी में प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली पुस्तक का प्रकाशन कम्प्यूटर डाटाबेस से किया गया है । कम्प्यूटरीकरण के अगले चरण में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना प्रगति पर है ।

*राजभाषा अधीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग, लखनऊ

इसी तरह देवनागरी लिपि में सूचना विज्ञान कम्प्यूटर डाटा बेस पर आधारित केन्द्रों की स्थापना पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।

इस प्रकार कम्प्यूटर की दुनियां में भारतीय उद्योग विशेषकर रेलवे का प्रवेश हो गया है। हम इस दिशा में उत्तरोत्तर विकास भी कर रहे हैं ताकि हमारा ज्ञान कोष अधिकाधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो सके। ताकि दुनिया में हम भी अपना सम्मानजनक स्थान बना सकें। हमारा देश कम्प्यूटर टैक्नालॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। हमारा जनमास उत्साहित हो। हमारा औद्योगिक और शैक्षिक विकास हो। भाषाई एकता से हमारी राष्ट्रीय एकता की चेतना जाग्रत हो। भारत आत्मनिर्भर हो। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें। सुख और शांति की अवधारणा हो। भारत वह सिद्धपीठ है जिसने विश्व को अमरता का संदेश दिया है। हमने सदैव ही निराशा में आशा का संचार किया है। भारतीय हिन्दी में कम्प्यूटर तकनीक का विकास करके हम हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से एक बार फिर मानव कल्याण और विश्व शांति का शाश्वत संदेश दे सकेंगे। हम इसी आशा, आकांक्षा और विश्वास के साथ इस तकनीक को विकसित करने में जुट गए हैं। इस पुनीत कार्य में सरकार, वैज्ञानिक और जनता सबका सहयोग अपेक्षित है।

पृष्ठ 11 का शेष

1961 ने भी इस सूत्र के प्रति सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में भी इस बात को दुहराया गया कि त्रिभाषा सूत्र को उत्साहपूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इसके कार्यान्वयन पर जोर दिया है।

दुर्भाग्यवश "त्रिभाषा सूत्र" का तोड़-मरोड़ कर पालन किया गया है। कुछ राज्य वास्तव में त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 की उपेक्षा है। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का महत्व स्वीकारते हुए अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष रूप में लिखा है कि "हम इस मत के हैं कि देश की एकता और अखण्डता के हित में सभी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से सच्चे भाव से कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।" आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र को समान तथा बुद्धि संगत रूप से कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी सुझाए गए हैं।

यह सर्वमान्य मत है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना आसान है। किन्तु दुर्भाग्य से हम भारतीयों ने यह भ्रम पाल लिया है कि अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक अधिक ज्ञानवान, सुशील, संस्कृत और समझदार बन जाता है। यही कारण है कि अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को भर्ती करवाकर हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। समाज में बखान करते हैं कि हमारे बच्चे अमुक पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

ऐसी मानसिकता के पराधीन ही अभिभावक 'डोनेशन' के रूप में एक मोटी रकम देकर बच्चों को पब्लिक स्कूलों में दाखिल करवाते है।

हम भारतीय भले ही राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए हैं किन्तु चिंतन के स्तर पर आज भी मैकाले की जालसाजी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम भारतीयों के मन में कुछ ऐसी धारणा बन चुकी है कि अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इसी कारण, अंग्रेजी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी देश विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अथवा पराई भाषा को सीखने में इतना समय बरबाद नहीं करता, जितना हमारे देश में अंग्रेजी सीखने की लालसा में समय, धन, ऊर्जा आदि का अपव्यय होता है।

हम भारतीय अंग्रेजी के मोह जाल से मुक्त होकर पब्लिक स्कूल की "क्रेज" से मुक्त हो कर अपने बच्चों को भारतीय भाषाओं के माध्यम वाली शिक्षण संस्थाओं में दाखिल करवाएं। इससे "डोनेशन" के रूप में दी जाने वाली "रकम" बचेगी और बच्चे की शिक्षा सही दिशा में होगी। □

तार बाबू को भी देवनागरी में तार भजने के नियमों की जानकारी होती है ? वह देवनागरी में तार स्वीकार करता भी है या नहीं ? वह शब्दों की कमी-बेशी को लेकर हमसे झगड़ा तो नहीं करेगा ? क्या कोई अहिन्दी भाषी तार बाबू भी देवनागरी में तार भेज सकने में सक्षम होता है ? देवनागरी तार रोमन तार से देर में तो नहीं जाता या वह तार घर में ही तो नहीं पड़ा रहता ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर उतने ही आसान हैं, जितनी तत्परता से ये प्रश्न उठते हैं । इनका उत्तर इस प्रकार है : देश के कोने-कोने के तारघरों से देवनागरी में प्रतिदिन अनेक तार जाते रहते हैं और इनका प्रयोग अनेक लोग कर रहे हैं । इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । देवनागरी में तार भारत के हर स्थान से हर स्थान को किया जा सकता है । इसके पीछे भारतीय दूरसंचार विभाग का मुख्य योगदान है जिसने हर तार घर में द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) टेलीप्रिन्टर लगाए हुए हैं, जिनसे किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को रोमन की भांति देवनागरी में भी तार भेजा जा सकता है । कोई तार-बाबू देवनागरी में तार स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, न ही वह ऐसा करता है । तार भेजने का कार्य सौंपने से पहले हर तार बाबू को द्विभाषी टेलीप्रिन्टर पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है इसके बाद वह रोमन और देवनागरी दोनों में समान सुविधा से तार भेज सकता है । देवनागरी में तार भेजने के नियम भी भारतीय तार विभाग द्वारा ही बनाए गए हैं और सारे भारत में समान रूप से लागू होते हैं । तार-बाबू को इनकी अच्छी तरह जानकारी होती है । वह इस बारे में कोई विवाद नहीं करता, बल्कि कई बार तो उसे काफी उदार भी देखा गया है, क्योंकि वह देवनागरी शब्दों की संख्या बढ़ाने या घटाने के पचड़े में नहीं पड़ता और आमतौर पर जैसा तार हमने बनाया होता है, प्रेषित कर दिया जाता है । अतः यह हमारे ही हित में है कि हम नियमों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं । देवनागरी तार रोमन तार की भांति शीघ्र पहुंचता है, क्योंकि रोमन और देवनागरी के तारों को उनके स्वीकार करने के क्रम से एक ही लाइन में लगाया जाता है तथा तार-बाबू को इन्हें भेजने में कोई कठिनाई न होने से इनके भेजने के क्रम में कोई दखलंदाजी नहीं होती ।

अभी तक आपके मन में यह जिज्ञासा बनी रही होगी कि देवनागरी तार भेजने के वे नियम हैं कौन से, जिनसे इतनी बचत हो जाती है । वस्तुतः देवनागरी में तार करना सुविधाजनक और लाभदायक होने के पीछे हिन्दी की व्याकरणिक संरचना का मुख्य रूप से योगदान है । ये नियम भी इस संरचना के अनुसार ही बने हैं ।

1. हिन्दी की व्याकरणिक संरचना से हमें सर्वप्रथम यह लाभ मिलता है कि हिन्दी में जो वाक्य लिखा जाता है, उसके समाप्त होने का पता लग जाता है, परन्तु अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजी के वाक्य के अन्त में भी कितना ही कुछ जोड़ा जा सकता है । इस व्यवस्था से देवनागरी तार में भाव स्पष्टता आ जाती है और वाक्य के अन्त में विरामचिह्न न लगाने से भी अर्थ समझ में आ जाता है ।

2. तार में आम तौर पर कृपया, Kindly आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता । जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक ही समझा जाए तो अंग्रेजी में kindly, please आदि लगाने पड़ते हैं, जबकि हिन्दी में इनके लगाए बिना ही क्रियावाचक शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर देने से भाषा में नम्रता आ जाती है और तार भेजने के खर्च में भी बचत होती है, यथा भेज दें, आएं आदि की जगह भेज दीजिएगा, आइएगा शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है ।

3. रोमन तथा देवनागरी दोनों ही तारों में दस वर्णों तक के शब्द को एक शब्द और ज्यादा वर्णों वाले शब्द को दो शब्द माना जाता है, जैसे अंग्रेजी में Telegram एक शब्द है, परन्तु Telegraphically में दस से अधिक वर्ण होने पर इसे दो शब्दों के बराबर माना जाता है । इस स्तर पर रोमन तथा देवनागरी तारों में इतना अन्तर है कि रोमन तार में अंग्रेजी के स्वरों को भी एक अलग वर्ण माना जाता है, परन्तु देवनागरी तार में हिन्दी के स्वरों का मूल रूप में प्रयोग होने पर तो उन्हें अलग वर्ण माना जाता है, परन्तु उनकी जगह मात्राओं का प्रयोग होने पर उन्हें अलग वर्ण नहीं माना जाता । देवनागरी में स्वरों का मूल रूप में प्रयोग आदि और अन्त में ही होता है, और वह भी अत्यल्प। इस प्रकार मात्राओं के अलग वर्ण न गिने जाने से देवनागरी तार में काफी बड़े शब्द में भी दस वर्ण नहीं बन पाते और किसी एक शब्द के दो शब्द माने जाने की संभावना समाप्तप्राय रहती है, यथा देवनागरी तार में "हिन्दी" में केवल 3 वर्ण हैं (हि+न्+दी), परन्तु रोमन तार में Hindi में पांच वर्ण माने जाएंगे ।

4. हिन्दी व्याकरण में सन्धि की व्यवस्था है । स्वरों के मेल से दो शब्दों का जब एक शब्द बने तो उसे सन्धि कहते हैं । देवनागरी तार में ऐसे सन्धि शब्दों को एक ही शब्द माना जाता है, जैसे अति-अधिक से बना "अत्यधिक" शब्द एक ही शब्द माना जाएगा, जबकि अंग्रेजी में इसी शब्द का भाव देने वाले very much दो शब्द माने जाते हैं ।

5. हिन्दी व्याकरण में समास की भी व्यवस्था है, जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है । इस व्यवस्था में दोनों शब्दों के मध्य हाइफन रखा जाता है । देवनागरी तार में यह हाइफन हटा कर इकट्ठा लिखने पर दो शब्दों को भी एक ही शब्द माना जाता है, यथा समास-सह की बजाए "समाससह" शब्द ।

6. हिन्दी की व्याकरणिक संरचना के अन्तर्गत प्रत्येक वाक्य में दो पद होते हैं; संज्ञा पद और क्रिया पद, यथा मैं दिल्ली जाता हूं । इस वाक्य में "मैं" संज्ञा पद है और "दिल्ली जाता हूं" क्रिया पद है । देवनागरी तार में क्रिया पद के जो शब्द केवल क्रियावाचक हैं, उन्हें एक ही शिरोरेखा के

अन्तर्गत इकट्ठा लिखने पर एक ही शब्द माना जाता है, यथा जाताहूं, भेजदीजिएगा, पहुंचादियाजाएगा, करताआरहा हूं। अंग्रेजी में इनके लिए कई-कई शब्द लिखने पड़ते हैं, यथा क्रमशः Am going, may be sent, will be sent, am Continuing to do.

7. हिन्दी व्याकरण के अनुसार पर, के लिए, का, के, की आदि शब्द विभक्ति चिह्न कहलाते हैं और अलग से लिखे जाते हैं। देवनागरी तार में इन्हें भी एक शिरोरेखा के अन्तर्गत इकट्ठा लिख देने से एक ही शब्द माना जाता है, यथा मेजपर, आपकेलिए, अशोकको, उसके द्वारा, आदि।

अन्य नियम

1. देवनागरी तार में गन्तव्य स्थान के नाम में दस से अधिक वर्ण और एक से अधिक शब्द होने पर भी उसे एक ही शब्द माना जाता है, परन्तु इसके लिए उसे उद्धरण चिह्न लगा कर लिखना होगा, यथा "चांदनीचौक दिल्ली"।

2. देवनागरी तार में 10 वर्ण तक के पदनाम को भी इकट्ठा लिखने पर एक ही शब्द माना जाता है यथा प्रधान-मंत्री, सहायकसम्पादक उपवित्तीयसलाहकार, खाद्यएवं नागरिक-पूर्तिमंत्री (15 वर्ण, 2 शब्द)

रोमन और देवनागरि तार भेजने के एक जैसे नियम

ऊपर तार भेजने के जो नियम बताए गए हैं, वे देवनागरी में विशिष्ट थे। देवनागरी तार में रोमन तार के निम्नलिखित नियम बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं :

1. विरामादि चिह्न को एक अलग वर्ण माना जाता है, यथा आना-जाना और अथवा, "राम", (परमात्मा) तीन-तीन शब्द माने जाएंगे। अतः इन चिह्नों का प्रयोग कम से कम किया जाए।

2. संक्षिप्ताक्षरों के मध्य बिन्दु लगाने पर वे अलग-अलग शब्द माने जाते हैं, परन्तु बिन्दु हटा कर इकट्ठा लिखने पर एक शब्द माने जाते हैं, यथा के.लो.नि.वि. चार शब्द हैं, परन्तु केलोनिवि एक शब्द है।

3. पांच अंकों तक की संख्या को एक शब्द माना जाता है, परन्तु इससे अधिक अंकों वाली संख्या को यथास्थिति दो, तीन या चार शब्द माना जाता है, यथा 12345 एक शब्द है, 123456 तथा 1234567890 दो शब्द हैं और 12345678910 तीन शब्द हैं।

4. दस वर्णों तक के नाम को इकट्ठा लिखने पर एक शब्द माना जाता है, यथा रामचन्द्र (एक शब्द), रामचन्द्र-भारद्वाज (11 वर्ण, 2 शब्द)।

शंकाएं

देवनागरी तार भेजने के नियमों की जानकारी हो जाने पर शिक्षु के मन में कुछ शंकाएं उपजा करती हैं, जिनका समाधान करना भी आवश्यक होता है। प्रायः निम्नलिखित शंकाएं अधिक उपजा करती हैं। इनके साथ इनका समाधान भी दिया गया है :

शंका : क्या बिन्दु और चन्द्र बिन्दु भी अलग वर्ण माने जाते हैं ?

समाधान : बिन्दु (—) अर्थात् अनुस्वार ङ, ञ्, ण्, न्, म् शुद्ध व्यंजनों का ही वैकल्पिक रूप हैं। ये शुद्ध व्यंजन अलग वर्ण होने के कारण बिन्दु भी अलग वर्ण माना जाता है। चन्द्र बिंदु कोई अलग वर्ण न हो कर केवल स्वरीय अनुनासिकता को प्रकट करता है, अतः देवनागरी तार में भी इसे अलग वर्ण नहीं माना जाता।

शंका : क्या ्र, र्, ॠ, ह् आदि अलग वर्ण माने जाते हैं ?

समाधान : ये सब शुद्ध व्यंजन हैं, अतः अलग वर्ण माने जाते हैं।

शंका : क्या र के अन्य तीन रूप भी अलग वर्ण हैं ?

समाधान : ये रूप र का ही अन्य रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः अलग वर्ण माने जाते हैं।

शंका : क्ष, त्र, ज्ञ आदि संयुक्त व्यंजन कितने वर्ण माने जाते हैं ?

समाधान : क्ष, त्र, ज्ञ आदि संयुक्त व्यंजन क्रमशः क्–ष, त्–र और ज्+ञ दो-दो वर्णों से बने हैं, अतः दो-दो वर्ण ही माने जाते हैं। देवनागरी तार में इनके दो-दो वर्ण माने जाना भी रोमन तार से अधिक लाभदायक है, क्योंकि अंग्रेजी में क्ष, त्र के लिए दो से अधिक वर्ण हैं, यथा Ksha, Tra, Jna.

शंका : देवनागरी तार को फोनोग्राम से कैसे भेजा जाए ?

समाधान : जिन कार्यालयों या व्यक्तियों से तार घर दूर होता है, वे अपने तार की सामग्री पर्ची पर न लिख कर तार घर को टेलीफोन पर ही बता देते हैं और बाद में अपने तारों का इकट्ठा बिल चुका देते हैं। ऐसे तारों को फोनोग्राम कहते हैं। देवनागरी तार टेलीफोन से भेजते समय तार बाबू को बताया जा सकता है कि अमुक-अमुक शब्द इकट्ठे लिखे जाने हैं और एक ही शब्द माने जाएं। तार बाबू को देवनागरी तार भेजने के नियमों की जानकारी होने से वह टेलीफोन पर कोई विवाद नहीं करेगा। नियमित रूप से फोनोग्राम करने वाले कार्यालयों, व्यक्तियों आदि को तार-घर या तार बाबू के साथ परस्पर समझ बूझ भी विकसित कर लेनी चाहिए।

शंका : "टीएफ" सुविधा क्या है ?

समाधान : यदि कोई तार अति शीघ्र सूचित किया जाना हो, और तार प्राप्त करने वाले के पास टेलीफोन लगा हो, तो प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उद्धरण चिह्नों में निम्नलिखित अनुसार टेलीफोन नं. लिख दें यथा "रामनाथ टीएफ 3311375/306" तो तार बाबू तार को तार-प्राप्तकर्ता के टेलीफोन पर पढ़ कर सुना देगा। ऐसे टेलीफोन नम्बर को एक ही शब्द माना जाता है और इसके लिए एक शब्द का प्रभार लिया जाता है।

शंका : क्या किन्हीं भी दो शब्दों को एक साथ लिख कर एक शब्द बनाया जा सकता है ?

समाधान : नहीं / केवल पदनाम, समाससह शब्दों, विभक्ति चिह्नों और क्रियावाचक शब्दों को ही साथ-साथ लिख कर एक शब्द बनाया जा सकता है, अन्य शब्दों को नहीं।

इस प्रकार देखने में आता है कि देवनागरी में तार भेजने के कुछेक नियम ही अलग से याद करने होते हैं। शेष नियम रोमन तार के ही हैं, जो हमें पहले से ही याद होते हैं। परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ये कुछेक अतिरिक्त नियम याद करके ही हमें कितना लाभ मिल जाता है।

अब यदि आप इस लेख के आरम्भ में दी गई कविता को फिर पढ़ें, तो उसमें दी गई सब बातें आपको सही लगेंगी। अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं। इन्हीं के आधार पर आप अपनी सीट से जाने वाले तारों का अभ्यास कर सकते हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद XV-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ने "देवनागरी तार" नाम से एक छोटी सी पुस्तिका भी तैयार की है, जिसमें इन नियमों के साथ-साथ रोमन-देवनागरी तारों के लगभग 350 उदाहरण भी दिए गए हैं। यह पुस्तिका आपके लिए लाभदायक हो सकती है।

कार्यालयीन तारों के कुछ नमूने

Monthly Report for February 1990 Not Yet Received (—) Please Expedite (.) —10 Words	फरवरी नब्बेकी मासिकरिपोर्ट अभीतक प्राप्तनहींहुई शीघ्र भेजिए —6 शब्द
Suspend Marking (.) Letter Follows (.) —4 Words	मुहरांकन रोकदें पत्र आरहाहै —3 शब्द
Kindly Confirm Whether Separate Testing of is Required for it Should be Treated as Covered in the Licence (.) —18 Words	क्या——————के अलगसे परीक्षणकी आवश्यकताहै अथवा इसेलाइसेंसमें सम्मिलित मानलियाजाए —10 शब्द
It seems there is no testing Facility Elsewhere in the Country for the above product (.) Formal Letter for Factory Testing Permission is being Placed (.) —24 Words	ऐसा लगताहै उक्त उत्पादके परीक्षणकेलिए देशमें अन्यत्र सुविधानहींहै कारखानेमें परीक्षणकी औपचारिक अनुमति दीजारहीहै —12 शब्द
Confirm Hotel and Rail Reservation (.) Send Vehicle (.) —7 Words	रेल आरक्षणकी पुष्टिकरें गाड़ी भेजिए —5 शब्द
Furnish Details Immediately (.) Matter Most Important —6 Words	ब्यौरा तुरन्तभेजिए मामला अत्यावश्यक —4 शब्द

नागरी लिपि को उचित स्थान संभव है

□ ति. कृ. राजमणि ऐयर*

हांलाकि अनेक लोग हिन्दी (नागरी लिपि) एवं अन्य भारतीय भाषाओं के भविष्य के बारे में चिन्तित हैं, वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे देश में (तथा कुछ हद तक विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि में) होने वाले 90 प्रतिशत कार्यों को आसानी से हिन्दी/प्रादेशिक भाषा में निपटाना संभव है। शेष 10 प्रतिशत कार्यों को अंग्रेजी में करने की आवश्यकता हो सकती है चूंकि उनमें आज या तो हिन्दी के प्रयोग की अनुमति नहीं है अथवा वे अत्यधिक तकनीकी हैं।

मैं, स्वयं, तामिलभाषि होने के बावजूद, अनेक वर्षों से, अपने अनेक (निजि) लिखित कार्यों को हिन्दी (नागरी लिपि) में तथा कुछ हद तक उड़िया भाषा में भी कर रहा हूं। मेरे अनुभव में, देश के किसी भी भाग को हिन्दी (नागरी लिपि) पते वाले पत्र/मनीआर्डर (अंग्रेजी पते वाले पत्र/मनिआर्डरों के समान) सुरक्षित एवं समय पर पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में अनेक हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं तथा उनके संबंधित पत्रों को मात्र अंग्रेजी पते में भेजना न केवल निराशाजनक बात है बल्कि संबंधित समाचार पत्र/पत्रिकाओं के मालिकों के हित में भी नहीं है।

हिन्दी/प्रादेशिक भाषा के प्रयोग का विरोध के कारण नहीं बल्कि हीन भावना के कारण है। अनेक हिन्दीतर भाषी राज्यों में, डाक पेटियों पर विवरण रेल-आरक्षण चार्ट, सरकारी वाहनों पर नाम, बैंक/डाकघर/स्टील प्लांट ई.एस.आई./जीवन बीमा निगम/रेल आदि के रबड़ मोहर; लिफाफे पत्र-शीर्ष, नामपट्ट आदि मात्र अंग्रेजी में होते हैं। अनेक डाकघरों में नागरी तार सुविधा न होने के कारण लोगों को मजबूरन रोमन लिपि में अपने तार भेजने पड़ते हैं। निजी कंपनियों के शेयर-आवेदन प्रपत्रों आदि के अलावा, बैंकों, यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम आदि के म्युचअल फण्ड प्रपत्रों, आंख दान हेतु आवेदन प्रपत्र, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रपत्र आदि को जनता द्वारा मात्र अंग्रेजी में भरने होते हैं चूंकि ये प्रपत्र मात्र अंग्रेजी में होने के अलावा उन्हें मात्र अंग्रेजी में भरने की शर्त भी होती है।

आश्चर्य एवं दुःख की बात है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा सहायता प्राप्त अनेक सभाओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, आधार शिला कार्यक्रमों, खेलों, उत्सवों आदि में अन्य सभी मदों पर काफी राशि खर्च की जाती है लेकिन इनके आयोजक हिन्दी में भी नामपट्ट, पोस्टर, विवरण, आधार-शिला, स्कोर बोर्ड, खिलाड़ियों की वर्दियों पर नाम, खिलाड़ियों द्वारा परेड किए गए राज्यों/राष्ट्रों के बैनरों की व्यवस्था करना भूल जाते हैं अथवा अपव्यय समझते हैं। इनके प्रत्यक्ष दर्शकों के अलावा, दूरदर्शन/समाचार पत्र/पत्रिकाओं द्वारा जानने वाले अप्रत्यक्ष दर्शक/पाठक भी, हिन्दी की इस प्रकार की उपेक्षा देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं। इसी प्रकार, दूरदर्शन तथा हमारे हिन्दी फिल्म जगत द्वारा रोमन लिपि एवं अंग्रेजी के प्रति अत्यधिक झुकाव से बड़ी निराशा होती है।

उपर्युक्त बातों के अलावा, निम्नलिखित बातों पर शीघ्र-कार्यान्वयन अत्यावश्यक है :—

(1) दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी (नागरी लिपि) को उचित स्थान।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षेस (SAARC) आदि में नागरी लिपि को उचित स्थान।

(3) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं (तथा अन्य ऊंची परीक्षाओं) से अंग्रेजी की अनिवार्यता की समाप्ति तथा हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं को उचित स्थान।

(4) उ.प्र. सरकार की तरह अन्य राज्य सरकारों की भर्ती/प्रोन्नति परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता की समाप्ति।

(5) भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों/टंककों की भर्ती, द्विभाषी उपकरणों की खरीद आदि पर निष्ठा से अनुपालन। □

*14-7 दक्षिण बस्ती (जवन) डाकघर : कांसबाहाल-770034

परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी का प्रयोग

□ दिलीप भाटिया*

राजभाषा कहें, चाहे राष्ट्रभाषा, भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी ही इस पद पर सुशोभित है। आज राजभाषा विभाग व हिन्दी की कई संस्थाएं कार्यालयों में अधिकाधिक प्रयोग हिन्दी का हो, इसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे विभाग में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्थापित है। राजभाषा नियमावली व अन्य संबंधित अधिनियमों का अधिक से अधिक पालन हो, इस ओर यह समिति अग्रसर रहती है। हाल में ही हमारे राजस्थान परमाणु बिजली घर में एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया है; जो प्रत्येक विभाग का प्रति तीन मास में एक बार अवश्य ही निरीक्षण करके राजभाषा विभाग को हिन्दी में किए गए कार्यकलापों की पूरी जानकारी प्रदान करेगी।

प्रश्न यह उठता है कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जहां अत्यधिक तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता व अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना मूलभूत आवश्यकता है, तकनीकी व वैज्ञानिक कार्य किस प्रकार हिन्दी में करना संभव है? प्रशासनिक लेखा विभाग में तो सामान्य कार्य हिन्दी में करना संभव है व हो भी रहा है, चाहे अंशकालीन हो हो, लेकिन अभियांत्रिक, वैज्ञानिक व तकनीकी कार्य जिनमें डिजाइन, अनुसंधान, रेडियो, धर्मिता नियंत्रण, निरीक्षण इत्यादि अनेक पहलू सम्मिलित हैं, किस प्रकार राजभाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए?

अन्य राष्ट्रों व संबंधित संगठनों से पत्र व्यवहार निःसंदेह अंग्रेजी में ही करना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इन संगठनों को अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट भी अंग्रेजी में ही भरनी होगी। लेकिन, मुख्य कार्यालय से परमाणु बिजली घरों व अन्य परियोजनाओं व संयंत्रों को रिपोर्ट, पूछताछ व पत्र व्यवहार का अधिकांश भाग हिन्दी में कर पाना संभव है। प्रारम्भ में कुछ कठिनाई अवश्य आएगी, पर आदत हो जाने पर व्यवस्था में आ जाने पर यह काम आसान ही लगेगा। जिन शब्दों के सरल हिन्दी पर्याय उपलब्ध नहीं है, वहां अंग्रेजी में शब्दों को ही, देवनागरी में लिखा जा सकता है। कुछ विशेष रिपोर्ट, दोनों ही भाषाओं, हिन्दी व अंग्रेजी में लिखी जा सकती हैं। हर स्थान पर एक-दो समर्पित व्यक्ति इस कार्य के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, जो इस कार्य में आने वाली कठिनाईयों को सरल करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनकी निःस्वार्थ सेवाएं इस कार्य के लिए उपलब्ध हैं, मात्र उन्हें पहचानने की व उनका उत्साह-वर्धन करने भर की आवश्यकता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग की पत्रिकाओं परमाणु, अणुशक्ति, अणुभारती, प्रगति, न्यूपावर इत्यादि में कई वैज्ञानिक व तकनीकी लेख हिन्दी में लिखे देखे जा सकते हैं। भाषा की सरलता व शैली का प्रवाह इन में पूर्ण महत्वानुसार किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद व वैज्ञानिक पत्रिका का योगदान भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

हिन्दी हमारी राजभाषा है। हिन्दी-दिवस व हिन्दी सप्ताह की परम्परा मनाना भर ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। कुछ आयोजन व कुछ पुरस्कार की औपचारिकता व परम्परा निभाकर ही हमें चुप नहीं हो जाना चाहिए। हर दिवस को हिन्दी दिवस में बदलने व हर सप्ताह को हिन्दी सप्ताह में परिवर्तित करने के लिए हमें पूर्ण लगन व निष्ठा से कार्य करना होगा। मन में यह संकल्प करना होगा कि हमें हिन्दी में अपना अधिकतम कार्य करना है। कई सामान्य रिपोर्ट व पत्र व्यवहार बहुत आसानी से हिन्दी में किया जा सकता है। शत-प्रतिशत सफलता मिले या न मिले पर, प्रारम्भ तो करना ही होगा, शनैः शनैः स्वतः ही इस कार्य में प्रगति हमें प्रतीत होगी।

परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र कोई हव्वा नहीं है। अन्य क्षेत्रों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व अन्य इंजीनियरिंग व चिकित्सा विज्ञानों की तरह परमाणु ऊर्जा भी हमारे ही समाज का एक अंग है। कुछ शब्द क्लिष्ट हो सकते हैं, उनके हिन्दी अर्थ मिलना दुष्कर हो सकता है, पर उन शब्दों को उसी रूप में लिख दिया जाए, तो भी हमारा कार्य प्रारम्भ तो हो सकेगा। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की सहायता लेकर इस मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं।

हम पूर्ण आशावान हैं कि हम परमाणु ऊर्जा विभाग में ही, अपना अधिकतम कार्य राजभाषा में करके अपने नैतिक कर्त्तव्य का पालन कर अपने उत्तरदायित्वों को निभाकर राष्ट्रभाषा के प्रति निःस्वार्थ सेवा करते रहेंगे। □

*वैज्ञानिक अधिकारी–एस०ई०, राजस्थान परमाणु बिजली घर, टाइप 4/6–सी, अणु किरण कालोनी भाभा नगर–323307 (कोटा–राजस्थान)

विज्ञापन एवं हिन्दी

□वीरेन्द्र प्रताप*

बीसवीं शताब्दी के सातवें-आठवें दशक में देश के उपभोक्ता बाजार की क्रय शक्ति समाज के उच्च वर्ग एवं उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित थी। निम्न मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग अपने रोजी रोटी के चक्रव्यूह में ही उलझा रहता था। दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद उसे मुश्किल से रात का खाना नसीब होता था। सुबह फिर उसका हाथ खाली रहता था। इस तरह रोज कुआं खोदना व पानी पीना उसकी नियति थी।

नवें दशक के शुरु होते ही स्थिति ने करवट लेना शुरु किया। अपनी जी-तोड़ मेहनत के कारण निम्नमध्य वर्ग ने अंगड़ाई ली एवं देखते ही देखते देश के उपभोक्ता बाजार में अपने हाथ पांव पसारने लगे। सरकारी प्रोत्साहन व निम्न मध्य वर्ग की देखा-देखी निम्न वर्ग में भी बचत की प्रवृत्ति शुरू हुई तथा वह भी अपने बुरे दिनों के लिए बचत करना सीख गया। छोटी-मोटी बचत ही क्रय शक्ति के रूप में अवतरित हुई।

भारत में विज्ञापन की शुरुआत सन् 1930 में "दत्ताराम एडवराईजिंग एजेंसी" के नाम से शुरु हुई और आज करीब एक हजार विज्ञापन एजेंसियां देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। किन्तु विज्ञापन का स्वर्णयुग दूरदर्शन की शुरुआत या यों कहें कि एशियाड आयोजन के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विज्ञापन एजेंसियों ने दूरदर्शन पर विज्ञापन की ऐसी फसल तैयार की कि क्या उच्च वर्ग क्या निम्न वर्ग सभी इन नाचते-कूदते, हंसते खिलखिलाते विज्ञापनों से उद्वेलित हो उठे। विज्ञापन अपनी पूरी चमक–दमक के साथ जनमानस पर इस तरह छा गया कि आज किसी भी वस्तु के मानदण्ड का नजरिया विज्ञापन ही हो गया है। समाज का हर व्यक्ति विज्ञापन में प्रदर्शित वस्तु को ही खरीदने का संकल्प पालने लगा। उपभोक्ता बाजार विज्ञापित वस्तुओं से पट गया।

विज्ञापित चित्रों एवं उपभोक्ता के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है और वह है भाषा। विज्ञापन भाषा की ही रस्सी पर चढ़कर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है अर्थात् भाषा विज्ञापन व उपभोक्ता के बीच एक पुल का कार्य करती है जिस पर से गुजर कर विज्ञापन उपभोक्ताओं को विचलित कर देता है। विज्ञापन की भाषा से वस्तु एवं उपभोक्ता के बीच संवाद कायम होता है। विज्ञापन एक संप्रेषण है और संप्रेषण का माध्यम है भाषा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा जितनी सशक्त होगी विज्ञापन उतना ही उपयोगी होगा। अतः भाषा के चयन में विज्ञापन एजेंसियां बहुत सावधानी रखती हैं क्योंकि किसी के विज्ञापन की सफलता में भाषा का बहुत अधिक योगदान रहता है। इसीलिए विज्ञापन एजेंसियां बाजार में जाने के पहले इस बात का अनुसंधान करती हैं कि वस्तु विशेष की खपत किस क्षेत्र एवं किस वर्ग में होगी तथा उनकी भाषा क्या है।

समाज की बदलती हुई आर्थिक नब्ज पर विज्ञापन एजेंसियों ने अपनी अंगुली लगाए रखी। नवें दशक के पूर्वार्ध में अधिकांश विज्ञापनों की भाषा अंग्रेजी ही थी। किन्तु धीरे-धीरे विज्ञापन एजेंसियों ने यह समझ लिया कि उपभोक्ता बाजार की क्रय शक्ति उच्च वर्ग एवं उच्च मध्यवर्ग के हाथ से फिसलकर निम्न मध्य वर्ग व निम्न वर्ग के हाथ में आ रही है जिनकी भाषा कोई भी हो किन्तु अंग्रेजी कदापि नहीं हो सकती। यही कारण है कि आज विज्ञापन एजेंसियां अंग्रेजी में विज्ञापन तैयार करने की अपेक्षा स्थानीय भाषा या हिन्दी में तैयार करना बेहतर समझती है। समय की नब्ज पहचानते हुए उल्का एडवराईजिंग के श्री सुबोध कहते हैं कि "आज विज्ञापन वाले यह महसूसने लगे हैं कि हिन्दी के मूल कापीराइटर्स होने चाहिए।

भाषा के मामले में विज्ञापन एजेंसियों को समाज की कितनी गहरी समझ है, यह चाय और काफी के विज्ञापनों से समझा जा सकता है। दूरदर्शन पर विज्ञापित होने वाली सभी प्रकार की चाय के विज्ञापन जहां हिन्दी में होते हैं वहीं काफी के विज्ञापन आज भी अधिकतर अंग्रेजी में होते हैं। विज्ञापन एजेंसियां जानती हैं कि काफी का प्रयोग केवल उच्च वर्ग एवं उच्च मध्य वर्ग ही करता है जो आज भी अंग्रेजी के आक्टोपस में जकड़ा हुआ है। इसके विपरीत देश की दो तिहाई जनता के घरों में चाय का व्यवहार होता है जो हिन्दी तो समझ ही लेती है। इसलिए कोर कम्यूनिकेशन के श्री मदन बहल कहते हैं कि "मैं तो सारी बातें हिन्दी में ही फीड करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिन्दी में अच्छी तरह अपनी बात रख सकता हूं।

किसके हाथ में कितनी क्रय शक्ति है, इसी के हिसाब से विज्ञापन एजेंसियां भाषा का चुनाव करती हैं। गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापन एजेंसियां वहां की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करती है। किन्तु "निरमा" की भाषा इसका अपवाद है। अन्य भाषाओं के साथ "निरमा" सम्पूर्ण भारत में हिन्दी

*राजभाषा अधिकारी, इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, न्यू डाक बंगला रोड पटना-1

में भी विज्ञापित होता है। यह "निरमा" वालों की दूरदर्शिता ही कही जाएगी क्योंकि भाषा के मामले में क्षेत्रीयता की परिभाषा शिथिल हो रही है तथा अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों में गैर हिन्दी भाषी हिन्दी भाषी क्षेत्र में और हिन्दी भाषी गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नियुक्त हो जाते हैं।

विज्ञापन एजेंसियां वस्तुओं के आधार पर भी भाषा का चयन करती हैं। वाशिंग पावडर हिन्दी में विज्ञापित होते हैं तो महंगे साबुन का विज्ञापन हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में होता है। इधर कुछ दिनों से दुपहिया वाहनों के विज्ञापन हिन्दी में आ रहे हैं तो "अम्बेसडर नोवा" अंग्रेजी में विज्ञापित हो रही है। सौन्दर्य प्रसाधनों के अधिकतर विज्ञापन अंग्रेजी में होते हैं। कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलें अपने सूटिंग-शर्टिंग को अभी भी अंग्रेजी में विज्ञापित करती हैं। टी वी, टू इन वन रेडियो, ट्रांजिस्टर, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, घड़ियां आदि इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के विज्ञापन अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी विज्ञापित हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि विज्ञापन एजेंसियां भी कुछ मामलों में द्विभाषिकता का सहारा ले रही हैं। बिस्कुट, चाकलेट, टूथ ब्रुश, टूथ पेस्ट आदि के विज्ञापन हिन्दी में ही आ रहे हैं। इस प्रकार हम देखते कि हैं हिन्दी में विज्ञापित होने वाली वस्तुएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और दूरदर्शन पर अधिकांश समय तक हिन्दी भाषा छाई रहती है। दूरदर्शनी विज्ञापनों में एक बात यह भी देखने में आई है कि कुछ एजेंसियों के मॉडल बोलते तो हिन्दी में हैं किन्तु उत्पाद का नाम अंग्रेजी में दिखाया जाता है। यह उन्हीं विज्ञापनों के मामले में हो रहा है जो पहले शत प्रतिशत अंग्रेजी में दिखाए जाते थे अर्थात् जिनकी दृश्य-श्रव्य भाषा अंग्रेजी ही थी।

एक सर्वेक्षण के अनुसार दूरदर्शन के दर्शकों में सबसे अधिक अनुपात बच्चों का है। बच्चे विज्ञापनों को बड़े ध्यान से देखते हैं तथा विज्ञापनों की भाषा को बड़े मनोयोग से सुनते हैं। देखने में तो यह आया है कि बच्चे विज्ञापन के पात्रों की भाषा की नकल करते हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके साथ हिन्दी भाषा का संस्कार होगा, हिन्दी भाषा के प्रति सम्मान होगा और हिन्दी के प्रयोग में ये अपने को गौरवान्वित समझेंगे।

किसी भी वस्तु के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन सबसे सशक्त माध्यम है। उत्पाद के साथ-साथ विज्ञापन एजेंसियां जाने अनजाने हिन्दी भाषा का भी प्रचार कर रही हैं। विज्ञापन में प्रचलित भाषा सरल, सुबोध एवं अभिनय मिश्रित होने के कारण समाज के प्रत्येक स्तर पर ग्राह्य होती है। इससे भाषा विशेष की लोकप्रियता भी बढ़ती है। अतः विज्ञापन एजेंसियां उत्पाद के प्रचार के साथ-साथ हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा रही हैं।

समाज के बदलते हुए आर्थिक परिवेश के अनुसार जिस प्रकार से विज्ञापन एजेंसियों की भाषा संबंधी नीति परिवर्तित हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि एक दिन विज्ञापन की भाषा सिर्फ हिन्दी ही होगी। यह एक शुभ संकेत है क्योंकि जो भाषा रोजी-रोटी से जुड़ जाती है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है तथा उसका प्रचार-प्रसार अपने आप होने लगता है। विज्ञापन की दुनियां में हिन्दी की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस बात को विज्ञापन वाले भी स्वीकार करने लगे हैं।

उद्योगों में अग्निशमन

□कैप्टन वी ए शर्मा*

अतिप्राचीन काल से अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही आग की उत्पत्ति प्रकृति के पांच तत्वों—हवा, पानी, आकाश, आग एवं जमीन में से एक मानी जाती है। एक आम कहावत है कि जब भी बाढ़, आग और भूकम्प आदि के कारण महाविपत्ति आती है तो कहा जाता है कि प्रकृति के तत्व अपना काम कर रहे हैं। अतः मनुष्य सदैव प्रकृति के तत्वों के क्रोध से उत्पन्न कठिनाइयों और परिणामों से लड़ता रहा है, विज्ञान के आगमन ने उसे इन छोटी या बड़ी महाविपत्तियों से संघर्ष करने में सहायता की है और उसे इनसे लड़ाई करना सिखा दिया है। आग जान व सम्पत्ति का नाश कर देती है।

हर आधुनिक कारखाने में बहुमूल्य मशीनें और कीमती इमारतें होती हैं। निस्संदेह इन कारखानों की मशीनों और इमारतों का बीमा करवाया जाता है ताकि आग, भूकम्प, चोरी आदि की हालत में हुई क्षति का बीमा कम्पनी से दावा किया जा सके। लेकिन अकसर प्रबंधक आग से रोकथाम के प्राथमिक उपायों तथा अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध कराने की ओर ध्यान नहीं देते। यदि कुछ अग्निशामक यंत्र उपलब्ध करा भी दिए जाएं तो उनका रख-रखाव और सफाई-धुलाई, समय-समय पर नहीं की जाती जिसके फलस्वरूप अचानक आग लग जाने की हालत में ये अग्निशामक यंत्र सही प्रकार से काम नहीं करते और आग को काबू पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं गड़बड़ और अव्यवस्था फैल जाती है। इसके परिणामस्वरूप जान व माल का काफी नुकसान होता है। इसलिए सभी प्रबंधकों को बुद्धिमानी और गंभीरता से विचार करके उचित अग्निशमन व्यवस्था करनी चाहिए।

अग्नि से हमेशा जान और सम्पत्ति का बहुत नुकसान होता है। इसके कारण काम में बाधा पड़ जाती है, उत्पादन की क्षति होती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अग्नि के परिणामस्वरूप हुई राष्ट्रीय क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव देश के हर व्यक्ति पर पड़ता है। अतः आर्थिक व सामाजिक संकट आ जाता है।

हर आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है और यदि इसी अवस्था में डट कर मुकाबला किया जाए तो होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। लेकिन खेद की बात है कि अधिकतर आग लापरवाही के कारण लगती है और इसकी रोकथाम की जा सकती है। एक कहावत है, "मैंने तो तीली फेंकी थी मुझे क्या मालूम था कि सारा शहर जल कर राख हो जाएगा" अतः आग की रोकथाम के लिए आवश्यकता है सतर्कता की। दूसरे यह जान लेना भी जरूरी है कि आग क्या है?

आग की परिभाषा : सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ताप, प्रकाश और धुंआ उत्पन्न होता है अर्थात् जब ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान तीनों चीजें मिल जाती हैं और उसमें कैमिकल रिएक्शन होता है जिससे गर्मी, धुंआ और लपटें निकलती है आग कहते हैं। या यह तीव्र ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ताप, धुंआ एवं प्रकाश उत्पन्न होता है।

आग कब लगती है ?

1. ईंधन—जलने वाली वस्तुओं की उपस्थिति।
2. ऑक्सीजन—वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन (16 से 21 प्रतिशत तक) ज्वलन क्रिया के लिए पर्याप्त होती है अर्थात् ज्वलन क्रिया में सहायक अन्य वस्तुओं की उपस्थिति।
3. तापमान की उपस्थिति।

इन आवश्यकताओं को "आग त्रिभुज" या "अग्नि त्रिकोण" भी कहकर जाना जाता है। इन्हीं तीनों के मिलने से आग लगती है और इसी को आग का त्रिभुज कहते हैं।

आग बुझाने के तरीके : ऊपर के आग त्रिभुज में से यदि एक भुजा अर्थात् किसी एक आवश्यकता को हटा दिया जाए तो हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसे बुझा सकते हैं। इनमें से किसी एक तत्व को हटाने का तरीका ही आग बुझाने का तरीका कहलाता है। आग बुझाने के तीन तरीके होते हैं।

1. **स्मोदरिंग :**—जलने वाली वस्तु को ढकना या हवा ऑक्सीजन को हटाना अर्थात् बन्द करना स्मोदरिंग कहलाता है यानि दम घोंटना।

2. **स्टारवेशन :**—ईंधन का अलग करना अर्थात् जलने वाली वस्तु को हटाने का तरीका स्टारवेशन का तरीका कहलाता है यानि जलती हुई आग में से जलने वाले सामान को निकालना।

*वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि० एम० आई० डी० सी० नागपुर

3. कूलिंग :—तापमान को कम करना या वस्तु को ठंडा करना। इस तरीके में जलती हुई आग पर पानी या दूसरी आग बुझाने वाली चीजें डालकर आग की गर्मी को कम किया जाता है। इसी को कूलिंग का तरीका कहते हैं।

दूसरे शब्दों में उपर्युक्त तरीकों को हम अग्नि शमन के सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि प्रायः सभी अग्निशामक उपकरण इन्हीं के आधार पर बने हैं।

आग लगने के सामान्य कारण :—

(क) विद्युतीय : बिजली की आग इसका ठीक प्रयोग न करने के कारण लगती है और 25 प्रतिशत आग की घटनाएं इसी कारण होती हैं। बिजली से आग लगने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) बिजली पर अधिक लोड से और

(2) टेम्प्रेरी तारों का प्रयोग करने से, शार्ट सर्कट से आग लगने का डर बना रहता है।

(ख) लापरवाही : लगभग 25 प्रतिशत आग की घटनाएं लापरवाही के कारण घटती हैं। जलती हुई सिगरेट, बीड़ी और माचिस की तीलियां इधर-उधर फेंक देने से अधिक गर्म वस्तुओं से होने वाली आग की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

(ग) घर्षण : घर्षण अर्थात् रगड़ से लगभग 16 प्रतिशत आग लग जाती है। अकसर जंगल में गर्मी में रगड़ से आग लग गाती है।

(घ) रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा लगभग 16 प्रतिशत आग लगती है।

(ङ) स्व दहन (स्पान्टेनियस कम्बशन) : कई बार खुद व खुद भी आग लग जाती है और लगभग 8 प्रतिशत आग की घटनाएं स्व दहन के कारण होती हैं।

(च) अन्य 10 प्रतिशत आग लगने के कारण इस प्रकार हैं जैसे आसमानी बिजली गिरने से, आतिशबाजी से, बीमा कम्पनी से पैसा लेने के लिए जानबूझकर आग लगा देने से, कहीं दूसरी जगह लगी हुई आग की चिंगारी हवा से उड़कर आने से भी कई बार आग लग जाती है।

आग का वर्गीकरण :—

आग का वर्गीकरण जलने वाली वस्तुओं के आधार पर किया गया है। इसे पांच वर्गों में बांटा गया है।

आग का वर्गीकरण

क्र. सं.	आग का वर्ग	आग की प्रकार	तरीका	अग्निशामक यंत्र
1.	अ वर्ग	कागज, लकड़ी और घास फूंस की आग	कूलिंग	सोडा एसिड
2.	ब वर्ग	पेट्रोल, तेल, घी, पेण्ट यानि तरल पदार्थ की आग	स्मोदरिंग	फोम, ड्राई पाऊडर, कार्बन डाइआक्साइड, सी.टी.सी., रेत।
3.	स वर्ग	गैस की आग	स्मोदरिंग	ड्राइ पाउडर सी.ओ.-2, रेत
4.	द वर्ग	धातु की आग	स्मोदरिंग	ड्राइ पाउडर, रेत
5.	ई वर्ग	बिजली की आग	स्मोदरिंग	सी. टी. सी., सी.ओ.-2, ड्राइ पाउडर।

1. "अ" वर्ग (ए क्लास) : साधारण कार्बनिक ठोसों में लगने वाली आग, इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। इस वर्ग में आने वाली वस्तु जलने के बाद राख या कोयला अवशेष के रूप में अवश्य छोड़ती है जैसे लकड़ी, कागज, कपास, कपड़ा, जूट इत्यादि।

इस वर्ग की आग को कूलिंग तरीके के द्वारा बुझाया जाता है। अग्नि शामक (फॉयर एक्सटिंग्युशर) का उपयोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड, ड्राइ पाउडर, कार्बन द्वि-औषिद और वाटर बकेट व होज रील का प्रयोग किया जाता है।

वर्जित : महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पुस्तकालयों की पुस्तकों, रिकार्ड रूमों तथा मुद्रा (नोटों) की आग पर सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए।

उपयुक्त : सी.ओ. 2 एक्सटिंग्यूशर (कार्बन द्वि औषिद)

2. "ब" वर्ग (बी क्लास) : इस वर्ग के अन्तर्गत ज्वलनशील तरल तथा ऐसे ठोस की, जो कि जलने से पहले तरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, आग आती है। जैसे पैट्रोल, तेल, डीजल, बेन्जीन, आइलीन, टालुविन, पेन्ट, ग्रीस, डामर, रबड़, अल्कोहल, स्प्रिट, प्लास्टिक, लुब्रीकेन्ट्स इत्यादि।

इस वर्ग की आग को स्मोदरिंग तरीके द्वारा बुझाया जाता है और आग बुझाने के लिए फोम, ड्राइ पाउडर तथा सी.ओ. टू अग्नि शामक का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ-साथ स्टीम एवं पानी की फुहार और बारीक बालू के द्वारा भी बुझाया जा सकता है।

3. "स" वर्ग (सी क्लास) : इस वर्ग के अन्तर्गत गैसों में लगने वाली आग आती है जैसे—ब्लास्ट फर्नेरा गैस, कोक-ओव्हन गैस, एसीटीलिन गैस, मीथेन, प्रोकेन, ब्यूटेन गैस इत्यादि।

इस वर्ग की आग को भी स्मोदरिंग विधि द्वारा बुझाया जाता है। आग बुझाने के लिए सी.ओ. टू एवं ड्राइ पाउडर अग्नि शामक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेत और स्टीम का भी उपयोग कर सकते हैं।

4. "द" वर्ग (डी क्लास) : इस वर्ग के अन्तर्गत धातुओं व प्रतिक्रियात्मक रसायन में होने वाली आग या लगने वाली आग होती है। जैसे जिंक, मैगनेशियम, सोडियम, पोटेशियम अल्युमिनियम इत्यादि।

इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए भी स्मोदरिंग तरीके का प्रयोग किया जाता है तथा ड्राइ पाउडर अग्नि शामक को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त रेत का प्रयोग भी कर सकते हैं।

5. "ई" वर्ग (ई क्लास) : इस वर्ग में जीवित विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग आती है। जैसे ट्रान्सफार्मर, वायर, केवल, पंखा, एक्जास्टर, क्रेन, मोटर इत्यादि।

इस वर्ग की आग पर काबू पाने के लिए भी स्मोदरिंग तरीके का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सी.टी.सी., ड्राइ पाउडर एवं सी.ओ. टू अग्नि शामक प्रयोग में लाए जाते हैं।

वर्जित :—इस प्रकार की आग पर सोडा एसिड एवं फोम अग्नि शामक तथा पानी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिये।

महत्त्वपूर्ण विद्युत उपकरणों, जैसे—कम्प्यूटर, पेनल इत्यादि की आग पर सी.ओ.टू. का ही प्रयोग करना चाहिये।

विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए काम आने वाले अग्नि शामकों (फायर एक्सटिंग्यूशरों) की पहचान के चिह्न इस प्रकार हैं :

सोडा एसिड टाइप अग्निशामक यंत्र

—फोम टाइप अग्निशामक यंत्र

सी.ओ.टू. टाइप अग्निशामक यंत्र

ड्राइ केमिकल पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र

सी.टी.सी. टाइप अग्निशामक यंत्र

प्राय: अधिकतर आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि :

1. पानी आमतौर पर आसानी से मिल जाता है।

2. पानी की कीमत अधिक नहीं होती।

3. पानी लेने में आसानी होती है।

4. पानी आग की गर्मी को कम करने की शक्ति रखता है।

5. पानी को किसी भी शक्ल में बदल सकते हैं। इसीलिए पानी को आग पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

पानी को एक जगह से दूसरी जगह या दूर आग तक ले जाने वाला बहुत जरूरी यंत्र होज है। होज दो प्रकार के हैं :—

1. डिलिवरी होज : इसके द्वारा पोजिटिव प्रेशर से पानी ले जाया जाता है? यह दो किस्म के हैं :

(क) रबड़ लाईन होज : जिस होज के अन्दर रबड़ की लाईनिंग लगी हो उसको रबड़ होज कहते हैं। इससे पानी लीक नहीं होता।

(ख) कैनवस होज : इससे पानी लीक होता है।

2 सेक्शन होज : इसके जरिये नेगेटिव, पोसिटिव प्रेशर से पानी लाया जाता है यह भी दो प्रकार के होते हैं :

(क) हार्ड सेक्शन : तालाब वगैरा से पानी लाने के लिये इस्तेमाल होता है। यह नेगेटिव पोसिटिव प्रेशर से पानी लाता रहता है। हार्ड सेक्शन होज में 50 पोंड प्रति वर्ग इंच से ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिये।

(ख) सॉफ्ट सेक्शन : यह डिलिवरी होज है और पोजि-टिव प्रेशर से पानी लाया जाता है। यह होज़ फायर हाइडरन्ट पम्प पर लगा कर पानी को दूर तक पहुंचाने में मदद करती है और अग्नि शमन में काफी लाभदायक सिद्ध होती है।

आग लगने की स्थिति में कार्यवाही :

जिस भी व्यक्ति को आग लगने का पता चले वह निम्नलिखित कार्यवाही करेगा।

1. "आग" "आग" "आग" तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक मदद करने के लिए लोग वहां न पहुंच जाएं।

2. प्राथमिक अग्नि शामक यंत्रों की सहायता से आग बुझाने का पूरा प्रयास करेगा। यदि इन लोगों के आने से भी आग नियंत्रण में नहीं आती तो सभी लोग "आग" "आग" "आग" चिल्लाते हुए उस स्थान पर जाएंगे जहां आग लगी हुई है।

3. सुरक्षा विभाग नियन्त्रण कक्ष से रुक-रुककर सायरन बजाएगा ताकि अग्निशामन व बचाव के लिए सभी उपलब्ध अग्नि शामक यंत्रों एवं साधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों तथा अग्निशामक दल को इसकी सूचना टेलीफोन पर दी जाएगी।

4. सुरक्षा विभाग के कर्मचारी अग्निशमन दल के आने पर उन्हें दुर्घटना स्थल पर ले जाएंगे जहां आग लगी है।

5. सुरक्षा विभागाध्यक्ष और अन्य विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि घटनास्थल पर सभी अग्निशमन में प्रशिक्षित व्यक्ति पहुंच कर आग को बुझाने में सहयोग दें, आग पर नियंत्रण करें और उसे आगे न फैलने दें।

6. सुरक्षा विभाग, अग्निशमक दल एवं कारखाने के स्टाफ को एकजुट मिलकर काम करना चाहिये ताकि अच्छे परिणाम पाने में सफल हों और जान व माल की हानि को रोक सकें।

7. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घटनास्थल पर कोई असामाजिक तत्त्व और शरारती लोग न पहुंच सकें। सभी गार्ड्स अधिक सतर्क रहें और कारखाने के माल व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

8. मुख्य द्वार पर होने वाली सभी गतिविधियों तथा भेजी गई एवं आने वाली सभी खबरों का ठीक-ठीक रिकार्ड सुनिश्चित करना और टेलीफोन को खाली रखना और खास ध्यान देना ताकि समय पड़ने पर बहुत जरूरी संदेश भेजे जा सकें।

9. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान कोई भी वाहन बाहर न जाए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

10. कम्पनी के डाक्टर एवं दवाखाना में उपस्थित कम्पांउडर को भी इस हालत में सतर्क कर दिया जाना चाहिए।

11. आग की सूचना मिलते ही कम्पनी में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हाइड्रेन्ट पम्प को बिजली मिलती रहे। जिस स्थान पर आग लगी है वहां की बिजली बन्द कर दी जाए और वैकल्पिक रोशनी का इन्तजाम रखा जाए ताकि अग्नि शमन के काम में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

आग पर नियंत्रण कर लेने एवं बुझा देने के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये और आग द्वारा हुई क्षति का विवरण बनाना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की क्षति आग से न हो उसे सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के पक्के उपाय करने चाहिये।

सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को भी अग्नि शामक यंत्रों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और समय-समय पर अग्नि शमन का अभ्यास करना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर आग जैसी विध्वंसकारी महाविपत्ति का डटकर मुकाबला किया जा सके। आग से रोकथाम के बारे में कारखाना अधिनियम (फैक्टरीज एक्ट), 1948 के भाग 38 में भी प्रावधान है कि हर फैक्ट्री में उचित मात्रा में अग्निशामक सुरक्षा के लिए उपलब्ध होने चाहिए। अतः सभी कर्मचारी कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा के लिए सभी पूर्वोपाय करेंगे और इसके लिए उन्हें दुर्घटना या क्षति या अग्नि से बचाने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा संबंधी सभी अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना, जिनमें अग्नि विरोध और सुरक्षा के उपाय भी शामिल हैं, हरेक कर्मचारी के लिए आवश्यक है। □

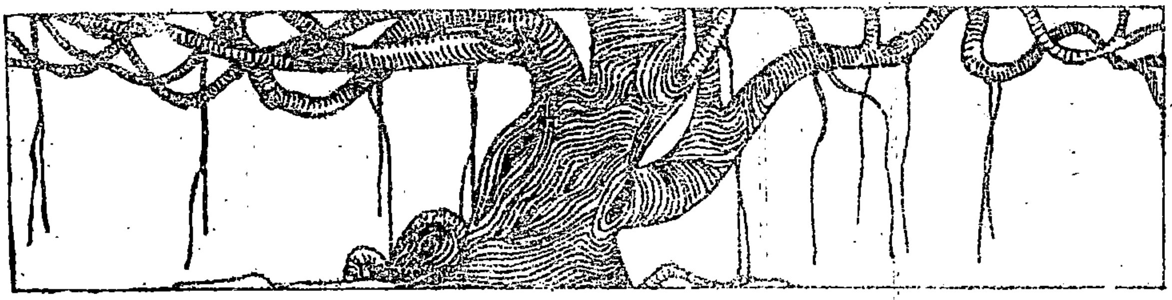

शब्द और हम

□शिल्पा महाले*

शब्द विज्ञान यानी शब्दों का व्युपत्ति शास्त्र (ETYMOLOGY) विभिन्न भाषा-भाषियों को जोड़ने का काम करता है। शब्द की व्युत्पत्ति यानि कि शब्द की तह तक पहुंचना, उसके मूल धातु रूप को ढूंढ निकालना या एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया की जड़ों तक पहुंचना है। मानव मात्र की चिंतन प्रक्रिया में अंतर्निहित सांस्कृतिक इतिहास हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्द संसार में छिपा हुआ है। इसलिए व्युत्पत्तिशास्त्र का महत्त्व सिर्फ भाषा विज्ञानी को ही नहीं, बल्कि नृतत्व विज्ञानी, मानवविज्ञानी तथा इतिहास वेत्ता के लिए भी मनुष्य विकास का अध्ययन करने के लिए समान रूप से महत्त्व रखता है।

साधारणत: ऐसा कहा जाता है कि भाषा शब्दों से बनती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाषा में शब्द नहीं हुआ करते, शब्दों में भाषा संपूर्ण व्यापार छिपा रहता है। हर शब्द का अपना व्यक्तित्व होता है। इन्हें समझने के लिए जिज्ञासु होना आवश्यक है। ये शब्द ही किसी भाषा की संपत्ति हुआ करते हैं। इस संपत्ति को बढ़ाने के लिए हर भाषा प्रयत्नशील रहती है। अक्सर भाषा की तुलना शरीर से तथा शब्दों की तुलना शरीर के विभिन्न अवयवों से की जाती है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयवों का प्रयोग हम सहजता में कर जाते हैं, बगैर इस अहसास के कि हम अमुक अंग का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ श्वसनेंद्रिय या कर्णेन्द्रिय को लें। हर क्षण हम नाक से सांस लेते हैं, कानों से सुनते हैं। बिना इस बात का बोध हुए कि हम उन अवयवों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जैसे की कान में दर्द होने लगे या सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगे तो हमारा ध्यान उन अंगों की ओर विशेष रूप से चला जाता है। तभी उनके अस्तित्व का बोध होता है। यही बात शब्दों के लिए लागू होती है। जब तक हम इन शब्दों का आर्थी विश्लेषण नहीं करते, हम उनकी अहमियत को कबूल नहीं करते हैं। हर शब्द किसी भाव या विचार का वाहक होता है। हर शब्द किसी समाज की संस्कृति, सभ्यता, परिवेशगत संदर्भ आदि से जुड़ा रहता है। हर शब्द अपने आप में एक सामाजिक संपर्क कण को समाहित किए हुए होता है। शब्द की महिमा, इस तरह अपरम्पार है। शब्द सबके मूल में हैं। इसलिए आचार्य दंडी कहते है कि "इदमंधतम कृत्स्तं जायेत भुवन यम। हवयं ज्योति: संसारम् न दीयते।" अर्थात् यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार को दीप्त (प्रकाशमय) न करती तो इस त्रिभुवन में अंधकार व्याप्त रहता।

*सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान बेंगलर

यह सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने पता लगाया कि संस्कृत शब्दों तथा ग्रीक लैटिन शब्दों में बेहद समानता है। भारोपीय समूहान्तर्गत आने वाला तीन चौथाई भाषा समुदायों का स्रोत एक है। जब मार्च 1883 में हाईकोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति कलकत्ता में हुई तो उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाईटी की स्थापना की। इस संस्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था हिन्दुस्तान संबंधी अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना। इस संस्था के जरिए उन्होंने भारतीय भाषा साहित्य वैद्यकशास्त्र, ज्योतिष इत्यादि कई विषयों पर उच्च कोटि के खोजपूर्ण लेख लिखे। सर जोन्स जान गए थे कि संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना न्याय के क्षेत्र में हिन्दू धर्म का मौलिक विवेचन तथा अर्थ मीमांसा समझना कठिन है। इसलिए पहले उन्होंने संस्कृत सीखी तथा उसमें प्रवीणता हासिल की। इनके द्वारा संस्कृत खजाने के द्वार ही जैसे जिज्ञासुओं के लिए खुल गए। इसी श्रृंखला की एक और कड़ी है हाल ही में निकली सी. टी. अनियन तथा लुइस थामस की "दि कन्साईज डिक्शनरी आफ इंग्लिश एटिमालाजी", इसमें दोनों विद्वानों ने बड़े ही सुलझे हुए ढंग से अंग्रेजी शब्दों का मूल संस्कृत बताया है।

कुछ उदाहरण देखिए :

पाणिनी ने व्यंजनों को हल् कहा है तो ग्रीक में अल्फा, अरबी में अलिफ और अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इनमें विलक्षण समानता है।

लुईस थामस के अनुसार फारसी बक्ष —से संस्कृत में भाग ——————Good Fortune——शब्द बना। भगवद्गीता में भाग का यही अर्थ है। कृष्ण The black one Chernozem—— केर्नोझोम यानी The black soil बना है।

भारोपीय blaghmen यानी priest——————लैटिन और मध्ययुगीन अंग्रेजी में ————Hamen बना और संस्कृत में ब्राह्मण बना।

वैदिक काल में ब्राह्मण का अर्थ या उसकी व्युत्पत्ति ब्रह्म धातु बड़ा "बृह्द्" से है। हम सभी जानते हैं। कि मातृ mother भ्राता brother पितृ — father — दुहिता (दो कुलों का हित करने वाली) daughter, मन — mind, विद्या wit, अक्षि eye, नासिका nose, हस्त hand, पाद foot, श्मश्रु moustache, कर्त्तरी to cut, का मूल लैटिन/संस्कृत में है लेकिन कई अंग्रेजी शब्द ऐसे है, जिनका संबंध है तो संस्कृत से, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, जैसे love शब्द की

2701 HA/92—5

व्युत्पत्ति संस्कृत लभ्यति धातु लभ्=इच्छा से हुई है। इसी से "लोभ" शब्द greed बना है।

संस्कृत	से	अंग्रेजी
नक्त	से	Night
स्मित	से	To Smile
स्मर	से	Memory
दंत	से	Tooth
हृदय	से	Heart
स्तेन चौर्य	से	To steal
मात्रा	से	Metre
आर्ष (ऋषि से संबंधित)	से	Archaic
मुख	से	Mucus
माध्यम	से	Medium
त्युमूला	से	Tumult
जन (जनन)	से	Generate
उलुक	से	Owl
विष	से	Vice
सिद्ति	से	To sit
स्था	से	To stand, static, status
मत	से	Maths
शुल्वारि	से	Sulphur
क्रेमेलक्	से	Camel
विधवा	से	Widow
विधुर	से	Widower
पथ	से	Path
कालेन्द्र	से	Calender
द्वार	से	Door
जंगला	से	Waste land—covered with vegetation से Jungle
रुप्य	से	Rupee
लोपत्रा	से	To loot
शृगवेरा	से	Hornshipped root से English ginger
शर्करा	से	Sugar
नारंग	से	Orange
पिपली	से	Pepper
गम	से	To go
इष	से	Desire, to wish
हृष	से	Happy हर्ष
सेव	से	Service सेवा
बंध्	से	To bind
सिव्	से	To sew सिलाई

यह हुई संस्कृत की बात। अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद उनका संपर्क न केवल उर्दू/हिन्दी से हुआ बल्कि वे हमारी अन्य प्रांतीय भाषाओं के भी संपर्क में आए। इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रांतीय भाषा शब्द थोड़ी बहुत हेरफेर के बाद अंग्रेजी में समा गए जैसे :—

तमिल से	अंग्रेजी	मलयालम	
अरिसी	Rice	Kayar	Coir
कॅढ़ी	Curry		

हिन्दी	अंग्रेजी	मलयालय
चंपी से	Shampoo	tekka hard wood of Asian tree English-teak wood
ताड़ी से	toddy,	plam juice

अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जो या तो फारसी मूल के हैं या अरबी मूल के जैसे—

फारसी	से	अंग्रेजी
बाजार	से	Bazaar
कारवां	से	Caravan
यास्मिन	से	Jasmine
पिस्ता	से	Pistachio
शेख	से	Sheikh
चारपाई	से	Charpoy
तिपाई	से	Tipoy
सिपाही	से	Sipoy
अलमारी	से	Almirih
हीना	से	Henna
नाला	से	Nullah

अरबी	से	अंग्रेजी
अलकिमिया	से	Alchemy
अलजेब्रा	से	Algbera
सिफ्र	से	Cipher
कहवा	से	Coffee
अलिक्सिर	से	Elixir.
मखजिना (भंडार)	से	Magazine
मौसम	से	English-Monsoon
जाफ़रानी	से	Saffron
शराबह	से	Sherbat
सुफाह	से	Sofa
मसलिन (मलमल, इराकी शहर मौसल में बना सूती कपड़ा)	से	Muslim

है न बड़ी अजीब यह शब्दों की दास्तां !!' □

हिंदी और पंजाबी की रिश्तेनाते संबंधी शब्दावली

एक व्यतिरेकी विश्लेषण

□ डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाज में रहने के नाते उसे विचार-विनिमय भी करना पड़ता है। यह विचार-विनिमय दो प्रकार का हो सकता है : मौखिक और लिखित यानि बोलकर और लिखकर। विचार-विनिमय से ही मनुष्य समाज का सभ्य प्राणी कहलाता है। सभ्य-असभ्य का पता उसके व्यवहार से चलता है। चूंकि मनुष्य समाज में रहता है इसलिए रिश्तेनाते 'रिश्तेदार' बनना स्वाभाविक-सा है। रिश्तेदार को पंजाबी में सामान्यतः साकनाते (रिश्तेदार) कहा जाता है। रिश्तेनाते की शब्दावली में आर्यभाषा परिवार की भाषाओं हिन्दी-पंजाबी को लिया गया है। वास्तव में 'खग ही जाने खग की भाषा' और 'गूंगा-सर्करा खाए और मुस्काए' की कहावत को ध्यान में रखकर इस लेख को लिखा गया है। उच्चारण में मामा का मामू, चाचा का चाचू और पोता का पोतरू और दोता/दोहित्र का दोतरु आ जाने से यह आनंदानुभूति चरमसीमा तक पहुंच जाती है। लेख को प्रौढ़ रूप देने के लिए व्यतिरेकी विश्लेषण भी किया गया है। लेख चार्ट रूप में दिया गया है।

हिन्दी	पंजाबी	
पिता	पिउ	जन्म देने वाला।
माता/मां/अम्मा	मां	जन्म देने वाली।
भाई/भ्राता	भरा (भ्रा)	पिता की संतान (पुत्र होने पर)।
बहन	भैण	पिता की संतान (पुत्री होने पर)।
बड़ा भाई	वडा भ्रा	पिता का बड़ा पुत्र भाई से बड़ा।
बड़ी बहन/जीजी	वडी भैण	पिता की बड़ी पुत्री बहन से बड़ी।
छोटा भाई	निक्का भ्रा	पिता का छोटा पुत्र/ भाई से छोटा।
छोटी बहन	निक्की भैण	पिता की छोटी पुत्री/बहन से छोटी
चाचा	चाचा	पिता का छोटा भाई।
चाची	चाची	पिता के छोटे भाई की पत्नी।
ताया	ताया	पिता का बड़ा भाई।
ताई	ताई	पिता के बड़े भाई की पत्नी।
फूफा	फुफड़/वोइया	पिता की बहन का पति।
फूफी/बुआ	फूफी/बुआ/ फुफया	पिता की बहन।
मामा	मामा	माता का भाई।
मामी	मामी	माता के भाई की पत्नी।
साला	साला	पत्नी का भाई। जिसे उसका पति साला-कहता है।
साली	साली	पत्नी की बहिन। जिसे उसका पति साली कहता है।
नाना	नाना	माता के पिता।
नानी	नानी	माता की मां।
सास	सस्स	लड़की की मां लड़के की सास और लड़के की मां लड़की की सास
समधी	कुड़म	लड़की के पिता और लड़के के पिता आपस में समधी लगते हैं।
समधिन	कुड़मनी	लड़की की मां और लड़के की मां आपस में समधिन लगती हैं।
दोहित्र/दोता/ नाती	दोतरा/दोतरू (प्यार से)	पत्नी का लड़का जिसे पत्नी की मां या पिता दोता/नाती कहते हैं।
दोती/नातिन	दोतरी	पत्नी की लड़की जिसे पत्नी की मां या पिता दोती या नातिन कहते हैं।
पोता/नाती	पोतरा/पोतरू (प्यार से)	पति का लड़का जिसे पति की मां या पिता पोता कहते हैं।
पोती/नातिन	पोतरी	पति की लड़की जिसे पति की मां या पिता पोती कहते हैं।
जीजा	जीजा	बहन का पति
बच्चा	नयाणा	छोटा बच्चा
बच्ची	नयाणी	छोटी बच्ची
फुफेरा भाई	बुआ दा मुंडा/ फुफेरा	पिता की बहन का लड़का जिसे पिता का लड़का/लड़की फुफेरी भाई कहता है।
फुफेरी बहन	बुआ की कुड़ी/ फुफेरी	पिता की बहन की लड़की जिसे पिता की लड़की/लड़का फुफेरा बहन कहता है।
ममेरा भाई	मामे दा मुंडा/ ममेरा	माता के भाई का लड़का जिसें माता की लड़की या लड़का ममेरा भाई कहता है।
ममेरी बहन	मामे दी कुड़ी/ ममेरी	माता के भाई की लड़की जिसे माता की लड़की या लड़का ममेरी बहन कहता है

---

*हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, शास्त्री भवन, IV ब्लाक, 26-हैडोज रोड़, मद्रास—600006

चचेरा भाई	चाच दा मुंडा/ चचेरा	पिता के छोटे भाई का लड़का जिसे पिता का लड़का या लड़की चचेरा भाई कहता है
चचेरी बहन	चाचे दी कुड़ी/ चचेरी	पिता के छोटे भाई की लड़की जिसे पिता का लड़का या लड़की चचेरी बहन कहता है ।
ताऊ का लड़का	ताये दा मुंडा/ तायेरा	पिता के बड़े भाई का लड़का जिसे पिता के बच्चे ताऊ का लड़का कहते हैं।
ताऊ की लड़की	ताये दी कुड़ी	पिता के बड़े भाई की लड़की जिसे पिता के बच्चे ताऊ की लड़की कहते हैं ।
लड़का/पुत्र	मुंडा	पिता की संतान (लड़का) पुल्लिंग होने पर
लड़की/पुत्री	कुड़ी	पिता की संतान (लड़की) स्त्रीलिंग होने पर
मर्द/पुरुष	बंदा	पुरुष
औरत/स्त्री/ महिला	जनानी	स्त्री
पराई मां	मातरयां	पिता की एक पत्नी की मृत्यु हो जाने/छोड़ देने पर दूसरी को बच्चे पराई मां कहते हैं
पराया बाप	दूजा पिउ	पत्नी के एक पति की मृत्यु हो जाने/छोड़ देने पर दूसरे को बच्चे पराया बाप कहते हैं
सौतन	सौतन	किसी व्यक्ति की दो पत्नियां होने पर एक दूसरे को सौतन कहा जाता है
कुंवारा	कवारा	पुरुष जिसकी शादी न हुई हो
कुंवारी	क्वारी	स्त्री जिसकी शादी न हुई हो
ननंद/नंणद	ननाण	पति की बहन जिसे उसकी पत्नी ननद कहती है
ननदोई/नणदोई	नणदोइया	पति की बहन का पति जिसे उसकी पत्नी ननदोइया कहती है
विधुर/रंडवा	रंडा	जिसकी पत्नी मर गई हो
विधवा/रांड	रांड	जिसका पति मर गया हो
दादा	बाबा	पिता के पिता
दादी	दादी	पिता के पिता की पत्नी और पिता की माता
मौसा	मासड़	माता की बहन का पति
मौसी	मासी	माता की बहन

भाभी	भाबी/भरजाई	भाई की पत्नी
वर	वरवाला	लड़का जिसकी शादी हुई हो।
वधु/वधूरी	वऊटी	लड़की जिसकी शादी हुई हो, ससुराल में आई हो।
दूल्हा	लाड़ा	लड़का जिसका विवाह हो रहा हो
दुल्हन	लाड़ी	लड़की जिसका विवाह हो रहा हो।
ज्येष्ठ	जेठ	पति का बड़ा भाई जिसे उसकी पत्नी जेठ कहती है ।
जेठानी	जिठानी	पति के बड़े भाई की पत्नी जिसे उसकी पत्नी जिठानी कहती है
देवर	दयोर	पति का छोटा भाई जिसे उसकी पत्नी देवर कहती है।
देवरानी	देयोरानी/ दरानी	पति के छोटे भाई की पत्नी जिसे उसकी पत्नी देवरानी कहती है ।
भजीता	पतरीआ	पिता के बड़े/छोटे भाई का लड़का जिसे पिता भतीजा कहते हैं। पिता का लड़का जिसे उसकी बड़ी या छोटी बहन भतीजा कहती है ।
भतीजी	पतरीई	पिता के बड़े/छोटे भाई की लड़की जिसे पिता भतीजी कहता है । पिता की लड़की जिसे उसकी बहन भतीजी कहती है।
भानजा	भनेवा	पिता की बहन का लड़का जिसे पिता भानजा कहते हैं ।
भानजी	भनेवी	पिता की बहन की लड़की जिसे पिता भानजी कहते हैं ।
दामाद/जमाई	जवाई	पिता की लड़की का पति ।
ससुर/सोहरा	सोहरा	लड़की के पिता लड़के के ससुर एवं लड़के के पिता लड़की के ससुर ।
पतोहू	पोतरा नूं	नाती/पोते की पत्नी
दतोहू	दोतरा नूं	दोते/नाती की पत्नी
पड़दादा/ पड़ बाबा	पड़बाबा	दादा के पिता जिसे बच्चे पड़दादा कहते हैं।
पड़दादी	पड़दादी	दादी की सास जिसे बच्चे पड़दादी कहते हैं।

पड़नाना	पड़नाना	नाना के पिता जिसे बच्चे पड़नाना कहते हैं।
पड़नानी	पड़नानी	नाना की मां जिसे बच्चे पड़नानी कहते हैं।
पड़दोता/नाती	पड़दोतरू	पत्नी का लड़का जिसे पत्नी की दादी या दादा पड़दोता कहते हैं।
पड़दोती/नातिन	पड़दोतरी	पत्नी की लड़की जिसे पत्नी की दादी या दादा पड़दोती कहते हैं।
पड़पोता/नाती	पड़पोतरू	पति का लड़का जिसे पति का दादा या दादी पड़पोता कहते हैं।
पड़पोती/नातिन	पड़पोतरी	पति की लड़की जिसे पति का दादा या दादी पड़पोती कहते हैं।
मंझला भाई	मंझला भ्रा	बड़े और छोट के बीच का भाई
मंझली बहन	मंझली भैण	बड़े और छोट के बीच की बहन

व्यतिरेकी विश्लेषण—व्यतिरेक शब्द संस्कृत की 'रिच' धातु से बना है। 'रिच' धातु का अर्थ होता है अलग करना। 'रिच' के पूर्व वि(विशेष) अति (अत्यधिक उपसर्ग और अंत में भाववाचक प्रत्यय धय् जोड़ने से (वि + अति + रिच् + धय्) शब्द बनता है तथा इसका अर्थ है विरोध या असमानता। 'व्यतिरेक शब्द में (ई) भाववाचक प्रत्यय लगाने से ही व्यतिरेकी शब्द बना है जिसका अर्थ है विरोध। असमानता दिखाने वाला। इसी अर्थ में व्यतिरेकी शब्द को हिन्दी में अंग्रेजी कंट्रास्टिव का पर्याय मामना गया है तथा कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक के लिए व्यतिरेकी भाषाविज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है'।

व्यतिरेकी विश्लेषण को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। शिवन्द्र किशोर वर्मा 'दो या दो से अधिक भाषाओं के स्वनिक रूपिक और आर्थिक तत्वों के तोलन—वर्णनात्मक (तुलनात्मक—वर्णनात्मक) अध्ययन को व्यतिरेकी विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है।' पृ. 333 रमानाथ सहाय—'व्यतिरेकी भाषावैज्ञानिक विवरणों के आधार पर स्रोत और लक्ष्य भाषाओं के विविध पक्षों की गहराई में समानताएं और असमानताएं ढूंढी जाती है।' आमुख (ख)' व्यतिरेकी भाषाविज्ञान—डा. विजयराघव रेड्डी रोमानियन इंग्लिश कंट्रेश्ट्यू एनलिसिस प्रोजेक्ट के आयोजकों के अनुसार 'दोनों भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, व्याकरण, शब्दावली एवं लेखन व्यवस्थाओं की तुलना प्रस्तुत करना। इस तुलना का उद्देश्य दोनों भाषाओं में विद्यमान ऐसी संरचनागत समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालना है।' पृ. 24 व्यतिरकी भाषा-विज्ञान डा.—रेड्डी। डा. विजयराघव रेड्डी के अनुसार—'दो भाषाओं की समकालिक संरचनाओं को इस तरह आमने-सामने रखा जाए या दो भाषाओं की समकालिक संरचनाओं का इस तरह बैष्मय प्रस्तुत किया जाए कि दोनों भाषाओं में विद्यमान समानताएं और विषमताएं या भिन्नताएं स्पष्टतः प्रकट हो जाए।' पृ. 25

डा. भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर समानताओं—असमानताओं को दिखाना ही व्यतिरेकी विश्लेषण है'। हि. भा. शि. प्र.

अपनी इसी परिभाषा को संशोधित करते हुए वे इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—व्यतिरेकी भाषाविज्ञान के उस प्रकार को कहते हैं जिसमें दो भाषाओं या भाषा रूपों की विभिन्न स्तरों पर तुलना करके उनके आपसी विरोधों या या व्यतिरेकों का पता लगाते हैं।' पृ. 12

'दो भाषाओं की तुलना करने पर दो प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं दोनों भाषाएं किन-किन बातों में समान है और किन-किन बातों में असमान हैं।'

डा. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार 'व्यतिरेकी विश्लेषण दो वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली संरचनात्मक समानता और विषमता के निर्धारण का क्षेत्र है। अतः पहली आवश्यकता है कि दो वस्तुओं को एक साथ ग्रहण किया जाए और एक साथ ही उन के बीच की समानता और विषमता की खोज की जाए।' पृ. 69

वास्तव में व्यतिरेकी भाषाविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें दो भाषाओं की तुलना करने के पश्चात् समानताओं-असमानताओं का वर्णन किया जाता है।

हिन्दी और अन्य भाषाओं की शब्दावली में दो व्यक्तियों के साथ रहने पर किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है जिसे रिश्तेनाते की शब्दावली का रूप दिया जाता है।

व्यतिरेकी विश्लेषण करने पर यह देखने को मिलता है कि हिन्दी व पंजाबी में 'बड़ा-छोटा' के स्थान पर 'वडा-निक्का' का प्रयोग भिन्न रूप से देखने को मिलता है। बड़ा और वडा में स्वनिमिक विरोध है।

— मंझला शब्द दोनों भाषाओं में समान रूप से मिलता है।

— भाई-बहन के स्थान पर पंजाबी में भ्रा-भैण का प्रयोग मिलता है।

— दादा के स्थान पर बाबा का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है।

— मौसा के स्थान पर मासड़ का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है।

— भाभी, बंधु, दुल्हा, दुल्हिन के स्थान पर भरजाई- भावी, वऊटी, लाड़ा, लाड़ी शब्द का प्रयोग पंजावी में भिन्न रूप से होता है।

— देवर, देवरानी के स्थान पर दयोर, दयोरानी भी पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है ।

— भतीजा, भतीजी के स्थान पर भतरीआ और भतरीई का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है ।

— भानजा, भानजी के स्थान पर भनेंवा, भनेंवी का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है ।

— दामाद, ससुर के स्थान पर जवाई (जमाई) सोहरा का प्रयोग भिन्न रूप से पंजाबी में मिलता है ।

— समधी, समधिन के स्थान पर कुड़म, कुड़मनी का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है ।

— दाहित्र-दोहित्री के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से दोतरा-दोतरी का प्रयोग मिलता हैं ।

— पोता पोती के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से पोतरा पोतरी का प्रयोग मिलता है ।

— जीजी, बच्ची के स्थान पर भिन्न रूप से भैण, नयाणा-नयाणी का प्रयोग मिलता है ।

— लड़का-लड़की के स्थान पर मुंडा/कुड़ी का प्रयोग पंजाबी में भिन्न रूप से मिलता है ।

— फुफेरा-फुफेरी, ममेरा-ममेरी, चचेरा-चचेरी के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से बुआ दा-बुआ दी, मामे दा-मामे दी, चाचे दा-चाचे दी का प्रयोग मिलता है ।

— ताऊ का, ताऊ की के स्थान पर पंजाबी भाषा में भिन्न रूप सेताये दा, ताये दी का प्रयोग मिलता है ।

— पुत्र, पुत्री के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से पुत, धीअ/धी का प्रयोग मिलता है ।

— मर्द, औरत के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से बंदा, जनानी का प्रयोग मिलता है ।

— पराई मां-पराया बाप के स्थान पर पंजाबी में भिन्न रूप से मातरेयां दूजा पिउ का प्रयोग मिलता है ।

— कुंवारा-कुंवारी के स्थान पर कवारा-कवारी का प्रयोग अनुनासिक रहित भिन्न प्रकार से मिलता है ।

— ननद, ननदोई के स्थान पर पंजाबी भाषा में भिन्न रूप से ननाण-नणदोइया का प्रयोग मिलता है।

— विधुर-विधवा के स्थान पर रंडा-रंडी का प्रयोग भिन्न रूप से पंजाबी में मिलता है ।

— पतोहू-दतोहू के स्थान पर पोतरा नूं-दोतरा नूं का प्रयोग पंजाबी भाषा में भिन्न रूप में मिलता है ।

दोनों भाषाओं की रिश्तेनाते की शब्दावली में उपर्युक्त असमानता होते हुए भी शेष समानताएं देखने को मिलती हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भाषा त्रैमासिक–1973 हिन्दी भाषा विज्ञान अंक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली, समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। प्राप्तिस्थल–हिन्दी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास।
2. व्यतिरेकी भाषाविज्ञान—डा० विजयराघव रेड्डी, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, प्रथम सं. 1986 डा० रांगेय राघव मार्ग । प्राप्तिस्थल—निजी पुस्तकालय ।
3. हिन्दी भाषा शिक्षण–डा० भो. ना. ति., डा० कैलाश चंद भाटिया, लिपि प्रकाशन । अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली । प्रथम संस्करण 1980 प्राप्तिस्थल–निजी पुस्तकालय ।
4. व्यतिरेकी भाषाविज्ञान—डा० भो. ना. ति., डा० किरण बाला, प्रथम संस्करण 1983 आलेख प्रकाशन वी-8 नवीन शाहदरा दिल्ली 32 । प्राप्तिस्थल–दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, दिल्ली शाखा ।
5. भाषा शिक्षण—डा० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव, मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रथम संस्करण 1979, नई दिल्ली । प्राप्तिस्थल—निजी पुस्तकालय । □

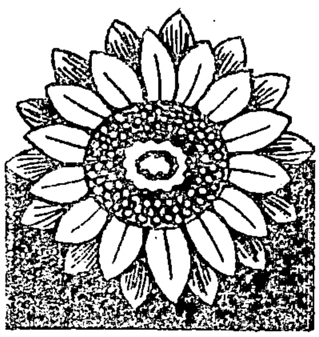

हिन्दी व्याकरण के निर्माण में विदेशियों का योगदान

☐ तरुण कुमार दाधीच

व्याकरण साहित्य की बुनियाद है । साहित्य की प्रत्येक विद्या में व्याकरण का सर्वाधिक महत्त्व है। हिन्दी-व्याकरण लेखन का चलन लगभग 300 वर्षों पूर्व हुआ था। यद्यपि व्याकरण लिखने की परम्परा हमारे देश में प्राचीन समय से चली आ रही है । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के व्याकरण हमारे विद्वान आचार्यों ने विस्तार से लिखे हैं। किन्तु हिन्दी-व्याकरण लेखन की ओर हमारे विद्वानों का मानस बना ही नहीं। इसका मूल कारण प्राय: यही है, कि हमारे देश के मध्य काल में भाषा का व्यापक सम्मान नहीं था। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, विद्यापति, केशव, बिहारी आदि महाकवियों की विशिष्ठ रचनाएं हो जाने पर भी जन-भाषा की ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया । इसी कारण जहां रामानन्द, नागेश भट्ट, पण्डित जगन्नाथ आदि पण्डितों ने संस्कृत व्याकरण संबंधी अनेक रचनाएं कीं, वहीं हिन्दी भाषा की पूर्ण उपेक्षा की गई ।

हिन्दी व्याकरण लेखन में विदेशियों के योग-दान को भुलाया नहीं जा सकता है। अनेक विदेशी विद्वानों का हिन्दी-व्याकरण के क्रमिक विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिन्दी भाषा का व्याकरण लिखने के प्रारंभिक प्रयास 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किए गए। सर्वप्रथम ब्रज भाषा का 'परिचयात्मक संक्षिप्त व्याकरण' मिर्जा खां ने औरंगजेब के शासन काल में लिखा । मिर्जा खां ईरान से भारत आए थे। मिर्जा खां के समकालीन हॉलेण्ड के लेखक जोहन जोशुआ केटेलेर ने 'हिन्दुस्तानी का एक व्याकरण' लिखा । जिसका उल्लेख डा. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने द्विवेदी अभिनन्दन ग्रंथ में 'हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण' शीर्षक से अपने लेख में किया था। डा. ग्रियर्सन के अनुसार इस व्याकरण की रचना लगभग 1745 ई. में हुई और 1748 ई. में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जोहन जोशुआ केटेलेर के समान अन्य यूरोपीय लेखकों ने हिन्दी भाषा के व्याकरण की रचनाएं की हैं। किन्तु विदेशियों द्वारा लिखे गए व्याकरणों में डा. जान बोर्थविक गिलक्राइस्ट का 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' (1790 ई.) रोएबक का 'दी इंगलिश एण्ड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी विद ए ग्रामर प्रिफिक्सड' (1810 ई.), येट्स का 'दि हिन्दुस्तानी ग्रामर' (1824) प्लॉट्स का 'हिन्दी व्याकरण' (1830 ई.) और डंकन फोरबेस का लिखा 'ए ग्रामर आव दि हिन्दुस्तानी लैंग्वेज' जो लन्दन से 1856 ई. में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक की एक प्रति नेशनल पुस्तकालय, कलकत्ता में रखी है।

इसके बाद 1870 ई. में बनारस में विदेशी पादरी एथरिंगटन साहब ने अंग्रजी में हिन्दी का एक व्याकरण लिखा। जो हिन्दी 'भाषा-भास्कर' नाम से अनूदित हुआ। 1875 ई. में केलाग का व्याकरण 'ए ग्रामर आव हिन्दी लैंग्वेज' प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण (1892 ई.) में हिन्दी व्याकरण के साथ ही उच्च हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और ब्रज भाषा का भी उल्लेख किया गया था। व्याकरण की इस पुस्तक ने अपार ख्याति अर्जित की।

विदेशियों द्वारा रचित सभी व्याकरण की पुस्तकों में केलाग का व्याकरण सर्वोत्तम माना जाता है। इसके ठीक विपरीत विदेशियों के लिए लल्लूजी लाल द्वारा लिखा गया व्याकरण 'दि ग्रैमेटिकल प्रिंसीपिल्स ऑव ब्रज भाषा' (1810 ई.) में लिखा गया। वास्तव में हिन्दी व्याकरण के विकास का यह प्रथम काल कहा जा सकता है जिसमें विदेशी विद्वानों ने विदेशियों और परदेशियों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी के कई व्याकरण लिखे।

पंडित कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी आदि व्याकरणाचार्यों ने हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ व्याकरण की विकास यात्रा में राजा शिव प्रसाद सितारेहिन्द, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, अम्बिका दत्त व्यास, दामोदर सप्रे शास्त्री, केशव राम भट्ट, सुधाकर द्विवेदी, माधव प्रसाद पाठक, सूर्य प्रसाद मिश्र, पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि प्रभृति चोटी के विद्वानों ने उपयोगी व्याकरणों की रचना अपने ढंग से की परन्तु हिन्दी व्याकरण के प्रारम्भिक काल में विदेशियों के महत्वपूर्ण योगदान को कदापि भुलाया नहीं जा सकता है।

('राजस्थान पत्रिका' जयपुर दिनांक 8 मार्च, 1992 से साभार)

*6–स्टेशन रोड, मावली जंक्शन, जिला उदयपुर (राजस्थान)

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

हिंदी के बारे में ऐतिहासिक तथ्य

□ कैलाश नाथ पांडेय*

[इन सूचनाओं में कोई असंगति या परिवर्तन ध्यान में आएं तो कृपया सूचित करें। —संपादक]

1. हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रन्थ स्वयंभू की "पउम चरिऊ" या "पदमचरित" नाम की रामायण है। स्वयंभू कर्नाटक या महाराष्ट्र के रहने वाले यापनीय सम्प्रदाय के जैन थे और उनका काल 677 ईस्वी से लेकर 960 ईस्वी माना जाता है।

2. हिन्दी का प्रथम व्याकरण "डच" भाषा में हालैण्ड निवासी श्री जानजेशुआ केटेलर ने "हिन्दुस्तानी भाषा" शीर्षक से 1685 में लिखा था।

3. नागरी का टाईप सबसे पहले यूरोप में बना। सन 1716 में एमस्टरडम में प्रकाशित चाईना इलेस्ट्रेता पुस्तक में नागरी के कुछ अक्षर पहली बार छापे गए।

4. विदेशों में पहली बार हिन्दी में बाइबिल (अनुवाद के रूप में) पूर्वी जर्मनी में 1745 में हाले नगर में छपा।

5. भारत में पहली बार बंगाल में जान गिल क्राईस्ट ने 1796 ई. में देवनागरी लिपि में अमीर खुसरो की एक मुकरी प्रकाशित की तथा हिन्दी में बाइबिल प्रथम बार चार्ल्स विल्किन्स और पंचानन कर्मकार ने हुगली और श्री रामपुर में 18वीं शताब्दी में छापा।

6. हिन्दी की पहली कहानी लेखिका राजेन्द्र बाला देव (राजेन्द्रबाला घोष) (1882–1949 ई.) थी। इनकी मृत्यु—सुन्दर घाट मोहल्ला, मिरजापुर (उ. प्र.) है और जन्म स्थान बनारस है। इनकी "कुसुम संग्रह" पुस्तक कहानी संग्रह है और "दुलाईवाली" इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है।

7. हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र "उदंत मार्तण्ड" 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकला जो एक साल छः महीने चलकर 11 दिसम्बर 1827 को बन्द हो गया।

8. हिन्दी प्रदेशों से छपने वाला हिन्दी का पहला अखबार "बनारस अखबार" 1845 में काशी से छपा था, इसका प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द ने शुरू किया था। इसके संपादक पंडित गोबिन्द रघुनाथ थंते थे। इस अखबार की भाषा उर्दू मिश्रित हिन्दी तथा लिपि देवनागरी थी।

9. हिन्दी की पहली संपादक सभा का निर्माण 29 दिसम्बर 1844 को "प्रयास" में हुए संपादक सम्मेलन में हुआ। इसके सभापति बाबू रामकृष्ण वर्मा व मंत्री राधा चरण गोस्वामी थे।

10. हिन्दी का पहला दैनिक समाचार "सुधावर्षण" कलकत्ता से 1854 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक बाबू श्याम सुन्दर सेन थे। इसके पहले दो पृष्ठ हिन्दी में और बाद के दो पृष्ठ अंग्रेजी में होते थे।

11. बच्चों के लिए देश में हिन्दी में छपने वाली पहली पत्रिका "हरिशचन्द्र चंद्रिका" थी जिसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काशी से 1874 में शुरूआत की। इसके कुछ पन्ने अंग्रेजी में थे।

12. महिलाओं के लिए हिन्दी की पहली पत्रिका "बाला बंधिनी" बनारस से 1 जून 1874 को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बाबू ने शुरू की। यह मासिक पत्रिका थी।

13. भारत में पहली बार 1881 में नागरी के टाइप बनाए गए।

14. हिन्दी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिन्दी दैनिक "हिन्दोस्तान" है जो 1885 में प्रतापगढ़ कालाकांकर के राजा राम पाल सिंह ने निकाला और इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे।

---

*कमरा नं. 604, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, महर्षि कर्वे मार्ग बम्बई —400020।

15. हिन्दी की पहली विज्ञान पत्रिका "आयुर्वेद महासम्मेलन" है जो 1913 से प्रकाशित हो रही है और दूसरी पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित "विज्ञान" है जो 1915 से प्रकाशित हो रही है।

16. हिन्दी में पहला विश्वकोशी 1915–31 ई. में. 25 खण्डों में नगेन्द्र नाथ बसु ने प्रकाशित किया।

17. हिन्दी में स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम. ए.) सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन् 1918 में प्रारम्भ हुई और उस समय विभागाध्यक्ष पंडित सकल नारायण शर्मा थे।

18. हिन्दी विषय में सर्वप्रथम शोध प्रबन्ध सन् 1918 में लंदन विश्वविद्यालय में जे. एन. कारपेन्टर ने जमा किया।

19. भारत में सर्वप्रथम हिन्दी में एम. ए. की परीक्षा 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्री नलिनी मोहन सान्याल ने 60 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण की।

20. हिन्दी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने अक्तूबर 1947 में विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की।

21. हिन्दी में सर्व प्रथम क्रिकेट उद्घोषक श्री देवराज पुरी और ज्ञानेन्द्र नारायण हैं। यह कमेण्टरी सन् 1952 से प्रारम्भ हुई।

22. भारत में पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को संपन्न हुआ।

23. हिन्दी पत्रकारों के पहले संघ का जन्म 1940 में काशी में "काशी पत्रकार संघ" के रूप में हुआ और इसके पहले अध्यक्ष पं. कमलापति त्रिपाठी थे।

24. हिन्दी भाषा पर पहला डाक टिकट प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर 10 जनवरी 1975 में जारी किया गया जिसका मूल्य 25 पैसे था तथा वह गहरे भूरे व लाल रंग में छपा था। उसमें सरस्वती जी का चित्र अंकित है।

25. विदेशों में पहली बार "हिन्दी भाषा" पर डाक टिकट मारीशस में 28 अगस्त 1976 को जारी किया गया उसमें 10 व 15 सेंट के टिकट एक जैसे हैं। दोनों टिकटों में समुंद्र की लहरों पर तैरता अक्षर "अ" तथा एक जलता हुआ दीप प्रदर्शित है।

26. विदेशों में पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन मारीशस में 28 अगस्त 1976 में संपन्न हुआ जिसे द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन कहा जाता है।

27. पहली बार दृष्टिहीनों के लिए हिन्दी ब्रेल आशुलिपि जुलाई 1981 में दृष्टिबाधिता राष्ट्रीय संस्थान देहरादून ने तैयार किया और उसे ब्रेल विशेषज्ञों तथा भाषाविदों द्वारा स्वीकृति दी गई।

28. हिन्दी को योजना के विषय के रूप में सन् 1982 में शामिल किया गया।

29. हिन्दी में पहला शोध ग्रन्थ तकनीकी क्षेत्रों में प्रस्तुत करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्र श्री श्याम रुद्र पाठक जिन्होंने 1987 में बायोगैस पर शोध कार्य किया।

30. हिन्दी माध्यम से पहली बार एम. डी० की डिग्री लेने वाले डा मुनीश्वर गुप्ता हैं जिन्होंने सन् 1987 में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने डॉ. सरोजिनी नायडु चिकित्सा कालेज आगरा में "विकिरण चिकित्सा" पर शोध किया है।

31. तिब्बत की पहली हिन्दी पत्रिका "तिब्बत बुलेटिन" है जो अप्रैल व मई 1988 में शुरू हुई। यह पत्रिका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले से केन्द्रीय तिब्बत सचिवालय से प्रकाशित की जाती है। इसके संपादक अनेस्ट अल्बर्ट है।

32. हिन्दी दिवस के अवसर पर पहला डाक टिकट सितम्बर 1988 में जारी हुआ। जिसमें कमल की पत्तियों पर भारतीय भाषाओं के नाम अंकित हैं।

[टिप्पणी : यदि इन सूचनाओं में कोई असंगति या कोई अन्य तारीखें या परिवर्तन ध्यान में आएं तो कृपया अवश्य लिखें।]

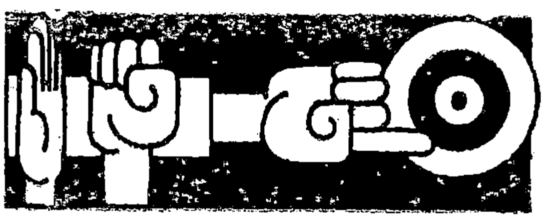

2701 HA/92—6

जहांगीर के शासन में हिन्दी

☐ डॉ. गोपाल शर्मा*

भारत के इतिहास में विभिन्न जाति-वर्गों के बीच क्रमश: समन्वय के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। यूनानी, शक, कुशान हूण आदि उत्तर-पश्चिम से आकर और किरात पूर्व से आकर बृहत् भारतीय समाज में समा गए। उनकी अलग पहचान नहीं रही। भारतीय धर्मों और वर्ण-व्यवस्था में भी वे समन्वित हो गए। इस्लाम पूर्व के अरबों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ। किन्तु परवर्ती काल में ईस्लाम धर्म को मानने वाले तुर्कों, फारसियों, पठानों के भारत में बस जाने पर समन्वय की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं हुई। हां, इस्लाम में ही भारतीय उपनिषद् के चिन्तन के समान सूफी सम्प्रदाय के रूप में एक क्रान्ति आई जिसका प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे बादशाहों ने इस ओर ध्यान दिया और यत्न भी किए। इसके लक्षण भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति में दिखाई पड़ने लगे। मुगल शासन के प्रशासन में भारत की अपनी भाषाओं का प्रयोग होता रहा। आज्ञाओं और शासकीय उपचारों में भारतीय लिपियों का प्रयोग भी होता रहा। परन्तु मुगल शासन काल में उच्च शासकीय स्तर पर प्रधानत: फारसी का वर्चस्व हो गया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि तत्कालीन भाषाएं विशेषकर राजस्थानी, ब्रज, अवधी और दक्खनी आदि दब गई। भौगोलिक, सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थितियों ने इनके प्रयोग को अनिवार्यता प्रदान की। उपर्युक्त लोकभाषाओं को हिन्दी का पूर्व रूप माना जाता है। संस्थानिक दृष्टि से इनका हिन्दी की बोलियों या उपभाषाओं की तरह वर्गीकरण किया जाता है।

मुगल काल में जातीय समन्वय धर्मों के स्तर पर उतना नहीं हुआ जितना कि सामजिक और सांस्कृतिक स्तर पर हुआ। सम्राट अकबर का भारत की मिट्टी से लगाव, धार्मिक उदारता, सामाजिक मेल-जोल, संगीत, साहित्य आदि के विकास के नए आयामों में प्रकट हुआ। कुछ हिन्दू धार्मिक मान्यताओं का स्वीकरण भी हुआ। समग्र दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम विवाह, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, संगीत कला का तेजी से उत्थान इन बातों का साक्षी है। जहांगीर और शाहजहां ने इन्हीं नीतियों का अनुसरण किया। अकबर विद्वानों का सम्मान तो करते ही थे, स्वयं भी कविता करते थे। जहांगीर में भी भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव था। आखिर वह राजा भारामल का नाती, राजा भगवानदास का भांजा और राजा मानसिंह की फूफी का बेटा था। जहांगीर की शिक्षा-दीक्षा के लिए कई विद्वान नियत थे। परन्तु सन 1582 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार अब्दुल रहीम खानखाना उसके अभिभावक नियुक्त किए गए।

डा. बेनी प्रसाद लिखते हैं कि रहीम से इस युवक ने फारसी-तुर्की के अलावा हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, उसे हिन्दी गीत बहुत पसंद आते थे। उसने आत्मचरित जाहांगीरनामा में बताया है कि ग्वालियर और मथुरा, जो श्रीकृष्णजी का निवास-स्थान है और जिनकी हिन्दू ईश्वर समझकर पूजा करते हैं, वहां के निवासियों की भाषा एक है और हिन्दुस्तान की अन्य भाषाओं से मधुर है। उस समय शाही खानदान के लोग "हिन्दी" अर्थात राजस्थानी या ब्रज मिश्रित हिन्दी का प्रयोग करते थे, परन्तु उन्हें फारसी की गहन शिक्षा दी जाती थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय, हदराबाद से प्रकाशित तारीख-ए-फरिश्ता चतुर्थ खण्ड में उल्लेख है कि "थोड़े ही जमाने में आलमपनाह ऐसी खूबसूरत फारसी बोलने लगे कि जब तक हिन्दी जबान में हाजिरीन न फरमाते हाजिरीन को यह मालूम होता था कि बादशाह ने तमाम उम्र सिवा फारसी के और किसी दूसरी जबान में गुफतगू नहीं फरमाई।" डा. रामबाबू शर्मा, जिन्होंने इस काल की राजभाषा पर अनुसंधान किया है, कहते है कि जब सम्राट सामूहिक मंच से अपने सामन्तों, सभासदों एवं जनता के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संबोधित करते थे तब प्राय: हिन्दी भाषा का ही व्यवहार करते थे।

प्रशासन में किन भाषाओं का प्रयोग होता था इसकी जनकारी हमें 'आजाद' साहब के "दरबारे-अकबरी" से मिलती है। यहां नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद से उद्धरण दिया जा रहा है। टोडरमल की जीवनी में उन्होंने लिखा है कि "पहले हिसाब-किताब का दफतर ठीक नहीं था। उसके सब काम उल्टे-पुलटे और अनिश्चित-से होते थे। जहां हिन्दू नौकर थे वहां का काम हिन्दी में चलता था और जहां विलायती नौकर थे वहां सब सब काम फारसी में होता था —लेकिन राजा टोडरमल ने यह निश्चय किया कि समस्त भारतवर्ष के दफ्तर केवल फारसी भाषा में हो जाएं।"

हिन्दी की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, अतीत में और आज भी। हमीं ने तब उसे सहभाषा की जगह ढकेला और आज भी हमीं उसे पीछे घिसटने को मजबूर किए हुए हैं। परन्तु जहांगीर और शाहजहां के राज्यकाल में हिन्दी का विस्तृत प्रयोग होता रहा। टोडरमल के यत्न से माल-गुजारी के अरबी-फारसी के पारिभाषिक शब्द साथ ही अनेक क्षेत्रों में सम्बद्ध जो शब्द, भारत की भाषाओं में प्रचलित हो गए थे अपनी जड़ जमा गए, चूंकि बादशाह का प्रशासन अनेक राजपूत राजाओं से और इतने बड़े इलाके की आम जनता से संपर्क रखता था। इसलिए विकसित होती हुई हिन्दी या राजस्थानी, ब्रज आदि के दस्तावेजों के जरिए फारसी, अरबी की प्रशासन-शब्दावली गांवों तक पहुंचने लगी। यहीं से रेखता के माध्यम से उर्दू की नींव दृढ़ हो चली।

जहांगीर के आत्मचरित से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मुगल शासक हिन्दी के महत्त्व को भली-भांति समझते थे। अपने एक सेवक के संबंध में जहांगीर ने कहा है "लाल कलावंत जो हमारे पिता (अकबर) की सेवा में बचपन से बड़ा हुआ था और जिसे उन्होंने हिन्दी भाषा का सब कुछ उच्चारण आदि सिखलाया था, पैंसठवें वर्ष में मर गया।'

उस जमाने में आज ही की तरह का प्रशासन मैन्युअल भी तैयार किया गया था। शुरुआत बादशाह अकबर ने 'अमल दस्तूर" (शाही आज्ञाओं) से की थी और जहांगीर ने अपनी ओर से बारह नियम और जारी किए थे। इस तरह की आज्ञाओं में लिखी हुई हिन्दी की कुछ बानगियां देखिए—

1. "और षुसामदी होई तसस्ये प्यार न करिए किस वास्ते जु षुसामदी से कुसी होई तिसका काम न पूरा होई।

2. और गुस्सा के बपत अकील की डोरी हाथ स्यो न देही।

3. पातसाही अर सिरदारी का तात्पर जई है जो षलक की रखाली करै।

4. सब धर्म के अतीत हैं तिन सब ही कों प्यार रखैं।"

जहांगीर ने अपने जमाने में वाकिया नवीस नामक गुप्तचर सारे राज्य में फैला रखे थे। वे अपनी-अपनी रिपोर्टें तरह-तरह की भाषाओं में भेजते थे। उनमें से अधिकांश तत्कालीन हिन्दी में होती थीं। शाही वकील या दीवान उनको बादशाह के सामने पेश करते थे। कभी-कभी ये रिपोर्टें झूठी भी होती थीं और केवल बादशाह को खुश करने की दृष्टि से भेजी जाती थीं। इस बारे में लिखा गया है—

"झूठ बोलिकर साहिब का मन षुस्याल करें" चूंकि उस समय प्रशासन में द्विभाषिक स्थिति थी इसलिए हो सकता है कि कुछ शाही आज्ञाएं पहले फारसी में तैयार होती हों और बाद में हिन्दू इलाकों में उनका हिन्दी तर्जुमा भेजा जाता हो, परन्तु जो कागजात बीकानेर और जयपुर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, वे शासन में हिन्दी के प्रयोग के प्रमाण हैं।

जहांगीर के शासन की एक ख्यात इस बात की साक्षी है कि उस समय प्रशासन में विकासमान हिन्दी का रूप क्या था -संभवत: बादशाह ने हिन्दी ख्यातें तैयार करने के लिए एक अलग दफ्तर ही बना दिया था—उस जमाने में ख्यातों और पंचनामों की भाषा कुछ इस तरह की होती थी—

"पातसा—साहजादारी परगना सोह तगीर किया—तबे पातसाही लाहौर आयो-खबर हुई साहजादो फिरियो।"

जो पंचनामे हिन्दी राजाओं द्वारा या हिन्दुओं के साक्ष्य में लिखाए जाते थे उनमें संस्कृतनिष्ठता होती थी, जैसे—

सवंत् 1669 समये कुंअर सूदी तरसी बार शुभ दिने लिखीत पत्र आनन्द राम तथा कन्हई के अंश विभाग-मेरो प्रणाम दुहुन जने विदित तफसील अंश टोडरमल के इत्यादि। तात्पर्य यह है कि उनमें शासन के फारसी के शब्दों के साथ इबारत में संस्कृतनिष्ठ परम्परागत रूपों की प्रधानता होती थी। रजवाड़ों में तो परम्परागत शैली के ही पत्र लिखे जाते थे—

सिद्ध श्री 108 स्वस्ति श्री संवत् वर्षे माघ सुदि 8 गुरी अद्येव—

जहांगीर ने अपने पिता ही की तरह शाही पुस्तकालय को प्रसिद्ध ग्रन्थों और पाण्डुलिपियों से समृद्ध किया। साहित्य और संस्कृत के उत्थान के लिए जहांगीर के शासनकाल में सम्राट अकबर के समय की तरह ही अनुकूल वातावरण रहा। मुसलमानों ने हिन्दी में साहित्य रचना की और हिन्दुओं ने फारसी में।

इस लेख में साहित्य का उल्लेख नहीं किया जा रहा वह अलग विषय है। यहां राजभाषाओं के विकास पर ही दृष्टि केन्द्रित की गई है, अतएव उचित होगा कि इस प्रसंग में जहांगीर के शासनकाल के चुने हुए सरकारी पत्राचार और पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया जाए।

अर्जदाश्त—मुगल सम्राट की आज्ञाओं से लिखी जाती थी, परन्तु य आदेशात्मक न होकर अनुरोधात्मक होती थीं। बादशाह का मन्तव्य वकील अपनी भाषा में सम्बद्ध नरेशों तक पहुंचाता था। इसलिए इन्हें हुक्मनामे नहीं कहा जा सकता।

फरमान—ये आदेश अहकाम (हुकुम से बना शब्द) भी कहलाते थे। इन्हीं में कुछ अहकाम शबका भी होते थे जो बादशाह की ओर से किसी अमीर या सरदार के नाम लिखे जाते थे। जो फरमान या अहकाम बादशाह को छोड़कर किसी शाहजादे या वजीर द्वारा भेजा जाता था उसमें "हस उल हुकम" लिखना आवश्यक था जैसा कि अंग्रजों के जमाने में By order the victory वगैरह हुआ करता था।

दस्तक—सामान लाने ले जाने या शिविर या दरबार में प्रवेश के लिए छोटा आज्ञापत्र होता था, इसे आज के एण्ट्री-पास के समकक्ष माना जा सकता है।

सुतुश अहलकारान—यह मातहतों की एक प्रकार की रपट होती थी जिसकी भाषा इस प्रकार की होती थी—"साहिब में सुबह ही गश्त को सुवार हुआ था सो सबवन भुसवार, लालपुर व सोवन वेरे होयउ डामरी होय शाम को डेरे आयाजी।

(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की मासिक पत्रिका 'राष्ट्रभाषा' जनवरी, 1992 से साभार)

विश्व हिन्दी दर्शन

फीजी में हिन्दी की यात्रा

□ब्रह्मदत्त स्नातक*

अब से 4 वर्ष पूर्व 14 मई, 1987 को फीजी में प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित नेशनल फेडरेशन पार्टी और लेबर पार्टी की संयुक्त सरकार का तख्ता ब्रिगेडियर सितीवेनी राम्बूका ने पलट दिया था। दूसरी बार पुनः उस देश में असैनिक सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। हमें तब बताया गया था कि फीजी के लिये एक नया संविधान प्रकाशित होकर लागू है और उससे पहले ही वहां के भारतीय उच्चायोग को तानाशाह एवं नस्लवादी फीजी सरकार ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया। समस्त भारतीय कर्मचारी स्वदेश लौट आए।

प्रचलित संविधान के अन्तर्गत फीजी द्वीप समूह में हिन्दी का क्या स्थान है, इस विषय में संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है।

फीजी में हिन्दी की यात्रा उस देश में अब से 114 वर्ष पूर्व भारतवंशियों के फीजी में पहुंचने के साथ आरम्भ हुई थी। फीजी में गन्ने की खेती के लिय इन भारतवंशियों को शर्तबन्द कुली प्रथा के अन्तर्गत लवेनीदास नामक समुद्रीपोत से कलकत्ते के मटियाबुर्ज बंदरगाह से ले जाया गया था। तत्कालीन भाषा में इनको तब "गिरमिटिया" कहा जाता था। इस शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रजी के "एग्रीमेन्ट" शब्द से हुई है। एग्रीमेन्ट यानी शर्तनामे के अंतर्गत इन लोगों को 5 साल के लिये गन्ने की खेती करने फीजी में ले जाया गया था, और उसके बाद 10 एकड़ भूमि उन्हें कृषि के लिये दे दी जाती थी या वे अन्य स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते थे। अधिकांश भारतवंशियों ने नए देश को अपनाकर उसके विकास में तन-मन-धन लगा दिया। इस प्रथा के 1926 में समाप्त होने तक 60,000 भारतवंशी फीजी पहुंच चुके थे। वर्तमान में फीजी की कुल जनसंख्यां साढ़े सात लाख में से साढ़े तीन लाख से अधिक भारतवंशी वहां रहते थे। नस्लवादी सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से और दमन से हजारों भारतवंशी फीजी से बाहर चले गए।

फीजी में हिन्दी की यात्रा भी व्यथापूर्ण है। गन्ने के खेतों के मालिक आस्ट्रेलिया के गोरों की एक वहां कम्पनी थी। ये गोरे इन मजदूरों पर अमानवीय और पशुतापूर्ण अत्याचार करते थे। 10 पुरुषों में 3 या 4 स्त्रियों के अनुपात से लाए गए उन मजदूरों में गिरमिटिया पुरुषों एवं स्त्रियों को गोरे और उनके भारतीय एजेंटों के अत्याचारों और वासना का शिकार बनना पड़ता था। इस शताब्दी के दूसरे दशक में वहां ऐसी एक भारतीय नारी का उदाहरण मिलता है, जिसने बलात्कार के बाद लज्जा व अपमान के कारण आत्महत्या कर ली थी। फीजी के तत्कालीन समाज में लोकभाषा में रचित "सीता करे पुकार" शीर्षक गीत से उक्त पीड़ा गाई जाती थी। फीजी से लौटे गिरमिटिया पं. तोताराम सनाढ्य की फीजी में "मेरे 21 वर्ष नाम" पुस्तक में यह कविता पढ़ने को मिलती है।

फीजी में पहुंचने वाले गिरमिटियों में 60 प्रतिशत से अधिक हिन्दी भाषी प्रदेशों यथा बिहार, पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के थे। शेष लोग दक्षिण भारत के राज्यों एंव महाराष्ट्र से वहां पहुंचे थे, परन्तु विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे और विभिन्न धर्मावलम्बी इन सारे भारतवंशियों की सम्पर्क भाषा हिन्दी ही थी। इस हिन्दी का स्वरूप भारत वर्ष की खड़ी बोली या हिन्दी की साहित्यिक भाषा नहीं थी। उसमें अवधी, मगही तथा अन्य बोलियों के शब्द प्रचुरता से पाए जाते हैं। यह भाषा आज सारे फीजी में समझी व बोली जाती है और परस्पर संवाद के लिए नए शब्द भी उसमें गढ़े जाते रहे हैं।

1981 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की फीजी यात्रा के दौरान उत्सुक काईबीती (मूल निवासी) स्त्री-पुरुष हमसे पूछते थे—इन्दिरा बहिनी कब आई? इस प्रकार की वाक्य रचना का आधार मुख्यतः अवधी रही। गिरमिटियों की गिनती या हाजिरी लिखने वाला मेट या सुपरवाइजर वहां कोलम्बर

जारी पृष्ठ 55...

*सी—4 बी/332/बी-जनकपुरी दिल्ली-58

समिति समाचार

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. कल्याण मंत्रालय

कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाकार समिति की दिनांक 9-6-92 को हुई बैठक में प्रस्तुत 31-3-1992 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट :—

कार्यालय का नाम	हिन्दी पत्राचार (हिन्दी में प्राप्त पत्रों के संबंध में)		
	कुल पत्र	हिन्दी	अंग्रेजी
1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली	46	18	—
2. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली	50	44	—
3. अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली	40	7	—
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली	859	589	—
5. पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	11	7	—
6. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	647	375	—
7. भारतीय कृत्रिम अंग, निर्माण निगम, कानपुर	212	147	—
8. भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, इलाहाबाद (उ.प्र.)	126	25	—
9. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण वि.सं. बम्बई	271	73	—
10. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता	3	2	—
11. रा. पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उड़ीसा	19	12	—
12. रा. मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद	60	39	—
13. टाइफेड	20	7	12
14. एन.एस.एफ.डी.सी.	52	31	—
15. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	इस निगम में अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है।		

2. संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की छठी बैठक दिनांक 22 जनवरी, 1992 को संसद भवन नई दिल्ली में श्री गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :—

1. श्री पी.आर. कुमारमंगलम संसदीय कार्य तथा विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य राज्य मंत्री — सदस्य
2. श्री राधा कृष्ण मालवीय संसद सदस्य, (राज्य सभा) — सदस्य
3. श्री अर्जुन सिंह यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
4. श्री सुधाकर पाण्डेय, भूतपूर्व सांसद, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी — सदस्य
5. श्री मिर्जा ईर्शाद, भूतपूर्व सांसद; — सदस्य
6. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी भूतपूर्व सांसद — सदस्य

7. श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली — सदस्य

8. डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद, आन्ध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर विशाखापटनम — सदस्य

9. डा. विलट पासवान शास्त्री, रीडर, हिन्दी विभाग, पटना कालेज, पटना — सदस्य

10. श्री अवध बिहारी सिंह, वाराणसी — सदस्य

11. श्री आर. श्रीनिवासन, सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

12. श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (नीति) राजभाषा विभाग — सदस्य

13. श्री जी.पी. सुब्रह्मण्यम, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

14. श्री देव राज तिवारी, उप सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य-सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने यह कहा कि हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय में वर्ष 1989-90 के दौरान हिन्दी में अधिक कार्य करने के लिये इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उप-राष्ट्रपति द्वारा 28-11-1991 को प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि पिछली बैठक के आश्वासन के अनुसरण में अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता के पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीया और तृतीय पुरस्कार के लिये रु. 1000/- से रु. 2100/- रु. 750/- से रु. 1500/- और रु. 500/- से रु. 1100/- बढ़ा दिया गया है। आज पुरस्कार विजेताओं को बढ़ी हुई राशि के पुरस्कार दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपने विचार प्रकट करने को कहा।

28-10-91 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत पर कार्रवाई

(क) केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठक

श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग ने समिति को सूचित किया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है और पुनर्गठन के पश्चात् समिति की बैठक बुलाई जायेगी।

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के हिंदी में सबटाइटल

सदस्यगण मामले में की गई कार्रवाई से संतुष्ट थे परन्तु उन्होंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि वह इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्री को शीघ्र कार्रवाई करने के लिये स्मरण कराएंगे। अध्यक्ष महोदय ने ऐसा करने का आश्वासन दिया।

(ग) संविधान सभा के वाद-विवाद का हिंदी रूपांतर

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वह स्वयं इस मामले में अध्यक्ष लोक सभा से बातचीत करेंगे।

(घ) संविधान में राजभाषा से संबंधित संविधान सभा के अनुच्छेद का प्रकाशन

श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (नीति) (राजभाषा विभाग) ने सूचित किया कि वह इस मामले में पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह सुझाव दिया कि यह प्रकाशन हिन्दी में किया जाये और यदि आवश्यक हो तो अंग्रेजी के भाग का हिन्दी रूपान्तर करवाया जाये।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम, संसदीय कार्य और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य राज्य मंत्री ने सुझाव दिया कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के राजभाषा खण्ड की आवश्यक सहायता ली जा सकती है।

30 सितम्बर, 1991 को समाप्त तिमाही के दौरान मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल ने कहा कि मंत्रालय पहले ही हिन्दी में सराहनीय कार्य कर रहा है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया गया प्रथम पुरस्कार इस तथ्य की पुष्टि करता है। श्री सुधाकर पाण्डेय ने भी कहा कि मंत्रालय हमेशा अपने हिन्दी के कार्य की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करता रहा है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की सभी ने सराहना की।

(क) श्री सुधाकर पाण्डेय ने मंत्री महोदय का ध्यान पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के फलस्वरूप सहायकों और अनुवादकों के वेतनमान में उत्पन्न विसंगति की ओर दिलाया।

श्री सर्वेश्वर झा ने सूचित किया कि इस विसंगति को दूर करने के लिये एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय के लिये प्रयत्न करेंगे।

(ख) श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त लेखों को सरकारी पत्रिकाओं में छपवाया जाये। श्री सर्वेश्वर झा ने आश्वासन दिया कि इन्हें राजभाषा भारती में छपवाया जायेगा।

(ग) श्री देव राज तिवारी, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सदस्यों से प्रार्थना की कि वह अगली बैठक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता के लिये विषयों का सुझाव दें।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53वीं बैठक दिनांक 26-3-1992 को हुई। बैठक की अध्यक्षता उप सचिव (प्रशासन) श्रीमती सरोज कपूर ने की।

अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि कार्य-सूची टिप्पण को देखते हुए लगता है कि मंत्रालय और इसके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति में सुधार लाने के वास्ते और प्रयास करने की जरूरत है। विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

1. भारतीय मानक ब्यूरो में कम्प्यूटरों को द्विभाषी करने के लिए कार्यवाही की जाए।
2. मंत्रालय में हिंदी टइपराइटरों की आवश्यकता को देखते हुए देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद की जाए।
3. सुपर बाजार, नई दिल्ली द्वारा अपने कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी कार्यशाला के आयोजन पर उनकी सराहना की गई तथा निर्णय किया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो आदि अन्य कार्यालयों में भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि. जुलाई, 1992 में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करे।
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से कोई प्रतिनिधि अधिकारी बैठक में भाग लेने के वास्ते उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में उक्त कार्यालय के कार्य से संबंधित प्रभारी उप सचिव की तरफ से पत्र जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जाए।
5. मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को समय से (अर्थात् तिमाही समाप्त होने के बाद वाले माह की 10 तारीख तक) भेज दी जाए।
6. मंत्रालय से जारी किए जाने वाले चैक पहले हिंदी में जारी किए जाते रहे हैं। हिंदी में चैक जारी करने का कार्य पुनः शुरू किया जाए। भविष्य में भुगतान तथा लेखा अधिकारी को मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाए।
7. भारतीय मानक ब्यूरो में हिंदी की पुस्तकों की खरीद के लिए की जा रही कार्यवाही से संबंधित कागजात मंत्रालय में उप सचिव (प्रशासन) को दिखाए जाएं तथा खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की सूची भेजी जाए।
8. भारतीय मानक ब्यूरो में हिंदी की प्रगति के संबंध में जायजा लेने के लिए मंत्रालय के प्रभारी उप सचिव तथा उप निदेशक (राजभाषा) मई, 1992 में भारतीय मानक ब्यूरो की निरीक्षण/दौरा करने का कार्यक्रम बनाएं।
9. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची को लिखा जाए कि वे संस्थान में (1) प्रशिक्षण सामग्री का मानदेय आधार पर हिंदी में अनुवाद/पुनरीक्षा करने, (2) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की संभावनाओं का पता लगाने और (3) संस्थान में हिंदी का गहन पाठ्यक्रम चलाने के बारे में एक प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ तत्काल भेजें।
10. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नई दिल्ली द्वारा हिंदी में किए जाने वाले पत्राचार में गिरावट आई है। मंत्रालय के प्रभारी उप सचिव की तरफ से एक पत्र उन्हें भेजा जाए तथा इसके बारे में पूछा जाए।
11. वायदा बाजार आयोग, बम्बई में हिंदी के प्रयोग की स्थिति में गिरावट आई है। उक्त कार्यालय की प्रगति का जायजा लेने के लिए उक्त कार्यालय का निरीक्षण दौरा किया जाए।
12. मंत्रालय के कुछ अवर सचिवों ने बैठक में भाग नहीं लिया। उप सचिव (प्रशासन) की तरफ से उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए।
13. मंत्रालय के बी.आई.एस. अनुभाग द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय को हिंदी में पत्र भेजे जाएं।
14. भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय स्तर पर अपने टंककों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षण देता है। निदेशक (सहकारिता) भारतीय मानक ब्यूरो के उप महाप्रबंधक से इस संभावना का पता लगाने की दृष्टि से विचार-विमर्श कर लें कि क्या मंत्रालय के अन्य किसी कार्यालय के टंककों को वहां प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जा सकती है।

बैठक के अंत में अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें।

2. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक दिनांक 30-3-1992 को आयोजित हुई।

चर्चा आरम्भ करते हुए अध्यक्ष श्री आर.एस.वी. सुब्रहमण्यन् निदेशक ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए पिछली तिमाही रिपोर्टों की तुलना की। उन्होंने इस

बात के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की, कि अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या हिन्दी में भेजनेवाले पत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। इसका कोई संतोषजनक उत्तर न पाने पर उन्होंने यह निदेश दिए कि एक सामान्य आदेश जारी किया जाए कि अधिक से अधिक पत्र हिन्दी में भेजे जाएं। इस आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया जाए कि कौन-कौन से क्षेत्रों में हिन्दी में पत्र भेजे जाने आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी निदेश दिए कि सुविधा के लिएं पोस्टर बनाकर यथास्थान प्रत्येक कमरे में लगाए जाएं जिनमें इस बात का उल्लेख हो कि किन क्षेत्रों में हिन्दी में पत्र भेजे जाने चाहिए। उन्होंने प्रत्येक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि राजभाषा विभाग ने जो अनुदेश जारी किए हैं उनका अनुपालन अनिवार्य है।

हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में डा. कुलवन्त सिंह ने यह सुझाव दिया कि किसी भी पाठ्यक्रम के आरम्भ होने वाले दिन या नामांकन प्रपत्र में इस बात की जानकारी हासिल की जाए कि कितने प्रशिक्षणार्थी किस भाषा में प्रशिक्षण चाहते हैं। अध्यक्ष ने इस सुझाव की सराहना की और आदेश दिए कि इसके संबंधित आंकड़े रखे जाएं कि कितने प्रशिक्षणार्थी केवल हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण चाहते हैं, कितने केवल अंग्रेजी में और कितने मिले-जुले माध्यम से, जिससे कि भविष्य में इनका उपयोग किया जा सके।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह एक प्रशिक्षण संस्थान है और यहां केवल एक ही अनुभाग है, प्रशासन अनुभाग जिसकी जानकारी तिमाही रिपोर्ट में दी जाती है जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है यह आशा की जाती है कि सभी संकाय-सदस्य प्रशिक्षण से संबंधित कार्य हिन्दी/द्विभाषी कर रहे हैं। इस बात को तिमाही प्रगति रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया जाए।

जहां तक संस्थान में कार्यशाला किए जाने का प्रश्न था अध्यक्ष ने यह महसूस किया कि फिलहाल कोई कार्यशाला आयोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक हिन्दी पुस्तकों की खरीद का प्रश्न है यह पाया गया कि इस संबंध में प्रगति सन्तोष जनक हुई है।

आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण पर भेजने के संबंध में अध्यक्ष ने यह निदेश दिए कि अगले पाठ्यक्रम में एक आशुलिपिक को प्रशिक्षण के लिए अवश्य नामित किया जाए।

3. अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली

अल्पसंख्यक आयोग की विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक दिनांक 31-3-92 को संयुक्त सचिव श्री अशोक पाहवा की अध्यक्षता में हुई।

समिति की पिछली बैठक दिनांक 27-12-91 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने इस बात पर पुनः बल दिया, कि हिन्दी में आए पत्रों का उत्तर एवं "क" और "ख" क्षेत्रों को अनिवार्यतः 100% पत्रादि हिन्दी में भेजे जाएं।

अध्यक्ष ने आयोग के अनुभागों, अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यालय से भेजे गए हिन्दी पत्रों की जांच करके यह आदेश दिया कि हिन्दी पत्रों का प्रतिशत बहुत ही कम है, अतः इस मुद्दे पर अधिक प्रयास करना नितान्त आवश्यक है।

कल्याण मंत्रालय को हिन्दी टाइपिस्ट (अवर श्रेणी लिपिक) के पद के सर्जन हेतु समय-समय पर अर्धसरकारी पत्र लिखे जाने के संदर्भ में, अध्यक्ष ने आदेश दिया, कि कल्याण मंत्रालय को पुनः अर्धसरकारी अनुस्मारक भेजा जाए।

अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अप्रैल, 92 माह में हिन्दी पुस्तकों की खरीद की जाए।

अध्यक्ष ने सभी अनुभागों के साथ-साथ विशेष तौर पर अनुसंधान अधिकारी को यह निदेश दिया कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर तथा जिन आवतियों पर फिलहाल कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, उनकी पावती हिन्दी में जारी करें।

अध्यक्ष ने सभी अनुभागों को निदेश दिया कि जिन फाइल कवरों पर लिखे विषयों का द्विभाषीकरण शेष है, उनका तत्काल द्विभाषीकरण किया जाए। इस कार्य में यदि कोई असुविधा हो तो हिन्दी अनुवादक की सेवाएं लें।

हिन्दी के फार्मों का पूर्णरूपेण प्रयोग किया जाए।

अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से पुनः अनुरोध किया कि वे हाजिरी और वेतन/भत्ता रजिस्टर में हिन्दी के आद्यक्षर करें।

1. आयोग के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में यह निदेश दिया गया कि हिन्दी में आए पत्रों एवं "क" और "ख" क्षेत्रों को अनिवार्यतः 100% पत्रादि हिन्दी में भेजे जाएं।

हिंदी पुस्तकों की खरीद

हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबध में अध्यक्ष ने अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और हिन्दी अनुवादक की एक टीम बनाने का आदेश दिया, जो हिन्दी पुस्तकों के क्रय का निर्णय लेगी। अध्यक्ष ने यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि हिन्दी पुस्तकों का क्रय अप्रैल, 92 माह में ही हो।

हिंदी पत्राचार

अध्यक्ष ने सभी अनुभागों के प्रभागाध्यक्षों को यह निदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी में आए पत्रों के उत्तर तथा "क" एवं "ख" क्षेत्रों को अनिवार्यतः पत्र हिन्दी में भेजे जाएं तथा अधिक से अधिक पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को अनिवार्यतः एक साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाए।

नोडल अधिकारी की नियुक्ति

अध्यक्ष ने हिन्दी में कार्य में हुई प्रगति को आंकने और समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. बेलगांव (कर्णाटक)

दि. 6-3-92 को आयकर आयुक्त श्री राज कुमार जी, अध्यक्ष नराकास, बेलगांव की अध्यक्षता में नराकास की द्वितीय बैठक हुई।

35 कार्यालयों में से करीबन 32 कार्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनमें से 15 कार्यालयों के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष ने कहा कि अनुपस्थित कार्यालय से उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा और जो कार्यालय अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं है उन्हें अगली बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह करते हुए अर्द्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा

अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय को वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी प्रलेखों को द्विभाषी में जारी करने पर विशेष बल देना चाहिए। उनका यह भी आग्रह था कि राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब संघ के सरकारी कार्यालयों का कार्य राजभाषा हिंदी में होने लगेगा। इससे पूरे भारत में हिंदी सीखने-सिखाने के कार्य में गति आएगी और संपर्क भाषा से एकता अपने आप आ जाएगी।

उप आयकर आयुक्त और सचिव (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) का आग्रह था कि हिंदी शिक्षण योनजा के अन्तर्गत टाईपिंग/आशुलिपि की ली जानेवाली परीक्षा का केन्द्र बेलगांव में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्र की संपूर्ण व्यवस्था करने व परीक्षा के लिए आवश्यक टाइप मशीन आदि की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई।

सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री जे. आर. पांडेय ने शंकाओं का समाधान किया। सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति व उप आयकर आयुक्त श्री मन्नूकर जी के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

2. हैदराबाद (बैंक)

आंध्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, हैदराबाद के संयोजकत्व में हैदराबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) की 13वीं बैठक दि. 3-3-92 को हुई। बैठक की अध्यक्षता आंध्र बैंक के महाप्रबंधक ने की। बैठक में स्वागत भाषण, पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, सदस्य-कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के समीक्षा, नराकास की ओर से हिंदी शिक्षण की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा में भाग लेनेवाले बैंक/कार्यालयों में से 5 बैंकों को राजभाषा शील्ड भी नराकास की ओर से प्रदान की गई।

उक्त बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय, बेंगलूर के उप निदेशक, डॉ. नवल किशोर शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए कारपोरेशन बैंक, ट्रावनकोर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक आफ मैसूर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जिनकी रबड़ की मोहरें भी अभी केवल अंग्रेजी में ही पाई गई। 24 प्रगति रिपोर्टों की सामान्य समीक्षा के दौरान अपने भाषण में उन्होंने निम्नलिखित विषयों की ओर कायलियों का ध्यान आकर्षित किया और उनसे उचित कदम उठाने का अनुरोध किया:—

1. हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण में जिन अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना बाकी है, उसे पूरा किया जाए।

2. ऐसे बहुत से कार्यालय हैं जिनमें 80% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी जानते हैं उन कार्यालयों के प्रमुखों को चाहिए कि वे अपने कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराने की कार्रवाई करें।

3. कार्यालय प्रमुख स्वेच्छा से कुछ ऐसे कार्यों का निर्धारण करें जिन्हें केवल हिंदी में किया जाए या किया जा सकता है। ऐसे अनुभाग कालान्तर में राजभाषा नियम 8(4) में भी विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

4. कई कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समिति गठित नहीं की गई है। यह सुनिश्चित किया जाय कि छोटे, बड़े सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समिति गठित की जाय और उसकी बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में हो ताकि हिंदी की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकें।

5. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने वाले पत्र, नोटिस आदि हिंदी और अंग्रेजी में हों क्योंकि इस पर अधिकतर वही सामग्री लगाई जा रही है जो जनता और कर्मचारियों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। यह राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन के संदर्भ में भी आवश्यक है।

6. बैंकों के आपसी पत्र व्यवहार में तथा शाखाओं/अनुभागों के पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने और बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किये जाएं।

7. बैंकों की शाखाओं में काम आने वाले रजिस्टरों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जाये। सभी प्रकार के खाता रजिस्टरों में ग्राहक/खातेदार का नाम देवनागरी लिपि में भी लिख दिया जाये तो हर रजिस्टर के हर पन्ने पर हिंदी दिखाई देगी और उससे प्रेरणा लेकर भविष्य में और अधिक काम हिंदी में हो सकेगा।

नगर में हिंदी कार्यशालाओं के सुगमता से संचालन के लिए ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों का पेनल बनाने का भी सुझाव दिया गया, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रूप से सहयोग अन्य कार्यालयों को दे सकते हैं।

यह भी निश्चय किया गया कि नराकास विभिन्न बैंकों के माध्यम से विविध कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करें।

वर्ष 1991-92 की शील्ड देने के संबंध में यह निश्चय किया गया कि स्थानीय हिंदी अधिकारियों की एक बैठक शीघ्र ही हो, (हो सके तो 28 मार्च 1992 को आयोजित की जाये)। जिसमें उन मानदंडों पर विचार हो जिसके आधार पर भविष्य में शील्ड दी जानी है। इस के लिए एक प्रपत्र भी सर्वसम्मति से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. मैसूर

दिनांक 24-1-92 को अध्यक्ष नराकास व निदेशक भाषा संस्थान की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का आग्रह किया और कार्यालय अध्यक्षों की बैठक में उपस्थिति पर जोर दिया। नराकास के कुल 37 सदस्यों में से 35 सदस्य उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए और नित्य प्रति कार्यालय के व्यवहार में अंग्रेजी-हिंदी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बिना हिचक करना चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि कार्यालय अध्यक्षों को बैठक में भाग लेना चाहिए। कई सदस्यों ने यह ध्यान दिलाया कि उनके कार्यालय में हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अधिकारी आदि के पद रिक्त पड़े हैं, उसके कारण काम में गति नहीं आ रही है। विभाग की ओर से यह बताया गया कि संबंधित कार्यालयों का मुख्यालय और प्रधान कार्यालय या मंत्रालय इन पदों को भरता है। अतः उनसे निवेदन किया जाए और इसी बीच टाइपिस्टों को और आशुलिपिकों को प्रशिक्षित कर उनसे काम करवाया जाए। साथ ही, यह भी निवेदन किया गया कि जो कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षित है, उनसे उन्हें कम से कम 30% कार्यालय का कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तिमाही रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को नियमित रूप से भेजने का आग्रह किया गया।

4. विजयवाड़ा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विजयवाडा की बैठक दि. 6-3-92 को मंडल रेल प्रबंधक श्री फारूकी की अध्यक्षता में हुई जिसमें गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय कार्यान्वयन, कार्यालय, बेंगलूर के उप निदेशक (का.) डा. नवल किशोर शर्मा ने भाग लिया।

43 सदस्य कार्यालयों में से सांख्यिकीय सूचना केवल 16 कार्यालयों से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्टों पर विस्तार से चर्चा हुई। रिपोर्टों की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि प्राप्त रिपोर्टें प्रायः अधूरी हैं और उन्हें जिस ढंग से भरा गया है वह बड़ा गैर-जिम्मेदाराना ढंग है। इस बात पर जोर दिया गया कि रिपोर्टें सही ढंग से भरी जाएं क्योंकि अधूरी और गलत आंकड़ों वाली रिपोर्टों से प्रगति का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता।

सभी कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने यहां देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी करें। इस बात पर भी बल दिया गया कि टंककों/आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती तब तक केवल हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों द्वारा ही की जाए जब तक कि भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में इनका अनुपात अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों की तुलना में निर्धारित लक्ष्य तक पूरा न हो जाए।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन दृढ़ता से करने पर बल दिया गया और इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। उप निदेशक (का.) ने कहा कि कार्यालय के नोटिसबोर्डों और वाहनों आदि पर जो भी कुछ लगाया जाता है वह सब जनता अथवा कर्मचारियों की जानकारी के लिए लगाया जाता है। इसलिए वह सारी सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में होनी चाहिए। कुछ कार्यालयों ने अपनी रिपोर्टों में इस मद के आगे भी (.....) दिखा रखा था। न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. की रिपोर्ट में हिन्दी में प्राप्त पत्रों में से 50% के उत्तर हिन्दी में दिखाए गए थे। उप निदेशक (का.) ने विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाने और उनके प्रभावशाली ढंग से काम करने पर विचार किया जाए। उन्होंने यह भी चाहा कि जिन कार्यालयों में 80% से

अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं उन कार्यालयों को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने के दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएं । वीकर्स सर्विस सेंटर, डिवीजन इंजीनियर कोकचल जैसे कुछ कार्यालयों में अभी रबड़ की मोहरें केवल अंग्रेजी की है उन्हें फौरन द्विभाषी बनवाया जाए । हिन्दी कार्यान्वियन के लिए पदों के सृजन हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया । बहुत से कार्यालयों में अभी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू नहीं की गयी हैं । अनुरोध किया गया कि प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं और ऐसे कदम उठाएं जाएं जिनसे अधिक से अधिक कर्मचारी रूचि लें। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जायें । कार्यशालाओं के सहज और सुचारू सचालन के लिए नगर में कार्यरत ऐसे अधिकारियों और विद्वानों की सूची समिति सचिवालय स्तर पर तैयार की जाए जो कार्यालयों/बैंकों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में व्याख्यान दे सकें और हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में कर्मचारियों को व्यावहारिक सहयोग दे सकें ।

उप निदेशक (का०) ने अन्त में यह सुझाव दिया कि आगामी हिन्दी दिवस/सप्ताह के अवसर पर सरकारी एवं सार्वजनिक हित के आधार पर स्थानीय नगरपालिका से अनुमति लेकर नगर भर में बिजली/टेलीफोन के खंभों पर हिन्दी से संबंधित छोटे/बड़े बोर्ड कार्यालय द्वारा लगवाए जाएं। इस दिशा में ठीक वैसे ही प्रयास किए जाएं जैसे आजकल पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाने और उन्हें पोषण हेतु अपनाने के लिए प्रचार चल रहा है ।

सदस्य कार्यालयों द्वारा उठाई गई शंकाओं, प्रश्नों के समाधान के बाद अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई ।

5. पालघाट

पहली बैठक श्री सूर्यनारायणन, मंडल रेल प्रवन्धक की अध्यक्षता में दिनांक 3-4-1992 को हुई। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से श्री राम चन्द्र मिश्र; उप निदेशक (का.) (कोचीन) श्री धर्मलिंगम्, : सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, श्री राधाकृष्णन् , : सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना और श्री महेश कुमार; उपमुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य इंजीनियरी ने भाग लिया । बैठक का संचालन श्री कुजप्पन व राजभाषा अधिकारी ने किया।

बैठक का शुभारम्भ प्रार्थना से हुआ तथा मंडल रेल प्रबन्धक श्री सूर्यनारायणन् ने दीप प्रज्वलित किया । तत्पश्चात् सदस्यों ने स्वपरिचय दिया ।

सदस्य सचिव ने स्वागत किया । चूंकि यह प्रथम बैठक थीं अतः बैठक परिचयात्मक प्रकार की रही जिसमें सदस्य संचिव तथा उपनिदेशक ने विस्तार से समिति के कार्यकलाप, राजभाषा नीति और भेजे जाने वाले विवरण, उपस्थिति आदि की जानकारी दी । श्री सूर्यनारायणन् ने समिति को महत्त्वपूर्ण समिति बताते हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि समिति को प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों के कारगार सहयोग की जरूरत है जिससे हम समिति के गौरव को बढ़ा सकेंगे और जिस प्रकार रेलवे में प्रशंसनीय उपलब्धि हुई है उसी प्रकार अन्य कार्यालयों में प्रगति हो सकेगी। अन्य कार्यालयों की प्रगति से ही समिति की प्रगति परिलक्षित होगी किन्तु उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि समिति अपना दायित्व निभाएगी ।

श्री राधाकृष्णन्, : सहायक निदेशक, (हिन्दी शिक्षण योजना) ने हिन्दी शिक्षण योजना के बारे में जानकारी देते हुए सदस्य कार्यालयों से सहयोग देने का अनुरोध किया जिसमें हिन्दी, टाइप व शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण पूरा हो सके ।

बैठक का समापन भी गीत गायन से हुआ तथा श्रीमती लता गोपीनाथ ने धन्यवाद दिया ।

6. कण्णूर

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, कण्णूर की वर्ष 1991-92 की दूसरी बैठक मंडल प्रवन्धक श्री प्रभु, सिंडिकेट बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 6-3-1992 को हुई। राजभाषा विभाग की ओर से उप निदेशक (कार्यान्वियन दक्षिण-पश्चिम) श्री राम चन्द्र मिश्र और श्री पी. एम. नायडू, अनुसंधान अधिकारी तथा सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक का संचालन सिंडिकेट बैंक की राजभाषा अधिकारी श्रीमती गीता नैयर ने किया ।

अध्यक्ष ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उसके बाद पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कराते हुए समिति की गतिविधियों के बारे में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया। उसके पश्चात प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की। केनरा बैंक, यूनियन बैंक और सिंडिकेट बैंक द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की गई। उप निदेशक (कार्यान्वियन) श्री मिश्र ने इस बात पर पुनः खेद प्रकट किया कि 63 कार्यालयों में से केवल 24 कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है । इतना ही नहीं समीक्षा के दौरान अनेक कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष ही नहीं अपितु उनका कोई प्रतिनिधि अधिकारी तक उपस्थित नहीं था। अतः अपने सम्बोधन भाषण में विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा करने के पश्चात इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि कार्यालय अध्यक्ष समिति की बैठक में भाग लें, रिपोर्टें सभी कार्यालयों से अप्रैल के अन्त तक (प्रथम बैठक हेतु) और अक्तूबर के अन्त तक (द्वितीय बैठक हेतु) समिति के अध्यक्ष के पास समिति के पत्र की प्रतीक्षा न करते हुए भिजवा दी जाएं ताकि उनकी समीक्षा हो सकें और समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किए जा सकें। अगली बैठक में विभिन्न मदों पर 1-4-91 से 31-3-92 की रिपोर्ट भिजवाई जाए। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों से कार्यालय प्रमुख उपस्थित नहीं हुए हैं उनको गृह मंत्रालय,

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञाप्त की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अर्द्धशासकीय पत्र भेजा जाए। समिति अन्य समितियों के समान संयुक्त कार्यक्रम जैसे हिन्दी दिवस, हिन्दी-कार्यशाला आयोजित करें। सभी कार्यालय अपने यहां की टाइपिंग संबंधी सूचनाएं---कुल टाइपिस्ट, आशुलिपिक 2. हिन्दी टाइप आशुलिपि में प्रशिक्षत हैं 3. हिन्दी टाइप/शार्टहैण्ड में प्रशिक्षण देने हेतु शेष कर्मचारी जिससे कि कण्णूर में हिन्दी टाइपिंग केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सके। अगली बैठक में उप निदेशक (शार्ट हैण्ड व टाइपिंग) श्री त्रिलोकीनाथ कौशिक, (मयूर भवन, 10 वीं मंजिल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली) भी आमंत्रित किए जाएं। हिन्दी टाइपिंग सिखाने के लिए उप निदेशक (परीक्षा), गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण योजना, 2ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली से पत्राचार पाठ्यक्रम में नामित किया जाए। जिन कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर नहीं है अथवा हैं तो किन्तु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं है तो वहा हिन्दी के टाइपराइटर खरीद कर उपलब्ध कराए जाएं।

7. बेंगलूर (बैंक)

दि. 27-1-92 को आयोजित बेंगलूर (बैंक) की बैठक श्री यू एन पडियार अध्यक्ष नराकास व उप महाप्रबंधक, सिंडिकेट बैंक (अंचल कार्यालय, बेंगलूर) की अध्यक्षता में हुई। विशेष अतिथि के रूप में थी एस रामस्वामी, उप मुख्य अधिकारी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया थे।

राजभाषा विभाग की ओर से श्री जे.आर. पाण्डेय, सहायक निदेशक (का.) व श्री एन. ठाकुर, अनुसंधान अधिकारी उपस्थित रहे।

29 बैंकों में से 29 बैंकों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने भाषायी एकता के लिए राजभाषा नीति के अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक बैंकों के कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को बैठक में उपस्थित रहना चाहिए। उनका यह भी आग्रह था कि समीक्षा के लिए बैठक के 15 दिन पहले विभिन्न बैंकों को अपनी रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री रामस्वामी जी, उप मुख्य अधिकारी ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

प्राप्त रिपोर्टों की मदवार समीक्षा की गई। कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों का कहना था कि हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएं बैंक के कार्य समय के पहले या बाद में लगाई जाएं। विभाग की ओर से कहा गया कि इस संबंध में सर्व कार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना से संपर्क साधा जा सकता है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि विभाग भी संबंधित अधिकारी के ध्यान में यह बात लाएगा। इस संबंध में यह भी सुझाव दिया गया कि बैंक चाहे तो इसी प्रकार की अपनी स्वयं की व्यवस्था कर सकते है। बैठक में यह भी सूचना दी गई कि दक्षिण क्षेत्र के लिए राजभाषा सम्मेलन बेंगलूर में फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है और सभी से सहयोग का आग्रह किया गया। बैठक में यह निवेदन किया गया कि प्रत्येक बैंक अपनी तिमाही रिपोर्ट समय पर भेजें जिससे कि राजभाषा विभाग प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सुझाव आदि दे सके।

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर

तिमाही बैठक दिनांक 26-02-1992 को निदेशक श्री बंकिम की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष कार्यक्रम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अनुबंध पत्र हिन्दी में ही तैयार किए जाएं।

सरकारी कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने के संबंध में चर्चा हुई। अध्यक्ष का मत था स्टुडियो/कार से संबंधित मांगपत्र कभी-कभी अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं। निर्माता श्री नंदनपवार ने बताया हिन्दी टाइपिंग की असुविधा के कारण ऐसा होता है। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आने दें। इंजीनियरिंग ड्यूटी चार्ट के संबंध में केन्द्र अभियंता श्रीमती मोहिनी चौरसिया ने अभिवचन दिया। भविष्य में राजभाषा नियमों का पूरा-पूरा पालन किया जाएगा। अध्यक्ष का सुझाव था कि केन्द्र की जनरेटर मशीन द्वारा अंग्रेजी में दी जाने वाली आपात सूचनाएं महीने में कम से कम दो बार हिन्दी में दी जा सकती है, जैसे रक्तदान की आवश्यक सूचना के संदर्भ में एक फारमेट तैयार करके नाम, ब्लड ग्रुप आवश्यकतानुसार "केप्शन" द्वारा दिए जा सकते हैं। केन्द्र अभियंता श्रीमती चौरसिया ने ऐसा करने का आश्वासन दिया। हिन्दी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि वर्ष में कम से कम दो बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगें। साथ ही उनकी पर्सनल फाईल में प्रशंसा की टिप्पणी भी की जाए।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि हिन्दी टंकक के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली तथा हिन्दी अनुवादक के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग, बंबई कार्यलय को स्मरण-पत्र/टेलेक्स भेजे गए, इसके बावजूद कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई। सदस्यों का मत था कि हिन्दी स्टाफ न होने के कारण सरकारी कार्य में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न होता है। निदेशक ने समिति को आश्वस्त किया कि भविष्य में वे स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर हिन्दी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में प्रयासशील रहेंगे।

निर्माता प्रतिभा पांडे ने यह सुझाव दिया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध (दूरदर्शन, आकाशवाणी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, फिल्म प्रभाग, पी.आई.बी.) सभी कार्यालय संयुक्त रूप से "हिन्दी पर्याय प्रश्नोत्तरी" प्रतियोगिता करें। अध्यक्ष का मत था कि दूरदर्शन केंद्र, नागपुर के तत्वावधान समिति का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष केंद्र के हिन्दी अधिकारी ही हों।

2. कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम, असम

तिमाही बैठक 22 अप्रैल' 92 को श्री श्यामा प्रसाद दासगुप्ता, अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मिल के "ग" क्षेत्र में स्थित होने के कारण राजभाषा नीति के अनुपालन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने के बावजूद वार्षिक कार्यक्रम 1992-93 के लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समिति के सचिव डॉ. प्रमथ नाथ मिश्र के प्रस्तावित निवेदन एवं सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष के निर्णय एवं निर्देश निम्नवत् हुए--

1. धारा 3(3) से सम्बन्धित सभी पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी अधिकारी को द्विभाषी परिचालन हेतु सभी विभागाध्यक्ष अनिवार्यतः "मार्क" करें।

2. मिल से सम्बन्धित सभी प्रकार के आवश्यक फार्म एवं लेखन सामग्री आवश्यक रूप से द्विभाषी मुद्रित हों।

3. "कागज सन्देश" नाम से निःशुल्क वितरण हेतु हिन्दी गृह पत्रिका का प्रकाशन करना, जिसके प्रवेशांक का विमोचन हिन्दी दिवस (14 सितम्बर" 92) समारोह में होना चाहिए।

4. हिन्दी अनुभाग के लिए देवनागरी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर भविष्य में खरीदने का निर्णय।

उक्त बैठक में पिछली तिमाही में हुई बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा हुई और उसके कार्यान्वयन की शेष स्थितियों को पूरा करने के निदेश के साथ बैठक समाप्त हुई।

3. बैंकिंग प्रभाग व भारतीय रिजर्व बैंक

दिनांक 11-1-92 को बैंकिंग प्रभाग व भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। देना बैंक के उत्तर गुजरात अंचल कार्यालय की ओर से इन बैठकों का संयोजन किया गया। दोपहर से पहले बैंकिंग प्रभाग की बैठक का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री के. श्रीनिवासन ने की। देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री जी. एस. दाहोले मुख्य मेजबान के रूप में उपस्थित थे। बैंक में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया था। देना बैंक के दल का नेतृत्व महाप्रबन्धक श्री ह.रा. जानी ने किया।

बैठक में जयपुर में आयोजित बैंक राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के संबंध में विशेष चर्चा हुई। अन्त में देना बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री श.न. अडालजा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दोपहर बाद भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता भा. रि. बैंक के प्रबन्धक श्री एस. जे. ठाकर ने की। बैठक में भी बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक उपस्थित थे।

बैठक में बैंकिंग उद्योग में राजभाषा कार्यान्वयन की कठिनाइयों व उनके निराकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन स्थिति का विश्लेषण भी किया गया।

अन्त में देना बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री प्रमेश डी. लाखिया ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया।

4. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना

तिमाही बैठक 30-3-1992 को आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना श्री एस. एस. भाटिया की अध्यक्षता में हुई जिस में निम्नलिखित मदों पर चर्चा हुई।

1. बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्यान्वयन समीक्षा

(क) रेंज कार्यालयों में तिमाही बैठकों का आयोजन

पिछली तिमाही की बैठक के बाद रेंज-II, लुधियाना तथा केन्द्रीय रेंज, अमृतसर में तिमाही वैठकों का आयोजन कर लिया गया है। लेकिन केन्द्रीय रेंज-I लुधियाना में अभी तक तिमाही बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। आयकर आयुक्त ने आयकर उपायुक्त (केन्द्रीय) रेंज-I लुधियाना को आदेश दिया कि तुरन्त अपनी रेंज की बैठक का आयोजन करें तथा रिकार्ड भेजें।

(ख) हिंदी कार्यशाला का आयोजन

इस वर्ष अब तक एक कार्यशाला अधिकारियों के लिए तथा दो कार्यशालाएं कर्मचारियों के लिए कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त एक कार्यशाला नगर स्तर पर अन्य कार्यालयों के लिए इस माह की गई।

(ग) फिल्म प्रभाग द्वारा तैयार वृत्त चित्र की खरीद

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार हिन्दी के वृत्तचित्रों की एक कैसट प्राप्त हो गई है।

(घ) हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद

हिन्दी पुस्तकालय के लिए इस माह 1200/- रुपये की हिन्दी पुस्तकों की खरीद कर ली गई है।

(ङ) कहानी लेखन प्रतियोगिता

मुख्य आयकर आयुक्त केन्द्रीय (उत्तर), नई दिल्ली द्वारा आयोजित अन्तर प्रभार कहानी लेखन प्रतियोगिता में केन्द्रीय रेंज--अमृतसर के दो कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

(ख) निरीक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई

जिन कार्यालयों को निरीक्षण के बाद निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें से किसी भी कार्यालय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करके अनुपालन रिपोर्टें भेजें।

पिछली बैठक के बाद केन्द्रीय मण्डल-1 और के.-मंडल-2, जालधर तथा आयकर उपायुक्त (केन्द्रीय) अमृतसर, (केन्द्रीय) मंडल-1/2 अमृतसर के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष ने सहायक निदेशक (राजभाषा) को कहा कि वे इन कार्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र उन्हें भेज दें तथा उनसे अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहें।

2. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 23-1-1992 को आयोजित बैठक में निर्णयों के कार्यान्वयन पर विचार

द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर की खरीद

बजट की कमी के कारण द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टाइप-राइटर अभी तक नहीं खरीदा जा सका है। भविष्य में समुचित बजट उपलब्ध होने पर इसकी खरीद कर ली जाएगी।

अध्यक्ष ने कहा कि कुछ कार्यालयों में तो हिन्दी में पत्राचार की मात्रा संतोषजनक है परन्तु केन्द्रीय मंडल जालन्धर, केन्द्रीय मंडल पटियाला और केन्द्रीय मंडल चण्डीगढ़ लक्ष्य से बहुत पीछे हैं अतः सभी आयकर उपायुक्त अपने अधीनस्थ संबंधित सहायक आयकर आयुक्तों से हिन्दी में पत्राचार की कम मात्रा का कारण पूछें और इस कार्यालय को सूचित करें। अन्य कार्यालय भी यह कोशिश करें कि हिन्दी में पत्राचार की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसमें कोई कमी न आने पाए। सभी आयकर उपायुक्त (केन्द्रीय) यह देखें कि अगले वर्ष उनके अधीनस्थ सभी केन्द्रीय मंडलों में सभी प्रकार के आंतरिक कार्य हिन्दी में ही आरम्भ किए जाएं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 1986 में भी विनिर्दिष्ट कार्यों को अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किया जाए।

(ख) केन्द्रीय प्रभार में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जा रहे हैं।

अन्य समस्याएं एवम् सुझाव

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने यह सूचित किया कि उनके पास पिछले कुछ समय से नियमित रूप से हिन्दी टाइपिस्ट तैनात नहीं किया गया है। जिससे उन्हें अपने कार्य को शीघ्र और सुचारू ढंग से करने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आयकर आयुक्त ने आयकर अधिकारी मुख्यालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी में पत्राचार की मात्रा बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाएं तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

5 आकाशवाणी, कानपुर

वर्ष 1992 की प्रथम त्रैमासिक बैठक 7 फरवरी, 1992 केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में हुई।

कार्यक्रम अधिशासी (प्राइमरी चैनल) ने बताया कि "क" तथा "ख" क्षेत्र में भेजे जाने वाले प्राइमरी चैनल के बिलों पर हिन्दी में ही पते लिखे जा रहे हैं। अभी "ग" क्षेत्रों के बिलों पर अंग्रेजी में ही पते लिखे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की जाएगी कि "ग" क्षेत्रों में भेजे जाने वाले बिलों पर द्विभाषी रूप में पता लिखा जाये। अध्यक्ष ने कहा कि संभवतः अगली बैठक में यह व्यवस्था हो जाएगी।

विज्ञापन एजेंसियों से संबंधित कान्ट्रेक्ट फार्म द्विभाषी रूप में मंगवाने हेतु निदेशक कार्यक्रम (वाणिज्य) को लिखा गया था परन्तु उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि निदेशक कार्यक्रम (वाणिज्य) को इस संबंध में अनुस्मारक भेजा जाए।

6 आकाशवाणी, जोधपुर

तिमाही बैठक दिनांक 29-1-92 को श्री रति राम, केन्द्र निदेशक की अध्यक्षता में हुई।

तिमाही रिपोर्ट और बैठक में दिये गए सुझावों की समीक्षा

1. आकाशवाणी जोधपुर को दिनांक 31-12-91 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के अनुसार "क" और "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, उनके कार्यालयों या गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए पत्रों के अनुसार पत्राचार 100% हिन्दी में ही हुआ।

2. "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 59% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

3. "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के साथ 40% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

4. आकाशवाणी केन्द्र से 51% तार हिन्दी में भेजे गये, जो लक्ष्य से अधिक है।

5. पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर का इस तिमाही का पत्राचार 100% हिन्दी में हुआ।

6. गीत एवं नाटक प्रभाग जोधपुर की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 100% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

7. क्षेत्रीय प्रसार कार्यालय का इस तिमाही का 100% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

8. सार्वजनिक निर्माण स्कंध आकाशवाणी जोधपुर का इस माह का 38% पत्राचार हिन्दी में हुआ।

9. क्षेत्रीय प्रसार कार्यालय के अधिकारी श्री ए. के. कान्त ने सुझाव दिया कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में अधिक कार्य करते हैं उनकी सेवा पुस्तिकाओं में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, वस्त्र मंत्रालय, बहरमपुर-742101

कवि सम्मेलन

दिनांक 25-4-92 को राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी कर्मचारियों में भाषा के प्रति रुचि तथा जागरूकता पैदा करनें के उद्देश्य से कवि सम्मेलन हुआ । उदघाटन करते हुए निदेशक डा. एस. एस. सिन्हा ने कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों का खास महत्व है। हिन्दी भाषा को एक सशक्त भाषा बताते हुए हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी साहित्य बहुत ही समृद्ध है, तथा इसमें सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति की संप्रेषणीयता की क्षमता है।

कार्यक्रम का संचालन श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, व अनुवादक ने किया, जबकि मंच संचालन का कार्य श्री राम कृष्ण गुप्त "बन्धु" जी ने किया। कार्यक्रम का समापन करते हुए संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री एस. के. सेन ने कहा कि वस्तुतः ऐसे रोचक व आकर्षक कार्यक्रम के आयोजन से लोगों में न केवल भाषा के प्रति दिलचस्पी पैदा होती है परन्तु जागरूकता की भावना भी उत्पन्न होती है।

संयुक्त निदेशक ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता प्रकट की तथा कार्यक्रम के आयोजक श्री बी. सी. प्रसाद के अलावा सहयोग व सुझाव प्रदान करने हेतु श्री सुप्रिय चटर्जी व श्री पी. आर. टी. राव व.अ. अधिकारी को धन्यवाद दिया।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, गुवाहाटी रिफाइनरी, गुवाहाटी

गुवाहाटी में तैनात हिंदी अधिकारियों की बैठक
दिनांक 6 मार्च 1993

गुवाहाटी स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में वर्ष 1991–92 के दौरान हिन्दी में पत्राचार की प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय, पूर्वोत्तर, क्षेत्र, गुवाहाटी की ओर से हिन्दी अधिकारियों की एक गोष्ठी इंडियन आयल कार्पोरेशन, गुवाहाटी रिफाइनरी के सौजन्य से रिफाइनरी के सभाकक्ष में बुलाई गई।

गुवाहाटी रिफाइनरी के उप महाप्रबंधक श्री सी. डी. चालिहा ने गोष्ठी का उद्‌घाटन किया। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गोष्ठियों से कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की प्रगति बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिन कार्यालयों में प्रगति धीमी है ऐसे कार्यालय अन्य कार्यालयों से सहयोग व मार्ग दर्शन पा सकते हैं। इस प्रकार सभी मिलकर सरकारी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

उपनिदेशक (कार्यान्वियन) श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी नीति स्पष्ट है। ये गोष्ठियां सरकारी आदेशों के अनुसार की जाती हैं ताकि कार्यालयों में हो रही प्रगति की समीक्षा की जा सके। प्रगति का प्रभाव ऐसे अन्य कार्यालयों पर पड़ता है जहां प्रगति धीमी है। उन्होंने कहा कि गोष्ठी में विशेष रूप से विचार के लिए कार्यालयों द्वारा हिन्दी में पत्र भेजना और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की उपलब्धता–ये दो मुख्य विषय रखे गए हैं । पिछले एक वर्ष में हिन्दी में पत्र भेजने में कितनी प्रगति हुई है, यह विचारणीय है क्योंकि वर्ष 1992–93 के लिए पत्राचार के लक्ष्यों में वृद्धि की गई है । पिछले वर्ष जो प्रगति हुई है उस पर विचार किया जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे जिन कार्यालयों में प्रगति लक्ष्य से कम है, वहां इसे बढ़ाया जा सके।

विभिन्न कार्यालयों में कुछ सराहनीय प्रगति हुई जो इस प्रकार है :—

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान

हिन्दी में पत्राचार 30 प्रतिशत होता है। कुल 15 अनुभाग हैं। हिन्दी अनुभाग और प्रशासन अनुभाग से पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं।

2. केनरा बैंक मंडल कार्यालय

पत्र द्विभाषी रूप में भेजे जाते हैं। हिन्दी व अंग्रेजी दोनों अंश भरे जाते हैं। इसलिए 30 प्रतिशत से ज्यादा पत्र हिन्दी में जाते हैं।

3. इंडियन आयल कार्पोरेशन

अंतः कार्यालयीन 40 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। बाहरी कार्यालयों से हिन्दी में पत्राचार 16 प्रतिशत है। 40 कम्प्यूटर द्विभाषी रूप में काम कर सकते हैं। द्विभाषी रूप में काम करने के लिए एक टरमिनल भी लगाया जा रहा है। एक द्विभाषी टेलेक्स भी है।

4. पू० सी० रेलवे, (मुख्यालय)

इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यालय है। 30प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में होता है। 2 "जीस्ट" कार्ड की वजह से 18 कम्प्यूटर द्विभाषी रूप में काम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी है।

5. हिंदुस्तान पेपर मिल, जागीरोड

29 अनुभाग हैं। कार्यालय में टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाती हैं। बाहर के कार्यालयों से लगभग 20 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हो पाता है। कम्प्यूटर इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी नहीं हैं।

6. नेशनल इंश्योरेंस कं०, क्षेत्रीय कार्यालय

केवल हिन्दी अनुभाग से 18 प्रतिशत पत्रादि हिन्दी में भेजे जाते हैं। द्विभाषी टेलेक्स मशीन है परन्तु उसका उपयोग नहीं होता है। 123 कम्प्यूटर और 2 इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर अंग्रेजी में हैं।

7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

केवल दो अधिकारी और दो कर्मचारी है। मुख्यालय से 40 प्रतिशत पत्रादि हिन्दी में भेजे जाते हैं। कम्प्यूटर रोमन लिपि में हैं। फारवर्डिंग पत्र हिन्दी में भेजते हैं।

8. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय में 57 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में होता है परन्तु शाखाओं का पत्राचार मिला कर यह 51 प्रतिशत है। एक हिन्दी आशुलिपिक है। इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी है।

9. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय में 18 प्रतिशत और पूरे क्षेत्र में कुल मिला कर 20 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में होता है। 7 कम्प्यूटर अंग्रेजी में है।

10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

10 अनुभाग हैं। लगभग 65% पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। 12 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। टेलेक्स द्विभाषी लगा रहे हैं। 125 मानक ड्राफ्ट की वजह से हिन्दी में पत्राचार लक्ष्य से अधिक होता है।

11. भारतीय स्टेट बैंक, अंचल कार्यालय

147 शाखाएं तथा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। लगभग 20 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में होता है।

12. दूरसंचार, असम परिमंडल

8 अनुभाग हैं। 16 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में होता है। फाइलों में नोटिंग हिन्दी में की जाती है। 2 इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी हैं। कम्प्यूटर अंग्रेजी में हैं। टेलीफोन सेवा हिन्दी में शुरू कर रहे हैं।

13. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय

चार विभाग हैं। तिमाही प्रगति रिपोर्ट केवल क्षेत्रीय कार्यालय से भेजी जाती है। इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर नहीं है। हिन्दी पत्राचार केवल हिन्दी अनुभाग से ही होता है।

14. भारतीय जीवन बीमा निगम

पत्राचार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

15. भारतीय रिजर्व बैंक

केवल प्रेक्षक की हैसियत से शामिल हुए हैं क्योंकि केन्द्रीय कार्यालय ने राजभाषा विभाग के पास किसी भी प्रकार की रिपोर्ट भेजने से मना किया है।

श्री मुकुल दत्त, वरिष्ठ प्रबंधक, (मानव संसाधन विकास विभाग) ने विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त रिपोर्ट पर संतोष प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे जिन कार्यालयों में प्रगति धीमी है वहां प्रगति तेज होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे रिफाइनरी में भी प्रगति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

श्री मेहता उप प्रबंधक ने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन करने से कार्यालयों में उत्साह पैदा होता है। इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाने चाहिए।

आन्ध्र बैंक, आंचलिक कार्यालय, करीम नगर

दिनांक 18-6-1992 को शाखाओं में कार्यरत 20 राजभाषा संपर्क अधिकारियों/लिपिकों का सम्मेलन हुआ।

सहायक महाप्रबन्धक श्री बी. टी. कान्ताराव ने सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए कहा कि राजभाषा की आवश्यकता के बारे में सोचने का समय बीत गया है। अब, हर कर्मचारी का कर्तव्य यह है कि कार्यालयीय काम में हिन्दी का अधिकतम उपयोग करने में दत्तचित्त हो

जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा के संबंध में बैंकों को दिया गया दायित्व राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित है और संविधानिक है। इसलिये, राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु, आवश्यकता पड़ने पर हमें कुछ व्यक्तिगत सुविधाओं का त्याग भी करना पड़ेगा।

श्री टी. कृष्णमोहनराव, प्रबन्धक (ऋण) ने समारोह की अध्यक्षता की और आशा व्यक्त की कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अंचल पहला स्थान प्राप्त करेगा।

सम्मेलन में राजभाषा संपर्क अधिकारियों/लिपिकों ने राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित उनकी समस्याओं और शाखाओं की समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी। राजभाषा अधिकारी ने विविध परिस्थितियों में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु, आवश्यक, मार्गदर्शक सूत्रों का स्पष्टीकरण दिया। समापन समारोह में सहभागियों ने आश्वासन दिया कि शाखाओं में राजभाषा नीति का सफल आचरण करेंगे।

पंद्रहवा अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली का पन्द्रहवां अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन दि. 29 फरवरी (शनिवार) तथा 1 मार्च 1992 (रविवार) को ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में हुआ। राष्ट्रीय हिन्दी परिषद, नेवासा (महाराष्ट्र) शाखा के सहयोग से आयोजित सम्मेलन शाखा के कार्याध्यक्ष तथा सम्मेलन संयोजक डा. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख के परिश्रम से सफलता के साथ दो दिन तक चला। सम्मेलन श्री कृष्ण मंदिर, महानुभाव आश्रम पैठण मार्ग, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग दो सौ पचास विद्वान सम्मिलित हुए थे। नेपाल से भी आए एक प्रतिनिधि डा. रामदयाल राकेश ने गोष्ठियों में भाग लिया।

29 फरवरी 1992, को प्रातः काल नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष डा. मलिक मुहम्मद की अध्यक्षता में तथा औरंगाबाद नगर निगम के महापौर श्री मनमोहन सिंह ओबेराय द्वारा ज्योति प्रज्जवलन से सम्मेलन का विधिवत् उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र हिन्दी विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से तथा कु. पूनम के स्वागत गीत से समारोह का आरम्भ हुआ। तदुपरान्त सम्मेलन के संयोजक डा. शाहदबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख ने सभी का स्वागत करते हुए नागरी लिपि की महत्ता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के उद्घाटन तथा स्वागताध्यक्ष महापौर मनमोहन सिंह ओबेराय ने अपने मंतव्य में कहा कि नागरी लिपि भारतीय भाषाओं को मजबूत बनाने वाली लिपि है। हम सब को इसे लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को दृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। श्री मनमोहन सिंह ओबेराय ने डा. शहाबुद्दीन शेख द्वारा सम्पादित स्मारिका का विमोचन भी किया।

उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष डा. मलिक मुहम्मद ने पूर्व सम्मेलनों के आयोजन, उद्देश्य तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नागरी का प्रचार, न तो कोई आंदोलन है, न अभियान। आचार्य विनोबा भावे जी के कथनानुसार यह कार्य एक राष्ट्रीय कार्य है नागरी एक वैज्ञानिक लिपि है, इसे केवल भारतीय भाषाओं के लिये ही नहीं, विश्व की अनेक भाषाओं के लिये अपनाया जा सकता है। पुणे से पधारे भारत के प्रसिद्ध लिपिबद्ध श्री लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर ने इस अवसर पर देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरी विश्व की उत्कृष्ठ एवं वैज्ञानिक लिपि है। ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से रोमन लिपि इतनी पंगु है कि उसका आधार लेना भारतीय लिपियों को कदापि मान्य नहीं हुआ। नागरी लिपि परिषद की त्रैमासिक पत्रिका 'नागरी संगम' के प्रबंध संपादक डा. परमानन्द पांचाल ने कहा कि ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद में इस सम्मेलन का आयोजन एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह नगर उत्तर और दक्षिण के मध्य में है। यदि दक्खिनी को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित कर दिया जाये तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत और समृद्ध हो जायेगा। आदिवासी क्षेत्रों के लिये समय रहते देवनागरी लिपि को अपना लेना चाहिये, जो हमारी एकता और अखण्डता के लिये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। इसके उपरान्त श्री लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर की लिपि प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर श्री ओबेराय ने किया। प्रदर्शनी सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों के विकास क्रम को वैज्ञानिक ढंग से दर्शाया गया था तथा नागरी लिपि की ध्वन्यात्मक विशेषता को चित्र-रेखाचित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया था।

दो दिन तक चले सम्मेलन में (1) दक्षिण भारत की भाषाओं के संदर्भ में देवनागरी (2) पूर्वांचल की भाषाओं एवं लिपि रहित जनभाषाओं के लिये देवनागरी (3) सम्पर्क लिपि के रूप में रोमन लिपि की अप्रासंगिकता (4) कम्प्यूटर युग में देवनागरी लिपि की सार्थकता। इन चार विषयों पर संगोष्ठियां की गई जिनमें हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता श्री सी. वी. चारी, मलयालम भाषी तथा मारतोमा कालिज तिरुनल्ला, केरल के हिंदी विद्वान प्रो. डा. वी.एन. फिलिप, हैदराबाद दक्षिण समाचार के संपादक श्री मुनीन्द्र दक्षिण हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डा. सुरेश अवस्थी, नेपाल के प्रतिनिधि डा. रामदयाल राकेश आदि ने भाग लिया।

1 मार्च, 92 रविवार को मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के कुलपति डा. विट्ठलराव घुगे तथा पुणे विद्यापीठ हिन्दी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष प्राचार्य विट्ठलराव मोरे की उपस्थिति में सम्मेलन का समापन समारोह हुआ। नागरी लिपि परिषद के सचिव श्री सी.ए. मेनन ने धन्यवाद दिया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयोजन में राजभाषा की राज्यस्तरीय बैठक

दिनांक 25 अगस्त, 1992 को हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति की आठवीं बैठक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयोजन में हुई। बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (ऋण) श्री विजय गांधी ने की। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के उप निदेशक श्री कृष्णनारायण मेहता, भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा अधिकारी डॉ. दलसिंगार यादव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंधक श्री मा.वि. सोमण एवं सहायक महाप्रबंधक श्री रा.वि. जोशी तथा हिन्दी शिक्षण योजना की सहायक निदेशक डॉ. अंशमती दुनाखे भी उपस्थित थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभारी उप प्रबंधक, राजभाषा डॉ. दामोदर खड़से ने संचालन करते हुए सदस्य बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अध्यक्ष श्री विजय गांधी, महाप्रबंधक ने सभी सदस्यों से एक संकल्प के रूप में हिन्दी को अपनाने की अपील की। उप निदेशक श्री मेहता ने संगणकों एवं अन्य यांत्रिक सुविधाओं में हिन्दी, हिन्दी पुस्तकों की खरीद तथा राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति की दिशा में बैंकों के प्रयासों की सराहना की। भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा अधिकारी डॉ. दलसिंगार यादव ने हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण तथा हिन्दी में पुस्तक-लेखन हेतु बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई जा रही नीतियों की जानकारी दी।

अंत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री रामकृष्ण तिवारी ने आभार प्रदर्शन किया।

केनारा बैंक, अंचल कार्यालय चण्डीगढ़

हिन्दी प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक

अनुभागों में कार्यरत अधिकारी हिन्दी प्रतिनिधियों व शाखाओं के सम्पर्क राजभाषा अधिकारियों की बैठक का आयोजन 09-05-1992 को अंचल कार्यालय में किया गया।

बैठक में सभी अनुभागों व बहुत बड़ी शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक में सहायक महाप्रबंधक श्री वी० वी० कामत व मण्डल प्रबंधक श्री के० शेखर ने भाग लिया।

श्री वी० वी० कामत ने दीपक प्रज्जवलित करके बैठक का शुभारंभ किया तथा अपने आरंभिक वक्तव्य में श्री कामत ने कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार व कार्यान्वयन का दायित्व हम सब का है। हमें संविधान की समस्त अपेक्षाओं को पूरा करना है। राजभाषा कक्ष के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि :—

"मुझे प्रसन्नता है कि हमारे अंचल को लगातार पिछले तीन वर्षों से बैंक की आंतरिक शील्ड प्राप्त हो रही है। हमारा प्रयास यह रहता है कि भारत सरकार व प्रधान कार्यालय से जो भी निर्देश इस क्षेत्र के लिए प्राप्त होते हैं उसे सर्वप्रथम पूरा करें। राजभाषा कार्यान्वयन केवल एक या दो व्यक्तियों का दायित्व न होकर सभी की सांझी जिम्मेदारी है। यह तभी संभव होगा जब सभी अपना योगदान देंगे। जो कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की मदद करनी है। हिन्दी प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इस अवसर पर राजभाषा अधिकारी श्री एस सी गौड़ ने राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अंचल की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला तथा हिन्दी प्रतिनिधियों व सम्पर्क राजभाषा अधिकारियों के दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

सभी अधिकारियों ने अपनी शाखा व अनुभाग की वर्तमान स्थिति, विगत में किए गए कार्य व भावी कार्य-योजना की जानकारी दी।

सामान्य चर्चा के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव आए और निर्णय हुए :—

1. टंककों का प्रशिक्षण अपेक्षानुसार शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
2. सभी अनुभागों द्वारा अपने अनुभागों के कार्य की समीक्षा करके हिन्दी में कामकाज के बारे में निर्णय लेने चाहिए।
3. सामान्य प्रभार की पर्चियां व रजिस्टर सभी अनुभागों में हिन्दी में भरे जाएं ताकि परिसर अनुभाग भी इसे हिन्दी में कर सकें।
4. राजभाषा अधिकारी समय-समय पर सभी अनुभागों की बैठकों में भाग लें, समीक्षा करें व मार्गदर्शन दें।
5. बहुत बड़ी शाखाओं में सम्पर्क राजभाषा अधिकारी क्योंकि सामान्य वर्ग से होते हैं अतः यदि अंचल के राजभाषा अधिकारी समय समय पर शाखा में आकर मार्गदर्शन करते रहें तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
6. हिन्दी कार्यशाला प्रथम चरण का प्रशिक्षण जितनी जल्दी हो सके, पूरा किया जाना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस क्षेत्र में कार्य कर सकें।

7. "ऑन दी जॉब" प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिन शाखाओं को हिन्दी शाखा घोषित किया गया है अथवा जिन शाखाओं में हिन्दी में काम करने पर बल दिया जाना है वहां राजभाषा अधिकारी कम से कम 7 दिन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। एक बार काम आरम्भ होने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है। इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

8. हिन्दी कार्यान्वयन को के.आर.ए. में सम्मिलित किया जाए।

9. सभी अनुभागों में हाजिरी रजिस्टर व हाजिरी मार्किंग रजिस्टर हिन्दी में रखा जाए व कर्मचारी उपस्थिति हिन्दी में लगाएं।

1.0 गिनती का चार्ट बनवाकर शाखाओं/कार्यालयों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इससे शब्दों व अंकों में लिखने में सुविधा रहेगी।

बैठक के समापन अवसर पर श्री वी० वी० कामत ने अपेक्षा की कि आने वाले समय में हम केवल लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त हिन्दी की ओर बढ़ेंगें। इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

श्री के शेखर मण्डल प्रबंधक ने धन्यवाद किया व आशा व्यक्त की कि चण्डीगढ़ अंचल इस क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

केनारा बैंक, मंडलीय कार्यालय, मेरठ में हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक

दिनांक 15-5-92 को विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं से आए हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक में 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए बैंक के मंडल प्रबंधक श्री टी. चौक्कालिंगम ने बताया कि केनरा बैंक के सभी मैन्युअल और फार्म द्विभाषी रूप में छपे हुए हैं। अतः कर्मचारी इनका उपयोग करें। शाखाएं हिन्दी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में रिकार्ड रखें तथा उसकी उचित रिपोर्ट करें। उन्होंने आगे बताया कि जिन शाखाओं में 25 से अधिक कर्मचारी हैं उनमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री जी. सूर्यनारायण मूर्ति ने बताया कि बैठक का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा जब हम पत्राचार व तार प्रेषण में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें। बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री खेमराज गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया। श्री के० के० शर्मा ने बैठक के संचालन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया और श्री प्रदीप कुमार अस्थाना के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उप आयकर आयुक्त, बठिंडा रेंज, बठिंडा

31-3-1992 को समाप्त होने वाली तिमाही के बारे में आयकर उपायुक्त बठिंडा रेंज, बठिंडा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 25-3-92 प्रातः श्री कुलदीप सिंह आयकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई।

पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा गया और समिति में उपस्थित सदस्यों के साथ पिछली समिति में लिये निर्णयों के बारे में काफी विचार विमर्श हुआ और पिछली समिति में जो निर्णय लिये गये उनका अनुसरण किया जा रहा है और समिति में उपस्थित अधिकारियों व कमचारियों से अनुरोध कया गया कि वे राजभाषा में ज्यादा से ज्यादा काम करें। उपस्थित सदस्यों ने यह आश्वासन दिलाया कि हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली

(भाषा विभाग)

शामनाथ मार्ग दिल्ली-54

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 1992 को समन्वय की बैठक हुई। इस बैठक में राजभाषा हिन्दी को प्रशासन में व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. समस्त विभाग अपने कार्यालयों से संबंधित हिन्दी के प्रयोग के संबंध में प्रगति की रिपोर्ट सचिव (भाषा) श्री आदर्श मिश्रा को भेजें ताकि हर सप्ताह होने वाली समन्वय की बैठक में इसका समीक्षा की जा सके।

3. प्रत्येक सोमवार को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाए और समस्त विभाग अपना सरकारी कार्य अर्थात टिप्पण व आलेखन केवल हिन्दी में ही करेंगे।

3. चूंकि दिल्ली—"क" क्षेत्र में है इसलिए हिन्दी के प्रयोग के उद्देश्य के लिए दिल्ली प्रशासन का सारा कार्य हिन्दी में किया जाना है। यह भी निर्णय किया गया कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले अधिकतर पत्र केवल हिन्दी में ही भेजे जाएं ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सक।

महासागर विकास विभाग

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ

28-2-92 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर महासागर विकास विभाग ने केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में समुद्र संसाधनों का औषधियों में उपयोग" विषय पर हिन्दी माध्यम में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की। देश भर से 14 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सभी वैज्ञानिकों ने हिन्दी में विस्तार से स्लाइड इत्यादि की सहायता से अपने लेख पढ़े।

योजना आयोग के सदस्य डॉ. एस. जैड. कासिम ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया । संगोष्ठी का प्रारम्भ केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. बी. एन. धवन के स्वागत भाषण से हुआ । महासागर विकास विभाग में निदेशक डॉ. एस. ए. एच. आबिदी ने विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया ।

एन. बी. आर. आई. लखनऊ में एमेरीटस वैज्ञानिक डॉ. एस. के. जैन ने अध्यक्षीय भाषण दिया । केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में वरिष्ठ उपनिदेशक डॉ. आर. सी. श्रीमाल ने धन्यवाद भाषण दिया ।

इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका धर्मयुग के सम्पादक श्री गणेश मन्त्री ने उद्घाटन किया ।

स्टेनोज एसोसिएशन, उपमंडल नरवाना

नरवाना में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों की हिंदी गोष्ठी

दिनांक 09-05-92 को स्टेनोज एसोसिएशन, उपमंडल नरवाना में आयोजित "हिन्दी गोष्ठी" में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का उल्लेख किया । मुख्य अतिथि श्री सतवीर सिंह, अखिल भारतीय हिन्दी टाईपिंग चैम्पियन (नरवाना) ने सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने पर बल दिया तथा इस बारे में अनेक सुझाव भी दिए ।

ज्ञातव्य है कि श्री सतबीर सिंह वर्ष 1987, 1988 व 1989 में अखिल भारतीय हिन्दी टाइपिंग में प्रथम रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हिन्दी टाइप की उच्चतम गति प्राप्त करने का राज़ पूछा जिसके उत्तर में उन्होंने निरन्तर अभ्यास तथा कड़ी मेहनत बताया । उन्होंने उच्चतम गति प्राप्त करने के अनेक सुझाव भी दिए । इसके साथ-2 केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की सलाह दी तथा अपने विभिन्न कार्यालयों में हिन्दीमय वातावरण बनाने की अपील की जिसे सभी पदाधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया । सभी सदस्यों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को पत्र लिखवाने का अनुरोध किया कि परिषद की ओर से कराई जाने वाली प्रतियोगिता का अधिक से अधिक कार्यालयों में आयोजन करवाया जाए ।

आकाशवाणी : वाराणसी में राजभाषा गोष्ठी

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नगर समन्वय समिति, वाराणसी के तत्वावधान में, आकाशवाणी में आयोजित राजभाषा गोष्ठी में मुख्य अतिथि, भूतपूर्व स्वतन्त्रता सेनानी, पत्रकार एवं भारतीय सूचना के सेवानिवृत्त अधिकारी, दिल्ली निवासी श्री ब्रहमदत्त स्नातक ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा को कामकाज की भाषा बनवाने के कार्य में लगे हुए परिषद कार्यकर्ताओं को कहा कि हिन्दी सेवा राष्ट्र सेवा और समाज सेवा है। हिन्दी ही हमारा धर्म है। बिना किसी धन की चाह के इस भाषा में कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाय। उन्होंने कहा कि जब तक हिन्दी को अपने देश में सम्मान नहीं देगें, तब तक विदेशों में भी इसे सम्मान नहीं मिलेगा। हमें अपना भाषायी सोच बदलना चाहिए तथा अपनी मातृ भाषा में शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अपने फीजी प्रवास के बारे में अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने बताया कि गन्ना मजदूर के रूप में पहुंचे हमारे वंशियों ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी भाषा एवं संस्कृति को वहां जीवित रखा है । भारत वंशी दक्षिण अफ्रीका निवासी स्वामी भवानी दयाल जी की हिन्दी सेवा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने हिन्दी भाषा और संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया और फीजी वासी भारतीय मूल के लोगों में भाषायी चेतना जागृत की।

इसके पूर्व आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक श्री विश्वनाथ पाण्डेय ने श्री स्नातक का परिचय दिया और उनकी निःस्वार्थ हिन्दी तथा समाज सेवाओं से परिचित कराया । अधीक्षण अभियन्ता श्री सुरेश चन्द मिश्र ने बताया कि उनके कार्यालय में प्रशासनिक तथा तकनीकी सभी प्रकार के कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ उत्साही तकनीकी कर्मचारियों ने इन्जीनियरिंग मैनुअल का हिन्दी में अनुवाद किया है। मुख्य अतिथि श्री स्नातक ने उक्त हिन्दी मैनुअल का विमोचन किया और अनुवाद कार्य में सहयोग देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया।

हिन्दी परिषद के मंत्री श्री जगदीश नारायण राय ने परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री स्नातक का आभार व्यक्त किया और वाराणसी नगर स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी परिषद के क्रियाकलापों, सद्प्रयासों एवं उपलब्धियों से श्री स्नातक को अवगत कराया। इस अवसर पर आकाशवाणी सहित नगर के कई केन्द्रीय कार्यालयों के परिषद के कार्यकर्ता एवं अधिकारी उपस्थित थे ।

राष्ट्रीय भाषा परिषद

एस 12/55 एच, रमा, निवास, पियरिया, पोखरी तेलिया बाग वाराणसी-221002

राष्ट्रीय भाषा परिषद के तत्वावधान में "हिन्दी-राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक न्याय" विषय पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए सांसद श्रीमती वीणा वर्मा ने कहा कि मुझे एक महान् साहित्यकार की पत्नी (स्व. श्रीकांत वर्मा) होने का सौभाग्य है जिन्होंने अपने बच्चों को कभी कान्वेण्ट भेजने में रुचि नहीं ली।

उन्होंने कहा कि संसदीय राज्यभाषा समिति को अब दौरा कम करके उनके क्रियान्वयन पर ज्यादा जोर देना होगा। प्रारम्भ में महामंत्री मुरलीधर पाण्डेय ने आगत अतिथियों का स्वागत किया तथा संयुक्त मंत्री पत्रकार श्री ओमप्रकाश सिन्हा ने परिषद् के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी भाषा के लिए अनेक रचनात्मक कार्यों को व्यवहार में लाने पर जोर दिया। परिषद् के अध्यक्ष श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव ने हिन्दी भाषा को केन्द्रीय सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित कराने हेतु एक पत्रक सांसद श्रीमती वीणा वर्मा को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आज की गोष्ठी के माध्यम से सरकारी विभागों में हिन्दी के प्रचार हेतु ठोस कदम उठाए जायं। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी कराई जानी चाहिए।

गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में करना अनिवार्य बनाया जाय, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अंग्रेजी कार्यक्रमों पर पाबन्दी लगायी जाय तथा मंत्रालयों, विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाय।

गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व वित्तमंत्री श्री अनिल शास्त्री ने कहा कि भाषा के आधार पर यदि देश को नहीं बांटा गया होता तो झगड़ा न होता।

हिन्दी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय दिलाने में सक्षम है। प्रो. विश्वास चन्द्र ने कहा कि हिन्दी के सम्पर्क भाषा होने पर सामाजिक न्याय मिल पाएगा। डा. जीतेन्द्र नाथ मिश्र ने कहा कि हिन्दी एक संस्कृति है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक न्याय कायम हो सकता है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ. ए. एल श्रीवास्तव ने कहा कि भाषा संवेदनाओं से जुड़ी है।

अग्रसेन स्नातकोत्तर कला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. कृष्णा निगम ने कहा कि समतामूलक समाज के लिए हिन्दी के समृद्ध होने पर ही राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है और उसे कायम किया जा सकता है।

डॉ. आभा सक्सेना ने कहा कि आजादी के पूर्व हिन्दी का जो स्थान था वह आजादी के बाद साम्प्रदायिकता के रूप में माना जाने लगा। इसके लिए राजनीतिक दावेदार जिम्मेदार हैं।

हिन्दी के विद्वान श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा कि हिन्दी के व्यापक विस्तार के लिए हमें मानसिकता बदलनी होगी तथा व्यवहार में पूरी तरह हिन्दी को कायम करना होगा।

जिला प्रबन्धक (1) दूरसंचार श्री ए.के. गिरोत्रा ने कहा कि सरकारी विभागों में हिन्दी को पूरी तरह से लाने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा।

सांस्कृतिक संस्था गोकुल आर्टस के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. एस. एस. गांगुली ने कहा कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार प्रसार करके देश की संस्कृति को कायम रखने में सक्षम हैं केवल जागरुकता की जरुरत है।

अन्त में परिषद के उपाध्यक्ष श्री भगवानदास एडवोकेट ने अतिथियों का स्वागत किया तथा बताया कि परिषद् हिन्दी के विकास के लिए कई रचनात्मक कार्यक्रम करेगा।

पृष्ठ 38 का शेष

कहलाता था। वस्तुत: यह शब्द काल और नम्बर इन दो अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर गढ़ा गया है।

वर्तमान संविधान के अंतर्गत फीजी के सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग अंग्रेजी के साथ आवश्यक है। वहां हिन्दी की पत्र एवं पत्रिकाएं पिछले 50 वर्षों से प्रकाशित होती रही हैं। फीजी सरकार के सूचना विभाग द्वारा जारी कृषि एवं मौसम संबंधी सूचनाएं, पोस्टर और समाचार पत्र भी हिन्दी में निकलते हैं।

सूचना विभाग के मासिक मुखपत्र का नाम "शंख" है वहां के निवासी 80 वर्षीय पं. कमला प्रसाद मिश्र तथा कंवर जैसे कवि और लेखक फीजी में ही रहते हैं। मिश्र जी को 1977 में पिछली जनता सरकार द्वारा विश्व के 5 श्रेष्ठ गैर-भारतीय हिन्दी विद्वानों के रूप में सम्मानित किया गया था। स्व. रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने उनकी "ताजमहल" कविता की सराहना तीसरे दशक में की थी।

हिंदी के बढ़ते चरण

भारतीय वायुसेना

1. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 1991-92 के दौरान वायुसेना मुख्यालय तथा अधीनस्थ स्थापनाओं में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी निदेशों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया गया। इस दिशा में किए गए प्रयासों की रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त निरीक्षण दलों ने इस अवधि में 15 वायुसेना स्थापनाओं का दौरा करके समीक्षा की तथा सराहना की। संसदीय उपसमिति ने भी वर्ष 1991-92 के दौरान वायुसेना स्टेशन, जामनगर तथा अनुरक्षण कमान नागपुर का दौरा किया और सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की।

2. वायुसेना में हिंदी के नए पदों का सृजन

वायुसेना की विभिन्न यूनिटों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुवाद अधिकारियों, वरिष्ठ अनुवादकों, कनिष्ठ अनुवादकों तथा हिन्दी टंककों के नए व अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया जिससे वायु सेना में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग को और अधिक गति मिलेगी।

3. हिंदी शिक्षण योजना

वर्ष 1991-92 में कार्मिकों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने में गहरी रुचि ली। 156 कार्मिकों ने जून 91 में आयोजित प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। 122 कार्मिकों ने दिसम्बर 91 में आयोजित प्रारम्भिक, मध्यम व उच्च परीक्षाएं पास की। इसी प्रकार सिविलियन कर्मचारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ-परीक्षाएं की गईं। हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए भी कार्मिकों को सुविधाएं दी गईं।

4. हिंदी कार्यशालाएं

वायुसेना मुख्यालय में 1991-92 में छः हिन्दी कार्यशालाएँ चलाई गई जिनमें 62 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

5. अन्तःकमान राजभाषा शील्ड

वायुसेना की यूनिटों और कमानों के बीच हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में भी अन्तर यूनिट और अन्तर कमान राजभाषा शील्ड योजना जारी रखी गई। वर्ष 1991 की अन्तः कमान राजभाषा शील्डें अप्रैल, 92 में हुए वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में वायुसेनाध्यक्ष ने निम्नलिखित क्रम से प्रदान कीं।

(क) मध्य वायु कमान (स्वर्ण)

(ख) अनुरक्षण कमान (रजत)

(ग) पश्चिम वायु कमान (कांस्य)

6. वायुसेना की स्थापनाओं/यूनिटों के बीच निर्धारित प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रयास किए गए और इस प्रगति की सराहना हुई।

7. भारत के राजपत्र में अधिसूचित निदेशालय/यूनिट

वायुसेना में नौ निदेशालयों और चार यूनिटों को राजभाषा नियम 10 (4) के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

8. गृह पत्रिकाओं को पुरस्कार

रक्षा मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ विभिन्न स्थापनाओं द्वारा हिन्दी या द्विभाषी रूप में प्रकाशित गृह-पत्रिकाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। 26 नवम्बर, 91 को हुई हिन्दी सलाहकार समिति की 22 वीं बैठक में रक्षा मंत्रालय द्वारा वायुसेना की तीन पत्रिकाओं "दीपकिरण" (वायुसेना स्टेशन, ताम्बरम्), " संचारिका " (वायुसेना स्टेशन, जालहल्ली) तथा "पारिजात" (वायुसेना स्टेशन, कानपुर) को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, 20 जुलाई, 1992 को हुई

हिन्दी सलाहकार समिति की 23वीं बैठक में "सूरतगढ़ टाइम्स" पत्रिका के प्रकाशन के लिए नम्बर 35 विंग, वायुसेना को पुरस्कृत किया गया।

9. **राजभाषा पुरस्कार**

वायुसेना मुख्यालय में 9 जनवरी 92 को 1990-91 वर्ष से सम्बद्ध राजभाषा शील्डें प्रदान करने और वायुसेना मुख्यालय में हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए " राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह " किया गया। कार्मिक प्रभारी वायु अफसर, वायुसेना मुख्यालय, समारोह के मुख्य अतिथि थे जिन्होंने सफल निदेशालयों को शील्डें तथा विजेता-कार्मिकों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए। निम्नलिखित निदेशालयों को सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए पुरस्कार-स्वरूप राजभाषा शील्डें प्रदान की गई :—

(क) इंजीनियरी सहायता निदेशालय	प्रथम पुरस्कार (स्वर्ण शील्ड)
(ख) कार्मिक (सिविलियन) निदेशालय	द्वितीय पुरस्कार (रजत शील्ड)
(ग) अनुरक्षण प्रशासन निदेशालय	तृतीय पुरस्कार (कांस्य शील्ड)

10. निम्नलिखित कार्मिकों ने गत वर्ष हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए :—

(क) हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता

सार्जेण्ट जी.पी चतुर्वेदी, श्री प्रवीण कुमार, श्री महेश कुमार सहगल,

(ख) हिंदी निबंध प्रतियोगिता

श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, स्क्वाड्रन लीडर अनिल पाण्डेय, श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा,

(ग) हिंदी शब्दज्ञान तथा वाक्यांश प्रतियोगिता

श्री टेकचन्द, सार्जेण्ट जी पी चतुर्वेदी, श्री मामराज,

(घ) हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता

कु. कमलेश अरोड़ा, श्रीमती ऋतु रोहतगी, श्रीमती संतोष तंवर,

(ङ) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

श्री मामराज, कुमारी चन्द्रिका,

(च) हिंदी भाषा प्रतियोगिता

श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, सार्जेण्ट जी पी चतुर्वेदी, सार्जेण्ट राधेश्याम पाण्डे, कार्पोरल निर्मल कुमार, श्री अशोक कुमार ।

(छ) स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता

श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुपम शर्मा, श्री दीपक शर्मा, श्रीमती आभा जैन ,

11. **सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन की नकद** पुरस्कार योजना के अंतर्गत 9 जनवरी, 92 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में निम्नलिखित कार्मिकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए :—

श्रीमती बानी सेठ, श्री पृथ्वीराज, श्री महेश कुमार, सहगल, श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, श्री जे एन नैय्यर, श्रीमती ललितांबिक एस, श्री एम एस रावत, श्री रजनी मोहन गुप्ता, सार्जेण्ट ए सी बिशनोई,

12. **प्रोत्साहन**

कमान मुख्यालयों तथा उनके अधीनस्थ यूनिटों में वर्ष 1991-92 में आयोजित नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया :—

(क) अनुरक्षण कमान

लीडिंग एअर क्राफ्टसमैन मोर आर के, कार्पोरल अनिल कुमार श्रीवास्तव, जूनियर वारण्ट अफसर आर के सिंह, कार्पोरल आर के सिंह, लीडिंग एअर क्राफ्टसमैन शर्मा डी सी,

(ख) पश्चिम वायु कमान

श्री मानसिंह, अवर श्रेणी लिपिक, श्री किशोरकुमार, अवर श्रेणी लिपिक, श्री सूरतसिंह, अवर श्रेणी लिपिक, वारण्ट अफसर के एन श्रीवास्तव ,

(ग) मध्य वायु कमान

श्री एस एन मल्होत्रा, वैयक्तिक सेवा संख्या 17232

(घ) पूर्व वायु कमान

जूनियर वारण्ट अफसर जगतार सिंह, जूनियर वारण्ट अफसर वी डी गौतम

13. **अनुवाद कार्य**

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों का अनुपालन करते हुए सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, वायुसेना आदेश, वायुसेना अनुदेश, नियम, प्रशासनिक रिपोर्ट आदि कामकाज द्विभाषी तैयार किए जाते हैं। विभिन्न समितियों की बैठकों से संबंधित सभी कागजपत्र, गणतंत्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, वायुसेना दिवस, अलंकरण समारोहों से संबंधित साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किया जाता ।

14. वायु सेना के अफसरों तथा वायु सैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण नोटों इत्यादि के अनुवाद का कार्य भी

वायुसेना मुख्यालय में होता है। वर्ष 1991-92 में विभिन्न वायुसेना आदेशों, अनुदेशों, इत्यादि, के अलावा तीस प्रशिक्षण नोटों का भी हिन्दी में अनुवाद किया गया।

15. हिंदी संगोष्ठी

वायुसेना कमान मुख्यालय द्वारा समय-समय पर हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में विचार व्यक्त करने का मौका मिल सके। तदनुसार, वायुसेना स्टेशन, ताम्बरम् (मद्रास) में 13 व 14 जनवरी, 1992 को "वैज्ञानिक/तकनीकी तथा ट्रेड विषयों के प्रशिक्षण में हिन्दी का वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग" से संबंधित संगोष्ठी की गई।

रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति की तेईसवीं बैठक 20 जुलाई, 1992 को हुई। उस बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र सेना मुख्यालयों एवम् अन्तर सेवा संगठन में से वायुसेना मुख्यालय ने वर्ष 1991-92 में सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके राजभाषा चल वैजयन्ती "क" वर्ग में (200 या इससे अधिक अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का वर्ग समूह) द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री जी ने वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि कार्मिक प्रभारी वायु अफसर को पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।

17. राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिए जारी किए गए तमाम कार्यक्रमों को सार्थक रूप से लागू करने के लिए भारतीय वायुसेना निरन्तर सक्रिय व प्रयत्नशील है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में हम निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे।

प्रस्तुति
विंग कमाण्डर एन जोतवाणी
उप शिक्षा निदेशक (राजभाषा)
वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

मुख्य डाक महाध्यक्ष का कार्यालय

केरल परिमंडल, तिरूअनंतपुरम-33

यह निर्णय लिया गया है कि आगे से निम्नलिखित सावधिक विवरण, रिपोर्ट आदि यहां से अनिवार्य रूप से हिन्दी/द्विभाषा में भेजे जाएंगे।

सी.एंड पी. जी.

1. गुम/नष्ट/क्षतिग्रस्त आदि डाक सामग्रियों के लिए दी गई क्षतिपूर्ति संबंधी तिमाही विवरण।
2. अभिशासित/बरखास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी तिमाही विवरण।

स्टाफ

1. अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों की भर्ती की प्रगति संबंधी मासिक विवरण।
2. आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती संबंधी तिमाही विवरण।

तकनीकी

1. तार परियात से संबंधित मासिक विवरण।
2. पासपोर्ट शुल्क स्टांप की बिक्री से संबंधित मासिक विवरण।
3. औट स्टेशन चैकों की निकासी और कारोबार के अन्य साधनों से संबंधित तिमाही विवरण।
4. थोक-डाक सामग्रियां भेजने वालों में फ्रांकिंग मशीन का प्रचार।

स्थापना

1. खोले/बन्द किए गए डाक घरों और लेखा कार्य-क्षेत्र के परिवर्तन संबंधी तिमाही विवरण।

लेखा व पेंशन

1. लंबित पेंशन मामलों का विवरण।
2. परिमंडल/महानिदेशालय स्तर पर पेंशन मामलों के मॉनिटरिंग संबंधी मासिक विवरण।
3. पेंशन/मृत्यु-सेवानिवृत्ति उपदान/परिवार पेंशन/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना संबंधी लंबित मामलों का मासिक विवरण।
4. पेंशन शाखा पर मासिक निरीक्षण रिपोर्ट।
5. मृत्यु/सेवा निवृत्ति उपदान एवं पेंशन भुगतान में विलंब के मामलों को निपटाने कार्यविधि के सरलीकरण संबंधित मासिक विवरण।
6. प्रशासन को सशक्त बनाने से संबंधित मासिक विवरण।
7. विभागेतर एजेंटों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान संबंधी तिमाही विवरण।
8. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति सुविधाओं से संबंधित तिमाही विवरण।
9. पेंशन/सामान्य भविष्य निधि/मृत्यु-सेवानिवृत्ति उपदान के लंबित मामलों की संख्या संबंधी तिमाही विवरण।

योजना

1. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार से संबंधित मासिक विवरण।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार से संबंधित तिमाही विवरण।

सामान्य

1. समय की पाबंदी संबंधी मासिक विवरण।

शेष पृष्ठ 94 पर

चित्र-समाचार-।

केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, में आयोजित प्रदर्शनी का दृश्य ।
दाएं से डा. एस. ए. एच. आबिदी, निदेशक, महा सागर विकास विभाग, श्री गणेश मंत्री
संपादक धर्मयुग, डा. एस. जैड, कासिम सदस्य योजना आयोग
बी. एन. धवन, निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान सँस्थान

श्रीमती सुधा श्रीवास्तव (सहायक निदेशक) व प्रख्यात लेखक श्री कमल शुक्ल
(पीछे) श्री दिनेश शुक्ल प्रख्यात अभिनेता ('चाणक्य' के चन्द्रगुप्त)

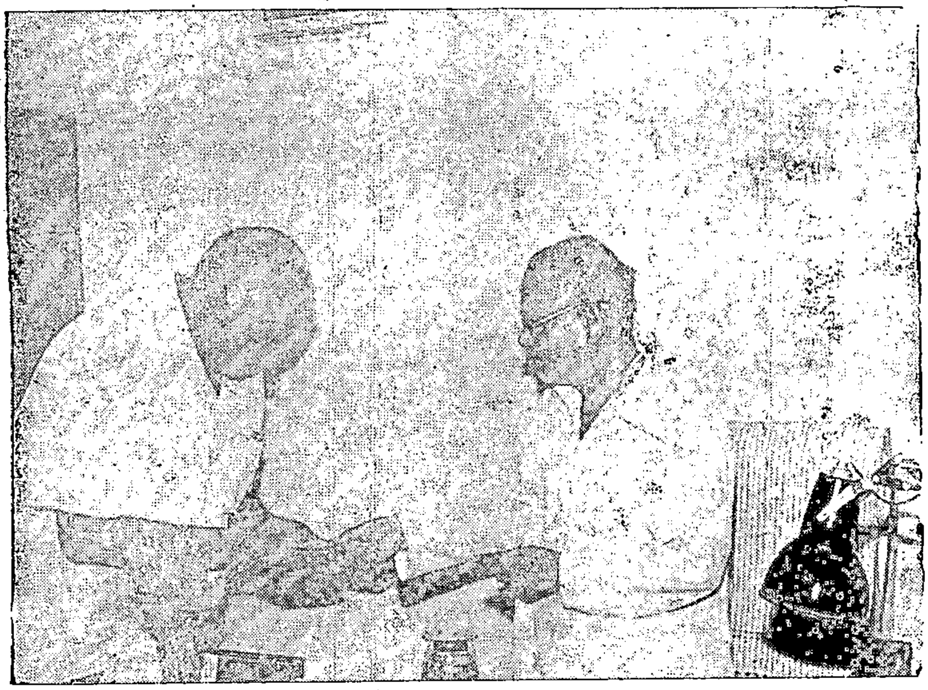

आकाशवाणी बीकानेर में आयोजित 'सम्मान कार्यक्रम' में मुख्य अतिथि श्री अम्बिका दत शास्त्री वयोवृद्ध संस्कृत साहित्यकार (दाएं) से वर्ष 1989–90 के लिए हिन्दी में सर्वाधिक डिक्टेशन देने के फलस्वरूत नकद पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री विश्वम्भर नाथ केन्द्र निदेशक

मंचासीन श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, सांसद श्रीमती वीणा वर्मा तथा श्री अनिल शास्त्री भू० पू० मंत्री विचार व्यक्त करते हुए श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव।

नराकास ईटानगर की बैठक में बाएं से श्री डी. एस. त्यागी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री विष्णुदत्त ममगाई, अध्यक्ष, नराकास, श्री हरिओम श्रीवास्तव उप निदेशक (का.)

पूर्वोत्तर रेलवे में रेल सप्ताह के अवसर पर सर्वाधिक हिंदी प्रयोग के लिए अंतरमण्डलीय राजभाषा कार्यकुशलता शील्ड महाप्रबन्धक श्री आनन्द स्वरूप भटनागर से प्राप्त करते हुए लखनऊ मंडल के राजभाषा अधिकारी श्री जगतपाति शरण निगम।

आकाशवाणी विजयवाड़ा में हिन्दी कार्यशाला की एक झलक।

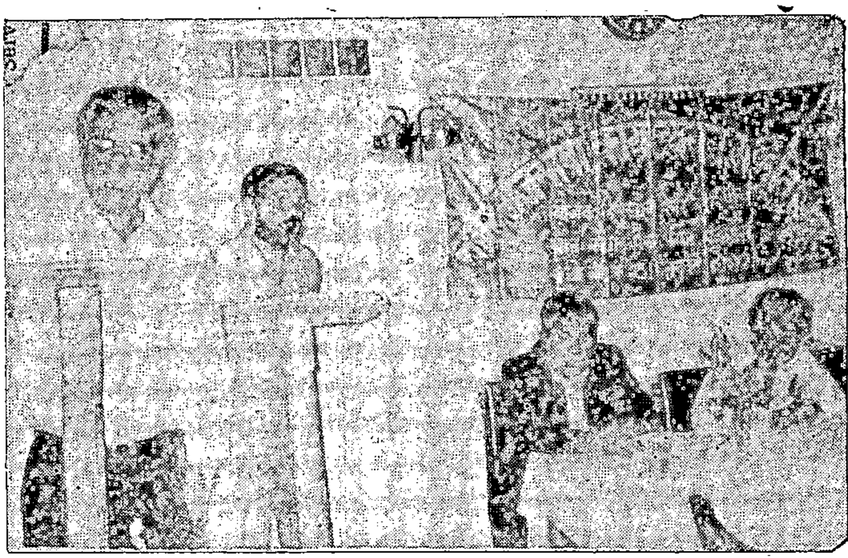

नराकास सिलचर की चौथी बैठक के अवसर पर (बाएं से) बोलते हुए अध्यक्ष, श्री श्यामाप्रसाद दासगुप्ता तथा विशिष्ट वक्ता डा. ओम प्रकाश शर्मा (कलकत्ता) बैठे हुए (बाएं से) श्री आर. एस. डी. पाण्डेय, महाप्रबन्धक (कार्य) कछाड़ पेपर मिल

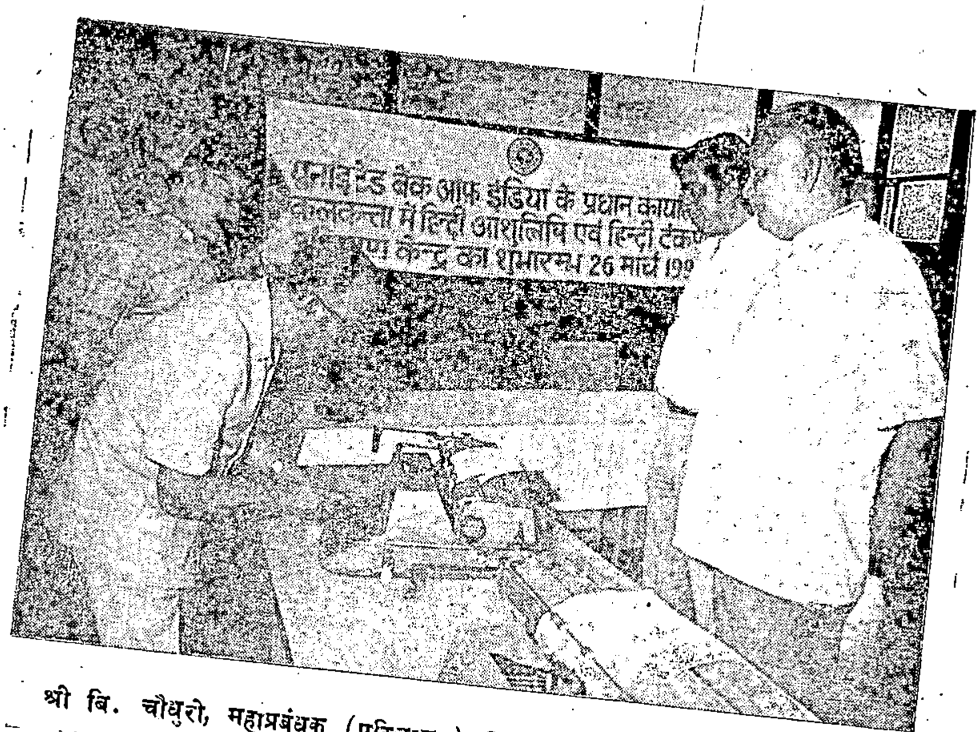

श्री बि. चौधुरी, महाप्रबंधक (परिचालन) हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण केन्द्र का उद्‌घाटन करते हुए।

(बाएं से) डा. दलसिंगार यादव, राजभाषा अधिकारी, श्री मा. वि. मोभण, उप महाप्रबंधक, श्री कृष्णनारायण मेहता उप निदेशक, श्री विजंय गांधी, महाप्रबन्धक श्री रा. कि. जोशी, सहायक महाप्रबंधक, डा. दामोदर खडसे, प्रभारी उप प्रबंधक

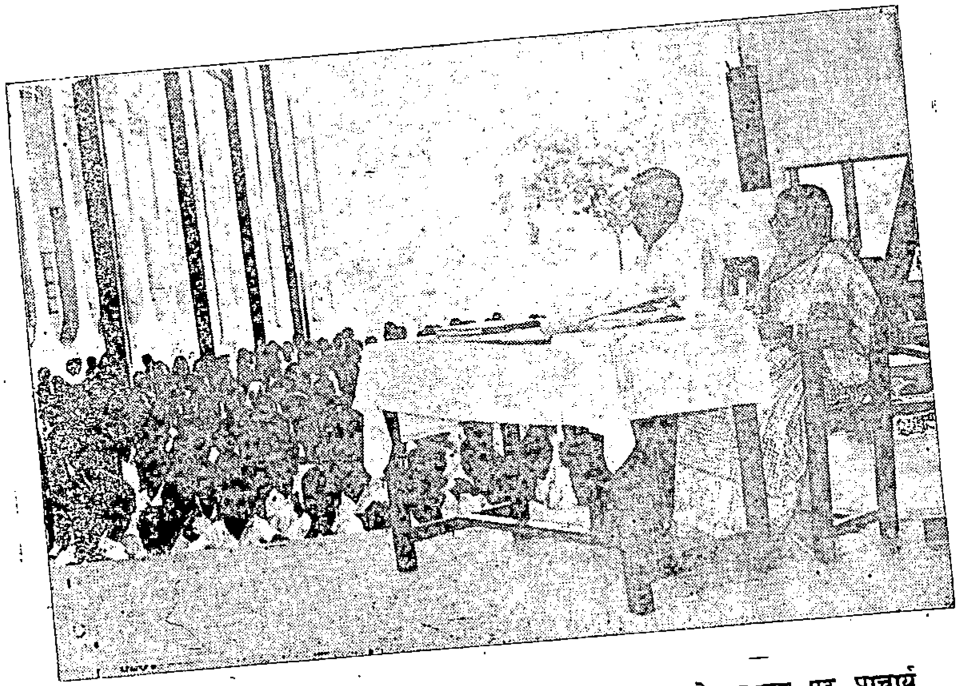

केन्द्रीय, विद्यालय कराईकुडीं (तमिलनाडु) में हिन्दी दिवस के अवसर पर प्राचार्य
श्री सी. ए. शेषाद्रि तथा मुख्य अतिथि ।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 बेलगाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक ।

हिंदी दिवस समारोह

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

—एक दृष्टि में—

(1)	केन्द्रीय विद्यालय (भारत वर्ष में)	768
	केन्द्रीय विद्यालय (विदेशों में)	3
	क्षेत्रीय कार्यालय	15

(2) क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा यथा-सम्भव विधिवत् कार्य किया जाता है।

(3) 190 केन्द्रीय विद्यालयों, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 60 केन्द्रीय विद्यालयों और 2 क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिसूचित करवाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध भी किया जा चुका है।

(4) संगठन के मुख्यालय में सितम्बर 1991 की तिमाही में अंग्रेजी के 6955 और हिंदी के 3455 पत्र जारी किये गये।

(5) क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में प्रयोग में लाए जा रहे हिन्दी टाइपरइटरों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में देवनागरी के 57 तथा रोमन के 145 टाइपराइटर हैं।

(ख) कुल केन्द्रीय विद्यालयों में 434 में से देवनागरी का एक-एक टंकण यंत्र है।

(6) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड आफ गवर्नर्स के निर्णय के अनुसार प्राइवेट इन्सटीट्यूट में हिंदी सीखने के लिए अग्रिम राशि भी कर्मचारियों को दी जाती है।

(7) संगठन द्वारा हिंदी में प्रतियोगिता पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय, (असम) गुवाहाटी

खानापारा, गुवाहाटी-781022

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय परिवार की **ओर** से हिन्दी सप्ताह का आयोजन हर्षोल्लाह के साथ किया गया। इस आयोजन का प्रारम्भ चौदह सितम्बर को विद्यालय की प्राचार्या द्वारा उद्घाटन की घोषणा के साथ हुआ। उद्घाटन भाषण के लिए प्रसिद्ध हिन्दी-असमिया साहित्यकार **श्री नवारूण वर्मा को आमन्त्रित किया गया।** अनेक अध्यापकों ने वक्तव्य दिये तथा काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। विद्यालय स्तर पर काव्य-पाठ का आयोजन किया गया जिससें छात्र-छात्राओं का हिन्दी-प्रेम तथा ज्ञान अभिभूत हुआ। निबन्ध, सुलेख, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है। **सप्ताह भर में अधिकाधिक काम हिन्दी में ही करने का निर्णय किया गया।** पोस्टरों तथा सूक्तियों आदि से कक्षाएं तथा प्रमुख स्थल सजाए गये।

राजेन्द्र त्रिवेदी, कार्यवाहक प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, बेलगाम (कर्णाटक)

गत वर्ष की भांति 'हिन्दी-सप्ताह' एवं 'हिन्दी-दिवस-समारोह' का आयोजन भव्य रूप में हुआ। हिन्दी सप्ताह का शुभारंभ दिनांक 16-9-91 को विद्यालय के प्राचार्य ई. कुट्टीकृष्णन् ने किया। प्रातःकालीन प्रार्थना-सभा में राजभाषा हिन्दी में अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए लोगों से अपील की तथा राजभाषा हिन्दी को अपनाने पर बल दिया।

कक्षा 10 की छात्रा संध्या एस. द्वारा 17-9-91 को प्रातः कालीन प्रार्थना-सभा में विद्यालय के कर्मचारियों एवं समस्म छात्र-वर्ग को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियम, अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया। हिन्दी-सप्ताह के दौरान समस्त

कार्य हिन्दी में किये गए । साथ ही साथ छात्र-छात्राओं एवं अन्य कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी की ओर आकृष्ट करने, उनमें राजभाषा-प्रेम जगाने एवं प्रोत्साहित करने के लिये कई प्रतियोगिताएं की गईं और खुशी की बात है कि पुरस्कार विजेताओं में सर्वाधिक हिन्दीतर भाषी रहे । अन्य कार्य-क्रमों के अलावा छात्र-छात्राओं के लिए वाद-विवाद, अंत्याक्षरी एवं हिन्दी काव्य-पाठ प्रतियोगिताएं की गईं ।

हिन्दी सप्ताह का सबसे प्रमुख आकर्षण इस वर्ष हिन्दीतर भाषी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के लिये आयोजित हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता रही––जिसमें मैथ्स टी.जी.टी. श्री बी.वाई. कुम्भार को स्वरचित कविता पाठ के लिए प्रथम पुरस्कार, साइंस टी.जी.टी. श्रीमती गीता भूते को द्वितीय पुरस्कार तथा कार्यानुभव शिक्षक श्री रत्नशेखर तथा संगीत शिक्षिका श्रीमती अपर्णा हुंगुंड को सम्मिलित रूप से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए । काव्य पाठ के समय बच्चों की उत्सुकता एवं खुशी देखते ही बनती थी ।

20–9–91 को पंजाब नेशनल बैंक, तिलकवाड़ी के शाखा प्रभारी श्री एस.एम. शेट्टी की अध्यक्षता में सभागार में 'हिन्दी दिवस समारोह' का भव्य आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कार्यक्रम पेश किए गये जिनमें हिन्दी एकांकी नाटक–'ऐसा भी होता है' को मुख्य अतिथि ने प्रथम घोषित किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम तथा ज्वलंत सामाजकि समस्याओं पर आधारित इस व्यंग्यात्मक हिन्दी एकांकी की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । श्री शेट्टी की हिन्दी में काम करने के लिए दी गई प्रेरणा सराहनीय रही और प्रसन्न मुद्रा में दिये गये उनके हिन्दी भाषण का समस्त विद्यालय परिवार ने स्वागत किया।

केन्द्रीय विद्यालय गुंतकल, आन्ध्र प्रदेश-515801

दिनांक 14–9–91 से 21–9–91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है।

1. हिन्दी नाट्य प्रतियोगिता (2) हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता; (3) अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम जैसे छात्र-प्रतिज्ञा, दैनिक विचार, दैनिक समाचार, अनुच्छेद हिन्दी में ही प्रस्तुत किए गए । साथ ही उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को प्रशास्ति-पत्र प्रदान किए गए ।

प्रचार्य केन्द्रीय विद्यालय
गुन्तकल

केन्द्रीय विद्यालय, पासीघार (अरुणाचल प्रदेश)

दिनांक 14–9–91 से 21–9–91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों से परिचित कराया गया। हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए कर्मचारियों से अपील की गई।

अ...
गया ...

केन्द्रीय वि...

खड़की पु...

हिन्दी सप्ताह के दौरान ... प्रचार एवं प्रसार को को बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(1) 14 सितम्बर से 21 सितम्बर तक प्रार्थना सभा का पूरा कार्यक्रम हिन्दी में किया गया तथा हिन्दी भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया ।

(2) हिन्दी सप्ताह के दौरान विद्यालय में सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिन्दी में ही किया गया।

(3) हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष से ही एक श्यामपट्ट की व्यवस्था की गई है, जिसपर प्रतिदिन हिन्दी के शब्द लिखे जाते हैं और प्रतिदिन प्रार्थना सभा में पिछले दिन के शब्दों को छात्राओं से पूछा जाता है जिससे बच्चों में हिन्दी भाषा के प्रति रुचि एवं शब्द शक्ति का विकास हो रहा है ।

(4) हिन्दी सप्ताह के दौरान स्व-रचित कविता आशु-कविता लेखन, निबंध, सुलेख, भाषण, वाद-विवाद, काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(5) समापन समारोह के दिन कक्षा छः से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के बीच अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हुई, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया ।

(6) हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया गया।

(7) प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की ओर से प्रमाण-पत्र की व्यवस्था भी की गई ।

बी.ई. जी. और सेंटर
खड़की, पुणे 3

के. वि. इच्छानाथ मँदिर के पास
सूरत (गुजरात)

दिनांक 16–9–91 को हिन्दी सप्ताह कार्यक्रम के शुभारंभ के समय सेवारत हिन्दी के प्राध्यापक (एम.टी.बी महा विद्यालय सूरत) श्रीमान डी.एन. कायस्थ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । इस दिन प्राचार्य श्री मु.जा. मुले शिक्षक वृन्द एवं छात्रवृन्द द्वारा स्वरचित काव्य पाठ का कार्यक्रम था । विद्यालय के ग्यारह छात्रों ने तथा प्राचार्य श्री मुले, यू.एस. सिंह (पी.जी.टी. अर्थ.) श्रीमता राजरानी (पी.सी.टी. आंग्रेजी) कु. माला भगत (टी.जी.टी. हिन्दी) श्री पी.के. गुप्ता (टी.जी.टी. संस्कृत) ने

स्वरचित कविताओं का पाठ किया। 16–9–91 को दूसरा कार्यक्रम प्रश्नोत्तर का था हिन्दी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सदनीय व्यवस्था पर आधारित प्रतियोगिता के रूप में था। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में टैगोर सदन प्रथम, शिवाजी सदन द्वितीय, अशोक सदन तृतीय और रमण चतुर्थ स्थान पर रहे। अन्त में श्री कायस्थ ने हिन्दी भाषा विषयक मूल्यवान विचारों से लाभान्वित किया।

दिनांक 17–9–91 मंगलवार को छठी कक्षा से ऊपर वाले छात्रों हेतु निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी। यह प्रतियोगिता निम्न माध्यमिक हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इस प्रकार तीन स्तरों में रखी थीं। इस प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्र इस प्रकार हैं

निम्न माध्यमिक

प्रथम दिनेश महेश्वरी (8 बी)

द्वितीय कु. गगन दीप कौर (7 बी)

तृतीय अनंत उटगीकर (8 ए)

उच्च माध्यमिक

प्रथम कु. सुषमा पटेल (11 कला)

द्वितीय कु. प्रतिमा जैन (11 कला)

तृतीय ब्रिजेश भाटिया (12 वाणिज्य)

माध्यमिक

प्रथम कु. छवि माथुर (10)

द्वितीय प्रणव गोमास्ता (9)

तृतीय सुनीता उटगीकर (9)

दिनांक 18–9–91 को सदनीय व्यवस्था पर आधारित अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता थी। अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में छात्रों ने एवं अध्यापक वृन्द ने भी हिस्सा लिया। इस में हिन्दी कविता, दोहे, भजन, गीत, गज़ल तथा राष्ट्रभक्ति फिल्मी गीत गाए। इस प्रतियोगिता का परिणाम।

प्रथम—टैगोर सदन तृतीय—रमण सदन

द्वितीय—अशोक सदन चतुर्थ—शिवाजी सदन

दिनांक 19–9–91 को तत्काल भाषण प्रतियोगिता थी। यह प्रतियोगिता उच्चमाध्यमिक एवं माध्यमिक इस प्रकार दो स्तरों में थी। इसका परिणाम इस तरह रहा।

उच्च माध्यमक

प्रथम स्थान रजनीश सिंह (11 विज्ञान)

द्वितीय स्थान कु. सोनाली सहा (11 कला)

माध्यमिक

प्रथम स्थान कु. नीतिन भारती (9)

कु० सुनीता उट्गीकर (9)

दिनांक 20–9–91 को प्राथमिक कक्षा के छात्रों की हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता थी। प्राथमिक कक्षा के छात्रों ने बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा :—

प्रथम स्थान—मनु सक्सेना (5बी)

द्वितीय स्थान—कु. केतकी गौड (3बी)

तृतीय स्थान—कु. वंदना सिह (4बी)

दिनांक 21–9–91 (प्रमाण पत्र वितरण एवं समापन कार्यक्रम)

भारत जननी एक हृदय हो
एक राष्ट्रभाषा हिन्दी में

कोटि कोटि जनता की जय हो........इस मधुर गीत से समूहगान कार्यक्रम आरंभ हुआ। संपूर्ण सप्ताह में हुई विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर विजेता बने छात्रों को प्राचार्य श्री भुले ने प्रमाण पत्र दिए और राष्ट्र भाषा का महत्व एवं उसके प्रसार और प्रचार हेतु मार्गदर्शन दिया।

केन्द्रीय विद्यालय सी.आई. टाउन
आदिलवाद (आंध्र प्रदेश)

दिनांक 14–09–91 से 21–9–91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

हिन्दी सप्ताह के कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर एवं सफल बनाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कारों एवं प्रशंसा पत्रों की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में राजभाषा उन्नति, प्रचार-प्रसार आदि बिन्दुओं को मुख्य उद्देश्य बनाया गया था जिससे छात्रों का रुझान राजभाषामहत्व की ओर बढ़े और वे भाषा की उपयोगिता को समझ सकें।

(शिवराम त्रिवेदी)
प्रधानाचार्य

संयोजक
पाठ्येतर क्रियाएं
कौशल कुमार भारती,
टी.जी.टी. (हिन्दी)

केन्द्रीय विद्यालय एन. डी. ए.
खडकवासला, पुणे 411023

हिन्दी सप्ताह बड़े उत्साह एवं उमंग पूर्वक मनाया गया। इस अवसर में अनेकानेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देना था।

सप्ताहान्त तक चले इस समारोह में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उनका तिथिवार ब्योरा निम्नांकित है :—

दिनांक 16 सितंबर 1991

1. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियम तथा अनुदेशों की जानकारी दी गई।

2. प्राचार्या वसन्ता पदमनाभन ने अपील जारी की जिसमें सभी कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य करने का आग्रह किया गया।

3. "हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों" –इस व्याख्यान माला के अंतर्गत छात्रों एवं अध्यापकों ने अनेक विचारोत्तेजक एवं शोधपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए।

4. भक्तिकाल के तीन प्रमुख स्तभों—तुलसी, सूर एवं मीरा की रचनाएं प्रस्तुत की गई।

दिनांक 17 सितंबर 1991

1. ओज गुण से संपन्न हिन्दी कविताओं का स-स्वर पाठ।

2. हिन्दी में हो रहे कामकाज के नमूनों तथा टिप्पण/आलेखन आदि का प्रदर्शन।

3. टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता

4. हिन्दी शब्दावली, पत्र-पत्रिकाएं, संदर्भ ग्रंथ एवं प्रमुख साहित्यकारों (प्रेमचंद, सुमित्रानदंन पंत) की रचनाओं का प्रदर्शन।

दिनांक 18 सितम्बर 1991

1. शब्दखेल एवं पहेलियां (प्राथमिक विभाग हेतु)
2. साहित्य प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम
3. काव्यपाठ
4. बालगीत (प्राथमिक विभाग द्वारा)

दिनांक 19 सितंबर 1991

1. निबंध लेखन प्रतियोगिता

2. हिन्दी टाईपराईटर एवं कम्प्यूटर के प्रयोग का प्रदशन।

3. राजभाषा हिन्दी से संबंधित अब तक की रिपोर्टों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।

दिनांक 20 सितम्बर 1991

1. वाचिक अभिनय प्रतियोगिता

2. सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि गोपालसिंह नेपाली रचित कव्वाली की प्रस्तुति।

दिनांक 21 सितम्बर 1991

1. अंतरसदनीय अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता
2. प्रमाण पत्र वितरण।

केन्द्रीय विद्यालय न. 3 वायु सैना
तेजपुर (असम)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

1. दिनांक 14-9-91 कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया तथा हिन्दी में टिप्पण/आलेखन टंकण/आशुलिपि के लिए प्रतियोगिता की गई।

2. 16-9-91 हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए अधिकरियों ने अपील जारी की। इन पर जो कठिनाईयां थी उन पर विचार विमर्श किया गया और राजभाषा सम्बन्धी प्रचार सामग्री जैसे, शब्दावली, पत्र पत्रिकाएं संदर्भ साहित्य आदि का प्रदर्शन एवं वितरण किया गया।

3. 17-9-91 हिन्दी में चैक / नमूने / टिप्पण / आलेखन आदि का प्रदर्शन किया गया और द्विभाषी यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे टाईपराईटर, वर्ड प्रोसेसर आदि का प्रदर्शन किया गया।

4. 18-9-91 हिन्दी में टिप्पण, आशुलिपि, वाद-विवाद, अंत्याक्षरी, निबंध, काव्य पाठ आदि प्रतियोगिता।

5. 19-9-91 छात्रों द्वारा सुरुचिपूर्ण अभिनय, नाटक, गीत आदि के कार्यक्रम।

6. 20-9-91 राजभाषा हिन्दी सम्बन्धित आवधिक रिपोर्टों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी देने के कार्यक्रम।

7. 21-9-91 हिन्दी के सराहनीय कार्य के लिए बच्चों को 3 पुरस्कार एवं प्रमाण आदि बांटे गये तथा कुछ लोगों ने समापन समारोह में विचार व्यक्त किये।

के. वि. पय्यन्नुर (जिला कण्णुर) केरल

तारीख 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

तारीख 16-9-91 को प्रातः नो बजे 32 केरल बटालियन, लेफिटनेंट कर्नल श्री के. रामकृष्णन की अध्यक्षता में हिन्दी सप्ताह समारोह का उद्‌घाटन हुआ। सप्ताह के दौरान विद्यालय की प्रातः कालीन सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में चलाए गए। विद्यार्थियों के लिए तरह-तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बाहर से दो व्यक्ति बुलाए गये तथा अध्यापकों ने भी भाषण दिए।

कार्यक्रम

1. 16-9-91 सोमवार—उद्‌घाटन (32 केरल-बटालियन लेफिटनेट कर्नल श्री के. रामकृष्णन)

2. 17-9-91 मंगलवार — अनुवाद प्रतियोगिता (छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए)

3. 18-9-91 बुधवार 1. भाषण —श्री के. वि. बालन एम ए बी एड
(प्राध्यापक, मातमंगलं हाई स्कूल)
2 कठिता-पाठ प्रतियोगिता
(चौथी और पांचवीं कक्षा के लिए)

4. 19-9-91 गुरूवार —आंगिक गीत प्रतियोगिता
(दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए)

5. 20-9-91 शुक्रवार —प्रश्नोतरी प्रतियोगिता
(छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए)

एस सोम सुन्दरम
23-9-91

नोट—श्री एस. सोम सुन्दरम प्राचार्य, के अनुसार कार्यक्रम सवन्धी खवर अखबार इंडियन एक्सप्रैस (कोचिन) ता. 20-9-91 तथा राधिका (मलयालम) में भी छापी गयी।

केन्द्रीय विद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलूर-12 (कर्णाटक)

दिनांक 14-09-91 से 21-09-91 तक हिन्दी सप्ताह में हिन्दी प्रयोग के प्रति जागरूगता उत्पन्न करने की दृष्टि से निम्न लिखित कार्यक्रम किए गए:

निबन्ध, अन्त्याक्षरी सुलेख, कविता पाठ, वाद-विवाद., एकांकी आदि।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 कलाईकुण्डा (मिदनापुर)
पश्चिमी बंगाल

प्रति वर्ष की तरह हिन्दी सप्ताह का आयोजन सफलता-पूर्वक किया गया। हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :—

1. हिंन्दी सप्ताह का शुभारम्भ दिनांक 16-9-91 को प्राचार्य श्री वी. सी. पटनायक ने किया।

2. हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी कार्य, यहाँ तक कि हस्ताक्षर एव पत्राचार आदि हिन्दी में ही हुए। उपस्थिति पुस्तिका में सभी कर्मचारियों के नाम हिन्दी में ही लिखे गए।

3. हिन्दी की विशेषताएं तथा उसकी लिपि पर छात्रों ने प्रतिदिन सभास्थली पर प्रकाश डाला।

4. प्रत्येक दिन हिन्दीतर भाषी क्षेत्र के शिक्षकों को हिन्दी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिये प्रोत्साहित किया गया एवं उन्होंने सफलतापूर्वक अपना दायित्व निभाया।

5. छात्रों ने प्रतिदिन हिन्दी में कविता पाठ, महापुरूषों के विचार, लेखकों की जीवनी आदि सभास्थली में प्रस्तुत किए।

6. प्रशासनिक शब्दावलियां, विचार, सूक्तियां, स्वरचित कविताएं तथा राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की पटिट्यां छात्रों ने तैयार की एवं जगह-जगह प्रदर्शित कीं।

7. हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं।

क. दिनांक 16-9-91 : प्राथमिक वर्ग (कक्षा 1 से 5 तक) के छात्रों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पर भाषण प्रतियोगिता में 12 छात्रों ने भाग लिया।

ख. दिनांक 17-9-91 : कवि सम्मेलन हुआ जिसमें विद्यार्थियों ने स्वरचित कविताओं का सस्वर पाठ किया।

ग. दिनांक 18-9-91 कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 6 से 8 तक) के छात्रों के लिये नृत्य प्रतियोगिता में छात्रों ने हिन्दी लोक नृत्य प्रस्तुत किए।

घ. दिनांक 19-9-91 : वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12 तक) के छात्रों के लिए सृजनात्मक लेख आयोजन छात्रों ने अपनी योग्यता का परिचय अपने लेखों के माध्यम से दिया।

ङ. दिनांक 20-9-91 : वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12 तक) के छात्रों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता में करीब 50 छात्रों ने भाग लिया।

च. दिनांक 21-9-91 : अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न कवियों की कविताएं, दोहे, देशभक्ति गीत एवं भजन आदि प्रस्तुत किए।

8. हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 21-9-91 को निम्न प्रकार से अनुष्ठित की गई (क) प्राचार्य के अनुपस्थिति में समापन समारोह उप-प्राचार्य जी द्वारा दीपक प्रज्वलन से हुआ।

केन्द्रीय विद्यालय हेब्बाल (बेंगलूर)

इस विद्यालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक किया गया। इस अवधि में प्रतिदिन छात्रों ने हिन्दी में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कई प्रतियोगिताएं भी चलाई गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

केन्द्रीय विद्यालय क्र.—2 सेना,
भुज-370001 (गुजरात)

राष्ट्रभाषा हिन्दी में निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए:—

1. सप्ताह भर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में हुआ।

2. प्रदर्शन पट्ट को "हिन्दी राष्ट्रभाषा" से सम्बन्धित सामग्री से सजाया गया।

3. सदनों के बीच हिन्दी अन्तयाक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन।

4. सदनों के बीच हिन्दी स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन।

5. "हिन्दी राष्ट्रभाषा" विषय पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने विचार प्रस्तुत किए।

6. कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों में हिन्दी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन।

7. वरिष्ठ सदनों के बीच हिन्दी एकांकी, नाटक प्रतियोगिता।

8. समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोहन रमानी, कार्यकारी हिन्दी कार्यक्रम निदेशक (आकाशवाणी केन्द्र, भुज) थे, उन्होंने राष्ट्रभाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला एवं प्रोत्साहन हेतु छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

केन्द्रीय विद्यालय, हैप्पीवैली,
शिलांग-793007, (मेघालय)

पूर्व परम्परानुसार विद्यालय में दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर विद्वान प्रभारी प्रधानाचार्य श्री एस. एल. वाजपेयी एवं वरिष्ठ हिन्दी अध्यापक डा. एल. एम. गुप्त ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपयोगिता एवं महत्त्व पर प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला

दूसरे दिन दिनांक 1-9-91 ई. को कक्षा I—XII के प्रत्येक कक्षा एवं अनुभाग में विद्यार्थियों की सुलेख प्रतियोगता हुई।

दिनांक 18-9-91 ई. को वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्ग के चयनित विद्यार्थियों की अन्तर्सदनीय क्रमशः लोक गीत एवं कहानी प्रतियोगिताएं हुई।

कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों की दिनांक 19-9-91 ई. को अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हुई।

दिनांक 20-9-91 ई. को विद्यालय के वरिष्ठ वर्ग के छात्रों की वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय थी "हिन्दी के माध्यम से राष्ट्र का विकास"।

समापन दिवस दि 21-9-91 ई को विद्यालय के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्ग के छात्रों के बीच क्रमशः "भारतीय संस्कृति की रक्षिका हिन्दी" व "राष्ट्रभाषा हिन्दी की विशेषताएं" विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता हुई। तत्पश्चात्, एकादश एवं द्वादश कला के विद्यार्थियों ने "हिन्दी का महत्व" विषय पर नाटक प्रस्तुत किया।

इस प्रकार हिन्दी सप्ताह के अवसर पर हिन्दी के प्रति जागरूकता, अभिरूचि, लगन, उत्तरोतर प्रयोग एवं कर्तव्य-निष्ठता का भाव विद्यार्थियों में जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया गया, साथ ही विद्यालय कर्मचारियों में भी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से छात्र - छात्रओं एवं कर्मचारियों में हिन्दी भाषा के प्रति जागृति आई है।

विद्यालय का हिन्दी विभाग तथा हिन्दी संस्कृत समिति के सभी सदस्य हिन्दी को यथोचित स्थान तथा विद्यार्थियों में अधिकाधिक सम्मान दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1

ए.एफ.एस. ताम्बरम्, मद्रास-600073

'हिन्दी सप्ताह समारोह' का साप्ताहिक आयोजन दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक निम्नांकित कार्यक्रमों के द्वारा बड़ी धूम-धाम से मनाया गया।

	दिनांक
1. कक्षा 6 और 1, 2, 3 के छात्रों के लिए सुलेख प्रतियोगिता	16-9-91
2. कक्षा 4 एवं 5 के छात्रों के लिए अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता	17-9-91
3. कक्षा 4 और 5 के छात्रों के लिए साहित्यिक व्यक्तित्व प्रतियोगिता	21-9-91
4. निबंध प्रतियोगिता	18-9-91
5. कक्षा 6 के लिए निबंध एवं प्रश्न-मंच प्रति-	17-9-91
योगिता तथा	18-9-91
6. कक्षा 7 एवं 8 के लिए निबंध प्रतियोगिता	16-9-91
प्रश्नमंच प्रयोगिता	18-9-91
कहावतों के जन्म का मंचन	21-9-91

7. कक्षा 9 एवं 10 के लिए निबंध प्रतियोगिता 16-9-91, वाद-विवाद प्रतियोगिता 17-9-91, प्रश्न-मंच 18-9-91

8. कक्षा 11 एवं 12 के लिए—निबंध प्रतियोगिता 16-9-91, वाद-विवाद प्रतियोगिता 17-9-91, प्रश्न मंच 18-9-91

दिनांक 21-9-91 समापन समारोह एवं कवि सम्मेलन—

समापन समारोह का शुभारम्भ कु. निशि एवं समूह के प्रार्थना गान से हुआ। सभा के मुख्य अतिथि डॉ. दिनेश प्रताप तोमर (प्रवक्ता एवं अध्यक्ष बी. एड्. विभाग, दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास) का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रबुद्ध हिन्दी स्नातकोत्तर शिक्षक श्री जी. के. वाशा ने कार्यवाही का भार श्रीमती बिमला सिंह पी. जी. टी. हिन्दी को सौंपा। सभा कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक व्यक्तित्व, कहावत के जन्म के मंचन से, श्रीमती के. प्रीता बाई, हिन्दी शिक्षिका एवं श्री अनिल कुमार गुप्त (के. वि. 2, ताम्बरम्) निर्णायकों के अधीन हुआ।

प्राचार्या (श्रीमती सौदामिनी) ने मुख्य अतिथि, निर्णायक, शिक्षकों एवं छात्रों को धन्यवाद देते हुए हिन्दी की महत्ता एवं

आवश्यकता पर बल देते हुए हिन्दी के विकास में युवाओं का आह्वान किया ।

मुख्य अतिथि महोदय ने सभा को संबोधित करते हुए समापन समारोह की सफलता पर धन्यवाद देते हुए हिन्दी को सम्पर्क भाषा एवं राष्ट्र भाषा पर आरूढ़ित करने में छात्रों का योगदान मांगा ।

निर्णायक मंडल ने छात्रों के प्रदर्शन एवं उनकी उत्सुकता के लिए उन्हें बधाई दी ।

श्रीमती बिमला सिंह (पी.जी.टी. हिन्दी), श्री जंगबहादुर गोड (टी.जी.टी. हिन्दी) तथा कु. सुखजीत कौर शिक्षिका ने अपनी मौलिक कविताओं से छात्रों का हित-वर्द्धन किया ।

अन्त में श्री जंगबहादुर गोड़ (टी.जी.टी.) ने धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

केन्द्रीय विद्यालय, भा. नौ. पो. द्रोणाचार्य कोचिन-68200, (केरल)

हिन्दी सप्ताह का आयोजन सितम्बर महीने में उक्त समय पर किया गया । सप्ताह समारोह विविध कार्यकलापों तथा प्रतियोगिताओं के साथ धूम-धाम से हुआ ।

छात्रों तथा कर्मचारियों ने सजीवता तथा लगन के साथ इन कार्यकलापों तथा प्रतियोगिताओं में भाग लिया । विजेताओं के लिए पुरस्कार का भी प्रबन्ध कराया गया ।

प्रमुख प्रतियोगिताएं निम्नलिखित थीं :

हिन्दी कविता—रचना	छात्रों के लिए—1
कहानी—रचना	कर्मचारियों के लिए—1

सुलेख—प्रथम कक्षा से लेकर दसवीं तक के छात्रों के लिए—1

प्राचार्य से लेकर दफ्तर के सभी कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में सक्रिय भाग लिया ।

केन्द्रीय विद्यालय डिब्रूगढ़ (असम)

हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक किया गया जिसमें विभिन्न कार्यक्रम किए गए । इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले तथा सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को वार्षिक सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा ।

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	आयोजन की तिथि
1.	हिन्दी काव्य पाठ	16-9-91 से 21-9-91 प्रतिदिन
2.	हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता (विषय—राष्ट्रीय एकता में हिन्दी की भूमिका)	18-9-91
3.	अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता	19-9-91
4.	हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता (विषय—राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा हिन्दी या अन्य—भाषा	21-9-91
5.	हिन्दी कहानी कथन प्रतियोगिता (प्राथमिक वर्ग हेतु)	21-9-91

केन्द्रीय विद्यालय ए.एफ. एस यलका, बेंगलूर-63

14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिस में निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए :

14-9-91	हिन्दी के महत्त्व पर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के दो बच्चों ने भाषण दिए ।
16-9-91	कविता वाचन (माध्यमिक कक्षा के बच्चों द्वारा)
17-9-91	कहानी वाचन—(प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा)
18-9-91	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग (निबन्ध-लेखन)
19-9-91	हिन्दी कविता वाचन (उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा)
20-9-91	हिन्दी लिपि की वैज्ञानिकता (निबन्ध-लेखन)
21-9-91	कवि सम्मेलन (बच्चों द्वारा)

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में किए गए ।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 जिप्मर कॅपस, पांडेचेरी-605006

विद्यालय में दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिदिन, प्रतियोगिताएं की गई जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

केन्द्रीय विद्यालय विजयनारायणम (तिरुनेलवेली) तमिलनाडु

दिनांक 14-9-91 को "हिन्दी राजभाषा के रूप में" इस पर अध्यापकों ने टिप्पणी की ।

15-9-91 को, सभी कार्य हिन्दी में करने को प्रधानाचार्य श्री अप्पूकुट्टी और हिन्दी शिक्षक ने प्रेरित किया।

16-9-91 को, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें कक्षा 7, 6 और 4 तथा कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

17-9-91 को वाद-विवाद प्रतियोगिता में कक्षा 7, 6 तथा कक्षा 5, 4 ने भाग लिया। इसमें एक कारखाने के लाभ और हानि पर हिन्दी में चर्चा कराई गई।

18-9-91 को काव्य पाठ प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी छात्रों ने भाग लिया। इसमें विशेष रूप से कबीर, सूर, तुलसी, मीरा तथा महादेवी वर्मा की कविताएं हुई तथा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता का पाठ हिन्दी शिक्षक ने किया।

19-9-91 को नाटक प्रतियोगिता में नाटक का नाम था, मालिक और नौकर, चोर और दण्ड। मालिक और नौकर में 5 छात्र तथा चोर और दण्ड में 8 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा।

21-9-91 को निबन्ध प्रतियोगिता में तीन अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। राजभाषा हिन्दी पर लियाकत अली ने अपना वक्तव्य दिया तथा भाषा और एकता पर अजीत कुमार शुक्ला तथा राष्ट्रहित और अनुशासन पर रामाधार सिंह ने।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 गोलकोण्डा (सेन्ट्रल स्कूल) महम्मदी लाइन्स हैदराबाद-500008

हिन्दी सप्ताह के सिलसिले में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) 16 सितम्बर, हिन्दी दिवस के दिन, हिन्दी के महत्व को बताते हुए 'अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। इंडियन बैंक के राजभाषाधिकारी श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय मुख्य अतिथि एवं निर्णायक भी थे। अन्त्याक्षरी कार्यक्रम अत्यन्त रोमांचक रहा।

(2) 17-9-91 को "वाद-विवाद प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। वाद-विवाद का विषय रहा "भारत की सांस्कृतिक एकता में हिंदी का योगदान।"

(3) 18-9-91 को हिन्दी में 'कविता-पठन' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आकर्षक एवं रोमान्चकारी थी।

(4) 19-9-91 को 'प्रश्न-मंच' में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक तथा उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। छात्र/छात्राओं ने बड़े लगन एवं उत्साह से होड़ की और शोभा में चार चांद लगा दिए।

(5) 20-9-91 को वक्तृत्व तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय रहा "मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरा करे।"

(6) 23-9-91 को "एकांकी" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक सदन के छात्र/छात्राओं ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया।

(7) अन्तिम दिन (24-9-91) को "कवि-सम्मेलन" किया गया। सायंकालीन हिन्दी महाविद्यालय की प्राचार्या "श्रीमती सुशीला व्यापारी" मुख्य अतिथि एवं निर्णायिका भी थी। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना एवं गीता श्लोकों से हुआ।

लगभग बीस छात्र-छात्राओं तथा हिन्दी के शिक्षक, शिक्षिकाओं ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रदर्शन पट पर राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों आदि विषयों की भी जानकारी दी गई। हिन्दी में हुए काम-काज, आलेखों का प्रदर्शन भी किया गया। विद्यालय के निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा आशुलिपि का प्रदर्शन भी किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय ध्रागन्ध्रा (गुजरात)

दिनांक 16-9-91 से दिनांक 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ दिनांक 16-9-91 को निबन्ध-प्रतियोगिता से हुआ और समापन डा. पी. आर. पटेल, व्याख्याता, हिन्दी-विभाग, एस. पी. जैन कॉलेज ध्रांगध्रा की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सप्ताह में आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार थे:—

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	आयोजन का दिनांक
1.	निबन्ध प्रतियोगिता (वरिष्ठ वर्ग)	16-9-91
2.	काव्य पाठ प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग कनिष्ठ वर्ग	18-9-91
3.	काव्य पाठ प्रतियोगिता (प्राथमिक वर्ग)	19-9-91
4.	आशुवाक प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग कनिष्ठ वर्ग	20-9-91
5.	प्रश्न-मंच कार्यक्रम	21-9-91
	कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए गए।	

छात्रा कुमारी कविता कौशिक, श्री विनोद कुमार जोशी, सुश्री रागिनी त्रिवेदी तथा श्री सी. एस. सिंह आदि अध्यापकों ने राजभाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र-छात्राओं ने दिनांक 21-9-91 को मुख्य-अतिथि डॉ पी. आर. पटेल से पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्राप्त किए ।

केन्द्रीय विद्यालय, लोकतक परियोजना, मणिपुर

14 सितम्बर से 21 सितम्बर सन् 1991 के बीच हिन्दी दिवस/सप्ताह के समारोहों का आयोजन किया गया इस पुनीत अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम यथा भाषण, अन्त्याक्षरी, निबन्ध लेखन व वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस समारोह के अंतिम दिन एक कवि दरबार भी किया गया जिसमें छात्र प्रतिभागियों ने स्वरचित एवं अन्य की कविताओं का सस्वर वाचन किया। हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान कवि जैसे रसखान, हरिवंश रायबच्चन, गोपाल प्रसाद व्यास, महादेवी वर्मा, सूरदास और मीरा बाई की कृतियों का सस्वर वाचन करके प्रतिभागियों ने उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पवित्र अवसर पर हिन्दी साहित्य के अनेक मर्मज्ञ छात्रों को अपने आशीवर्चन से ओत-प्रोत किये। अन्त में विद्यालय के प्राचार्य श्री नेलधर भूआं ने आए हुए विद्वान महानुभावों का स्वागत किया और साथ ही साथ धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार भी दिए ।

केन्द्रीय विद्यालय नं.—II धारा, रोड, ऊधमपुर, (जम्मू एवं कश्मीर)

इस सप्ताह में प्रार्थना, समाचार, सद्भावना, विचार, प्रतिज्ञा, प्रश्नमंच इत्यादि कार्यक्रम हिन्दी भाषा में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ छात्र-छात्राओं ने तथा अध्यापक-अध्यापिकाओं ने हिन्दी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला।

वरिष्ठ वर्ग के छात्र-छात्राओं ने भावमय भाषण का आयोजन किया तथा कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों ने काव्य पाठ की प्रतियोगिता में भाग लेकर हिन्दी सप्ताह के आयोजन की पूर्ति की जिसके परिणामस्वरूप तीन वरिष्ठ वर्ग तथा तीन कनिष्ठ वर्ग के सुयोग्य विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर उत्साहित किया गया।

कुछ आदर्श, स्मरणीय उद्धरण, अच्छे विचार, निरक्षरता एवं एकता से संबंधित पद्य विद्यार्थियों द्वारा तालिका पट्टियों पर लिखाकर, उनकी कक्षाओं में लगवाए गए।

केन्द्रीय विद्यालय, आवड़ी, मद्रास

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाया गया जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। समारोह की रिपोर्ट प्रस्तुत है:—

16-9-91 :— हिन्दी भाषा का महत्व, सम्पर्क भाषा, हिन्दी देश की अन्दी, हिन्दी पर विचार व्यक्त किए।

17-9-91 :— साहित्य सम्मेलन :— प्रमुख कवि एवं साहित्यकारों की रचनाओं का प्रदर्शन।

18-9-91 नृत्य एवं भजन।

19-9-91 कवि सम्मेलन।

20-9-91 कविता पाठ एवं गीत

21-9-91 एकांकी, समूह गान एवं चुटकले।

केन्द्रीय विद्यालय, वायुसेना स्टेशन, आवडी, मद्रास-55

'हिन्दी सप्ताह' समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक विविध कार्यक्रम प्रतियोगिताएं कवि-गोष्ठियां आदि की गई। जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

13-9-91 —हिन्दी सप्ताह का प्रारम्भ
(14-9-91 के स्वागत भाषण स्थान पर)
हिन्दी दिवस पर भाषण – अर्चना XIC
समूह गान (तुलसी भजन) – IXD द्वारा

16-9-91 —कविता पाठ – मुकेश – XIA
भाषण – अनुपमा – XII

17-9-91 —कविता – पाठ-प्रतियोगिता – VI, VII के लिए आशु-भाषण—प्रतियोगिता

18-9-91 —कविता—पाठ-प्रतियोगिता – IX और VIII के लिए

19-9-91 —कविता—पाठ-प्रतियोगिता—X, XI, X I के लिए

20-9-91 —कवि गोष्ठी
—सुलेख प्रतियोगिता, कक्षा VI, VII, VIII के लिए ।

21-9-91 —हिन्दी दिवस – हिन्दी सप्ताह – समापन समारोह

कविगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री शर्मा (के. वि. मीनमबाक्कम, प्राचार्य) थे। श्री वेंकटरामन (के. वि. ओ. सी. एफ के प्राचार्य) अध्यक्ष थे। इनके अतिरिक्त श्रीमती जयन्ती, श्रीमती श्रद्धा, श्रीमती शांता, श्री आर. एस. मौर्य, श्री रघुनाथान और श्री रतनलाल आदि ने भी अपनी अपनी कविताएं सुनाई।

केन्द्रीय विद्यालय, तिरूचिरापल्ली, नं. 1 तमिलनाडु—99

दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधोलिखित रूप में प्रस्तुत किए गए।

16-9-91 —प्राचार्य का उद्घाटन भाषण।
आठवीं के छात्रों का "महकते सुमन" अमर वाणी पाठ।

17-9-91 नवीं कक्षा के छात्र एम. जीवा का हिन्दी भाषा के महत्व पर सारगर्भित भाषण
अरूण पुरुषोत्तम द्वारा (कक्षा सात) कविता पाठ

18-9-91 —कक्षा छठवीं के छात्रों के द्वारा समूह गान

19-9-91 —प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा समूह गान एवं कहानी कथन
—उपप्राचार्य का हिन्दी भाषा के महत्व पर भाषण

20-9-91 —सातवीं कक्षा की छात्रा के. वीना तथा छठवीं के छात्र आर. गौतम "मां कह एक कहानी" का नाट्य प्रस्तुतिकरण

21-9-91 —नवीं कक्षा की छात्राओं द्वारा प्रार्थना।
—संयोजक हिन्दी कार्यान्वियन समिति द्वारा स्वागत भाषण
—सातवीं कक्षा की छात्रा सावित्री का कविता पाठ
—कक्षा सातवीं के छात्र कृष्णचन्द्रन का हारमोनियम वादन
—उपप्राचार्य द्वारा स्वरचित कविता पाठ
—मुख्य अतिथि जमाल मुहम्मद कालेज के प्राध्यापक श्री शर करीमउल्ला का भाषण
—श्रीमती उज्जवला कुल्लू का धन्यवाद ज्ञापन।

उपरोक्त भाषण अत्यन्त रोचक एवं प्रभाव पूर्ण रहा। विशेष कर मुख्य अतिथि का भाषण छात्रों के लिए ज्ञान वर्द्धक रहा। हमारा यह विश्वास है कि भविष्य में हमारे छात्र इसी प्रकार उत्साह के साथ हिन्दी के प्रसार और प्रचार के लिए हिन्दी सप्ताह का आयोजन करते रहेंगे और हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए काम करेंगे।

के. वि. मद्रास, कल्पाक्कम, (तमिलनाडु)

अपनी भाषा भावात्मक एकता का आधार होती है। अतः भारत की प्रत्येक दिशा में एकमत होकर इसके प्रचार में सहयोग देना है।

केन्द्रीय विद्यालय सं. – 2, कल्पाक्कम के प्राचार्य, अध्यापकगण, कार्यालय के कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में सक्रिय भाग लिया।

हिन्दी सप्ताह का विवरण

हिन्दी सप्ताह का आरम्भ सोमवार 16 सितम्बर से हुआ। प्रातःकालीन सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में हुए। हिन्दी स्नातक शिक्षिका ने प्राथमिक कक्षाओं की प्रातःकालीन सभा में "हिंदी की विशेषता" पर भाषण दिया। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की प्रातःकालीन सभा में छात्रा कुमारी राजलक्ष्मी ने "हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार" पर व्याख्यान दिया। राष्ट्रभाषा हिन्दी पर एक कविता रची गई, जिसे बड़े ही मार्मिक ढंग से सुनाया गया। 17 सितम्बर को प्रातःकालीन सभा में छात्र-छात्राओं का एक हास्य कवि सम्मेलन हुआ। 18 सितम्बर को प्रातःकालीन सभा में हिन्दीतर भाषी शिक्षक एवं गैर शिक्षकों ने भाग लिया। जिसमें स्वरचित कविताओं का पाठ हुआ। माध्यमिक की बालिकाओं ने एक स्वर गान प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 19 सितम्बर को माध्यमिक स्तर के छात्र ने "हिन्दी की समस्याएं" पर जोरदार भाषण दिया। 20 सितम्बर को प्रातः कालीन सभा में उच्च माध्यमिक छात्राओं ने एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका विषय था "व्यंग्य ही व्यंग्य"। उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम भी हुए। जो निम्नांकित है :—

1. प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रतियोगिताएं थीं –
   (अ) सुलेख प्रतियोगिता
   (आ) कहानी प्रतियोगिता
   (इ) कविता पाठ प्रतियोगिता
2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रतियोगिताएं थीं :—
   (अ) कविता पाठ प्रतियोगिता
   (आ) आशुभाषण प्रतियोगिता
   (इ) पहेली प्रतियोगिता
   (ई) अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता
   (उ) निबंध प्रतियोगिता

प्रातः कालीन सभा में सुविचार एवं समाचार भी हिन्दी भाषा में सुनाए गए। विद्यालय के सभी कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया एवं उसे सफल बनाया।

के. वि. ऐज्वल (मिजोरम)

दिनांक 16-09-91 से 21-09-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

हिन्दी दिवस सप्ताह समारोह का शुभारम्भ मिजोरम विशेष हिन्दी विद्यालय ऐज्वल के प्राचार्य "दोडि मठाथांगा" जी के मुख्य अतिथित्व में किया गया।

स्वागत भाषण करते हुए विद्यालय के प्राचार्य श्री जगन्नाथ राउत में उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक हिन्दी में कार्य करने का आग्रह किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिजोरम प्रान्त में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहें। इसके बाद विद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वारा एक प्रतिनिधि कवि सम्मेलन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कवि सम्मेलन में विभिन्न कवियों की रचनाओं का सस्वर पाठ प्रस्तुत किया गया।

विद्यालीय अध्यापकों में से श्री जयप्रकाश राम, श्री सत्यनारायण, श्री देवीदत्त दीक्षित, श्री रामदीन गौड़ स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन विज्ञान) इत्यादि शिक्षकों ने समसामयिक स्वरचित रचनाएं प्रस्तुत करके सभा में उपस्थित अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को आनन्दित किया।

अन्त में प्राचार्य श्री जगन्नाथ राउत ने हिन्दी के सम्मान में सरल, सरस, हृदयग्राही "आओ मिल सहगान करें, हिन्दी का सम्मान करें" शीर्षक की कविता प्रस्तुत कर सबको भाव-विभोर कर दिया।

परिसमाप्ति पर मुख्य अतिथि श्री दोङ्गिसंगथांगा, प्राचार्य (मिजोरम विशेष हिन्दी विद्यालय) ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखण्डता, सार्वभौमिक उन्नति एवं राष्ट्रीय अस्मिता के विशेष सन्दर्भ में हिन्दी का महत्वपूर्ण योगदान हैं। उन्होंने कहा — "जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है" उन्होंने 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' की पंक्तियों की याद दिलाते हुए कहा — "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को सूल"।

श्री सी. करुनाकरन् के धन्यवाद के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

2. 18 सितम्बर 1991 को विद्यालय में अन्तर्सदनीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता की गई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग हेतु विषय "राष्ट्र भाषा का महत्व" तथा ज्येष्ठ वर्ग हेतु "राष्ट्रीय एकता में हिन्दी का योगदान" नामक शीर्षक निर्धारित किए गए। प्रत्येक सदन से चार-चार प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान कुमारी रुचि अग्रवाल तथा मास्टर गौरव द्वितीय स्थान प्राप्त किए तथा तृतीय स्थान मास्टर सतीश कुमार पाण्डेय ने प्राप्त किया।

ज्येष्ठ वर्ग में मास्टर धीरेन्द्र कुमार प्रथम स्थान एवं मास्टर आशीष अग्रवाल द्वितीय स्थान तथा मास्टर गगन दीप अरोड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इन सभी विजेता प्रतिभागियों को प्राचार्य ने वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत करने की घोषणा की।

3. 21-09-91 को विद्यालय में अन्तर्सदनीय हिन्दी "वाद विवाद" प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक सदन से दो — दो प्रतियोगियों ने भाग लिया। कनिष्ठ वर्ग में निर्धारित विषय था — "केवल हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता की कड़ी हो सकती है या नहीं" तथा ज्येष्ठ वर्ग हेतु "विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी अध्ययन के लिए हिन्दी उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त।" इस प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में मास्टर सतीश पाण्डेय कक्षा — आठवीं प्रथम स्थान तथा द्वितीय स्थान मास्टर गौरव कक्षा — सातवीं ने, कुमारी श्री लेखा ने तृतीय स्थान प्राप्त किये। ज्येष्ठ वर्ग में मास्टर गगन जोत ने प्रथम, मास्टर गगन दीप अरोड़ा द्वितीय तथा कुमारी चेतना रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किये।

इसके अलावा नियमित रूप से विद्यालीय प्रातः कालीन सभा में हिन्दी भाषा के माध्यम से समस्त कार्यक्रम किए गए जिसका प्रारम्भ प्राचार्य श्री जगन्नाथ राउत की स्वरचित कविता से हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री रामदीन गौड़, (स्नातको प्र. शिक्षक रसायन विज्ञान)। श्री सत्यनारायण, प्राथमिक शिक्षक ने व्यांग्यमक रचनाएं प्रस्तुत करके समसामयिक सन्दर्भों में सोचने के लिए बाध्य किया। हिन्दी दिवस सप्ताह समारोह के मुख्य आयोजक श्री देवीदत्त दीक्षित (प्र. स्ना. शिक्षक संस्कृत) ने 'देश रत्न शूर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो' तथा "दुखी न हो कण-कण भारत का सृजन गीत हम गाएं," इत्यादि कविताओं को प्रस्तुत किया।

हिन्दी भाषा के महत्व को प्रचारित करने हेतु विद्यालय प्रांगण में विभिन्न विचारकों, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों साहित्यकारों के अमूल्य विचारों को श्री सत्यनारायण प्रा. शिक्षक, श्री जय प्रकाश राम (प्राथमिक शिक्षक) के विशेष देख रेख में विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से अंकित किया गया ताकि उनसे सभी लोग हिन्दी के महत्व को समझें तथा उसका आदर करें।

कार्यक्रम के अंतिम दिन विद्यालय के प्राचार्य श्री जगन्नाथ राउत ने शिक्षकों, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हिन्दी के सरल एवं सुगम रूप को अपनाने तथा ज्यादा से ज्यादा हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया।

कार्य की परिसमाप्ति पर मुख्य आयोजक श्री देवीदत्त दीक्षित (प्र. स्ना. शिक्षक संस्कृत) ने हिन्दी की शब्द सम्पदा का विवेचन करते हुए, हिन्दी की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए, समस्त विद्यालय परिवार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद दिया।

के. वि. टैंगावैली (अरुणाचल प्रदेश)

वर्ष 1991 के हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन केन्द्रीय विद्यालय टैंवैली (अ. प्र.) में दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक किया गया। हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार तथा उसमें अभिरुचि जगाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया।

समारोह का श्रीगणेश विद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री रामभरोसे शर्मा के वक्तव्य से हुआ। उन्होंने समस्त

विद्यालय परिवार से अनुरोध किया कि वे इस सप्ताह में अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का प्रयोग करें और कार्यालय में भी हिन्दी में काम करें। विद्यालय परिवार के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के मध्य आलेखन तथा टिप्पण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रथम स्थान डाक्टर शंकर दास चक्रवर्ती प्राचार्य ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान श्री वेणुगोपालन स्नातक शिक्षक (गणित) ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान श्रीमती सरस्वती गोपालन कृष्णा ने प्राप्त किया।

दिनांक 17-9-91 को वरिष्ठ वर्ग के निबन्ध प्रतियोगिता का तथा प्रा. कक्षाओं के लिए सुलेख प्रतियोगिता कक्षा 12वीं विज्ञान से अभिलेख भारद्वाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निबन्ध का शीर्षक था "युद्ध एक अभिशाप है या वरदान" कक्षा 6 से कु. अंजु रावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके संचालन का दायित्व डा. एस. एन. चतुर्वेदी को सौंपा गया। प्रातःकालीन सभा में हिन्दी शिक्षक श्री धर्म सिंह ने हिन्दी भाषा के स्वरूप पर विस्तार से अपना भाषाण दिया।

दिनांक 18-9-91 को प्रातः कालीन सभा में कक्षा ग्यारहवीं के छात्र शब्बीर आलम ने प्रादेशिक मनीषियों के योगदान के सम्बन्ध में एक लघु भाषण दिया जिसका दिशानिर्देशन डा. एस. एन. चतुर्वेदी ने किया। दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं में वाद-विवाद प्रतियोगिता में दो वर्ग थे कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग का विषय था "कबीर कवि थे" तथा वरिष्ठ वर्ग का शीर्षक था "हिन्दी राष्ट्र भाषा बने"। इसमें कनिष्ठ वर्ग की विजेता कु. जयंती चक्रवती प्रथम रही जो कक्षा आठवीं की छात्रा है। वरिष्ठ वर्ग में रमित त्यागी कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन हिन्दी शिक्षक श्री रामेश्वर दिवाकर ने किया।

दिनांक 19-9-91 को प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में प्रादेशिक मनीषियों के योगदान के अन्तर्गत कु. शकुन्तला भट्टी जो ग्यारहवीं (कला) की छात्रा है ने एक लघु भाषण दिया। चार छात्रों ने विभिन्न कवियों की वेषभूषा में कविता पाठ किया। इस प्रतियोगिता में कु. प्रवीना शर्मा ग्यारहवीं (कला) की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दिनांक 20-9-91 को प्रात:कालीन सभा में प्रादेशिक मनीषियों के योगदान के अन्तर्गत कु. सितारा ग्यारहवीं (कला) की छात्रा ने एक लघु भाषण दिया। दसवें एवं ग्यारहवें कालांश में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता के संचालन का दायित्व श्री योगेन्द्र कुमार शाक्य, श्री आर. के. सोनकर एवं श्री धर्म सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में कु. शकुन्तला भट्टी (11वीं कला) कु. प्रवीना शर्मा (12वीं कला) जगदीप (10वीं) तथा कु. जयंती चक्रवर्ती (कक्षा आठवीं) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दिनांक 21-9-91 को प्रातः कालीन सभा में कु. प्रवीना शर्मा ने प्रादेशिक मनीषियों के योगदान के अन्तर्गत एक लघु भाषण दिया दिनांक 20-9-91 को विद्यालय में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका संचालन श्री शंकरदास चक्रवर्ती, प्राचार्य ने किया जिसमें सभी शिक्षकों ने भाग लिया।

दिनांक 21-9-91 को ही लेफ्टिनेंट कर्नल श्री ओ. पी० यादव शिक्षाधिकारी 21 वीं पर्वतीय डिवीजन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हीं की अध्यक्षता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया गया जिसमें अभिनय, गीत नृत्य सम्मिलित थे और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के अन्तर्गत कु. शकुन्तला भट्टी ग्यारहवीं कला कु. रंजना देउपा 11वीं विज्ञान कु. मंजू लता 11वीं कला, कु. जयंती चक्रवर्ती (8वीं) कु. टीका माया (आठवी) कु. नीना वर्धन (सातवीं ब) तथा कु. अनीता पाटिल (सातवीं ब) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया अभिनय के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में सोहित सेनी (कक्षा पाचवीं) एवं उसके साथियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया और द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संगीत शिक्षक श्री सुरेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 वायुसेना स्टेशन, मद्रास

गत वर्षो की भांति हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक किया गया। इस सप्ताह के दौरान प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में प्रस्तुत किए गए। सप्ताह के दौरान प्रधानाचार्य सहित अनेक अध्यापक-अध्यापिकाओं ने हिन्दी भाषा के महत्व 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' क्यों? हिन्दी के प्रचार प्रचार में सहयोग कैसे करें, आदि विषयों पर प्रकाश डाला। सप्ताह के दौरान छात्र-छात्राओं के लिए अनेक प्रतियोगिताएं की गई जिसमें छात्र-छात्राओं ने रुचि के साथ भाग लिया।

सप्ताह के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता कविता पाठ वाद-विवाद प्रतियोगिता हिन्दी भाषण प्रश्न मंच अंत्याक्षरी कवि सम्मेलन आदि प्रतियोगिताएं की गई।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह दि. 21-9-91 को हुआ जिसमें मुख्य अतिथि डा. पी. के बालसुब्रह्मणम हिन्दी विभागाध्यक्ष (मद्रास क्रिश्चियन कालेज) थे।

समापन समारोह के दिन प्री-सीनियर एवं सीनियर के लिए काव्य प्रतियोगिता की गई। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल के सदस्य मुख्य अतिथि डा. साहब, श्रीमती विमला सिंह

स्नातकोत्तर अध्यापिका (हिन्दी) के. वि. न. 1 एवं श्री जंग बहादुर गोर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिन्दी के। वि. नं. 1 थे।

विद्यालय के प्राचार्य श्री जान मूंजनाट ने अपने हिन्दी भाषण में कहा कि हमें सरकारी काम काज में भी हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी के प्रचार प्रसार में सहयोग कर हम सच्चे अर्थों में देश की सेवा कर सकते हैं।

मुख्य अतिथि ने हिन्दी भाषा के प्रयोग करने पर बल दिया। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रगान के साथ हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह सम्पन्न हुआ।

प्राथमिक विभाग

गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राथमिक विभाग में हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक किया गया। सप्ताह के दौरान छात्र छात्राओं के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में रुचि के साथ भाग लिया। सप्ताह के दौरान प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में आयोजित किए गए। अनेक अध्यापक/अध्यापिकाओं ने हिन्दी के महत्व राष्ट्रभाषा हिन्दी की महत्ता हिन्दी का प्रचार, प्रसार कैसे तेज हो आदि विषयों पर प्रकाश डाला।

सप्ताह के दौरान कविता पाठ, सुलेख प्रतियोगिता, एकांकी प्रतियोगिता, हिन्दी भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह 21-9-91 को सम्पन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जॉन मुंजनाट थे। मुख्य अतिथि ने हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया।

मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में विजयी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्र गान के साथ हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह सम्पन्न हुआ।

केन्द्रीय विद्यालय
एफ स्टेशन, अवन्तीपुर (कश्मीर)

हिन्दी सप्ताह के दौरान विद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा अधोलिखित है।

1. विद्यालय में कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं राजभाषा सम्बन्धी नियमों अधिनियम, अनुदेशों, आदि से से परिचित कराया गया।

2. हिन्दी में टिप्पण/आलेखन कार्यक्रम आयोजित किए गए किन्तु विद्यालय में हिन्दी टंकण सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3. हिन्दी में कार्य करने की अपील जारी की गई एवं निर्देशों के कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श।

4. हिन्दी से संबन्धित विद्यालय में प्राप्त समस्त सामग्री पत्रिकाएं, संदर्भ साहित्य आदि का प्रदर्शन एवं वितरण।

5. हिन्दी में चैक में टिप्पण आलेखन आदि का प्रदर्शन।

6. वाद-विवाद अंत्यक्षरी, काव्य पाठ, निबन्ध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।

7. हिन्दी में सुरुचिपूर्ण अभिनय, नाटक गीत आदि कार्य-क्रम।

8. अध्यापकों एवं कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी से संबंधित आवधिक रिपोर्टों की जानकारी।

9. उचित व्यवस्था होने पर हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसापत्र, पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी वितरित करने की योजना है।

केन्द्रीय विद्यालय, दमाना (जम्मू)

14-9-1991 से 21-9-1991 तक बड़े ही चाव व उमंग से हिन्दी सप्ताह मनाया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिन्दी प्रोत्साहन हेतु कविता, गीत, निबंध एकांकी नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अध्यापक व विद्यार्थी वर्ग दोनों ने हिन्दी में अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प लिया।

डा. एच. सी. मदान,
प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय, कालिम्पोंग (प. बंगाल)

हिन्दी साप्ताहिकी रिपोर्ट 14-9-91 से 21-9-91

दिनांक 14-9-91 से दिनांक 21-9-91 तक हर्षोल्लास के वातावरण में हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इसी दौरान गीत एकल अभिनय, भाषण, वाद-विवाद, निबंध, काव्य पाठ प्रतियोगिताए की गई।

इन कार्यक्रमों में विद्यालयी विद्यार्थियों ने अन्तसदनीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेता विद्यार्थियों को निर्णायकों की राय से उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम द्वितीय तृतीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कार प्रदान किए गए।

केन्द्रीय विद्यलय, काकीनाडा (प.बंगाल)

14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्न-लिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) प्रत्येक दिन विद्यालय के एक शिक्षक ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार एंव महत्व के विषय में विचार व्यक्त किए।

(2) वाद विवाद अन्त्याक्षरी, निबन्ध, कवितापाठ, कहानी तथा आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें विद्यालय के विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों ने अपनी योग्यतानुसार कार्यक्रमों में भाग लिया।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दने का निश्चय, 21-9-91 को हिन्दी सप्ताह का समापन कार्य क्रम विभिन्न विभिन्न भाषा भाषी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के प्रभावशाली भाषण के साथ हुआ।

केन्द्रीय विद्यालय, दोणिमले

छात्रा कु. सोनिका अग्निहोत्री ने स्वागत किया।

मुख्य अतिथि श्री मुरली मनोहर, उत्पादन प्रबन्धक (दोणिमलै लोह अयस्क खान) ने दीप प्रज्जवलित करके हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया।

1. प्रार्थना गीत	(मीराबाई का पद)
2 छात्र-छात्राओं का कविता पाठ	
3. शिक्षक द्वारा व्याख्यान	श्री रवीन्द्र नाथ (पी. आर. टी.),
4. अध्यक्षीय भाषण	श्री सी. पी. पिल्लै पी. जी. टी. (अंग्रेजी)
5. धन्यवाद ज्ञापन	विद्यालय छात्र नेता रोहित रेड्डी
6. कार्य संचालिका	छात्रा शैलजा।

हिन्दी सप्ताह में हिन्दी विषय पर की गयी विशेष चर्चाएं

दिनांक 13-9-91 को मुख्य अतिथि श्री मुरली मनोहर (उत्पादन प्रबन्धक, दोनिमलै लोह अयस्क खान) ने हिन्दी विषय को भूमिका एवं महत्त्व को बताते हुए हिन्दी विषय को राष्ट्र भाषा का दर्जा देना उचित है, विषय पर विचार व्यक्त किए तथा इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने पर बल दिया। प्राचार्य श्री. मधुकर धीरेन्द्रराव कोणनतम्बिगी ने हिन्दी जन सम्पर्क एवं बोलचाल की भाषा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इस विषय पर कहा कि हिन्दी में ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। उन्होंने हिन्दी जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम एक व्यक्ति को हिन्दी सिखाने पर जोर दिया।

कु. रश्मि चोपड़ा ने हिन्दी भाषा को राजरानी का पद दिया तथा हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र भाषा बनाने की ओर भी कदम उठ चुके हैं, विषय पर प्रकाश डाला। मुकुल अग्निहोत्री ने हिन्दी को भारत माता की बिन्दी बताया तथा दक्षिण भारत वासियों से भी हिन्दी सीखने का आग्रह किया।

हिन्दी सप्ताह के अन्तिम दिन अर्थात 21-9-91 को हिन्दी सप्ताह समापन समारोह मनाया गया। छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिन्दी विषय पर विशेष बल दिया एवं अपनी स्वरचित रचनाओं को प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि श्री महेश कुमार अग्निहोत्री (खनन अभियंता, दोणिमलै लौह अयस्क खान) ने हिन्दी के विषय में विचार व्यक्त करते हुए हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा देना उचित बताया। हिन्दी की देवनागरी लिपि की महत्ता बताते हुए, इसे सरल तथा आसानी से लोगों द्वारा पढ़ी एवं लिखी जाने वाली बताया। प्राचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किया। अन्त में सर्वभाषा कवि सम्मेलन प्रारम्भ हुआ जिसमें 50 छात्र-छात्राओं ने एवं 22 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के साथ हिन्दी सप्ताह समापन समारोह हुआ।

केन्द्रीय विद्यालय, सम्बलपुर (उड़ीसा)

हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-91 से 31-9-91 तक किया गया।

इस अवसर पर हिन्दी के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान हेतु कला शिक्षक श्री सन्तोष कुमार बेहेरा एवं श्री पवित्र विश्वाल अवर श्रेणी लिपिक को विशेष पुरस्कार दिए गए। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उन्हें पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

समापन समारोह के अवसर पर श्री बी. बी. दास उपायुक्त आयकर, सम्बलपुर संभाग मुख्य अतिथि थे।

केन्द्रीय विद्यालय एफ सी. आई. रामगुण्डम (आंध्र प्रदेश)

रामगुण्डम में हिन्दी सप्ताह दि. 16-9-91 से 21-9-91 तक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दिनांक 16-9-91 से दिनांक 21-9-91 तक प्रतिदिन प्रात:— प्रार्थना सभा में सभी कार्यक्रम हिन्दी में किए गए। प्रतिदिन प्राथमिक कक्षा के छात्रों ने हिन्दी कविता माध्यमिक तथा उच्चतर कक्षा के छात्रों ने हिन्दी के उद्गम विकास, महत्व एवं प्रचार आदि विषयों पर भाषण दिए। प्रतिदिन एक देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना सभा में सुविचार, समाचार, प्रश्नोतर, सूचनाएं एवं घोषणाएँ हिन्दी में की गई। विद्यालय में छात्र तथा अध्यापकों का आपसी व्यवहार पुस्तकालय तथा कार्यालय में सभी कार्य हिन्दी में हुए।

सप्ताह में हिन्दी में वरिष्ठ, कनिष्ठ तथा कनिष्ठतर छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबन्ध, लेखन तात्कालिक भाषण, भाषण प्रतियोगिताएं की गई। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए सुलेख भाषण तथा कविता पाठ हिन्दी में हुए। विजयी छात्रों के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी की गई।

विद्यालय के पुस्तकालय के सौजन्य से पाठक संघ क ओर से दि. 20-9-91 तथा 21-9-91 को इन दो दिनों के लिए हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में हिन्दी की नई तथा पुरानी पुस्तकें, समाचार पत्र तथा अन्य पत्र पत्रिकाएं रखी गई। छात्र गण प्रदर्शनी से लाभान्वित हुए।

विद्यालय के पुस्तकालय पाठक संघ के सौजन्य से दि. 21-9-91 को हिन्दी के कवि एवं लेखक, प्राध्यापक डा. माधवराव रेगुलपाटी को मुख्य अतिथि के नाते आमंत्रित किया गया और सत्कार समारोह किया गया। उसी दिन मुख्य अतिथि को शाल तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। डा. माधवराव जी की अध्यक्षता में स्थानीय कवियों एवं छात्रों ने एक हिन्दी कवि सम्मेलन भी किया।

केन्द्रीय विद्यालय, मंगलूर (कर्नाटक)

सप्ताह का उद्घाटन दिनांक 16-9-91 को प्रातः कालीन सभा में विद्यालय के हिन्दी स्नातकोत्तर शिक्षक ने किया। उद्घाटन भाषण में शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय से राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि सप्ताह में सभी अधिक से अधिक काम हिन्दी में करेंगें।

तथैव सप्ताहाधीन सभी दिनों में प्रातः कालीन सभा में सभी कार्यक्रम हिन्दी में ही हुए। प्रति दिन राष्ट्र भाषा हिन्दी पर विशेष व्याख्यान हुए। विद्यार्थियों ने स्वरचित कविताएं पढ़ीं। विद्यार्थियों की रचनाएं "भित्ति पत्रिका" में प्रदर्शित की गई।

सप्ताह के दौरान हिन्दी की अनेक प्रतियोगिताएं हुई। वे हैं—1. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, 2. हिन्दी गीत प्रतियोगिता और 3. हिन्दी नाटक प्रतियोगिता। इन सभी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अधिक रुचि ली।

समापन सप्ताह में मंगलूर हिन्दी बी. एड महाविद्यालय के प्राचार्य, श्री सीताराम भट्ट समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विद्यार्थी समुदाय को सम्बोधित किया और विद्यार्थियों के हिन्दी प्रेम को बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया।

केन्द्रीय विद्यालय, वायु सेना स्थल साम्ब्रा (बेलगांव) कर्णाटक

दि. 13 सितम्बर, 1991 को विधिवत् हिन्दी सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सुबह प्रार्थना सभा के बाद श्री नन्दन संगीत अध्यापक एवं छात्रों ने उद्घाटन गीत प्रस्तुत किया। श्रीमती सुमन शर्मा हिन्दी विभाग की अध्यक्ष ने समारोह के अतिथि श्री देशपाण्डे का स्वागत किया एंव हिन्दी भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला। कु. लक्ष्मी राठौर (कक्षा बारहवीं, व की छात्रा) ने हिन्दी दिवस की प्रतिज्ञा छात्रों को दिलाई। छात्रों एंव अध्यापकों ने उस प्रतिज्ञा को मूर्त रूप देने का सफल प्रयास किया।

सप्ताह में कु. रंजना कक्षा बारहवीं व की छात्रा ने 14 सितम्बर की चौदह बातों की ओर सब का ध्यान आकृष्ट किया। शैलेन्द्र कक्षा 11वीं अ के विद्यार्थी ने हिन्दी साहित्य के विकास का श्रोताओं को परिचय दिया।

16 **सितंबर** को श्री प्यारेलाल प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापक ने हिन्दी अपनी भाषा है, उसके विकास में ही हमारा विकास निहित है इस बात को स्पष्ट किया।

17 **सितम्बर** को श्री शिवाजी केदनूरकर स्नातकोत्तर हिन्दी अध्यापक ने हिन्दी एवं प्रांतीय भाषाओं का परस्पर संबंध हिन्दी भाषा की और भाषाओं के शब्दों को अपना कर उन्हें अपने में समा लेने की शक्ति पर विचार अभिव्यक्त किए।

कु. अर्चना कक्षा 11वीं व द्वारा हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

18 **सितम्बर** को श्री आर. वी. सिंह, जीवशास्त्र के अध्यापक ने हिन्दी हमारी भाषा है एवं हर भारतीय को गौरव के साथ उसे अपनाना चाहिए—इस बात पर बल दिया।

कु. नलिनी (कक्षा 12वीं, स की छात्रा) ने राष्ट्र-हिन्दी पर अपने विचार प्रकट किए।

19. **सितम्बर** श्री एस. एन सिंह गणित के अध्यापक ने विज्ञान के ज्ञान को वहन करने की क्षमता हिन्दी में हैं, इस बात को स्पष्ट किया।

कु. ममता, बारहवीं ब की छात्रा ने राजकाज के क्षेत्र में हिन्दी के महत्व पर विचार प्रकट किए।

20 **सितम्बर** श्री अनंताचार्य, गणित अध्यापक ने हिन्दी सरल, सरस एवं मधुर भाषा है, इसलिए भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसे स्वीकार करती है, इसलिए हिन्दी राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है इस बात को स्पष्ट किया।

कु. रमा जोशी (कक्षा 12, क) ने हिन्दी को अपनाने की प्रेरणा दी।

हिन्दी सप्ताह के दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जिसका माध्यम हिन्दी था। 18 सितम्बर को "विज्ञान बेरोजगारी के लिए चुनौती है।" इस विषय पर वरिष्ठ वर्ग के छात्रों के लिए आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में 16 वक्ताओं ने भाग लिया। इसी दिन कनिष्ठ कनिष्ठ वर्ग के भाषण प्रतियोगिता के विषय थे (1) परोपकार (2) विज्ञापन का जीवन में महत्त्व। इन विषयों पर 16 वक्ताओं ने विचार अभिव्यक्त किए।

19 सितम्बर की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में करीब 40 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया एवं उसे सफल बनाया।

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह

दिनांक 21-9-93 को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह किया गया। दैनिक प्रार्थना के पश्चात् मुख्य अतिथि का स्वागत कार्यवाहक प्राचार्य श्री आर. निगम ने किया।

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह का उद्घाटन गीत संगीत के अध्यापक श्री नन्दन एवं छात्रों ने प्रस्तुत किया।

पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री सौंदत्ती ने हिन्दी भाषा के महत्त्व पर विचार व्यक्त किए।

विद्यालय संयोजक श्री, शिवाजी केदनूरकर ने हिन्दी सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा संक्षेप में प्रस्तुत किया।

छात्रों ने कवि सम्मेलन किया

हिन्दी सप्ताह का समापन मुख्य अतिथी स्क्वाड्रन लीडर श्री. एन. सी. शर्मा, शिक्षाधिकारी (वायु सेना स्थल साम्ब्रा) ने हिन्दी भाषा के प्रचार व प्रसार पर दिए गए व्याख्यान के साथ हुआ।

केन्द्रीय विद्यालय, के. रि. पु. ब. बारकस, हदराबाद –5

दिनांक 16-9-1991 से दिनांक 21 21-9-1991 तक हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन एक प्रत्येक उत्साहवर्धक वातावरण में किया गया है। इस उपलक्ष्य में कक्षानुसार एवं सदनानुसार विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजिता की गई।

दिनांक 16-9-1991 को सुलेख प्रतियोगिता कक्षानुसार, दि. 17-9-1991 को निबंध प्रतियोगिता—कक्षानुसार, नि. 18-9-1991 को चुटकुले प्रतियोगिता—सदनानुसर दि. 19-9-1991 को तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता—सदनानुसार दिनांक 20-9-1991 को काव्यपाठ प्रतियोगिता—सदनानुसार और दि. 21-9-1991 का अन्यत्याक्षरी प्रतियोगिता—सदनानुसार आयोजित की गई।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यालय के प्रत्येक छात्र को समुचित प्रोत्साहन दिया गया। प्रतिभाशाली छात्रों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

के. वि. वायुसेना नगर, नागपुर –7

केन्द्रीय विद्यालय–वायुसेना नगर नागपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हिन्दी सप्ताह का आयोजन दि. 16-9-1991 से 23-9-1991 तक किया गया। प्रातःकालीन सभा में अहिल्या सदन के छात्र भास्कर पादम ने हिन्दी–दिवस के उपलक्ष्य में अपना भाषण दिया।

"भारत जननी एक हृदय हो,
एक राष्ट्रभाषा हिन्दी में—
कोटि–कोटि जनता की जय हो।

यह समूह गीत गया गया। प्राचार्य ने सभी छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य करने की अपील की। सप्ताह के दौरान अन्त्याक्षरी, निबंध, भाषण तथा कविता-पाठ इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रदर्शन-पटल पर प्रतिदिन हिन्दी भाषा तथा साहित्य से सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शित की गई। शनिवार दि. 21 सितम्बर को 'स्पिकमैके' की ओर से सुप्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी श्रीमती सोनल मानसिंह का प्रदर्शन–व्याख्यान भी विद्यालय में आयोजित किया गया जो पूरा हिन्दी में हुआ। इस प्रकार पूरे सप्ताह विद्यालय से हिन्दी का वातावरण बना रहा जो सप्ताह के बाद भी बना रहा।

देवेन्द्र सिंह, प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय आई. एन. एस. हमला मालाड, बंबई

इस सप्ताह में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गये।

1. हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों ने अपील जारी की।

2. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया।

3. विद्यार्थियों की वाद-विवाद, काव्यपाठ, तात्कालिक भाषण आदि प्रतियोगिताएं।

उपरोक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया गया।

के. वि., पनवेल (महाराष्ट्र)

हिन्दी सप्ताह में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सप्ताह–अष्टम एवं अष्टम नवम कलासों में काव्य–पाठ, अभिनय-गीत, तात्कालिक भाषण, अन्तयाक्षरी, हास्य एवं व्यंग्य काव्य–पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य दैनिक कार्यक्रमों में भी हिन्दी बोलने एवं लिखने पर बल दिया गया।

केन्द्रीय विद्यालय, मल्लेश्वरम् (बेंगलूर,) 560055

दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। प्रतिदिन प्रार्थना-सभा के सभी कार्यक्रम जैसे अनमोल वचन, समाचार एवं विशेष कार्यक्रम हिन्दी में हुए।

"आइए हिन्दी अपनाएं"—कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिदिन एक नवीन शब्द तथा एक पारिभाषिक शब्द श्याम पट्ट पर अर्थ सहित लिखा गया ताकि छात्र तथा शिक्षक वर्ग उनसे लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम को श्रीमती टी. विजयलक्ष्मी (टी. जी. टी. हिन्दी) ने तैयार किया।

कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :—

16-9-91 छात्रों द्वारा भाषण—हिन्दी भाषा का महत्व।

17-9-91 हिन्दी प्रश्न मंच का आयोजन ।

18-9-91 बैंकों में हिन्दी का महत्त्व—प्राइमरी छात्रों द्वारा चर्चा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए हिन्दी वाद—विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।

19-9-91 हिन्दी में होने वाली सामान्य अशुद्धियां—एक चर्चा। मध्याह्न 1.30 बजे। छात्र—कवि—सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डा. सरगू कृष्णमूर्ति, हिन्दी विभागाध्यक्ष (ज्ञान भारती, बेंगलूर विश्वविद्यालय) मुख्य अतिथि थे। छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपनी सशक्त रचनाएं प्रस्तुत कीं। श्रीमती नलिनी रेवल पी. जी. टी. हिन्दी ने इसका संचालन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता का सन्देश देनेवाला एकांकी "माला एक फूल अनेक" प्रस्तुत किया गया। इस एकांकी की रचियता तथा निर्देशिका श्रीमती एल. पद्मावती टी. जी. टी. हिन्दी थीं। उन्होंने स्वयं एकांकी में अभिनय भी किया।

मुख्य अतिथि ने दोनों कार्यक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, छात्रों को हिन्दी के प्रसार-प्रचार का पुनीत कार्य आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी एवं अपनी कविता का पाठ भी किया।

प्राचार्य श्री टी. प्रभाकर ने अन्त में दो शब्द हिन्दी में ही कहे। धन्यवाद-ज्ञापन श्रीमती कुसुम तलवानी टी. जी. टी. ने किया।

20-9-91 श्रीमती मालती प्रकाश टी. जी. टी. (हिन्दी) ने हिन्दी भजन प्रस्तुत किए।

मध्याह्न 1.00 बजे हिन्दी कविता पाठ (1 से 8 कक्षाओं के छात्रों के लिए) एवं हिंदी अंत्याक्षरी (9 से 12 कक्षाओं के छात्रों के लिए) प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं।

21-9-91 में श्रीमती एल. पद्मावती टी. जी. टी. हिन्दी द्वारा लिखित एकांकी (व्याकरण का खून) प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा शुद्ध हिन्दी को लिखने और बोलने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उप-प्राचार्य ने भी छात्रों से कहा कि वे शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण-प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि शुद्ध भाषा का प्रयोग व्यक्तित्व का परिचायक है।

केन्द्रीय विद्यालय, कृष्णनगर, जिला वर्धमान (प. बंगाल)

हिन्दी सप्ताह मनाने के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम रखे गए :—

1. सभी कर्मचारियों को राजभाषा नीति तथा अधिनियमों, अनुदेशों आदि का ज्ञान कराया गया।

2. हिन्दी में टिप्पणी लिखने का कार्यक्रम रखा गया।

3. पूरे सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा अंत्याक्षरी, निबन्ध तथा काव्यपाठ का आयोजन किया गया।

4. हिन्दी सप्ताह समापन कार्यक्रम में वाद-विवाद प्रतियोगिता रखी गई। विषय निम्नलिखित थे :—

(क) सामाजिक विकास के लिए चल-चित्र उपयोगी हैं।

(ख) जीवन में हास्य अनिवार्य है।

प्राचार्य श्री हृदय नारायण चौधरी एवं हिन्दी अध्यापकों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए प्रमाण—पत्र भी वितरित किए।

केन्द्रीय विद्यालय, पोण्डा, गोवा-403401

हिन्दी सप्ताह के शुभावसर पर 21-9-91 को एक सभा की गई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही मनोरम ढंग से सम्पन्न हुआ। अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने (1) कविता—पाठ, (2) कहानी-कथन, (3) भाषण प्रस्तुत किये, जिसमें प्रत्येक विभाग के एक-एक प्रतिभावान बच्चे को पुरस्कृत किया गया।

प्राचार्य श्री के. शिवदासन पिल्लै एवं शिक्षकों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए विचार प्रस्तुत किए।

केन्द्रीय विद्यालय, गुलबर्गा (कर्णाटक)

निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने "हिन्दी भाषा" के विषय में भाषण दिए।

(2) प्रत्येक दिन कुछ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वरचित हिन्दी कविताएं तथा कहानियां सुनाई गईं।

(3) प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम हिन्दी में ही कराए गए।

(4) पुस्तकालय के लिए 56 हिन्दी पुस्तकें मंगाई गईं।

(5) प्राचार्य श्री.टी.सी. सिंघल ने "हिन्दी भाषा" पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

(6) समाचार पट्ट पर हिन्दी सूचनाएं लिखी गईं।

(7) विभिन्न कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं तथा कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र दिए।

संयोजिका
श्रीमती प्रभा

केन्द्रीय विद्यालय, बड़ागोलाई (असम)

केन्द्रीय विद्यालय बड़ागोलाई में 14-9-91 से 20-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के प्रारंभ के दो दिनों में चारों सदनों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी से सम्बन्धित सुभाषितों पर आधारित पोस्टर तैयार कराएं गये और उन्हें विद्यालय के विभिन्न स्थानों पर लगाकर हिन्दी-सप्ताह का वातावरण तैयार किया गया।

सप्ताह की सफलता हेतु सी. सी. ए. इन्चार्ज के साथ मिल बैठकर संगीत, भाषा, साहित्य, संस्कृत सा. अ. के शिक्षकों की एक समिति बनाकर कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया गया। यह निश्चय किया गया कि सप्ताह में सारी कार्यवाही हिन्दी (प्रातः कालीन सभा सहित) संचालित की जाए।

हिन्दी सप्ताह आयोजन के प्रथम दिन, 16-9-91 को चारों सदनों के सीनियर और जूनियर वर्गों के बीच कविता-पाठ का उद्घाटन प्राचार्य ने किया। प्रतियोगिता के अन्त में शिक्षकों ने अच्छे काव्य-पाठ के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया। 17-9-91 को गीत-गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वातावरण रसमय कर दिया। दिनांक 18-9-91 को जूनियर छात्रों की सुलेख प्रतियोगिता एवं सीनियर छात्रों की वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई। शिक्षा का माध्यम (विज्ञान शिक्षा का) क्या हो, इस विषय पर बच्चों के साथ ही शिक्षकों ने विचारोत्तेजक सवाल उठाए और सिद्धान्ततः विज्ञान शिक्षा को भी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में दिए जाने के महत्व का प्रतिपादन किया। दि० 19-9-91 को दोनों ही छात्र वर्गों की निबन्ध प्रतियोगिता एवं सीनियर छात्रों की आशुभाषण प्रतियोगिता हुई। अन्तिम समापन कार्यक्रम के असवर पर एक दर्जन से अधिक छात्रों ने तथा अधिकांश शिक्षकों ने कई अहिंदी भाषी शिक्षकों ने भी स्वरचित काव्य-पाठ से वातावरण रसमय कर दिया। अन्त में प्राचार्य ने हिन्दी को अपनाने हेतु विचार व्यक्त किए।

——प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय, न्यूजप्रिन्ट नगर (केरल)

हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में विद्यालय के मुख्य द्वार पर 'हिन्दी सप्ताह' वाला बैनर लगाया। 16 सितम्बर को विद्यालयी प्रांगण में इसका उद्घाटन समारोह हुआ। राष्ट्रभाषा की महिमा और उसकी आवश्यकता पर बल देते हुए प्राचार्य श्री कालिदास ने भाषण दिया। हिन्दी भाषा के विविध पक्षों पर छात्रों ने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

प्रस्तुत सप्ताह में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई:-

1.	हिन्दी निबन्ध लेखन	16-6-91
2.	वाद-विवाद प्रतियोगिता	17-6-91
3.	कविता पाठ प्रतियोगिता	18-6-91
4.	अन्ताक्षरी प्रतियोगिता	19-6-91
5.	कविता-रचना प्रतियोगिता	20-6-91

इस समारोह में छात्रों के द्वारा भाषण, समूह गान, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी आदि आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किए गए। यहां हमने एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया था जहां कई छात्र कवि तथा अध्यापक भी आगे आए। विद्यालय के शैक्षिक कर्मचारियों ने भी हिन्दी भाषा की महिमा पर जोर देते हुए भाषण दिया।

केन्द्रीय विद्यालय (अंउके), अहमदाबाद

14 सितम्बर से 24 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह आयोजित किया गया जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम कराए गए। 24 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह समापन समारोह विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री जार्ज जोसेफ प्रमुख अतिथि की उपस्थित में हुए।

पुरस्कार के रूप में लगभग आठ सौ रुपये की पुस्तकें यूनियन बैंक वस्त्रापुर के सौजन्य से प्रतियोगियों को दी गई। इस अवसर पर बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री विचारे अपने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे

के. वि. भुज (कच्छ), गुजरात

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया। हिन्दी के प्रचार, प्रसार और बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं कराई गई।

(1) कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियम, अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया।

(2) हिन्दी टंकण ज्ञान से यहां के टंकणकारों को अवगत कराया गया।

(3) हिन्दी शब्द कोष की प्रयोजनों छात्रों को दी गई।

(4) हिन्दी में चैक के नमूनों को प्रदर्शित किया गया।

(5) हिन्दी में निबंध, वाद-विवाद, अंत्याक्षरी, काव्यपाठ आदि की प्रस्तुति प्रार्थना सभा में की गई।

(6) एकल अभिनय, गीत, एकांकी आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(7) अतिथि वक्ताओं के भाषण भी करवाए गए।

(i) स्थानीय राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के मंत्री श्री सुरेश भाई राजगारे और गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी श्री त्रिवेदी ने वक्तव्य दिए।

(ii) सूत्रों और सुलेख पट्टों का प्रदर्शन किया गया।

(8) हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह आयोजन का विवरण स्थानीय समाचार पत्र "कच्छ मित्र में भी दिया गया।"

अ० स खान, प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय
बालीगंज मैदान केम्प, बालीगंज सक्यूलर रोड, कलकत्ता -19

'हिन्दी दिवस' रुचि के साथ मनाया गया। इस दिवस के उपलक्ष में क्रमश: नाटक, टिप्पणी, कविता पाठ, निबन्ध, एकल अभिनय आदि कार्यक्रम किए गए।

केन्द्रीय, विद्यालय, भण्डारीदह 829132

पर्वतीय उपत्यकाओं पर झाड़ियों झुरमुटों आच्छादित दामोदर नदी के पावन तट पर मुस्कराती अपने अंदर असीम प्राकृतिक औद्योगिक संभावनाओं को समेटे हुए यह छोटी सी औद्योगिक बस्ती भंडारीदह केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित हिन्दी सप्ताह कई अर्थों में विचारणीय व विवेच्य रहा।

इस सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं की दूसरी कड़ी के रूप में दिनांक 18-9-91 को वरीय वर्ग समूह के लिए हिन्दी निबंध एवं कनिष्ठ वर्ग समूह के लिए हिन्दी-सुलेख प्रतियोगिता हुई। वरीय वर्गों के लिए निबंध का विषय रखा गया —"पर्यावरण में पेड़-पौधों का महत्व।" भाषा के प्रति व भाषायी दक्षता के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर बच्चों ने भाग लिया।

दिनांक 21-9-91 को हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह में विद्यालय-प्रबंध-समिति के अध्यक्ष श्री जे. टी. सुलतानियां ने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया। इस सप्ताह के दौरान बच्चों के बीच आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतियोगियों के लिए अध्यक्ष की ओर से पारितोषिक वितरण की व्यवस्था भी की गई जो बच्चों के उत्साह वर्द्धन में सहायक हुई।

केन्द्रीय विद्यालय
भा. नौ. पोत्त चिल्का पुरी, (उड़ीसा) पिन-752037

दि. 16-9-91 से दि. 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्या तथा शिक्षकों ने हिन्दी के महत्व तथा उसके प्रयोग के विषय में प्रकाश डाला। प्रो. रामेश्वर प्रसाद अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, रेवेन्सा कालेज, कटक ने हिन्दी भाषा के महत्त्व एवं उसके प्रचार-प्रसार के प्रति छात्रों का ध्यान आकृष्ट किया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान निबन्ध, वाद-विवाद, काव्य-पाठ, अन्त्याक्षरी एवं त्वरित भाषण प्रतियोगिताएं की गई, जिन में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय प्रशंसापत्र तथा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्रीय विद्यालय
आयुध निर्माण परियोजना
सैंतला (बडमाल)
बलांगीर- 767032 (उड़ीसा)

हिन्दी सप्ताह दिनांक 14-9-1991 से 21-9-1991 तक मनाया गया। बच्चों में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तथा हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए।

1. कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए हिन्दी आलेखन का आयोजन किया गया।

2. "हिन्दी का महत्व राजभाषा के रूप में" विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने भाग लिया।

3. हिन्दी को अपनाने तथा भाषायी मतभेदों को समाप्त करने से सम्बन्धित विषयों पर बच्चों के द्वारा भाषण दिये गये।

4. हिन्दी कवियों की प्रसिद्ध कविताओं का काव्य पाठ किया गया।

5. हिन्दी हास्य नाटिकाओं का बच्चों ने बड़े सुन्दर रूप से मंचन किया।

6. प्राचार्य महोदय श्री हिमांशु मुखर्जी द्वारा हिन्दी के महत्व तथा सगर्व हिन्दी को अपनाने के लिए बच्चों से अपील की गई।

केन्द्रीय विद्यालय, तृश्शूर (केरल) 680551

केन्द्रीय विद्यालय तृश्शुर में दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। समारोह में विद्यालय के सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विद्यालय के द्वार पर इससे संबंधित बैनर लगाया गया।

विद्यालय के प्राचार्य ने समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में वर्तमान समय में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया। सप्ताह के दौरान विद्यालय में

हिन्दी का वातावरण बनाये रखा गया। प्रात: कालीन सभा का सारा कार्यक्रम हिन्दी में रखा गया।

इस सप्ताह के सिलसिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसे-कविता पाठ, निबंध-प्रतियोगिता वाद-विवाद, सुलेख। इनमें प्रथम तीन स्थान पाने वालों को प्रशंसा पत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 डाकघर, कुडबू कासरगोड (केरल)

अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जैसे हिंदी एकांकी, कविता, काव्य-पाठ, निबंध आदि।

सामाजिक कुरीतियों पर करारा व्यंग्य, भावात्मक एकता पर बल आदि की ओर संकेत करने वाली एकांकियों का प्रदर्शन रंगमच पर प्रस्तुत हुआ। छात्रों का अभिनय सराहनीय रहा। वसंत ऋतु, देशप्रेम, प्रभात की वेला आदि पर छात्रों ने मनमोहक काव्यों की रचना की।

हिंदी भाषा की महिमा, प्रिय नेता, करत······करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आदि विषयों पर छात्रों ने अपने प्रौढ़ विचार-भावमयी भाषा में प्रस्तुत किए।

छद्म वेश धारण कर नन्हे बच्चों ने भारतीय संस्कृति की महिमा को उद्‌घाटित किया।

विभिन्न विषय लेकर छात्र पुलपिट पर प्रस्तुत हुए उन्होंने अपनी वक्तव्य कला का भी परिचय दिया। सुंदर विषयों की भरमार-जैसे हिंदी है हम वतन के हिंदोस्तां हमारा-भावात्मक एकता और हिंदी आदि।

कुछ छात्रों ने सुंदर कविताओं का वाचन किया। प्राचार्य और अन्य कुछ व्यक्तियों ने हिंदी की महिमा' भारत की एकता को बनाए रखने में हिंदी का स्थान आदि पर अच्छे भाषण दिए।

सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पानेवालों को पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि भी दिए गए। हिंदी सप्ताह विशेष पर पत्रिका भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई।

एम. कृष्णन, प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय, मंगलूर

आई.आई.टी. कैंपस, मद्रास-600035 (तमिलनाडु)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित कार्यों का आयोजन किया गया :—

(1) राजभाषा संबंधी अधिनियमों तथा नियमों से सभी कर्मचारियों को परिचित कराया गया ;

(2) हिन्दी में निबंध लेखन का प्रतियोगिता आयोजन किया गया ;

(3) जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी में शिक्षण पाने के लिए अनुरोध किया गया।

(4) हिन्दी कार्यान्वियन समिति का बैठक का भी आयोजन किया गया ;

केन्द्रीय विद्यालय, काठमांडौं

हिन्दी-दिवस सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी-सप्ताह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रभाषा हिन्दी सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम हुए।

14-9-91 को प्रार्थना-स्थल पर विद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक श्री अमरनाथ सिंह की अध्यक्षता में हिन्दी-दिवस/सप्ताह की विधिवत घोषणा की गई। दैनिक प्रार्थना के बाद प्रतिदिन के सद्‌विचार में कु. गीताञ्जलि सिंहल ने राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में विचार को सुनाया कि "हिन्दी भाषा समूचे राष्ट्र की अस्मिता है। हिन्दी को अपनाकर ही हमारा वर्चस्व स्थायी बन सकेगा। हिन्दी से हमारी जो अपेक्षाएं हैं वह अन्य किसी भाषा से संभव नहीं।" तत्पश्चात् अंकुर सैगोन (कक्षा -8) ने "हिन्दी का हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान" विषय पर विचार प्रकट किए। प्राचार्य ने निष्कर्ष में कहा कि हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए।

इस प्रकार प्रतिदिन सप्ताह भर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्र/छात्राओं ने प्रातः कालीन प्रार्थना-सभा स्थल पर हिन्दी से सम्बन्धित दैनिक विचार और विभिन्न विषयों जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी और उसका महत्व, हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास, भारत की सांस्कृतिक भाषा हिन्दी, संविधान में हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा की बड़ी पुत्री हिन्दी, हिन्दी कविता की विकास-यात्रा, हिन्दी गद्य का उद्‌भव और विकास कविवर जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व, मुंशी प्रेमचंद का हिन्दी-प्रेम और उनका समाज, हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अहिन्दी भाषी प्रदेशों एवं संस्थाओं का योगदान, कविताएं, सूरदास, तुलसीदास के पद, संस्मरण, भजन, हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रश्नावली, स्वरचित कविताएं आदि के द्वारा हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम हुए। जिसमें हिन्दी सप्ताह समापन दिवस प्रार्थना-स्थल पर ही एक भव्य समारोह के रूप में सम्पन्न हुआ। प्रथम चार कालांशों में जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं—अंकित कुलश्रेष्ठ, कु. अपराजिता डुंगयाल, कु. नेहा वीणा, अन्जलि, सुमन, रेणु, उमेश राम, अंकुर, क्षितिज गौतम, शेफाली शर्मा आदि क्रम अनेक ने हिन्दी की विभिन्न विधाओं द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया।

विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं जिनमें श्री मदन लाल शर्मा स्नातकोत्तर शिक्षक (इतिहास), श्री रामश्रृंगार सांघी (स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी), श्री राजपाल सिंह प्र. स्ना. शि. हिन्दी, श्रीमती अनंत लक्ष्मी संगीत शिक्षिका, कुमारी ज्योति जोशी प्राथमिक शिक्षिका आदि ने बहुमूल्य विचारों, संस्मरणों, गीत एवं भजनों को प्रस्तुत करके हिन्दी भाषा के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की ।

केन्द्रीय विद्यालय

अप हिल, मलप्पुरम्-676505 (केरल)

विद्यालय के कामकाज में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिन्दी सप्ताह 14 सितम्बर के बजाय 16 सितम्बर से 21 सितम्बर तक पूर्ण उत्साह से मनाया गया ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान विद्यालय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

(1) कर्मचारियों को सरकार की भाषानीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियमों और अनुदेशों आदि से परिचित कराना।

(2) हिन्दी में कार्य करने की कठिनाइयों पर विचार विमर्श।

(3) हिन्दी शब्दावली तथा साहित्य आदि का प्रदर्शन।

(4) हिन्दी में वाद-विवाद, अन्त्याक्षरी, निबंध और काव्य-पाठ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

(5) प्रातः कालीन सभा के समस्त कार्यक्रम हिन्दी में सम्पादित ।

(6) हिन्दी में सुरुचिपूर्ण नाटक और गीतों का आयोजन।

दिनांक 21-9-91 को श्री एम. के. नारायणन् प्रवक्ता (हिंदी) राजकीय महाविद्यालय मलप्पुरम की अध्यक्षता में सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। अनेक छात्रों और कर्मचारियों ने हिन्दी की बढ़ती हुई मांग पर प्रकाश डाला। श्री नारायणन् ने हिन्दी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 6 छात्रों को पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र दिए गए ।

केन्द्रीय विद्यालय

नामरूप पो. पर्वतपुर– 786623

डिब्रूगढ़ (असम)

के. वि., नामरूप हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन उल्लासपूर्वक किया गया ।

उक्त अवसर पर शिक्षणोतर कर्मचारियों को अपने अधिकाधिक नैत्यिक कार्य हिन्दी में ही निष्पादित करने हेतु प्रेरित किया गया । छात्र/छात्राओं ने हिन्दी लयात्मक ढंग से कविता-पाठ किया तथा उनके द्वारा आज का चिन्तन, समाचार वाचन प्रभृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति श्लाघनीय ढंग से की गयी। बहुसंख्य छात्र/छात्राओं ने हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया ।

आर. के. यादव, प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय, नामरूप (पर्वतपुर)
जनपद—डिब्रूगढ़ (असम) 786623

केन्द्रीय विद्यालय 1 कांचरापाड़ा (प. बंगाल)

निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

1. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बंधी नियमों, अधिनियमों और अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया।

2. कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा दी गई।

3. हिन्दी में वाद-विवाद, अन्त्याक्षरी, निबंध और काव्य-पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया।

4. हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए "पुरस्कार और प्रमाण पत्र देने पर विचार किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय

गोला बारूद डिपो, दप्पर 140506 (पंजाब)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने की दृष्टि से विद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए :—

(क) हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्राचार्य श्री के. बी. लाल ने अपील जारी की ।

(ख) प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा, विचार एवं समाचार प्रतिदिन हिन्दी में बोले गए। हिन्दी के महत्व पर कविता, समय का सदुपयोग, छात्रों में अनुशासन आदि शीर्षक पर प्रतिदिन हिन्दी में विचार व्यक्त किए गए ।

(ग) हिन्दी में अंत्याक्षरी, कहानी-कथन, निबन्ध-लेखन, सुलेख व काव्य-पाठ प्रतियोगिताएं की गईं।

(घ) पत्रिका 'राजभाषा भारती' का शिक्षकों में सरकुलेशन किया गया।

(ङ) हिन्दी में चैक व आलेखन जारी किए गए।

(च) हिन्दी में समूह-गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वालों के पुरस्कार घोषित किए गए।

के. वि. फरीदकोट (पंजाब)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह में कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों से अवगत कराया गया। राजभाषा की प्रचार सामग्री पत्र-पत्रिकाओं, संदर्भ साहित्य आदि का प्रदर्शन किया गया। छात्रों की निबन्ध लेखन और काव्य पाठ प्रतियोगिताएं करवाई गई तथा पुरस्कार दिए गए।

केन्द्रीय विद्यालय
वायुसेना केन्द्र, बरनाला (पंजाब)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः कालीन सभा के पश्चात एक घण्टे के शून्य काल में सदन स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई जिनमें सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वालों को "विद्यालय प्रबंध समिति" के अध्यक्ष, ग्रुप कैप्टन जे. जे. विलियम्स, स्टेशन कमान अफसर की ओर से प्रशंसा पत्र वितरित किए गए।

हिन्दी सप्ताह के दौरान हुए कार्यक्रम का ब्यौरा आगामी "विद्यालय पत्रिका" में छपवाने का भी आश्वासन दिया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 3
डाकखाना नारायण गढ़,
नई छावनी अमृतसर —143106

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष की भांति 14-9-91 से 20-9-91 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसमें निम्नांकित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विद्यालय के प्रांगण में कुछ इस प्रकार के बैनर लगाए गए जिससे राष्ट्रभाषा हिन्दी को बल मिले और बच्चों में हिन्दी भाषा के प्रति जागृति उत्पन्न हो।

1. सुलेख प्रतियोगिता
2. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता
3. अंत्याक्षरी
4. कविता पाठ
5. हिन्दी समूह गान प्रतियोगिता

विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिकोत्सव पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 127 बठिंडा छावनी (पंजाब)

आदेशानुसार 14-9-91 से 21-9-91 तक विद्यालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन बहुत उत्साह और उमंग से किया गया। इसमें हुए सांस्कृतिक एवं विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :—

1. 16-9-91 को हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन समारोह में बच्चों द्वारा मां सरस्वती की वंदना एवं समूह गान प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य, हिन्दी शिक्षकों एवं बच्चों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्व तथा प्रचार-प्रसार पर प्रकाश डाला।

2. 15-9-91 को भाषण प्रतियोगिता की गई। अवर और प्रवर वर्गों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों के नाम एवं पुरस्कार प्राचार्य ने घोषित किए।

3. हिन्दी की विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत गीतिकाव्य का आदिकाल से ही महत्व रहा है। गीतिकाव्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों ने कबीर, गुरुनानक मीरा और तुलसीदास के क्रमश : दो शब्द भजन व चौपाईयां गाईं। ऐसा लगता था मानो चारों तरफ संगीत का वातावरण छा गया हो।

4. 14-9-91 को अन्तःसदनीय काव्य पाठ प्रतियोगिता में बच्चों ने देश भक्ति, प्राकृतिक वर्णन तथा हास्य रस से भरपूर कविताओं का वाचन किया। प्रवर व अवर वर्गों के बच्चों में से प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वालों को प्रशंसा-पत्र एवं पुरस्कार वार्षिक समारोह पर वितरित किए जाएंगे।

5. 20-9-91 को निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 9 से 12 तक बच्चों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों के नाम घोषित किए गए। बच्चों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से अपने लिखित विचारों को प्रस्तुत किया।

6. 21-9-91 को समाप्ति समारोह में प्राचार्य, उप प्राचार्य व हिन्दी शिक्षकों ने राष्ट्र भाषा हिन्दी समारोह में किए गए विभिन्न कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2 हलवारा (पंजाब)

दिनांक 14-9-91 से 21-9-91 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :—

1. विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान राष्ट्रभाषा के महत्त्व से परिचित कराया गया।

2. विद्यार्थियों को दैनंदिन जीवन में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया।

3. प्रात : कालीन प्रार्थना-सभा के दौरान समाचार, विचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर आदि हिन्दी में ही प्रस्तुत किए गए।

4. विद्यालय परिवार को निर्देश दिया गया कि वे सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी प्राप्त करें।

5. विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जैसे हिन्दी में कविता पाठ प्रतियोगिता, हिन्दी में पत्र वाचन प्रतियोगिता आदि। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को वार्षिक उत्सव पर पुरस्कृत किया जाता है।

6. विद्यार्थियों को हिन्दी में साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया गया। विभिन्न विद्यार्थियों की स्वरचित का प्रदर्शन किया गया।

7. हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों के चित्रों का प्रदर्शन किया गया तथा उनकी प्रतिनिधि रचनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया गया।

8. विद्यार्थियों को हिन्दी में मंच संचालन का अवसर दिया गया।

9. विद्यालय कार्यालय द्वारा भी इस सप्ताह के दौरान हिन्दी में पत्राचार का प्रयास किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 3 वायु सेना
बंटिडा (पंजाब)

13-9-91 से 21-9-1991 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

विद्यालय में हिन्दी के प्रसार को बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी नियमों, अधिनियमों, अनुदेशों आदि से परिचित कराया गया।

2. टिप्पण / आलेखन अभ्यास के लिए प्रतियोगिता रखी गई।

3. हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए उच्च अधिकारियों ने अपील जारी की।

4. राजभाषा सम्बन्धी प्रचार सामग्री जैसे शब्दावली, पत्र-पत्रिकाएं संदर्भ साहित्य आदि का प्रदर्शन किया गया।

5. हिन्दी में हो रहे कामकाज के नमूनों जैसे हिन्दी में चैक, आलेखन आदि का प्रदर्शन किया गया।

6. हिन्दी में टिप्पण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, निबंध, काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

7. हिन्दी में सुरुचिपूर्ण अभिनय, गीत आदि के कार्यक्रम किए गए।

केन्द्रीय विद्यालय

आई० आई० टी० खड़गपुर

"हिन्दी" सप्ताह का आयोजन विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ तथा निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए :—

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता की गई और छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगें।

2. वाद विवाद प्रतियोगिता हुई :

3. प्रबुद्ध जनों के भाषण "हिन्दी राष्ट्र भाषा क्यों ?" विषय पर चर्चा हुई।

4. सुभाषित हिन्दी कविता पाठ का भी समारोह किया गया।

5. अन्त्याक्षरी, सुलेख प्रतियोगिता भी की गई।

केन्द्रीय विद्यालय
भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैम्प
मसूरी 248169 यू. पी.

(1) विद्यालय में कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी नियमों, अधिनियम अनुदेशों आदि से पुनः परिचित कराया गया।

(2) हिन्दी में कार्य करने के लिए अपील जारी की गई। बैठक में हिन्दी में काम में आने वाली कठिनाईयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(3) हिन्दी में हो रहे कामकाज के नमूनों (जैसे हिन्दी में चैक, टिप्पण, आलेखन) आदि का प्रदर्शन भी किया गया।

(4) पुस्तकालय में उपलब्ध राजभाषा सम्बन्धी प्रचार सामग्री जैसे शब्दावली, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य आदि के कर्मचारियों द्वारा अध्ययन पर विशेष बल दिया गया।

(5) विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई।

(6) विद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया गया।

हिंदी कार्यशालाएं

भारतीय खाद्य निगम

जिला कार्यालय (भंडार) कोच्चि (केरल)

दिनांक 19-2-92- व 20-2-92 को जिला कार्यालय/ए एफ. एस. डी. अंकमाली के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला चलाई गई।

19-2-92 को क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय, राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वियन) श्री रामचन्द्र मिश्रा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। जिला प्रबन्धक श्री पी. वी. विष्णुदासन ने अध्यक्षता की। राजभाषा नीति पर श्री मिश्रा ने प्रकाश डाला और राजभाषा के तौर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अपनाई जानेवाली विविधि योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में लेकर जिला कार्यालय द्वारा उठाए जाने वाली विविध कदमों के बारे में जिला प्रबन्धक ने बताया और कर्मचारियों से यह प्रार्थना की कि कार्यालयीन काम काज हिन्दी में करने की कोशिश करें।

एफ. ए. सी. टी. के हिन्दी सहायक श्री पी. वी. अरविन्दाक्षन् ने टिप्पण/आलेखन में प्रतिदिन काम आने वाले कुछ प्रयोगों का ज्ञान कराया। व्याकरण संबंधी त्रुटियों के बिना अच्छी और सरल हिन्दी के प्रयोग पर श्री अरविन्दाक्षन ने जोर दिया और इसके लिए सहायक होनेवाली कुछ सामग्री भी प्रतिभागियों को दी।

"अनुवाद की कला" विषय को भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के हिन्दी अनुवादक श्री पदमनाभन् ने संभाला। व्यावहारिक रूप में अनुवाद में आनेवाली कुछ मुसीबतों के बारे श्री पदमनाभन् ने कर्मचारियों को अवगत कराया और अभ्यास के जरिये यह आत्मविश्वास पैदा किया कि वे भी हिन्दी में अनुवाद कर सकते हैं।

दिनांक 20-2-92 को केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यकीय अनुसंधान संस्थान की हिन्दी अधिकारी श्रीमती शीला जार्ज ने विविध पारिभाषिक शब्दों से प्रतिभागियों को परिचित कराते हुए, पत्राचारों के विविध नमूने प्रस्तुत किए।

हिंदी भाषा की उत्पत्ति व विकास पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के विशेष अधिकारी श्री टी. पी. वीरराघवन् ने भाषण दिया।

समापन सत्र भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पी. आर. विश्वंभरन ने संभाला। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के विशेष संदर्भ में काम आनेवाले पत्राचार का अभ्यास करवाया और इस के बाद दीक्षान्त भाषण भी दिया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरण भी किया।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्स मैन्यु. कं. लि.

प्रधान कार्यालय उदकमन्डलम् (तमिलनाडु)

दिनांक 25-3-92 से हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। श्री ए. सी. जोसफ चन्द्रन् वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्रीमती पी. एस. चांदनी, हिन्दी अधिकारी ने सबका स्वागत किया। श्री एम. रंगसामी, हिन्दी सहायक ने धन्यवाद समर्पित किये। श्रीमती पी. एस. चांदनी, हिन्दी अधिकारी, श्री एम. रंगसामी हिन्दी सहायक, श्री पी. माणिक्कम् हिन्दी साहयक, श्री एस. रमेश, हिन्दी सहायक आदि कार्यशाला के संकाय सदस्य थे, डॉ. एन. गोपालकृष्णन और डॉ. अजीत वालिया (राजभाषा कार्यान्वियन समिति के भूतपूर्व सदस्यों) ने हिन्दी में क्विज कार्यक्रम आयोजित किया। हिन्दी कार्यशाला में सरकार की राजभाषा नीति, आलेखन व टिप्पण के अतिरिक्त बोलचाल की हिन्दी और अनुवाद में भी प्रशिक्षण दिया गया।

—— पी. एस. चाँदनी

बोंगाईगाव रिफाईनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

धालीगांव बोंगाईगांव, (असम)

दिनांक 11, 12 एवं 13 मार्च 1992 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन उप महाप्रबन्धक (परिचालन) श्री आर. एम. हजारिका तथा समापन उपक्रम के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस. पी. गुप्ता ने किया।

उद्घाटन भाषण में श्री हजारिका ने आग्रह किया कि उपक्रम के 72.1 प्रतिशत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के

पास हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है शेष सभी को भी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना का स्वेच्छा से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।

उद्घाटन के बाद डा. यज्ञव्रत, हिन्दी अधिकारी ने राजभाषा हिन्दी कार्यशाला के उद्देश्यों एवं आयोजन की रूप रेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजभाषा हिन्दी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए योग्य बनाना रहता है, जिससे अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हुए राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग आसानी से कर सकें।

कार्यशाला के दूसरे-तीसरे और चौथे सत्रों में क्रमशः राजभाषा के सांविधानिक उपबंधों, भारत सरकार की राजभाषा नीति, कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग, प्रयोगगत कठिनाईयां तथा विश्लेषण और राजभाषा में अभ्यास आदि विषयों को लिया गया।

कार्यशाला का समापन सत्र कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सभी सत्रों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ प्रबन्धक (फाईबर), श्री एस. सी. गोस्वामी ने सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा की। कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि हमारे निरन्तर प्रयास रहेंगे कि उपक्रम के 100 प्रतिशत कर्मचारी राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें। श्री गुप्ता ने कार्यशाला के उद्देश्यों को दोहराते हुए कहा कि जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया है, वे अपने-अपने कार्यालयों में धीरे-धीरे राजभाषा हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करें, जिससे हिन्दी कार्यशालाएं सार्थक सिद्ध हो सकें।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पल्लीपुरम् (केरल)

ग्रुप केन्द्र में दिनांक 20-3-92 से 26-3-92 तक, 6 कार्य, दिवस के लिए 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वर्ष 1992 की प्रथम हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। कार्यशाला में ग्रुप केन्द्र के 14, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र-III केरिपुबल पल्लीपुरम के 4 और 110 बटालियन, केरिपुबल, पल्लीपुरम् के 12 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 20-3-92 को श्री महेन्द्र प्रसाद, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ने दीप जला कर किया। इस अवसर पर ग्रुप केन्द्र, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र-3 एवं 110 बटालियन, केरिपुबल, पल्लीपुरम्, के अधिकतर अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, लिपक वर्गीय कर्मचारी तथा तीनों संस्थाओं की विभिन्न शाखाओं में स्टाफ ड्यूटी पर कार्यरत कार्यपालक थे। श्री प्रसाद ने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में जो भी काम करते है वह केवल खानापूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उससे हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार की दिशा में अपेक्षित परिणाम निकलना चाहिए।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस क. लि.
प्रायेस हाउस, पुणे -411005

"ओरिएण्टल' व "नेशनल" के पुणे स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिनांक 27-28.1.92 को कोल्हापुर में दो दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला की गई।

कार्यशाला का उद्घाटन बैंक आफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस. ए. देशपांडे ने किया और बैंकिंग एवं बीमा व्यवसाय में हिन्दी कार्यान्वियन की आवश्यकता पर बल दिया।

दो दिनों तक चली इस कार्यशाला में बीमा व्यवसाय में हिन्दी के उपयोग, उसको अपनाने की आवश्यकता, राजभाषा नीति पर चर्चा की गई तथा विभिन्न विभागों में हिन्दी में कार्य करने का अभ्यास कराया गया।

इंडियन एयरलाईन्स, पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई

दिनांक 6 जुलाई, 1992 से 10 जुलाई, 1992 तक की पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्मिक सेवा प्रबंधक एवं राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री वाई .बी. एस. चाहल ने कहा कि कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने-अपने सामान्य कार्यस्थल पर जाकर हिन्दी में न केवल स्वयं कार्य करें बल्कि अपने सहकर्मियों को भी इस दिशा में प्रेरित करें।

कार्यशाला के अंतिम दिन मूल्यांकन परीक्षा ली गई। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को उनके दिन प्रतिदिन काम में आने वाली हिन्दी की पुस्तकें दी गई। यह पुरस्कार समापन सत्र में नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य प्रो. सी. पी. सिंह "अनिल" ने दिए। कार्यशाला के प्रतिभागियों की संख्या 27 थी। प्रतिभागी अलग-अलग विभागों से थे तथा उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था।

इंडियन ड्रगस एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
बालानगर टाउनशिप हैदराबाद

दिनांक 21 अप्रैल 1992 से दिनाँक 24 अप्रैल 1992 तक प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग के लिये विशेष चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासनिक कर्मचरियों से उनके दैनिक कार्यकलाप में प्रयुक्त हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली, टिप्पणी व मसौदा लेखन तथा अनुवाद आदि का अभ्यास करवाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम, हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रमों आदि से अवगत कराया गया। संयंत्र के हिन्दी

अधिकारी श्री बजरंग राव बांगरे ने कानून की धारा 3(3) के अनिवार्य अनुपालन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

आकाशवाणी, विजयवाडा

7,8 और 9 अप्रैल, 1992 को वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के कर्मचारियों के साथ-साथ, टेलीफोन विभाग, विजयवाडा, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया, इन्शोरन्स कंपनी आदि से 25 प्रति-भागियों ने भाग लिया।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री गु. के. कुलकर्णी ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से न केवल राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति तथा कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा उनको इस्तेमाल करने की रुचि भी बढ़ती है।

कार्यालय के समापन समारोह की अध्यक्षता, कार्यालय के केन्द्र निदेशक श्री गु. के. कुलकर्णी ने की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कार्यालय में हिन्दी के प्रसार को प्राथमिकता दी जाएगी।

केन्द्रय जल आयोग

पूर्वी नदियां मंडल

भुवनेश्वर

प्रथम बार कर्मचारियों की सहाययता के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 2-1-92 को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए. के. सिन्हा, अधिशासी अभियंता ने किया। उद्घाटन के अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री डी. एन. विष्ट भी थे।

उद्घाटन के अवसर पर श्री शिवपूजन प्रसाद, हिन्दी अनुवादक ने सभी का स्वागत किया। श्री ए. के. सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता ने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला से कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा और वे अपने दैनन्दिन कार्य में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग कर सकेंगे।

श्री देवकी नन्दन विष्ट ने कहा कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है।

कार्यशाला का समापन दिनांक 20-1-92 को किया गया। कार्यशाला का समापन होने के पश्चात् दिनांक 21-1-92 को परीक्षा आयोजित की गई। उस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमश: रुपए 50/-, रुपए 40-/, और रूपये 30/-, नकद पुरस्कार के रूप में दिए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का नाम इस प्रकार है:—

(1) श्री मो. शब्बीर अहमद, वरिष्ठ संगणनक — प्रथम

(2) श्रीमती पी. आर. अम्मा प्रेक्षक ग्रेड–ए — द्वितीय

(3) श्री डी. बी. मलिक, प्रभागीय लेखाकार — तृतीय

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिन्दी में वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन—27 व 28 मार्च, 1992

दिनांक 27 व 28 मार्च, 1992 को संस्थान की राज-भाषा यूनिट द्वारा संस्थान के इतिहास में पहली बार राजभाषा हिन्दी में एक वैज्ञानिक कार्यशाला का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हुआ। आधुनिक जीवन में ऊर्जा के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत पेट्रोलियम के भण्डारों में निरन्तर हो रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए, इसको बचाने एवं वाहनों के उत्सर्जन से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के उपायों के रूप में अच्छे ईंधन, अच्छे स्नेहकों, बेहतर उत्पादों एवं श्रेष्ठतर परिष्करण तकनीकों, जिनसे ऊर्जा के साथ ही अर्थ की भी बचत हो सके, के विकास पर देश के प्रबुद्ध विज्ञानजीवियों को एक सामान्य धरातल पर लाकर बौद्धिक आदान-प्रदान करने एवं उपयोगी निष्कर्षों पर पहुंचने के उद्देश्य से संस्थान की राजभाषा यूनिट ने संस्थान के निदेशक डा. तुरगा सुन्दर राम प्रसाद राव के निर्देशन व सहयोग से इस दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन श्री सुबोध कुमार बंसल, सूचनाधिकारी के संयोजन में किया। कार्यालाला का विषय था:

"पेट्रोलियम परिष्करण तकनीक उत्पाद एवं संरक्षण कल, आज और कल"

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष 1991–92 के उपलक्ष्य में संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 27 मार्च, 1992 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के भूतपूर्व महानिदेशक पदमश्री, डा. जी. एस. सिद्धू ने दीप जला कर किया। वरिष्ठ अनुवादक श्री मुकेश रतूडी के "महागणपति स्तोत्र" के सस्वर पाठ के साथ कार्यवाही प्रारम्भ हुई। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों, अतिथियों, प्रेस प्रतिनिधियों व श्रोताओं का अभिवादन करते हुए डा. गिरीश चन्द्र मिश्र राजभाषा अधिकारी ने मुख्य अतिथि डा. सिद्धू की अभ्यर्थना की एवं उनका जीवन परिचय किया।

उद्घाटन भाषण में डा. सिद्धू ने कहा कि भारतवर्ष में वैज्ञानिक खोज का स्तर किसी से भी कम नहीं है, बल्कि हमारे यहां तो श्रेष्ठ स्तर का वैज्ञानिक अनुसंधान सस्ते दामों पर भी उपलब्ध है।

यह आवश्यक है कि हम अनुसंधान में मौलिकता लाएं और अपनी तकनीक यहीं देश में ही विकसित करें। इसके लिए उन्होंने कहा कि विज्ञान का शिक्षण यदि हिन्दी में हो तो वैज्ञानिक कार्य मौलिक रूप से हिन्दी में सामने आएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आह्वान किया कि ऐसी हिन्दी का प्रयोग हो जो दुरूह न हो, बल्कि सरल हो।

डा. सिद्धू ने यह स्वीकार किया कि वैज्ञानिक क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के प्रति वैज्ञानिकों के संकोच को दूर करने में वर्तमान कार्यशाला का कितना महत्व है।

इस अवसर पर अपना मूलभाव व्याख्यान (की नोट एड्रेस) देते हुए संस्थान के निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष डा. तुरगा सुन्दर राम प्रसाद राव ने कहा कि वर्तमान में पैट्रोलियम उद्योग के सामने भारतीय परिदृश्य में इसकी प्रौद्यागिकी, उत्पाद व ऊर्जा संरक्षण के सन्दर्भ में ये समस्याएं मुख्य है— अधिक मांग और कम घरेलू उत्पादन। मध्य आसुतों यानी मिडिल डिस्टिलेटस की मांग और पूर्ति के बीच गहरी खाई और समय के साथ-साथ इस खाई का चौड़ा होता जाना पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता : ल्यूब वेस स्टाक में निरंतर कमी एवं पर्यवरण प्रदूषण।

डा. प्रसाद राव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग जिसकी 54 मिलियन टन प्रतिवर्ष की मांग को घरेलू उत्पादन से मात्र 600% तक पूरा किया जा सकेगा और जिसके लिए बम्बई हाई जैसा दूसरा स्रोत मिलने तक हमें आयात पर निर्भर रहना होगा, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उत्पादों का संरक्षण एवं उच्च तकनीक का विकास हो जिससे कच्चे तेल की एक निश्चित मात्रा से अधिकतम पेट्रोलियम उत्पाद मिल सके। संरक्षण का अर्थ प्रयोग पर पाबन्दी न होकर उत्पादों को अधिक दक्ष बनाया जाना है। मोटर इन्जिन का डिजाइन ऐसा हो कि वे अधिक से अधिक ईंधन दक्ष बन सके। इसके अतिरिक्त गैर-परम्परागत एवं वैकल्पिक ईंधनों की भी खोज जारी रहे यथा सी. एन. जी. मेथनाल सम्मिलन बायो डीजल इत्यादि। डॉ. प्रसाद राव ने इस ओर किए जा रहे प्रयत्नों की भी जानकारी दी।

पर्यावरण समस्या को अब मात्र विकासशील देशों तक सीमित न मानते हुए निदेशक ने कहा कि वाहनों की नियन्त्रण बढ़ती संख्या से उत्पन्न प्रदूषण के शमन में निम्नलिखित उपाय उपयोगी होंगे।

(1) हाईड्रोकार्बन उत्सर्जनों को दो. स्ट्रोकी एवं चारस्ट्रोकी इंजनों में से कम करना।

(2) डीजल वाहनों से रजकणों में उत्सर्जन की कमी करना एवं

(3) मोटर वाहनों से सीसे कोबाल्ट तथा नाईट्रोजन आक्साईड के उत्सर्जन में कमी करना।

डा. प्रसाद राव ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले ईंधनों व उत्पादों के अलावा स्वउत्सर्जन उत्प्रेरकों और दूसरे प्रदूषण रोधी यन्त्रों की आवश्यकता है। इसके लिए देशज तकनीकी का विकास करना पड़ेगा। डा. प्रसाद राव ने जानकारी दी कि ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए बहुत से संगठन अब कार्य कर रहे हैं।

डा. प्रसाद राव ने यह भी कहा कि तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली गैसों एवं पेट्रोरसायन बहिस्रावों से जनित वायु प्रदूषण जैसे क्षेत्र भी ध्यान मांगते है। उन्होंने तेलशोधक कारखानों को पर्यावरण स्नेही बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस के अतिरिक्त डा. प्रसाद राव ने तेल शोधक कारखानों में संरक्षा के पहलू पर भी बल दिया।

निदेशक ने उक्त समस्याओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला के आयोजन के लिए संस्थान की राजभाषा यूनिट के प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त की और संतोष व्यक्त किया कि कार्यशाला में प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकांश शोध पत्रों का विषय इन्हीं पहलुओं से सम्बन्धित है।

प्रस्तुति : मुकेश रतूड़ी/डा० गिरीशचन्द्र मिश्र

डॉ. प्रसाद राव ने वैज्ञानिक समुदाय को यह सन्देश दिया कि विदेशी तकनीकी के अपनाने के अलावा हमें देशज तकनीकी यथा ऐरोमैटिको के लिए विलायक निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, द्विधात्विक पुन: सम्भावक उत्प्रेरक व खाद्य श्रेणी हेक्सेन का विकास करने में सफलता मिली है और ये उपलब्धियां मील के पत्थर कही जा सकती हैं, किन्तु नई औद्योगिक नीति के सन्दर्भ में हमारे सामने बहुत सी राष्ट्रीय चुनौतियां है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि हम अधिक अभिनव प्रक्रमों और प्रौद्योगिकियों का विकास करें। उन्होंने कहा कि भारतीय पेट्रोलियम व पेट्रोरसायन उद्योगों में मौजूदा प्रौद्योगिकियों को हम अधिक सुसंगत रूप से लागू करने के साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को दृढ़तर बनाए व पुनर्गठित करें ताकि हमें विश्व स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो।

इस कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न भाषा-भाषियों में प्रतिनिधियों के तौर पर कार्यशाला में हिस्सा लेने में बेहद उत्साह पाया गया। इस कार्यशाला में बाहर के संस्थानों के 21 व संस्थान के 27 अर्थात् कुल 48 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला के चार सत्रों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इन शोध पत्रों में 16 बाहरी और 12 आंतरिक (अर्थात् कुल 28 शोध पत्र थे।

(भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून की मासिक पत्रिका विकल्प अंक 7,8 से साभार)

समाचारदर्शन

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में राजभाषा बोध कार्यक्रम

दि. 6-7-92 को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में राजभाषा बोध कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय कार्यालय के श्री एम. जी. कार्णिक, महाप्रबंधक ने किया। सभा में उड़ीसा क्षेत्र के बहुत सी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया। सर्व प्रथम श्री एस. के. गुप्ता सहायक महाप्रबंधक ने स्वागत किया एवं हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सर्वश्री एम. जी. कार्णिक, महाप्रबंधक से राजभाषा बोध कार्यक्रम (RajBhasa Awareness Programme) के उद्घाटन करने के लिए निवेदन किया। श्री कार्णिक ने राजभाषा हिन्दी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसे अपनाने की अपील की तथा बैंकिंग प्रणाली में हिन्दी को आम जनता की भाषा मानते हुए इसके महत्त्व पर ध्यान देने की बात कही।

इसके पश्चात श्री आर. आर. एन. भार्गव, क्षेत्रीय प्रबंधक ने हिन्दी को जन-जन की भाषा बताते हुए इसके और अधिक प्रयोग पर बल दिया तथा इसे "ग" क्षेत्र के लोगों से भी उसी आधार से अपनाने की सलाह दी।

केंद्रीय कार्यालय, बम्बई से आए हुए श्री रा. व. तिवारी, मुख्य प्रबंधक ने हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा तक ही सीमित न मानते हुए इसे राष्ट्र की एकता की एक महान कड़ी माना।

संचालक श्री के. एस. अवस्थी, उप मुख्य अधिकारी राजभाषा, आंचलिक कार्यालय, कलकत्ता, और श्री राम चन्द्र साहु राजभाषा अधिकारी ने सभी सहभागियों के सामने एक प्रतियोगिता भी रखी जिसमें सभी ने भाग लिया। अंत में श्री एस. के. गुप्ता सहायक महाप्रबंधक ने एक रिव्यू मीटिंग की तथा सभी सहभागियों को आने के लिए धन्यवाद किया।

भारत यंत्र निगम लि० नागपुर

"अग्निशमन सेवा सप्ताह"

रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि. नागपुर भारत यंत्र निगम लि. द्वारा नियंत्रित सरकारी संस्थान में "अग्निशमन सेवा सप्ताह" के दौरान निबंध और पोस्टर स्पर्धाओं का आयोजन कर्मचारियों में आग से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के आशय से किया गया और उत्कृष्ट प्रतियोगियों कैप्टन वी. ए. शर्मा, श्री वी. पी. गुप्ता, श्री रामराज खड़से, श्री एन. ए. खान एवं श्री एन. ए. मुले को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कैप्टन वी. ए. शर्मा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हर वर्ष आग से होने वाली क्षति को रोकना अति आवश्यक है और इस महाविपत्ति का हम सबको एकजुट होकर सामना करना चाहिए क्योंकि अग्नि एक अभिशाप है। एक बार आग से होने वाले नुकसान को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। अतः अग्निशमन सेवा सप्ताह की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। अग्निशमन हर कर्मचारी का उतरदायित्व है। श्री एस. एस. भट्टाचार्य सहायक निदेशक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महविद्यालय नागपुर ने आग की रोकथाम व आग से बचाव के बारे में कर्मचारियों को जानकारी दी और एक फिल्म भी दिखाई गई।

पुरस्कार वितरण उप महा प्रबन्धक श्री जी. बी. मिश्रा द्वारा संपन्न हुआ। श्री के. महाली प्रबन्धक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) ने सभी का धन्यवाद किया और सबको एकजुट होकर अग्नि बचाव व रोकथाम के लिए सचेत व जागृत रहने का आह्वान किया।

बैंकिंग, वित्तीय उद्यम विषयों पर हिन्दी में पी०एच०डी० करने वालों को भी फैलोशिप

दैनिक "नवभारत टाइम्स" के 6 मई, 1992 के अंक में छपे विज्ञापन के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वित्त, बैंकिंग और उद्यम आदि विषयों में हिन्दी माध्यम से भी पी. एच. डी. करने वाले शोध छात्रों को रु. 2400/ प्रति माह अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) देने की घोषणा की है।

रेलवे परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम ज्यादा लोकप्रिय

1 अप्रैल से 30 जून, 92 को समाप्त तिमाही में उत्तर रेलवे, मंडल कार्यालय, फिरोजपुर में चार विभागीय भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई। इन भर्ती रीक्षाओं में 355 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिसमें से 350 अभ्यर्थियों का माध्यम हिन्दी था। इनके अतिरिक्त भर्ती वोर्ड द्वारा एक अन्य परीक्षा आयोजित की गई जिसमें कुल 16369 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 10209 अभ्यर्थियों ने हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी। उत्तर रेलवे, मंडल कार्यालय, फिरोजपुर की 26-6-92 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उक्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रयोजन मूलक हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ लिखने के लिए एक लाख रुपयों की पुरस्कार योजना

नवभारत टाइस, नई दिल्ली के 26 जुलाई, 1992 के पत्र में छपी एक सूचना के अनुसार बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की हिन्दी सेवा को सम्मानित करने के लिए एक लाख एक रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष 1991-92 से देय यह पुरस्कार प्रति वर्ष सामाजिक न्याय, विज्ञान, चिकित्सा, अभियंत्रण तथा कानून के क्षेत्र में विशिष्ट हिन्दी सेवा एवं मौलिक-मानक लेखन के लिए दिया जाएगा।

हिन्दी ने दक्षिण में जड़ जमाई

अंग्रेजी के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 21 अप्रैल, 1992 के अंक में छपे समाचार के अनुसार दक्षिण में हिन्दी का प्रचार और व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है। इस संदर्भ में अंग्रेजी में छपे समाचार का हिन्दी रूपान्तर नीचे दिया जा रहा है :—

"कभी ऐसा सांड को लाल कपड़ा दिखाए जाने के समान था किन्तु समय, लहर और दूरदर्शन ने अपना प्रभाव दिखाया है तथा दक्षिण भारत का हिन्दी के प्रति विरोध एकदम समाप्त हो गया है। यह बात तिरुपति विशेष रूप से सिद्ध हुई जहां कि कांग्रेस के अधिवेशन में निश्चित रूप से हिन्दी एक संपर्क भाषा के रूप में उभरी है।

अधिवेशन में अधिकांश भाषण हिन्दी में ही दिए गए। उनके द्वारा भी जो यदि महारानी की भाषा में बोलते तो अधिक अच्छा बोल सकते थे। बहुत कम को छोड़कर, दक्षिण भारत के प्रतिनिधि भी हिन्दी में ही बोले, चाहे वे कितनी ही अशुद्ध थी। बंबइया तरीका "हम जाता है", "तुम क्या करता है" प्रभावी था। बहुत से प्रतिनिधियों को और दौरे पर आए पत्रकारों को यह पाकर आश्चर्य हुआ कि तिरुपति के मूल निवासी भी अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में अधिक उत्तमता से बातचीत कर सकते थे।

वास्तव में बहुत कम प्रतिनिधि स्थानीय भाषा में बोले। सच्चाई यह है कि जब एक प्रतिनिधि ने तेलुगु में बोलना चाहा तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने, जोकि सत्र की अध्यक्षता कर रही थीं, हल्की सी ताड़ना दी "आप तेलुगु में बोलेंगे? इस प्रकार बहुत कम व्यक्ति समझ पाएंगे।" लगभग सभी प्रतिनिधियों द्वारा मांग किए जाने के फलस्वरूप श्री के नटवर सिंह ने, जो पहले कुछ वाक्य शुद्ध अंग्रेजी में बोल चुके थे, शुद्ध हिन्दी में बोलना आरम्भ किया जबकि वे विदेश नीति पर बहस में भाग ले रहे थे।

निश्चित रूप से, नरसिंह राव की हिन्दी में विशेष पकड़ ने हिन्दी के स्वीकार किए जाने में अधिक योगदान दिया। प्रतिनिधियों ने ठीक ही कहा है कि वे हिन्दी वालों की भी अपेक्षा अधिक उत्तम और स्पष्ट हिन्दी बोलते हैं।"

2. इसी प्रसंग में दैनिक जागरण के 15-4-92 और 16-4-92 के निम्न समाचार भी पठनीय हैं :—

प्रमुख कार्यवाही हिन्दी में

राजीव नगर, 14 अप्रैल (वार्ता)। एक गैर हिन्दी प्रदेश में होने के बावजूद यहां कांग्रेस अधिवेशन में हिन्दी को पर्याप्त सम्मान मिला।

कांग्रेस अध्यक्ष पी. वी. नरसिंह राव ने ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं को हिंदी में संबोधित किया। उन्होंने महाधिवेशन के आरम्भिक उद्बोधन में हिन्दी में अपना भाषण किया और कार्यवाही का संचालन भी इसी भाषा में किया।

राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने भी अपने विचार हिंदी में ही व्यक्त किए हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुए।

राव का हिन्दी प्रेम

अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री- पी. वी. नरसिंह राव की सलाह पर दो प्रमुख नेताओं को अपना भाषण हिन्दी में करना पड़ा। पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने अंतरराष्ट्रीय स्थिति से संबंधित प्रस्ताव को पेश करते समय जैसे ही अंग्रेजी में भाषण शुरू किया, प्रधानमंत्री ने उन्हें टोका और हिन्दी में बोलने को कहा इसके बाद ही सोलंकी ने हिन्दी में बोलना शुरू कर दिया। पूर्व विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह को भी प्रधानमंत्री ने हिन्दी में बोलने की सलाह दी।

प्रेरणा पुंज

हिंदी प्रेमी श्री ज्योतिषचंद्र राय
दक्षिण पूर्व रेलवे फुलेश्वर (पश्चिम बंगाल)

श्री ज्योतिष चन्द्र राय दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडलान्तर्गत फूलेश्वर (पश्चिम बंगाल) रेलवे स्टेशन में स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, वे एक बंगला भाषी रेल कर्मचारी हैं। उन्होंनें सन 1976 में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी की प्राज्ञ प्रतीक्षा उत्तीर्ण की। श्री राय इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए और स्वाध्याय से 1991 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा संचालित "परिचय" परीक्षा एवं 1992 में "कोविद" परीक्षा पास की। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की "साहित्य रत्न" की परीक्षा में बैठने की तैयारी भी कर रहे है। वे हिन्दी साहित्य में एम. ए. करने का भी इरादा रखते हैं।

ज्योतिष चन्द्र राय

श्री राय ने 1989 में रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3 सप्ताह का व्यावहारिक प्रशिक्षण कोर्स भी पूरा किया। इस प्रशिक्षण से वे इतने उत्साहित हुए कि हिन्दी में काम करने का संकल्प कर लिया। फलस्वरूप वर्ष 1989 में 51,000 शब्द, 1990 में 1,00,537 शब्द तथा 1991 में 1,11,067 शब्द सरकारी काम काज करते हुए हिन्दी में लिखे, अभी इस बहुमूल्य हिन्दी सेवा के लिए समय-समय पर दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों एवं रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की है। हिन्दी की इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए मंडल रेल प्रबंधक खड़गपुर ने उन्हें 1990 में "हिन्दी दिवस" के अवसर पर 300 रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वर्ष 1992 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे ने 750 का नकद पुरस्कार, योगयता प्रमाण पत्र एवं मैडल प्रदान किया।

श्री राय ने एक अप्रैल 1990 एवं सितम्बर 1991 में फुलेश्वर स्टेशन में हिन्दी एवं संरक्षा सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें टिकियापाडा से उलुबेड़िया तक के सभी उप स्टेशन अधीक्षकों, स्टेशन अधीक्षकों एवं स्टेशन मास्टरों ने भाग लिया। उन की गुरूदेव रवीन्द्रनाथ की बंगला कविताओं के हिन्दी अनुवाद की निदेशक, राजभाषा रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने सराहना की है। उन्होंने जून 1992 में दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच कलकत्ता द्वारा आयोजित वाक् प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया एवं दिनांक 13-10-92 को रेल भवन नई दिल्ली में आयोजित भारतीय रेल हिंदी वाक् प्रतियोगता में उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्री ज्योतिष चन्द्र राय का हिन्दी प्रेम एवं निष्ठा सराहनीय और अनुकरणीय है।

पुस्तक समीक्षा

विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रयोग
समस्याएं और समाधान

संपादक : डॉ. प्रशान्त बेदालंकार

पृष्ठ : 92

मूल्य : 60 रुपये

प्रकाशक : विनीता प्रकाशन, 8 माल रोड,
(हडसन लाईन्स) दिल्ली–110009

हिन्दी के शिक्षा के माध्यम के रूप में और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा के लिए 9 जून 1990 को एक संगोष्टी का आयोजन विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। प्रस्तुत पुस्तक में उस संगोष्ठी में विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार संगृहीत हैं। संगोष्ठी का यह निष्कर्ष रेखांकित किए जाने योग्य है कि "विज्ञान व सामाजिक विषयों को हिन्दी माध्यम से पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है, न ही पुस्तकों का अभाव है ।···प्रशासनिक कार्यों में भी हिन्दी के प्रयोग की अभाव का कारण दृढ़ता से हिन्दी को लागू न करना है।"

माध्यम–परिवर्तन की समस्या के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय के निदेशक डा. जगदीश चन्द्र मूना का कहना है कि हिन्दी माध्यम में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों को आगे आना चाहिए। अधिक नहीं तो वे सब अपने अपने शोध निष्कर्ष सार 50 से 60 पृष्ठ में हिन्दी में लिख दें तो सरलता से प्रत्येक विषय में हिन्दी में प्रमाणित सामग्री का विपुल भंडार हो जाएगा।

सेवा निवृत्त अभियन्ता श्री विश्वम्भर प्रसाद गुप्ता 'बन्धु' के अनुसार वैज्ञानिक विषयों में हिन्दी माध्यम अपनाने के लिये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। प्रतिष्ठित शिक्षा विद् श्री विजय कुमार मल्होत्रा का विचार है कि हिन्दी माध्यम अपनाने के लिये आरम्भ में परीक्षा तथा अध्यापन दोनों स्तरों पर हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित खिचड़ी भाषा के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष डा. तुलसी राम ने हिन्दी माध्यम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारी जड़ों से काट दे, और उसके लिये भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है।

इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए भी सभी लेखकों डा. नारायण दत्त पालीवाल, डा. महेश चन्द्र गुप्त, श्री जगन्नाथ, श्री बदलूराम गुप्त, डा. रामेश्वर प्रसाद मिश्र आदि ने अपने अपने शब्दों में हिन्दी प्रयोग के लिये मानसिकता परिवर्तन, दृढ़ संकल्प और शीघ्र कार्यारम्भ की आवश्यकता पर बल दिया है। सभी लेखक अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। इस दृष्टि से तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. उपेन्द्र बख्शी सदृश-गण्य-मान्य व्यक्तियों के विचारों से युक्त होने के कारण पुस्तक छोटी होती हुई भी महत्वपूर्ण, प्रेरणाप्रद और सही चित्र प्रस्तुत करने वाली हैं।

—आचार्य कृष्ण लाल
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

नया सिपाही

लेखक : आर. सी. शर्मा, इंडियन पुलिस सर्विस प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कालिज, मधुबन (हरियाणा)

प्रकाशक : पुलिस ट्रैनिंग कालेज, मधुबन (हरियाणा)

पृष्ठ : 66

मूल्य : 25 रु०

भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व. डा. राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार कहा था कि पुलिस के सिपाही को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं भी एक मनुष्य है और सभी मनुष्यों से व्यवहार करते समय उसे मानवीय पक्ष को सामने रखना चाहिए।

लेखक की धारणा है कि तेजी से बदलते हुए सामाजिक और राजनैतिक परिवेश में पुलिस की भूमिका भी बदल चुकी है। समाज की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। पुलिस कर्मचारियों के आचरण तथा जनता के प्रति व्यवहार

में सुधार लाना भी अनिवार्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुलिस प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। इसके लिए समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा प्रबंधशास्त्र के तत्त्वों को पुलिस की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना भी आवश्यक हो गया है।

श्री शर्मा का ऐसी पुस्तक लेखन का प्रयास सराहनीय है। जिसमें रंगरूट सिपाहियों के प्रशिक्षण सबंधी सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। इस पुस्तक में गोरे कमेटी द्वारा प्रस्तावित विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है जिसका ज्ञान होना पुलिस कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, जैसे पंचवर्षीय योजना, चुनाव के समय पुलिस की भूमिका, पुलिस स्मरण दिवस तथा स्थानीय महत्त्व के विषय आदि।

पुस्तक को मूलतः छः भागों में विभाजित किया गया है। इनमें आधुनिक भारत के स्वरूप, संगठन (राज्य/केन्द्र संगठनों पुलिस प्रशासन एवं मानव व्यवहार, पुलिस के कर्तव्य एवं विविध विषयों का व्यापक समावेश किया गया है। भारत की महान विभूतियां, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न परिवर्तन एवं उनका पुलिस कार्यों पर प्रभाव, सामाजिक समस्याएं एवं पुलिस, पुलिस के कार्य और कर्तव्य, सिपाही की ड्यूटी, नागरिक सुरक्षा, ग्राम पंचायत के साथ पुलिस के मजिस्ट्रेसी, समाज सेवाओं एवं अन्य सरकारी विभागों के साथ पुलिस के संबंध तथा उनका महत्त्व, पदचिह्न अनुशासन, मानव व्यवहार और पुलिस, असामान्य व्यवहार, भीड़ का मनोवैज्ञानिक रूप, पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार, महिलाओं तथा बच्चों व कमजोर वर्ग के साथ पुलिस का व्यवहार, पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम, बाल अपराध, विभिन्न अवसरों पर पुलिस के कर्तव्य, पुलिस कार्य में वैज्ञानिक सहायता, कम्प्यूटर, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वच्छता आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है।

—माला गुप्ता
डी I/ए/115 जनक पुरी, दिल्ली

बयालीस बाल कथाएं

संपादक शमशेर अहमद खान
पृष्ठ 155
मूल्य 85.00 रुपए
प्रकाशन मिनहाज प्रकाशन
आर –2/114 नया राजनगर,
गाजियाबाद —201001

आज जब कि देश के सम्मुख पर्यावरण, जातिवाद आदि की विषम समस्याएं विकराल रूप धारण किए है तथा विभिन्न लेखक अपने लेखों, कहानियों और साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम से समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे बाल साहित्य का निर्माण हो जो बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ उनके कोमल हृदय पर अमिट छाप छोड़े और उन्हें इन समस्याओं के निराकरण की प्रेरणा दे सके।

2. श्री शमशेर अहमद खान द्वारा संपादित "बयालीस बाल कथाएं" इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। यह पुस्तक न केवल बच्चों का भरपूर मनोरंजन करेगी बल्कि उनके चरित्र निर्माण में भी सहायक होगी।

3. "दुखी नीम की बात" "मिठाई की शर्त" बात में से बात "जामुन और वह सिक्का" "दो तनों वाला पेड़" विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सतीश कुमार गुप्ता 4247 श्री नगर,
जयमाता मार्किट, गली—2 दिल्ली-110035

हास्य व्यंग्य रंग एकांकी

लेखक: राम गोपाल वर्मा
मूल्य : 50/- रु.
प्रकाशक: आत्माराम एण्ड संस
कशमीरी गेट, दिल्ली- 6

व्यक्ति में जो चरित्र छिपा रहता है वह परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार और शारीरिक भंगिमाओं के द्वारा प्रस्तुत होता रहता है। परिस्थिति के अनुसार वह दुःख भी अभिव्यक्त करता है और हास्य चरित्र भी दिखाई पड़ता है।

श्री रामगोपाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत कृति 'हास्य व्यंग्य रंग एकांकी' में प्रस्तुत चरित्र समाज के ही अंग हैं। हास्य व्यंग्य के स्थल समाज से ही उठाए गए हैं तथा समाज की परिधि में ही उनकी कल्पना की गई है। कहीं-कहीं समाज की प्रक्रियाओं पर व्यंग्य पर न केवल पाठकों को हास्य के लिए बल्कि सोचने के लिए भी बाध्य करते हैं।

प्रस्तुत कृति में 11 एकांकी हैं जिनके विषय ऐसे प्रतीत होते है कि पाठक रंगकर्मियों के आस पास बिखरे हैं। संवादों में शब्दों और वाक्यों का गठन चरित्र के व्यवहार में निहित हास्य रूप को ध्यान में रख कर किया गया है। प्रत्येक नाटक पूर्णतः रंगमंच प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है। समयावधि 15—20 मिनट तक सीमित है।

यह प्रस्तुतिकरण सरलता के धरातल पर सरसता बिखेरता चलता है। मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान और तर्क प्रस्तुत करता है।

शान्ति कुमार स्याल
ई-43 सै. 15 नोएडा-201301

आदेश-अनुदेश
राजभाषा नीति

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (हिन्दी एकक) नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110067 का दिनांक 10-8-84 का. ज्ञा सं. एफ 16-3-84 केवि सं (हि.)

विषय :-- राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का अनुपालन।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त आदेशों के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालय संगठन को राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन करना चाहिये। इसी दृष्टि से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी सहायक आयुक्तों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा उप-नियमों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाता है। इसी हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम की एक-एक प्रति भी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों को इस आग्रह से प्रेषित की जाती है कि वे इसमें विहित कार्यक्रम का अनुपालन करें जिससे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग को चरणबद्ध बढ़ावा मिल सके।

एतद्द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 की एक-एक प्रति सभी सहायक आयुक्तों और केन्द्रीय विद्यालयों के सभी प्राचार्यों को इस अनुरोध से प्रेषित है कि वे भविष्य में इनमें विहित आदेशों का अनुपालन दृढ़ता से करें। इसका अनुपालन करते समय यदि किसी कठिनाई की अनुभूति होती है तो उसकी जानकारी तत्काल संगठन के मुख्यालय को दें ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (हिन्दी एकक) नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली 110067 का दिनांक 7-4-88 का. ज्ञा. सं. एफ. 16-2-87 केविस (हिन्दी)

कार्यालय आदेश

विषय:-- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों को केवल हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करना।

मानव संसाधान विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 12 जनवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12015/1/88--रा. भा. म. के अधीन प्राप्त राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 23 नवम्बर, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई, 14013/9/87 --रा. भा. (ए-1) में यह निर्णय लिया गया है कि संगठन के मुख्यालय में वे सभी कार्यचारी जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है दिनांक 1-4-88 से निम्नलिखित पत्रादि का प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत करें :--

1 "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि और गैर सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि :

2. हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर ।

3. किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय को भारत सरकार ने दिनांक 16 सितम्बर, 1986 को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अन्तर्गत "हिन्दी में प्रवीणता" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :--

"हिन्दी में प्रवीणता यदि किसी कर्मचारी ने

क. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोर्स परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

ग. यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्रारूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।" ☐

केन्द्रीय विधालय संगठन (हिन्दी एकक) नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली 110067 के दिनांक 30-3-1980 का का. ज्ञा. एफ 8 –4 केविस हिन्दी)

कार्यालय आदेश

विषय :–– केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में अनुभागों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट करना।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में निम्नलिखित तीन अनुभागों को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 8(4) के अधीन एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है :––

1. रोकड़ अनुभाग
2. संगठन एवं पद्धति अनुभाग
3. सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग

राजभाषा (संध के शासकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग) नियम 8(4)के अनुसरण में उपरोक्त अनुभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी टिप्पण, प्रारूपण, और अन्य सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे। ☐

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 20-5-92 का का.ज्ञापन सं. 13034/34/92/रा. भा. (ग)

विषय :–– निरीक्षण एवं मानीटरिंग के लिए हिन्दी के पदों का सृजन, बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में विचार व्यक्त करना और कोड / मैनुअल और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन (खण्ड–3) में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें भी की हैं।

मद संख्या 1 :– निरीक्षण तथा मानिटरिंग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा नीति के कारगर रूप से कार्यान्वियन हेतु निरीक्षण तथा मानीटरिंग व्यवस्था मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए अनुवाद कार्य और निरीक्षण तथा मानीटरिंग के लिए अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

2. संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91 रा. भा. (भा.) दिनांक 28-1-1992 द्वारा जारी किया जा चुका है।

3. इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13035/3/88-रा भा. (ग) दिनांक 5-4-1989 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार अपने मंत्रालयों/विभागों तथा संवद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कारगर कार्यान्वियन के लिए पदों का सृजन करें।

4. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश तथा इस संबंध में सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुन: अनुरोध है कि वे उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। वे इसे सभी संवद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि के ध्यान में लाएं तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

म. सं. या 9 (ख) विभागीय बैठकों, सम्मेलनों तथा परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में विचार व्यक्त करना।

समिति ने सिफारिश की है कि बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों में आमंत्रित व्यक्तियों को अपने विचार राजभाषा हिन्दी में व्यक्त करने के लिए प्रोन्नत किया जाए।

2. समिति की उक्त सिफारिश मान ली गई है तथा इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91 रा. भा. (भा.) दिनांक 28-1-92 द्वारा जारी किया जा चुका है।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मद संख्या 12 कोड/मैनुअल और अन्य कार्यविधि साहित्य

समिति ने सिफारिश की है जिन मंत्रालयों/विभागों आदि में अभी तक जिन कोडों, मैनुअलों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का काम पूरा करने का कार्य राजभाषा विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 के संकल्प के अंतर्गत राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार समय सीमा के अंदर अर्थात् वर्ष 1991 (रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में 1994–95) के अंत तक पूरा कर लिया जाए। चूंकि वर्ष 1991 समाप्त हो गया है। अत: अब यह लक्ष्य 1992 के अंदर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. समिति की यह सिफारिश मान ली गई है और सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प सं. 12019/10/91-रा. भा. (भा.) दिनांक 28-1-92 द्वारा जारी किया जा चुका है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुनः अनुरोध है कि इस कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा वे अपने-अपने कोड / मैनुअल और अन्य कार्य विधि साहित्य अद्यतन रूप में अपने सभी कार्यालयों में संवितरित कराएं, प्रक्रिया साहित्य में संशोधन कराएं तथा इसके लिए सरकारी मुद्रणालय को चेक पोइन्ट बनाते हुए इस पर पूरी निगरानी रखें।

4. सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निदेशों पर समुचित कार्रवाई करें तथा इन्हें अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाएं तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें। ☐

राजभाषा विभाग (गृह मन्त्रालय) का 17 जुलाई, 1992 का. ज्ञा. सं. 20034/53/92 रा. भा. (अ. वि.)

विषय :–– सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खण्ड 4 में उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित संस्तुति की गई है :––

"भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषा रूप में ही प्रकाशन निकाले जाएं। हिन्दी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषिक प्रकाशनों की तुलना में अंग्रेजी और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिन्दी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो और हिन्दी में नए मौलिक प्रकाशन निकाले जाएं।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 28-1-92 के संकल्प, सं. 12019/10/91–रा. भा. (भा.) के अनुसार समिति की उक्त संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी (डिगलाट) रूप में यथास्थिति मुद्रित, साईक्लोस्टाईल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3 (3) में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं।

4. इस परिप्रेक्ष्य में कृपया संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति पर किए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक जांच बिन्दु भी निश्चित कर दिए जाएं ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रकाशन डिगलाट फार्म में ही छपें और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिन्दी रूप की मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हो। ये आदेश कृपया अपने सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और आयोगों आदि को अनुपालन के लिए पृष्ठांकित कर दिए जाएं और इसकी जानकारी इस विभाग को भी भिजवाने की व्यवस्था की जाए। ☐

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 17 जुलाई 1992 का का. ज्ञा. सं. 20034/53/92-रा. भा. (अ. वि.)

विषय :––केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायक, संदर्भ साहित्य शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खण्ड 4 (जिस पर दिनांक 28-1-92 को संकल्प सं. 12019 10/91–रा. भा. (भा.) जारी किया गया है, में प्रस्तुति की गई है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने में उपलब्ध सहायक हिन्दी पुस्तकों जैसे अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश, सहायक और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य तथा विविध विषयों पर बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के साहित्य का पूरा प्रचार किया जाए और इनका निःशुल्क वितरण भी किया जाए। साथ ही पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का 50% हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिन्दी की उपयोगी, पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि उनके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें। उपर्युक्त संकल्प के अनुसरण में तथा इस संबध में राजभाषा विभाग के दिनांक 20-4-1976 के का. ज्ञा. सं. 12015/9/75-रा. भा. (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों आदि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए।

1. पुस्तकालयों में हिन्दी-अंग्रेजी और अंग्रेजी - हिन्दी के अच्छे शब्दकोश, शब्दावलियां और संबंधित साहित्य

मंगवाकर रखा जाए और कर्मचारियों को उचित उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।

2. शब्दकोष आदि खरीदने के बारे में निर्णय मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा स्वयं लिया जाए।

3. भाषा में एकरूपता लाने की दृष्टि से ऐसे शब्दकोश खरीदे जाएं जिनमें भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया हो।

4. वर्ष में पुस्तकालय अनुदान की कम से कम 25% धनराशि हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद के लिए प्रयोग में लाई जाए और हो सके तो यह राशि बढ़ाकर 50% कर दी जाए।

5. इस विभाग द्वारा पहले जारी की गई पुस्तक सूचियां हिन्दी में प्रकाशित पुस्तके खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाएं। इस संबंध में कृपया राजभाषा विभाग के निम्नलिखित का. ज्ञा. भी देख लिए जाएं :—

अनुपूरक संकलन (1988) के आदेश की

क्रम सं.		दिनांक	का. ज्ञा. संख्या
1.	261	20-12-85	200034/6/85–पत्रिका एकक
2.	262	31-3-1986	20034/6/85–पत्रिका एकक
3.	263	22-6-1987	20034/2/87–पत्रिका एकक
4.	264	19-7-1988	20034/6/88–रा. भा. (पत्रिका)
5.	267	4-5-1988	20034/6/85–रा. भा. (पत्रिका)
6.	268	26-8-1988	20034/6/90–रा. भा. (पत्रिका)
7.	—	30-11-1990	20034/6/90–रा. भा. (पत्रिका)
8.	—	12-3-1991	20034/6/90–रा. भा. (पत्रिका)

(6) संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृपया उपर्युक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जाए। □

(पृ० 58 का शेषांश)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

143, स्टर्लिंग रोड मद्रास-34

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) में 1 अप्रैल, 1991 से सितम्बर 1991 तक राजभाषा हिन्दी की प्रगति

—

1. हाल ही में हिन्दी अनुभाग गठित हुआ है। फिलहाल 1 हिन्दी टाइपिस्ट, 2 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, 1 वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद रिक्त हैं और इन्हें भरने की कोशिश की जा रही है।

2. इस अवधि में विभिन्न तरह के दस्तावेजों (240 पृष्ठ) का हिन्दी से अंग्रेजी अथवा विलोमतः अनुवाद किया गया।

3. 20-6-91 एवं 25-9-91 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हुईं जिनमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

4. 16-9-91 को हिन्दी दिवस उत्सव का आयोजन किया गया जिसकी रिपोर्ट संबंधितों को भेजी गई है। उप क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर में 30-9-91 से 4-10-91 तक हिन्दी प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम बना है।

5. हिन्दी कार्यशालाओं का अक्टूबर 1991 से दिसम्बर 1991 तक का कार्यक्रम बना है।

6. निरीक्षण कार्यक्रम.—इस अवधि में स्थानीय कार्यालय पुरसवाक्कम् एवं पांडिचेरी का निरीक्षण किया गया जो सार्थक रहा।

7. हिन्दी शिक्षण योजना.—वर्तमान में 6 कर्मचारी कक्षाओं में जा रहे हैं। 3 प्राज्ञ पास कर चुके हैं। पुस्तकें मंगाई गई हैं।

8. हिन्दी पुस्तकालय के लिए दूसरी गोदरेज सेफ खरीदी जा रही है। एक हिन्दी अखबार एवं एक मासिक पत्रिका वाचनालय में उपलब्ध है। कर्मचारी पुस्तकों का लेन-देन करके लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष की हिन्दी पुस्तकों की खरीद पुस्तकालय के सुपुर्द की गई है।

9. अन्य कार्यान्वयन के पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। एक और द्विभाषिक टाइपराइटर खरीदा जा रहा है। सहायक साहित्य प्रकाशित करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। हिन्दी विकास पर प्रस्तावित खर्च का ब्योरा 1991-92 का बजट में सम्मिलित करने के लिए सोचा गया है।

10. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अन्य संभावनाओं पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है जिसमें एक हिन्दी पत्रिका निकालने का भी विचार है।

□

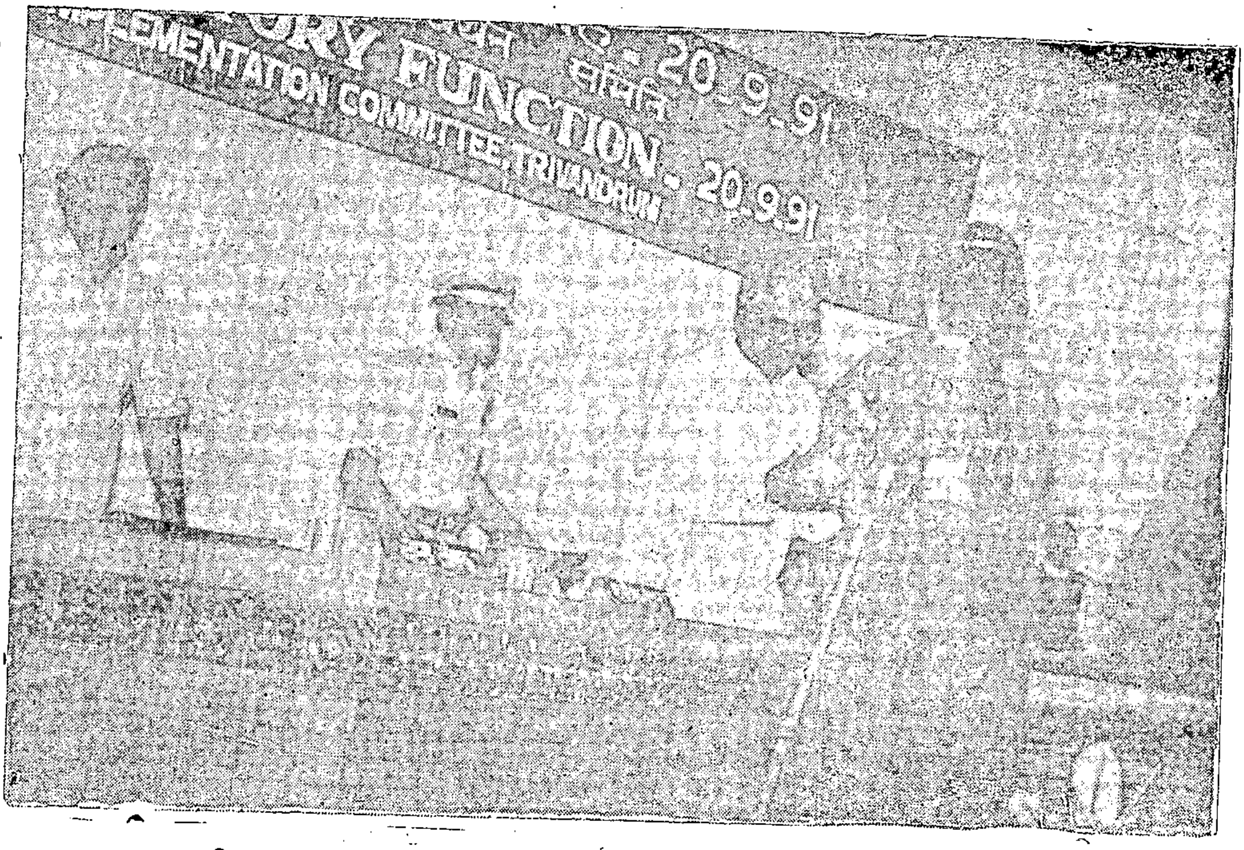

तिरुअनन्तपुरम, नराकास के तत्वावधान में हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्री बी. रचय्या को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए।

तिरुअनन्तपुरम हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर सदस्य कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण

हिन्दी की महिमा

आई० जम्बूकुमारन् जैन*

विज्ञानरूपी मुकुट ही, जिसका शिरोभूषण कहो,
शब्दार्थ ही जिस दवी का है, सुनयनांजन रे अहो।
सुशिष्टता की सुगंध ही, नथनी है जिसकी सही,
नवरसास्वादिनी मुखाभूषणी, देवी को अर्पित मही ॥

स्वरलय मधुरिम कर्णभूषण, है सुशोभित देख लो,
सुहावनीयुत सुष्टु-उक्ति, सुकंठ हार निहार लो ।
अंक और अक्षर वही तो, कराभूषण कंकण सही,
नवरसास्वादिनी मुखाभूषणी, देवी को अर्पित मही ॥

वर्ण-मात्रा से विभूषित, छन्दबद्ध चरणोदयी,
मंथर-गति, सुन्दर-यति, सुगंधित-लय-सी भा रही ।
अध्यात्मरसामृत पूरिता है, अन्तःकरणी भूषणी,
नवरसास्वादिनी, मुखाभूषणी, देवी को अर्पित मही ॥

नवरसरसना अलंकृतवदना, स्वरलयकर्णा कल्याणी ।
चित्तप्रशान्ता बुद्धिविज्ञाना, शिष्टसुज्ञाना सुमंगली ॥

हिन्दी की महिमा अपार, कोई न पा सके इसका पार,
वाग्देवी की दुलारी, हम सब इसे अपनाएं सही प्रकार॥

*केन्द्रीय विद्यालय, कारैकुड़ी-6
तमिलनाडु-623006
(हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में रचित)

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डॉ. गुरूदयाल बजाज, उप-संपादक द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित, 1992.